VBSP-01353 T 15318

औरंगजेब कालीन सूबा अवध की सामाजिक एवं आर्थिक दशा

(१६५८-१७०७) ई० तक

तेजस्विनावधीतमस्तु
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जौनपुर
1987

V.B.S. Purvanchal University
Vivekanand Central Library
Estd. 1999
Jaunpur U.P.

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

की

इतिहास विषय में पी–एच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

2007

शोध-निर्देशक

डॉ. शिव प्रसाद ओझा
रीडर एवं अध्यक्ष
(इतिहास विभाग)
राजा श्रीकृष्णदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जौनपुर

सह-निर्देशक

डॉ. ओंकार नाथ उपाध्याय
रीडर एवं अध्यक्ष
(इतिहास विभाग)
गोविन्द बल्लभपन्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
प्रतापगंज, जौनपुर

शोधार्थी

अवधेश चन्द्र वर्मा
(एम.ए. इतिहास)
P.U. 98/30187

शोध-केन्द्र

गोविन्द बल्लभपन्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
प्रतापगंज, जौनपुर

राजा श्रीकृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **श्री अवधेश चन्द्र वर्मा** शोध–छात्र इतिहास विभाग, राजा श्रीकृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर ने अपना शोध–प्रबन्ध **''औरंगजेब कालीन सूबा अवध की सामाजिक एवं आर्थिक दशा''** हमारे निर्देशन में पूर्ण किया है। प्रस्तुत शोध–कार्य इनके व्यक्तिगत अनुशीलन एवं परिश्रम पर आधारित है तथा पूर्णतया मौलिक है।

सह-निर्देशक

डॉ. ओंकार नाथ उपाध्याय
रीडर एवं अध्यक्ष
(इतिहास विभाग)
गोविन्द बल्लभपन्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
प्रतापगंज, जौनपुर
HEAD
Department of History
G.B. Pant P.G. College
Pratapganj, Jaunpur

शोध-निर्देशक

डॉ. शिव प्रसाद ओझा
रीडर एवं अध्यक्ष
(इतिहास विभाग)
राजा श्रीकृष्णदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जौनपुर

अग्रसारित
प्राचार्य
Principal
G.B. Pant P.G. College
Pratapganj-Jaunpur

प्राक्कथन

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध औरंगजेब कालीन सूबा अवध को सामाजिक एवं आर्थिक दशा (1658–1707) ई0 पर है। अब तक जो भी शोध प्रबन्ध लिखे गये हैं। वे किसी न किसी रुप में या तो शासकों से सम्बन्धित है। मध्यकालीन समाज या संस्कृति से सम्बन्धित है। कुछ वर्षों पूर्व इतिहास कार का ध्यान क्षेत्रीय इतिहास की ओर गया और इस विषय पर शोध कार्य शुरु हुआ। अकबर शासन काल के प्रारम्भिक वर्षों में सूबों का निर्माण हुआ जिसमें अवध भी एक सूबा बना। प्राचीन काल से आज तक के भारतीय इतिहास में अवध के राजनैतिक इतिहास का वर्णन काफी मिलता है। परन्तु सबसे दुःखद बातें यह है कि इस महत्वपूर्ण सूबे की सामाजिक आर्थिक इतिहास पर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। अतःप्रस्तुत शोध प्रबन्ध निश्चित ही इस अधूरे इतिहास को पूरा करने में सहायक होगा।

मध्यकालीन इतिहास में अब तक क्षेत्रीय इतिहास लिखने की प्रवृत्ति उभरी उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कार्य हुआ जो निम्न है। प्रो0 एस0 एन0 सिनहा कृत "सूबा ऑफ इलाहाबाद" प्रो0 आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कृत" फर्स्ट एण्ड ट्रवनवाव आफ अवध" प्रो0– के0 पी0 मिश्रा कृत बनारस इन ट्रांजिसन

प्रो0 एस0 एन0 आर रिजवी कृत" 18वीं सदी के पूर्वी उत्तर प्रदेश के जमींदार डा0 रेहना बेगम कृत" अवध के सामाजिक जीवन का इतिहास" 1719–1820 ई0" डा0 परिपूर्णानन्द कृत" वाजिद अली शाह और अवध का राज्य का पतन डा0 टी0पी0 चन्द्र कृत" दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवध" इकबाल अहमद कृत जौनपुर का इतिहास सेफाली बनर्ज़ी कृत "शर्फी राज्य" डा0 अहमद सईद कृत" शर्की सल्तनत ऑफ जौनपुर" डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह कृत" पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन" है। डा0 एस0 जेड0 जाफरी कृत एग्रेरियन कन्डीसन ऑफ अवध अण्डर द मुगल्स एण्ड नवाब व्रर्जीसे 1595–1856 ई0 तक फिर भी औरंगजेब के समय सूबा अवध की सामाजिक आर्थिक इतिहास पर किसी ने स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष रुप से कोई कार्य नहीं किया है। अतः इसी क्रम में सूबा अवध के अधूरे इतिहास को पूरा करने में प्रस्तुत शोध की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सूबा अवध की सीमा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों महत्व है। सांस्कृतिक सीमा का यदि वर्णन किया जाया है।तो अवध की सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलेगी। अवध सीमा में अयोध्या, भगहर, गोरखपुर, कुशीनगर, काशी, प्रयाग और जायस जैसे धरोहर अवर्णनीय ही इसी के बीच में अवध का क्षेत्र ही वैसे तो अवध की सीमा जलवायु, क्षेत्रफल, नदियां जनसंख्या, औरंगजेब के पूर्व अवध का महत्व सूबा का विभाजन अवध का निर्माण आदि का वर्णन किया जाया है।तत्कालीन साम्राज्य सूबो, सरकारों, महलों एवं गावों में विभाजित का प्रत्येक क्षेत्र की सीमा क्षेत्रफल कृषियोग्य भूमि इत्यादि के आंकड़े संकलित थे। ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि सूबा अवध का भारतीय इतिहास में अद्वितीय स्थान है।

सूबा अवध में हिन्दू–मुस्लिम सामाजिक जीवन का विशद विवरण प्रस्तुत किया गया है। हिन्दुओं की सामाजिक जीवन की सबसे मुख्य संस्था वर्ण व्यवस्था ही इसी की नींव पर हिन्दू समाज पड़ा है। औरंगजेब के शासन काल में हिन्दू समाज को 5 वर्णों में बटा पाते हैं। (1) ब्राह्मण (2) क्षत्रिय (3) शूद्र (4) वैश्य (5) कायस्थ एवं अन्य जातियों में बटा हुआ था। तुलसीदास तथा अबुल फजल और लाहौरी ने भी वर्णन किया है। इसके अलावा मुस्लिम समाज भी कई भागों में बंटा हुआ था जिसमें प्रमुख शिया और सुन्नी इसके बावजूद भारतीय मुसलमानों का अलग अस्तित्व था। मुसलमानों के कारण अवध की सामाजिक तथा आर्थिक दशा प्रभावित हुई हिन्दू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के समिश्रण से सामाजिक स्थिति में काफी परिवर्तन आया। खान–पान, रीति–रिवाज, वेश–भूषा आहार विहार में भी परिवर्तन हुआ। इनके महानतम योगदान का विशेष वर्णन किया गया है।

सूबा अवध की शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है। जिसमें हिन्दू–मुस्लिम, शिक्षा, शिक्षा पद्धति, नारी–शिक्षा का उल्लेख किया गया । गुरु शिष्यों सम्बन्ध हिन्दू–मुस्लिम शिक्षा केन्द्र का विशद विवरण दिया गया है।

जमींदार तथा उनकी श्रेणियां तालुकदारी प्रथा, उनके कार्य तथा जनता के साथ उनका सम्बन्धों की चर्चा की गयी है। औरंगजेब के शासन में जमींदारों की अहम भूमिका का वर्णन किया गया है। भू–राजस्व तथा उनकी वसूली, जमींदारों को अपनी जमींदारी का मालिकाना अर्थात् भू–राजस्व का कितना भाग मिलता था इस का वर्णन किया गया है।

सूबा अवध कि कृषि व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसमें कृषि

योग्य–भूमि पद्धति तथ फसलों के प्रकार और उत्पादन की चर्चा की गयी है। औरंगजेब कालीन सूबा अवध कृषि के कारण धनवान माना जाता था। यह गेंहू, चावल, गन्ना, जौ, चना, बाजरा, तिलहन, की फसलें होती थी। अधिक बहुमूल्य जैसे कपास, नील, पोस्ता, गन्ना की भी खेती होती थी। इसका प्रस्तुति करण किया गया है।

औरंगजेब कालीन अवध सूबा को उद्योग व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेख किया जायेगा यह अवध का आर्थिक क्षेत्र से काफी महत्वपूर्ण रहा है। अवध में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता था। वस्त्र उद्योग एक महतवपूर्ण उद्योग रहा। कपास से रुई, रुई से धागा तथा धागे से वस्त्र बनता था। गन्ने से गुड़, खाद चीनी, मिश्री तथा मदिरा बनायी जाती थी। 17 वीं शताब्दी में नील व्यापार के लिए तैयार किया जाता था। कांच का उद्योग गोरखपुर, वाराणसी का महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अवध के अधिकतर विभिन्न प्रकार के वस्त्र भी, अनाज देश के अन्य भागों तथा विदेशों को भेजा जाता था। विधिवत् उल्लेख किया गया है।

सूबा अवध में भू–राजस्व व्यवस्था उसमें होने वाली आय का वर्णन किया जायेगा। भू–राजस्व वसूली की प्रथा, जब्ती प्रथा जमींदारों तथा मनसबदारों को दी जाने वाली भूमि खालासी भूमि (सरकारी भूमि) का विवरण दिया गया है। भू–राजस्व उपज का 4 या 5 वाँ भाग होता था। इसके अतिरिक्त कृषकों को कई प्रकार के कर देने होते थे। प्रस्तुत शोध प्रबन्धकों सात अध्यायों में विभाजित करके पूरा किये जाने का प्रयास किया गया है।

शोध–प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में "औरगजेब कालीन सूबा

अवध की सीमा, जलवायु, क्षेत्रफल, नदियां जनसंख्या अवध का इतिहासिक महत्व सूबा का विभाजन अवध का निर्माण, सरकार तथा परगने इत्यादि का विवेचनात्मक उल्लेख प्रस्तुत किया गया है। शोध प्रबन्ध का द्वितीय अध्याय– "हिन्दू मुस्लिम सामाजिक, जीवन खान–पान, रीति–रिवाज, त्यौहारों मेला, आमोद–प्रमोद" है। इस अध्याय के अन्तर्गत तत्कालीन समाज की सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक दशा का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। शोध का प्रबन्ध का तृतीय अध्याय– हिन्दू–मुस्लिम, शिक्षा केन्द्र शिक्षा पद्धति, नारियों की दशा से सम्बन्धित है। इस अध्याय अन्तर्गत औरंगजेब कालीन समाज में हिन्दू और मुस्लिम समुदायों की शैक्षिक स्थिति उनके शिक्षा केन्द्रों के स्वरुप शिक्षा की आदि का उल्लेख करते हुए तत्कालीन समाज की नारियों की शिक्षा में क्या स्थान क्या योगदान रहा है पर प्रकाश डाला गया है। शोध प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय–जमींदार जमींदार का वर्गीकरण तथा उनके कार्य, जमींदार का कृषकों के साथ सम्बन्ध से संबधित है। इस अध्याय के अन्तर्गत तत्कालीन समाज में प्रचलित जमींदारी व्यवस्था जमींदारों की स्थिति उनके कार्य तथा व्यवहार एवं कृषकों के उनके क्या सम्बन्ध रहें है। का विवेचनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया हैं। शोध प्रबन्ध का पंचम् अध्याय– "सूबे की कृषि व्यवस्था, कृषि योग्य भूमि, कृषि पद्धति, फसलों के प्रकार तथा उत्पादन से सम्बन्धित है इस अध्याय के अन्तर्गत सूबे की कृषि व्यवस्था कृषि योग्य भूमि, कृषि पद्धति फसलों के प्रकार एवं उनके उत्पादन का समग्र विश्लेषण किया गया है। शोध प्रबन्ध षष्ठ अध्याय– उद्योग व्यापार, एवं वाणिज्य, वस्त्रधातु, कागज, चीनी, नील आयात तथा निर्यात से सम्बन्धित है। इस अध्याय के अन्तर्गत तत्कालीन सूबा अवध की औद्योगिक स्थिति वाणिज्यिक स्तर तथा विभिन्न धातुओं कागजों, चीनी, नील व

अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन तथा उनके आयात व निर्यात व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। शोध प्रबन्ध का सप्तम अध्याय– भू–राजस्व व्यवस्था से सम्बन्धित है। इस अध्याय के अन्तर्गत तत्कालीन समाज की राजस्व व्यवस्था तथा इससे प्राप्त होने वाली आय आदि का उल्लेख किया है। शोध प्रबन्ध का अन्तिम अध्याय में औरंगजेब कालीन सूबा अवध की सामाजिक एवं आर्थिक दशा का समग्र मूल्यांकन करते हुए उसके महत्व और उपलब्धियों का इंगित किया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध गुरुवर द्वय डॉ0 शिव प्रसाद ओझा रीडर एवं अध्यक्ष इतिहास विभाग, राजा श्रीकृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर (शोध निर्देशक) डॉ0 ओंकार नाथ उपाध्याय रीडर एवं अध्यक्ष इतिहास विभाग गोविन्द वल्लभ पन्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगंज जौनपुर (सह निर्देशक) के सुदक्ष निरीक्षण एवं निर्देशक का परिणाम है। अत्यन्त व्यस्त और गहन अध्ययन में अध्यापन में लीन रहते हुए उन्होंने शोध के लिए उपर्युक्त विषय का चयन ही नहीं किया, अपितु अपने सहज वात्सल्यपूर्ण व्यवहार से मेरे उत्साह को गति देकर आपेक्षित सुविधाएं एवं सहयोग प्रदान किया इस ज्ञान मन्दिर की एक–एक सीढ़ी पर उन्होंने मेरे अपरिपक्व चेतना को आस्था विश्वास और अमूल्य मार्गदर्शन का सहारा दिया उनके प्रति अनुग्रह जैसे हल्के शब्द का प्रयोग करके मैं अपनी आजीवन उत्कृष्ट आत्माभूति पर अभिव्यंजन वादी मुखौटा नहीं लगाना चाहता हूँ इसके साथ ही साथ मैं अपने शोध केन्द्र के प्राचार्य और इतिहास के सभी गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करना अपना पुनित कर्त्तव्य समझता हूँ जिनके स्नेह एवं उत्साह वर्द्धन से इस शोध प्रबन्ध के लेखन का कार्य पूर्ण हो सका है।

आभार के इस कड़ी में मैं अपने देव तुल्य पिता श्री रामरथी वर्मा एवं

देवी स्वरुपा माता श्रीमती सोमारी देवी के चरणों में श्रद्धावनत् हूँ जिनके पुण्य प्रताप एवं आर्शीवचन से यह शोध कार्य पूरा हो सका है। इसके साथ ही साथ मैं अपने भ्राता अखिलेश चन्द्र वर्मा भार्या श्री श्रीमती शीला देवी, बहन श्रीमती सुमन देवी, दिनेशचन्द्र, श्री ओमप्रकाश, श्री हरीलाल पटेल अनुज श्री मिथिलेश चन्द्र वर्मा, आदि के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आप सभी भी सद्इच्छा एवं शुभकामना के फलस्वरुप यह दुरुह कार्य पूरा करने में प्रयास कर सका हूँ।

इस शोध कार्य के सामग्री संकलन में राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, तिलक पुस्तकालय, हिन्दी भवन, जौनपुर, नेशनल शिवाली एकाडमी, आजमगढ़ खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी वाकीपुर पटना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अमीर–उद–दौला पब्लिक लाइब्रेरी के कैसरबाग, लखनऊ, नगरी प्रचारिणी सभा वाराणसी केन्द्रीय ग्रंथागार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी नई दिल्ली जौनपुर में सम्मानित व्यक्तियों के पास उपलब्ध ग्रन्थ के उन पदाधिकारियों के प्रति में विशेष रुप से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने विभिन्न बहुमूल्य ग्रन्थों के अध्ययन करने एवं शोध सामग्री के संकलन में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है।

इस शोध प्रबन्ध के टंकणकर्ता श्री अरविद कुमार चौबे, मोहम्मद सिराजुद्दीन, सुफियान अहमद, प्राग्रेसिव कम्प्यूटर जॉब वर्क्स, हुसैनाबाद, जौनपुर के प्रति भी आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने अथक परिश्रम करके, समय से शोध प्रबन्ध के टंकण कार्य का सम्पादन कर शोध प्रबन्ध को तैयार करने में अपना सहयोग प्रदान किया है।

अन्त में मै उन सभी शक्तियों को जो मूर्त है जो अमूर्त है के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ।

गुण दोष को सर्वत्र सम्भव है, इस शोध–प्रबन्ध को अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। फिर भी यदि इसमें कोई त्रुटि व दोष अवशेष रह गये हैं तो आशा है कि विद्ववतगण मेरे दोषो को क्षमा करेंगे।

अवधेश चन्द्र वर्मा

अवधेश चन्द्र वर्मा

एम0 ए0 (इतिहास)

विषयानुक्रमणिका

प्रथम अध्याय –

औरंगजेब कालीन सूबा अवध की सीमा, जलवायु, क्षेत्रफल, नदियाँ, जनसंख्या, अवध का ऐतिहासिक महत्व, सूबा का विभाजन, अवध का निमार्ण, सरकार तथा परगने 1 - 34

द्वितीय अध्याय –

हिन्दू-मुस्लिम सामाजिक, जीवन, खान-पान, रीति-रिवाज, त्यौहार-मेला, आमोद-प्रमोद 35-77

तृतीय अध्याय –

हिन्दू-मुस्लिम शिक्षा, शिक्षा-केन्द्र, शिक्षा-पद्धति, नारियो की दशा 78-101

चतुर्थ अध्याय –

जमींदार, जमींदार का वर्गीकरण तथा उनके कार्य, जमींदार का कृषको के साथ सम्बन्ध 102-128

पंचम् अध्याय –

सूबे की कृषि व्यवस्था, कृषि योग्य भूमि कृषि पद्धति, फसलों के प्रकार तथा उत्पादन 159-153

षष्ठ अध्याय –

उद्योग-व्यापार एवं वाणिज्य, वस्त्रधातु, कागज, चीनी, नील आयात तथा निर्यात 154-186

सप्तम् अध्याय –

भू-राजस्व व्यवस्था, आय, भू-राजस्व से होने वाली आय आदि 187-204

उपसंहार 205-219

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची 220-244

प्रथम अयाय

औरंगजेब कालीन सूबा अवध की सीमा, जलवायु, क्षेत्रफल, नदियाँ, जनसंख्या, अवध का ऐतिहासिक महत्व, सूबा का विभाजन, अवध का निमार्ण, सरकार तथा परगने

प्रथम अध्याय

औरंगजेब कालीन सूबा अवध की सीमा, जलवायु, क्षेत्रफल नदियाँ, जनसंख्या, अवध का इतिहासिक, महत्व, सूबा का विभाजन अवध का निर्माण, सरकार तथा पर परगने

प्राचीन काल से ही अवध का उत्तरी भारत में विशेष स्थान था तथा हिन्दू सभ्यता एवं संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन काल अवध (अयोध्या) का ऐतिहासिक अध्ययन बहुत क म और संदिग्ध प्रमाणों के कारण कठिन है। इसमें ऐसे लम्बे–लम्बे अन्तराल है, जिन्हें पुरातात्विक अभिलेखीय और साहित्यिक आधार सामग्री से नहीं भरा जा सकता। हमारे पास कुछ साक्ष्य अवश्य है। किन्तु वे अतीत के बारे में बहुत चलताऊ अन्तदृष्टि ही प्रदान करते हैं। जहाँ पुरातात्विक था अभिलेखीय साक्ष्य है, साहित्यिक स्रोत उनकी पुष्टि नहीं करते। अवध में 12 वी शताब्दी के पहले के धरना क्रमों को उत्तर भारत के सामान्य इतिहास से सभी सम्बद्ध किया जाना हमें 1100 ई0 के बाद साहित्यिक सामान्य इतिहासों, यात्रियों के वितरणों तथा पत्रों के रुप में एवं अभिलेखीय साक्ष्य भी मिलते हैं, जो अवध के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन काल में ऐतिहासिक, विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन काल ऐतिहासिक, विवरणों और अन्य साक्ष्यों के अभाव के कारण इतिहास लेखन की किसी हिन्दू परम्परा का न होना कहा जा सकता है। यहां परम्परा राजाओं के कसिदे लिखने की रही है।

व्यवस्थित रुप में घटनाओं के दर्ज करने की परम्परा भारत में लगता है मुसलमानों के साथ आयी इसलिए 1000 ई0 के आस–पास से अवध के अधिक विस्तृत वितरण मिलने का आरम्भ होते हैं।

इसके नामकरण के सम्बन्ध में विभिन्न किवदन्तियाँ प्रचलित है अवध शब्द की व्युत्पति अयोध्या से है तथा अयोध्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के 'ऊजोदह' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ अजेय है। दूसरे 'अज' ब्रह्मा का नाम है अतः अयोध्या का अर्थ ईश्वर का अजेय नगर हुआ तुलसीदास ने रामचरित मानस में अयोध्या को अवधपुरी कहा है। इसी क्रम में संस्कृत में अवधिका अर्थ 'वाद' से हैं चूंकि श्री रामचन्द्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और उन्होंने चौदह वर्ष के पश्चात् वापस आने का वादा किया था। अतः इस कारण इसका नाम अवध पड़ा।[1]

अयोध्या को विभिन्न कालों में "साकेत"–विनित विशाजन कौशल–या महाकौशल "इक्ष्वांकु भूमि", 'रामपुरी' 'रामजन्म भूमि' और अवध नामों से जाना जाता रहा है।[2]

अवध की सीमा एवं क्षेत्रफल :–

प्राचीन काल से विभिन्न राज्यों और राजनीतिक भागों का सीमा निर्धारण अधिकतर देश की भौगोलिक, आकृति अथवा लक्षणों पर

ही निर्भर रहा है। जब भूमि का कोई टुकड़ा या हिस्सा किसी प्रकार की प्राकृतिक सीमाओं से परिसीमित होता है। तो उसमें समैक्य और सुदृढ़ता पैदा होती है और वहां की निवासियों में उसके कारण–एकता तथा सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती जाती है। प्रकृति ने उस विशाल हिमालयी क्षेत्र को, जो भारत की ढ़लानों में बहने वाली तीनों नदी परिवारों की धारियों से बना हैं अनेक स्वतन्त्र राज्यों का पालना बनाया है। मुसलमानों के इस देश में आने से पूर्ण की ओर राजपूत कालीन भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उस समय देश साधारणतया अने स्वतंत्र राज्यों में बढ़ा हुआ था।[3]

औरंगजेब कालीन सूबा अवध मैदानी क्षेत्र के एक विस्तृत भू–भाग पर फैला हुआ था जो 79.6^0 देशान्तर से 84^0 देशान्तर के पूर्व की ओर तथा 26^0 से 28.8^0 अक्षांश से उत्तर की ओर फैला था। सूबों की सीमाऐं जिससे पूरब की सीमा पर बिहार सूबा था और उत्तर की सीमा पर भारत का गगन चुम्बी अभेद दीवार हिमालय पर्वत था, जिसकी चोटियों की अटूट और बर्फीली पंक्ति भारत के भू–भागों को ऊँची प्राचीन की तरह घेरती हुई सतत् श्रृंखला के रुप में उत्तर–पूर्व से उत्तर–पश्चिम तक चली गई है। सूबा इलाहाबाद का सरकार मानकपुर, सूबे के दक्षिण में स्थित था। जबकि पश्चिम् में आगरा सूबा का सरकार कन्नौज स्थित था। सरकार गोरखपुर से सरकार कन्नौज की दूरी लगभग 405 मिली था तथा उत्तर की पहाड़ियों से सिंहापुर तक जो इलाहाबाद सूबे की सीमा थी, 345 किमी था।[4]

इन सूबे की सीमाऐं बहुत लम्बे समय तक अपरिवर्तित रही उसका मुख्य कारण उत्तरी सीमाओं में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का विद्यमान होना था तथा सूबे के आस–पास के सरकारों में कमी क्षेत्रीय आधार पर सीमांकन एवं सीमाओं पर परिवर्तन नहीं हुआ। ऐतिहासिक स्रोतों को देखने से स्थिति स्पष्ट होती है कि अकबर से लेकर औरंगजेब के शासन तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ अबुल फजल ने "आईन–ए–अकबरी" में अवध सूबें के सन्दर्भ में जो आंकड़ें प्रस्तुत किये हैं, लगभग 200 वर्ष बाद भी बिल्कुल वहीं आकड़ों सूबों की वही सीमाऐं सरकारों की वही संख्या और वही नाम तथ्य उनके मुख्य नगरों के थी वही नाम अवध के प्रथम नवाब सआद खाँ और उनके उत्तराधिकारी सफदरजंग के समय में भी दिया गया है।[5]

जलवायु :–

मनुष्य के शरीर का गठन, उसके रंग–रुप–स्टे उसकी मानसिक एवं आर्थिक दशाओं पर जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सूबा अवध दूसरी जलवायु (इकसीम) में स्थित है।[6] गर्मी और शीत दोनों ऋतु लगभग शीतोशण हैं।[7] ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक होती है। जिसमें मई और जून में अधिक गर्मी पड़ती है जुलाई और मध्य अक्टूबर तक मौसम गर्म और नम रहता है नवम्बर से फरवरी तक जाड़े की ऋतु रहती है। अक्टुबर से मार्च तक छः महीने का मौसम अधिक सुहावना होता है तथा रात और सुबह के समय हवा में हल्की ठंडक रहती है।[8] अधिक तराई क्षेत्रों

में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। तराई क्षेत्रों के जनपदों में दक्षिणी भाग की उपेक्षा उत्तरी भाग में जाड़े का मौसम अधिक दिनों तक चलता है। साथ ही दिसम्बर और जनवरी के महीनों में पाला बहुत कम पड़ता है। वर्ष साधारणतया जून के महीने से आरम्भ हो जाती है।[9]

अवध की भूमि विभिन्न प्रकार की है कई स्थानों पर इसमें सिलिका एवं कल्केरियस तत्वों की अधिकता पायी जाती थी।[10] कुछ भाग लोग अर्थात् मिट्टी और बालू का मिश्रण है इसे दोमट या दोरस कहते हैं। कुछ भाग कड़ी मिट्टी अर्थात् मिटियार और भाग बलुई या भूर कहलाता है।[11] कई स्थानों पर केकड़ जमीन की सतह से 6 से 8 फीट तक बहुतायत में पाया जाता था।[12] कई स्थानों पर केकड़ की मात्रा जमीन की ऊपरी सतह में भी पायी जाती है। अवध के जंगलों से लगा मिट्टी तथा गंगा और देवहा के बीच पायी जाने वाली मिट्टी काली एवं उपजाऊ थी।[13]

औरंगजेब कालीन सूबा अवध का क्षेत्रफल 10, 01, 71, 180 थी। इसमें पांच सरकारें (जिला) थी।[14]

नदियाँ :–

औरंगजेब कालीन सूबा अवध के प्रमुख नदियों में सई, गोमती, घाघरा, सरयू, राप्ती, तथा गण्डक, टोन्स, लोनका का नाम आता

है।[15] इन्हीं नदी जल का उपयोग सिंचाई आदि के लिए किया जाता था। इन नदियों की प्रमुख विशेषताओं का सुचारु रुप से वर्णन किया गया है। गोमती नदी लखनऊ से बहकर सुल्तानपुर से निकालकर जौनपुर होते हुए गाजीपुर जनपद में सैयदपुर के पास राजवाड़ी नामक स्थान पर गंगा में सम्मिलित हो जाती है। घाघरा नदी बहराइच के उत्तर–पश्चिम के कोने से निकलकर खीरी और सीतापुर को बहराइच से विभाजित करती हुई बलरामपुर में चौंका नदी से मिलकर फैजाबाद से गुजरती है। फैजाबाद एवं अयोध्या में यह नदी सरयू कहलाती है। राप्ती नदी नेपाल की निकली पहाड़ियों से निकलकर पश्चिमी की ओर बहती हुई और फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर बहराइच और गोण्डा से गुजरती हुई गोरखपुर तथा बस्ती से निकलकर आगे चली जाती है। गड़क नदी नेपाल से निकलकर महाराजगंज, पडरौना, देवरिया, जनपद की सीमा से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। सई नदी खीरी से होते हुए रायबरेली, प्रतापगढ़ से आगे निकलकर जौनपुर जनपद में प्रवेश करती है तथा जौनपुर जनपद में ही जलालपुर के आगे गोमती में मिल जाती है। खीरी में सई नदी में लोग नावों पर बैठकर भाले से मछली का शिकार भी किया करते थे।[16] कृषि उत्पादन के अधिकांश भाग का परिवहन राप्ती नदी के मार्ग से होता था और बहराइच के जंगलों से लकड़ी प्रचुर मात्रा में प्रवाहित की जाती थी।

समय के साथ–साथ नदियों के प्रवाह के रास्ते में परिवर्तन होता रहता है। यहां तक कि चार या पांच वर्ष के अपने प्रवाह के दौरान इनका मार्ग काफी हद तक बदल जाता है। कुछ नदियों की गहराई इतनी अधिक है। कि वर्षा के दिनों में भी इनमें बाढ़ नही आती है। इन नदियों के किनारे, कंकड़ के ऊचे बाधों से निर्मित हुई है। जिससे कि स्थान–स्थान पर पानी के प्रवाह में भी सुविधा प्राप्त होती है। टौंस नदी का उद्‌गम देवहा (घाघरा) से ही था और वास्तव में यह घाघरा का ही एक छोटा रुप था। यह काम गहरी थी और नौका यान इसके माध्यम से बहुत कम होता था। अवध के उत्तर–पश्चिम भागों में शाहबाद के निकट से प्रारम्भ होकर लोन नदी भी इसके साथ ही चलती थी लोन सई नदी में राय बरेली में मिल जाती है। गर्मी के दिनों में लोन नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है।

अवध की प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि सम्पूर्ण सूबे में जंगल बहुतायत में पाये जाते थे। इन जंगलों की उत्पत्ति एवं विकास के अनेक कारण है। औरंगजेब कालीन अवध गोरखपुर सरकार के मध्य में कटीली झाड़ियां एवं बोस के जंगल थे।[17] तराई का जंगल गोरखपुर से लेकर हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं तक फैला हुआ था।[18] गोरखपुर के परगना–अमोला, बांसी, सिलहट, बस्ती, मगहर, एवं तप्पा में किसानों की कमी थी क्यों कि यहां

जंगल ज्यादा घने थे तथा सड़के कम थी एवं जंगली हाथी का डर बना रहता था।[19] फ्रांसीसी बुचनान ने 1807 से 1811 ई0 मध्य जिले का सर्वे करके यहां का आंकलन प्रस्तुत किया कि जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 7.438 वर्ग मील में लगभग 1450 वर्गमील जंगल से आच्छादित था।[20] इन जंगलों के अतिरिक्त झाड़ियों एवं लम्बी घास जमीन पर फैले हुए थे।[21]

अवध का ऐतिहासिक महत्व :-

अवध का क्षेत्र भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत के प्रसिद्ध एवं प्रतापी क्षत्रियों (सूर्यवंशी) की राजधानी अयोध्या रही है। कौशल के सूर्यवंशी राजकुल के प्रथम शासक मनु के पुत्र इक्ष्वांकु थे। अयोध्या को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और वहां से अपने राज्य का विस्तार किया। मान्धाता इस वंश के प्रथम चक्रवर्ती थे।[22]

कालान्तर में अवध के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में राजा हरिश्चन्द्र दिलीप (द्वितीय) रघु, दशरथ और राम प्रसिद्ध हुए।[23] रामायण में दशरथ के शासन की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी हैं।[24] राम के बाद अवध के इतिहास का चक्रवर्ती युग समाप्त हो गया। एक तो उन्होंने अपने पैतृक राजा एवं नवविजित प्रदेशों को अपने-अपने उत्तराधिकारियों में बांट दिया है दूसरी ओर उनके वंशज राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त कमजोर

साबित हुए। महाभारत कालीन कौशल राजा तृहद्रल महाभारत की लड़ाई में कौरवों की ओर से लड़ता हुआ। अभिमन्यु द्वारा मारा गया।[25]

महाजनपद युगों में अवध का विशेष महत्व रहा। गौतम बुद्ध ने छः वर्ष तक अयोध्या में निवास किया तथा धर्मो प्रदेश करके उनके मनुष्यों को अनुयायी बनाया था।[26] मौर्यों, गुप्तों, हर्ष,[27] प्रतिदारों,[28] गहड़वालों,[29] परमारों,[30] के शासन काल में अवध साम्राज्य का अंग रहा है।

सुल्तान शम्सुद्दीन, इल्तुतमिश, मध्यकालीन भारत का एक श्रेष्ठ शासक था। वह एक दूरदर्शी शासक था। जिसमें भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। भारत वर्ष में मुस्लिम प्रभु सत्ता का वास्तविक आरम्भ उसी से होता है।[31] उसमें देश को एक राजधानी स्वतन्त्र राज्य, राजतंत्रीय शासन और शासक वर्ग प्रदान किया। अपने अथक परिश्रम और सावधानी से अपने उद्देष्य को संचालन से उसने भारत वर्ष में गोरियों द्वारा अधिकृत प्रदेश जिसमें दिल्ली, अवध, बनारस, तथा सम्पूर्ण शिवालिक प्रदेश थे, को एकसुसंगठित राज्य अर्थात्, दिल्ली, सल्तनत में परिवर्तित कर दिया। 1226 में अवध को दिल्ली सल्तनत का एक प्राप्त बनाया गया और इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन मुहम्मद को अवध का राज्य पाल नियुक्त किया गया अवध प्रान्त की राजधानी अयोध्या बनी और उसकी किला बन्दी कराई गई।[32] जिसमें सैनिक छावनी बाजार और प्रशासनिक केन्द्र के रुप में

अयोध्या का महत्व बढ़ गया। दिल्ली के सुल्तानों ने अवध के सामरिक महत्व को पहचाना। उन्होंने समझा कि अवध के सहारे वे भारत के पूर्वी भागों पर खासकर लखनौती और बंगाल पर नियंत्रण रख सकते हैं। सुल्तानों को धन की भी जरुरत थी और इसे माल गुजारी से प्राप्त किया जा सकता था। खेती आय का प्रमुख साधन थी चूंकि अवध में खेती समृद्ध थी, इसलिए प्रशासनिक केन्द्र के रुप में उसका विकास स्वाभाविक था। लखनौती में तुगरिल खाँ के विद्रोह का दमन करने के लिए सुल्तान बलबन ने अवध की जनता को सेना में सामान्य भर्ती का आदेश दिया और लगभग दो लाख सैनिक जिसमें घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक, पायक, तीर–चलाने वाले, बहार, केवाती, (धनुषधारी) टट्टुओं पर यात्रा करने वाले दास नौकर–चाकर, व्यापारी तथा दुकानदार सेना की सूची सम्मिलित किये गये।[33] सुल्तान बलबलन के उत्तराधिकारियों को अवध के हिन्दू सरदारों की व्यापक निष्ठा भी प्राप्त थी क्योंकि राजा और रावत के पास भारी संख्याओं में पैदल सेना तथा धनुर्धारी थे।

तुगलकों के शासनकाल में अवध का विशेष महत्व था। मुहम्मद–बिन तुगलक के शासन काल में जिस समय सल्तनत में अकाल पड़ा, उस समय अवध का राज्यपाल आइनुल मुल्क था, जो प्रतिदिन 50 हजार मन गेहूं, चावल तथा अन्य अनाज और मलेशियों के लिए चारा स्वर्धा दारी में भेजा करता था।[34] आइनुल मुल्क तथा उसके भाइयों ने सुल्तान को

दिल्ली तथा स्वर्गदारी में नकद वस्तुओं कपड़ों और अनाज के रुप में सत्तर या अस्सी लाख टंके भेजे।[35]

14वीं0 शताब्दी के अन्तिम वर्षों में अवध जौनपुर के शर्की साम्राज्य का अंग बन गया जो 100 वर्षों तक शर्की शासकों के अधीन रहा। इसे बहलोल लोदी के शासन काल से लेकर सिकन्दर लोदी के शासन काल में बिल्कुल बरबाद कर दिया गया, जिसके अवध की राजनीतिक तथा सामाजिक दशा में बदलाव आना शुरु हो गया।[36] 1526 ई0 के पानीपत के युद्धों में इब्राहिम लोदी के हार के बाद अवध शीघ्र ही बाबर के अधिकार में आ गया।[37] शेरशाह और अफगानों के हाथों हुमायूँ की हार तक मुगल ही शासक रहे।[38] हुमायूँ द्वारा दिल्ली की पुनर्विजय के बाद भी अवध और जौनपुर अफगान सरदारों के अधिकारों में ही बने रहें केवल 1559 ई0 में अकबर ने अली कुली 'खान–जमाँ' को पूरबी की ओर भेजा जौनपुर और बनारस पर कब्जा हो गया और अवध फिर अकबर के साम्राज्य का एक अंग बन गया।[39]

हुमायूँ की मृत्व के बाद अकबर 1556 ई0 में भारत का शासक बना। फारस मे वापस आने के पश्चात् हुमायूँ ने अकबर को भारत पर प्रशासन करने के लिए फारस के साम्राज्य के सलाह को समझाया वस्तु एक वर्ष के अन्तराल पर दुःखद मृत्व के कारण कुछ नहीं कर सका। परन्तु अकबर ने उसके विचारों को संजोया तथा 1562 ई0 में सर्वप्रथम अपने

संरक्षक बैरम खाँ को हटाकर राज्य के विस्तार, संगठन और कार्य कुशल तथा स्थायी प्रशासन पद्धति की स्थापना करने की कार्यवाही प्रारम्भ किया।[40]

1580 ई0 तक अकबर के साम्राज्य के उत्तर के कश्मीर तथा हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त सारा उत्तर भारत, पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम में सिंहासन न्यू मार्गों को छोड़कर, शामिल हो चुका था। ये अवशिष्ट आगामी अगले वर्षों में साम्राज्य में मिला लिए गये। उस वर्ष पुनर्गठन का कार्य एक अत्यन्त दत में त्रि–परिशद की सहायता से किया गया। इस परिषद का सबसे अधिक प्रसिद्ध सदस्य राजा टोडरमल था, जिसने 10 वर्षीय बन्दोबस्त–प्रणाली के आधार पर माल गुजारी पुनर्गठन किया। जब आईने–दह–शाला बन्दोबस्त शुरु हुआ तो। अकबर ने साम्राज्य को बारह भागों में विभाजित किया और उसमें से हर एक को सूबा (प्रान्त) नाम दिया तथा जिस क्षेत्र में वह प्रान्त पड़ा उस क्षेत्र का नाम वहा की राजधानी के नाम जोड़ दिया गया।[41]

अकबर कालीन सूबों के भाग की सूची

क्रमांक	सूबों के नाम	स्रोत
1—	अवध	अबुल फजल, आईन—ए—अकबरी (अंग्रेजी अनुवाद, जैरट एवं सरकार) भाग—2 पृष्ठ—129
2—	आगरा	अबुल फजल, आईन—ए—अकबरी (अंग्रेजी अनुवाद, जैरट एवं सरकार) भाग—2 पृष्ठ—129
3—	इलाहाबाद	वही पृ0 129
4—	अजमेर	वही पृ0 129
5—	अहमदाबाद	वही पृ0 129
6—	बंगाल	वही पृ0 129
7—	बिहार	वही पृ0 129

8—	दिल्ली	वही पृ0 129
9—	काबुल	वही पृ0 129
10—	लाहौर	वही पृ0 129
11—	मुल्तान	वही पृ0 129
12—	मालवा	वही पृ0 129

तत्पश्चात् के वर्षों में बरार, खानदेश तथा अहमदनगर की विजय के पश्चात् तीन सूबे और बढ़ गये। कांधार, कश्मीर, थट्टा, तथा उड़ीसा विजय के पश्चात् अकबर ने अलग सूबा अवध नहीं बनाया। उसने कोंधार और कश्मीर को काबुल के सूबे में तथा थट्टा को मुल्तान के सूबे में मिला दिया इसी तरह उड़ीसा को बंगाल के सूबे में मिला दिया गया। इस तरह उसके शासन काल के इस तरह उसके शासन काल के अन्त में उसका साम्राज्य 15 सूबों में विभाजित किया गया।[42]

औरंगजेब के समय साम्राज्य के विभाजन का परिणाम सूबों के निर्माण में परिणित हुआ जिससे सरकार के पुराने नाम को जारी रखते हुए उपविभाजन भी किये गये प्रत्येक सरकार में कई परगने बनाये गये सभी सरकारों को अवध के सूबें में शामिल किया गया।

औरंगजेब कालीन सूबा अवध के सरकारों की सूची

क्रमांक	सरकारों के नाम	परगनों (पहले की संख्या) स्रोत
1—	अवध	21
2—	लखनऊ	55
3—	गोरखपुर	24
4—	खैराबाद	22
5—	बहराइच	11

सूबे परगने (महलों) की संख्या "आइन–ए–अकबरी" में 138 बताई गई है। परन्तु वास्तविक सूची बद्ध परगनों की संख्या मात्र 133 मिलती है।[43]

जनसंख्या :—

औरंगजेब काल में सूबा अवध का सामाजिक जीवन और उत्तरी भारत का सामाजिक जीवन लगभग एक समान ही था। किन्तु सूबा अवध की अपनी भी कुछ विशिष्ट थी। इस अध्याय में मुगल कालीन सूबा अवध में सामाजिक इतिहास के अन्तर्गत हिन्दू तथा मुसलमानों की जनसंख्या समाज का ढांचा तथा वस्त्र प्रसाधन आभूषण एवं मकान का अध्ययन किया गया है।

जनसंख्या मुगल कालीन सूबा अवध आबादी की दृष्टि से हिन्दू बहुल भू–भाग का यद्यपि 11वीं शताब्दी से ही इस भू–भाग में मुसलमानों का आबाद होना प्रारम्भ हो गया था और मुगल काल में भी इनकी जनसंख्या क्रमशः बढ़ती गयी किन्तु फिर भी उनकी स्थिति अल्पसंख्य ही रही।

मुस्लिम जनसंख्या :–

सूबा अवध के मुस्लिम बस्तियों के आबाद होने का इतिहास ग्यारहवीं शताब्दी के सैय्यद सालार मसूद के नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमण साथ प्रारम्भ होता है। इस सूबे की सरकार एवं परगना अवध पर कन्नौज के शासक जयचन्द्र की पराजय एवं मृत्व के पश्चात् से मुस्लिम का नियंत्रण निरन्तर बना रहा।[44] किन्तु इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के चाचा अलाउल मुल्क के अवध के इक्तादार नियुक्त होने के समय से इस भू–भाग में मुस्लिम आबादी को बसाने का कार्य प्रारम्भ हुआ[45] फिर भी हिन्दू सामन्तों में सशक्त प्रतिरोध के कारण यह प्रक्रिया गति न पा सकी।[46] सरकार अवध के परगना इन्हौंना में भी मुसलमानों को बसने नहीं दिया गया।[47] परगना सातनपुर के बैंस राजपूत की एक शाखा में इस्लाम धर्म ग्रहण करने यहां मुस्लिम के आबादी के अस्तित्व की स्थापना की।[48] परगना पश्चिम राठ के राजपूतों ने मुसलमानों को बसने नहीं दिया।[49] किन्तु परगना विलहरी के वर्णन संख्या में मुस्लिम परिवार आकर बसने में सफल हुए इनके

सबसे पहले शाह अकरम सैय्यद असरफ जहांगीर ओर उनका परिवार यहां आकर बसा। इस परिवार के वंशज परगना जायस व दरियाबाद में भी जाकर बस गये।[50] परगना बिलहरी के दूसरा महत्वपूर्ण परिवार चौदहवीं शताब्दी में नसीराबाद के सैय्यदों का था।[51] इसी समय मुरादाबाद के एक चौहान पाली परिवार भी धर्म–परिवर्तन करके परगना बिलहरी में आबाद हुआ।[52] बड़ा गांव का एक पठान परिवार जो यहां अकार आबाद हुआ। इसी तरह से मुखद्दीन और महमूद भी इरान से आकर यहां बस गये और उनका वंशज कोराही के मालिक के रुप में प्रसिद्ध हुए।[53] इन परिवारों के अतिरिक्त जहांगीर गंज का शेख परिवार नेवरी और हसंवर का शेख परिवार या गोरखपुर में सत्तासी राज में मालवा के अबु पाण्डेय नामक व्यक्ति की इस्लाम धर्म ग्रहण करके जहां सपरिवार बस गया। उसके दो पुत्रों कमालुद्दीन व जलालुद्दीन ने क्रमशः जहांगीर गंज में 14 मौजों पर अधिकार कर लिया[54] इसी तरह अजमेर से रोढ़ा अजमेरी नामक मुस्लिम ने इस परगने में आकर 27 मौजों पर अधिकार कर लिया[55] उसी समय शेख महमूद ने तथ्य हंसवर में 53 मौजों पर अधिकार कर लिया[56] आगे चलकर सादुल्लाह खां नायक रुहेला सरदार ने हसंवर में जागीर के रुप में प्राप्त कर लिया और इस प्रकार कुछ अफगानों को भी बसाने का मौका मिल गया[57] इसी समय दो शेखों ने 24 मौजे पर अधिकार करके बनियानी तथा जलालपुर के अपना परिवार बसाया।[58] इस प्रकार 16वीं शताब्दी के प्रारम्भ होने तक परगना बिलहरी के मुसलमान बड़ी संख्या में आबाद हो चुके थे।

सरकार के अवध के परगना दरियाबाद कस्बे की स्थापना सुल्तान इब्राहिम शर्की के एक अमीर दरियाखान ने की थी। और इस कस्बे तथा परगने में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी बसायी थी।[59]

अकबर के शासन काल में परगना रुदौली विकसित हुआ और वहां बड़ी संख्या में मुसलमान आबाद हुए।[60]

तेरहवीं श्ताब्दी में परगना सुल्तान के पश्चिमी हिस्से में तथा परगना सुल्तानपुर में मुस्लिम लोग बसे[61] हालांकि इस भू–भाग को सैय्यद सालार ने भरों से ग्यारहवीं श्ताब्दी में जीत लिया था। परगना सुबेहा में राजपूतों को भगाकर सैय्यद सलार मसूद ने मुसलमानों को बसाया था।[62] इसी तरह परगना सतहरख में सैय्यद सालार साहू उर्फ बिरब्बा बाबे में मुस्लिम बस्ती आबाद की थी।[63]

परगना गवरिब में हिन्दू जातियों के प्रतिरोध के बावजूद मुस्लिम बस्तियों क्रमशः आबाद होती रही।[64] सरकार अवध के परगना किशनी में मुस्लिम बस्ती के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है।[65]

इस प्रकार ग्यारहवीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अन्त तक सरकार अवध के कुछ परगनों को छोड़कर अधिकांश में मुस्लिम बस्तियां आबाद हो गयी थी।

सरकार बहराइच में यद्यपि सर्वप्रथम ग्यारहवीं शताब्दी में ही सैय्यद सालार मसूद के नेतृत्व में मुस्लिम अधिपत्य स्थापित हुआ था, किन्तु सशक्त हिन्दू प्रतिरोध के परिणामस्वरुप सैय्यद मसूद की अपनी आहूति देनी पड़ी थी और मुस्लिम का आधिपत्य समाप्त हो गया था।[66] किन्तु सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्र राजकुमार नसिरुद्दीन महमूद ने 1226 ई0 में सरकार बहराइच पर अधिकार करके वहां मुस्लिम बस्तियां आबाद की, इसमें अन्सारी लोग प्रमुख थे।[67] नासिरुद्दीन महमूद की मृत्व के बाद भी बहराइच पर मुसलमानों का नियंत्रण बना रहा क्योंकि यह निरन्तर शाही परिवार के किसी राजकुमार या अन्य सदस्य के हाथों में था मुस्लिम रक्तादारों के हाथों में रहा। इसके अतिरिक्त 1340 ई0 से 1450 ई0 के मध्य बहुत से मुस्लिम परिवार वहां आकर बसते चले गये। इसमें अलाउद्दीन नामक मुस्लिम का परिवार विशेष महत्वपूर्ण था।[68] परगना हिसामपुर में ग्यारहवीं शताब्दी में ही मुस्लिम लोग आबाद हो गये थे।[69] परगना सिंझौली में 14 वीं शताब्दी मुसलमानों की बस्तियां आबाद हुई[70] लेकिन सरकार बहराइच में परगना बहराइच, हवेली, फिरोजाबाद, हिसामपुर व सिंझौली को छोड़कर अन्य परगनों में हिन्दू प्रतिरोध के कारण मुसलमान बस न सके।

सरकार खैराबाद में स्थित परगना पाली में मुसलमानों ने 1350 ई0 में आकर बसना प्रारम्भ किया। शेख़ मोइनुद्दीन ने कन्नौज से आकर पाली में एक मुस्लिम बस्ती बसायी[71] परगना पाली के पश्चिमी भाग

में अधिकांशतः मुस्लिम बस्तियां आबाद हुई। परगना खैराबाद व हवेली में मुगल बादशाह बाबर और अकबर के समय में मुसलमान आकर बसे जिन्हें राजस्व मुक्त भूमि अनुदान देकर यहां बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया।[72] परगना भरवारा में भी अकबर ने शासन काल में सद्र जहां पिहानी के वंशज आबाद हुए, किन्तु उसके पश्चात् बहुत से सैय्यद परिवार वहां आकर बसे गये।[73] परगना गोपामऊ में 13वीं श्ताब्दी से क्रमशः मुसलमान आकर बसते गये और मुगल सम्राट अकबर के समय तक यह क्रम चलता रहा।[74]

सरकार खैराबाद के परगना खेरी में मुस्लिम मुगल बादशाह हुमायूं के श्ासन काल में बसनी प्रारम्भ हुई 18 वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक वहां बड़ी संख्या में मुसलमान बस चुके थे।[75] कस्बा लहरपुर को सुल्तानपुर फिरोजशाह तुगलक ने 1370 ई0 में बसाया था। 1400 ई0 में लहरी पासी में इस कस्बे पर अधिकार कर लिया था, लेकिन 18 वर्ष बाद शेख ताहिर गाज़ी ने उसे मार भगाया। उसने इसे परगने से पासियों को पूरी तरह से भगाकर वहां मुसलमानों को फिर से बसाया।[76]

सरकार लखनऊ में मुस्लिम बस्तियां अन्य सरकारों की अपेक्षा बड़ी तेजी से आबाद हुई। परगना ऊनम (उन्नाव) में 13 वीं शताब्दी के अन्त अथवा 14वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुसलमान लोग आबाद हुए। सबसे पहले सैय्यद अलाउद्दीन नामक मुस्लिम सन्त ने बांगरमऊ में

मुसलमानों को बसाया। 1416 ई0 में मौलाना शाह अकरम के अपमान का बदला लेने के लिए सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की ने अशियावां के हिन्दू सरदारों के खिलाफ सेना भेजकर इस भू–भाग को विजित किया और वहां मुस्लिमों को बसाया। इसी समय सफीपुर में एक नयी मुस्लिम बस्ती आबाद हुई। लगभग 1450 ई0 में सैय्यद अलाउद्दीन के पुत्र बहाबुद्दीन ने उन्नाव के राजपूतों को पराजित किया और वहां की जमींदार प्राप्त की।[77] परगना असियावां में 17वीं शताब्दी के मध्य में मुसलमान आबाद हुई।[78] परगना थिलग्राम में 1217 ई0 मुसलमानों की बस्ती आबाद हुई।[79] परगना बांगरमऊ में सबसे पहले 1300 ई0 में मुस्लिम बस्ती आबादी हुई और क्रमशः यहां सैय्यद शेख एवं पठानों के परिवारों बस्ते चले गये।[80] परगना बिजनौर में 12वीं शताब्दी के अन्त में मुसलमान आकर बसे, लेकिन मुगल सम्राट अकबर के समय मैं यहां के पीर जादों ने अपनी जमींदार व प्रभाव को बढ़ाने में सफलता पायी।[81] परगना देश में ग्यारहवीं शताब्दी में ही मुसलमानों आकर बसने लगे थे। और जहां क्रमशः अनकों सैय्यद व शेख परिवार बस्ते गये।[82] परगना संदिला में 1394 ई0 में मुस्लिम आबाद निरन्तर बढ़ती रही। परगना सिद्धौर में भी पूर्ण मध्य काल में मुसलमानों के बसने का प्रमाण मिलता है।[83]

परगना साड़ी में 13 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुसलमानों ने अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन बाद में सोमवंशी राजपूतों ने पुनः उस पर अधिकार कर लिया लेकिन मुगलकाल में यहां मुसलमानों का पूर्ण

प्रभुत्व स्थापित हो गया। शाहजहां के शासन काल में परगना साड़ी को जागीर के रुप में खलीलुलाह खाँ कोदे दिया गया लेकिन 1681 ई0 में औरंगजेब ने कस्बा साडी व अन्य 40 मौजों की जागीर के रुप में सैय्यद फतेह मुहम्मद व सैय्यद मुहम्मद को दे दिया।[84] परगना कुरसी में कुतुबुद्दीन ऐबन ने कुछ मुसलमानों को 30 मौज प्रदान किये जिसके फलस्वरुप यहां मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी और उनकी आबादी तप्ता सलेमाबाद के नाम से प्रसिद्ध।[85] परगना काकोरी 64 मौजों में से 33 मौजे पर 15 वीं शताब्दी में मुसलमानों का अधिकार हो गया था। यहां पर बड़ी संख्या में मुसलमान बस चुके थे।[86] परगना लखनऊ व हवेली पर ग्यारहवीं शताब्दी में ही सैय्यद सालार मसूद द्वारा अधिकार कर लिये जाने के पश्चात् मुसलमानों ने बसना प्रारम्भ कर दिया था। 13वीं शताब्दी के प्रारम्भ में यहां मुसलमानों का दूसरा दौर प्रारम्भ हुआ और यहां कुछ पठान आबाद हुए। इसके बाद से तो इस परगने में बहुत से मुस्लिम परिवार आकर बसते गये।[87] परगना मलीहाबाद में 13वीं शताब्दी में ही मुसलमानों ने बहुत से हिन्दुओं से इस्लाम धर्म ग्रहण करवा लिया था, किन्तु हिन्दू विरोध के कारण उन्हें यह परगना छोड़ना पड़ा, लेकिन 17वीं शताब्दी में पठानों ने यहां तीन बार अफगानों की बस्तियां आबाद करने में सफलता पायी।[88] इसी प्रकार परगना पयावां में 11वीं शताब्दी में ही मुसलमानों के बसने का प्रमाण मिलता है। लेकिन इनका दूसरा दौर 15वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ और यहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबाद हुए।[89]

सरकार गोरखपुर में सम्राट अकबर ने समय में अल्पसंख्यक में मुसलमान आबाद हुए। सम्राट औरंगजेब के समय में मुसलमानों की संख्या कुछ बड़ी।[90] किन्तु 18वीं शताब्दी में भी मुसलमानों की संख्या में गोरखपुर में नामपात्र की थी।[91] इस सरकार के परगना उतरौला 16वीं शताब्दी में पठान लोग आबाद हुए।[92]

इस प्रकार सैय्यद सालार मसूद गाज़ी और उसके पिता सालार साहू के आक्रमण के साथ ही अवध में मुस्लिम बस्तियों का आबाद होना प्रारम्भ हो गया था। हालांकि प्रारम्भ में सशक्त हिन्दू प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। किन्तु 1206 ई0 में मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद से इस प्रदेश के अधिक भाग में मुस्लिम आबाद बसने लगी।

मुगल साम्राजय की स्थापना के साथ ही सूबा अवध में मुस्लिम आबाद के क्षेत्रों के विस्तार का एक नया दौर प्रारम्भ हुआ, मुगल बादशाह अकबर और उसके उत्तराधिकारियों ने सूबा अवध की लगभग सभी सरकारों में मदद–ए–मास के रुप मुसलमानों को भूमि अनुदान देकर उन्हें इस सूबे में बसने के लिए प्रोत्साहित किया।[93] इसके अतिरिक्त धर्म परिवर्तन के माध्यम से भी हिन्दू बस्तियां मुस्लिम बस्तियों के रुप में परिवर्तित हो गयी।[94] इन सबके बावजूद मुगलकाल में सूबा अवध की आबादी में मुसलमानों की स्थिति अल्पसंख्यक की ही रही। मुस्लिम आबादी का

अधिकतम भाग भी प्रायः नहरों तक ही सीमित रहा, इसमें प्रमुख रुप से अफगान एवं शेख लोग थे।[95]

हिन्दू जनसंख्या :–

सूबा अवध में सर्वाधिक आबादी हिन्दुओं की थी[96] इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान ब्राम्हण जाति को था जो सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के शिखर पर थे। उन्हें समाज में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था। ये कुल गोत्र के आधार पर विभाजित थे। इनका मुख्य कार्य अध्ययन करना, पूजा करना वासना धर्मानुसार संस्थाकारों को सम्पन्न करना, करवाना तथा समय–समय या प्रशासन को परामर्श देना था।[97]

ब्राम्हणों के बाद राजपूतों का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान समाज में आता था। उनका कर्त्तव्य देश, जाति, धर्म की रक्षा करना था। क्षेत्रिय प्रारम्भ से दो मुख्य शाखाओं में विभाजित थे। इनके दो जातियां थी। सूर्यवंशी (सूर्य से सम्बन्धी राजवंश) और सोमवंशी (चन्द्र से सम्बन्धित रागवंशी) इसके अतिरिक्त ये विभिन्न उपजातियों में विभाजित थे, जिनमें राठौर, चौहान, गहलौत, सिसोदिया, कछवाहा, सोलंकी आदि थे।

हिन्दू समाज में अन्य धर्मो में वैश्यों का महत्वपूर्ण स्थान था। इनका मुख्य कार्य व्यवसाय करना था। सोलहवीं शताब्दी में जब व्यापार

एवं वाणिज्य के विकास में प्रगति हुई तो वैश्य वर्ग सभी स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तर प्रादेशिक शहर गांव के स्तर पर व्यापार में इनका एकाधिकार स्थापित था।[98] इस काल में उनके लिए व्यापारी, महाजन बनियां साहूकार सर्राफ आदि अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। इनकी काफी प्रतिष्ठा थी तथा सूबेदार एवं उच्चाधिकारों से विशेष सम्बन्ध रहता था। ये अधिकांशतः शिक्षित होते थे।

हिन्दुओं की चौथी जाति शूद्रों की थी। अधिकतर एवं कर्त्तव्य की दृष्टि से यह जाति उपेक्षित था। शूद्रों से भी निम्न एक अन्य वर्ग आता था जिनकी पृथक जाति थी परन्तु उनके व्यवसाय निम्न थे। इसके बाद चंडाल, डोम आदि जाति आते थे।

उपरोक्त चारों जातियों के अतिरक्त हिन्दू समाज में कुछ अन्य जातियों भी विद्यमान थी जिनमें कायस्थ जाति प्रमुख थी। इनका मुख्य कार्य पटवारी का हुआ करता था जो भूमि का नाप जोख सम्बन्धित लेखा रखते थे।[99]

सन्दर्भ-सूची

1. प्रसाद कुंवर दुर्गा महर तारीख–ए–अयोध्या पृष्ठ–12
2. इस सन्दर्भ में डॉ0 सुशील श्रीवास्तव, विवाद ग्रस्त मस्जिद एक इतिहासिक छानबीन पृष्ठ 36–37 में अपने विचारों को व्यक्ति किया है जिसमें कनिंघम, जान लेडेन इब्न–बतुता का भी उल्लेख किया है। जिनका विवरण निम्नतम है।

   कनिंघम का निष्कर्ष था कि विशखा और साकेत नगर ही अयोध्या है वे कहते हें कि मेरा विश्वास हे कि हमेंशा माना जाता रहा है कि साकेत और अयोध्या एक ही थें परन्तु इस तथ्य को स्थापित करने के लिए अभी तक जो प्रमाण दिये गये हैं। उनका समाधान रामायण और रघुवंश के ऐसे अनेक उदाहरणों से हो चुका हैं जिसमें साकेत नगर को स्पष्ट रुप से राजा दशरथ और उनके पुत्रों की राजधानी बताया गया हैं।

   कनिघंम आगे कहते हें कि अयोध्या का साकेत का प्राचीन नगर वाल्मीकि कृत रामायण के सरयू नदी के तट पर स्थित बतलाया गया है इसका घेरा 12 योजन था लगभग 100 मील कहा गया है कि जिसके बदले हमें 12 कोस या 24 मील समझना चाहिएं यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राचीन नगर अपने तमाम वर्गो सहित सम्भवत् सभी फैला रहा होगा पश्चिम में स्थित गुप्तघाट से पूर्व स्थिति रामघाट की दूरी सीधी रेखा पर कुल छः मील है और अगर हम यह माने कि अपने उपनगरों और बागों समेत यह नगर बीच में पूरे क्षेत्र में दो मील की चौड़ाई में बसा होगा तो उसका घेरा 12 कोस के

लघुत्तर माप के बराबर होगा कनिंघम आफ दि प्रोसीडिंग्स आफ दि आर्कियोलाजिकल सर्वेयर टू दि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया फार दि सीजन रिपोर्ट आफ 1862–63 जनर्ल आफर एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल 1865 पृष्ठ 241 जान लेडेन ने यह गलत निष्कर्ष निकाला कि अवध और अयोध्या एक ही है यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अवध मुसलमानों के प्रवेश के बाद अयोध्या के चारों ओर का एक बड़ा हिस्सा अवध कहा जाने लगा था। जान लेडेन मेमायर्स आफ जहीरुद्दी मुहम्मद बाबर एम्पोटर आफ हिन्दुस्तान लन्दन 1819 पृष्ठ इब्नबतूता ने वास्तव में गोमती घाघरा नदियों के बीच के पूरे क्षेत्र को अवध कहा था। मेंहदी हसन (अनु एवं वटीका) दी साहित्य आफ इब्न बतूता बड़ौदा लखनऊ 1976 पृष्ठ 105।

3. परमात्माशरण 'मुगलों का प्रान्तीय शासन' लखनऊ 1970 पृष्ठ 11–12
4. अबुल फजल आईन–ए–अकबरी में (अंग्रेजी अनुवाद पैरेट एवं सरकार), भाग–2 पृष्ठ–181
5. अबुल फजल आईन–ए–अकबरी में अवध की सीमा का जो उल्लेख किया है। वह लगभग 200 वर्ष बाद तथा यथावत कायम रहा है। श्रीवास्तव ए–एल–अवध के प्रथम दो नबाब, (हिन्दी संस्करण) पृ0 35
6. अबुल फजल आईन–ए–अकबरी में (अंग्रेजी अनुवाद पैरेट एवं सरकार), भाग–2 पृष्ठ–101
7. वही पृष्ठ संख्या – 181
8. स्लीमेन डब्लू–एच0ए0 जर्नी थ्रो दि किंग्डम ऑफ अवध भाग–2

पृष्ठ–62

9.. बेनेट डब्ल्यू सी अवध गजेटियर भाग–1 पृष्ठ ४४-४९

10. बटर डोनाल्ड आउट लाइन्स आफ दि टोपो ग्राफी एण्ड स्टैटिस्टिक्स ऑफ दि सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ अवध एण्ड दि केन्टोमेंट आफ सुल्तानपुर कलकत्ता 1839 पृष्ठ 25–26

11. डर्विन एच सी दि गार्डेन ऑफ इण्डिया भाग–1 पृष्ठ 17

12. बटर डोनाल्ड आउट लाइन्स आफ दि टोपोग्राफी एण्ड स्टेटिस्टिक्स ऑफ दि सदर्न डिस्ट्रिक्स ऑफ अवध एण्ड दि कैन्टोमेन्ट आफ सुल्तानपुर पृष्ठ 25–26

13. वही पृष्ठ – 27

14. अबुल फजल आईन–ए–अकबरी में भाग–2 पृष्ठ–184

15. अबुल फजल ने अवध में बहने वाली चार नदियों के नाम दिए है। सरयू, घाघरा, सई, गोमती, आईन–ए–अकबरी भाग–2 पृष्ठ 181 डोनाल्ड बटर ने अपनी सूची में घाघरा गोमती, सई, टोंस, एवं लोन नदियों का नाम दिया है। जाफरी ने राप्ती और गण्डक का नाम नहीं दिया है। रेहाना बेगम ने पहली बार राप्ती नदी का नाम जोड़ा है। इस प्रकार अबुल फजल बटर तथा जाफरी ने राप्ती और गण्डक एवं रेहाना बेगम में गण्डक का वर्णन नहीं किया है। जबकि गोरखपुर (सूबा अवध) तथा बिहार की सीमांकन की दृष्टि से गण्डक नदी का महत्व अधिकाधिक था।

16. अबुल फजल आईन–ए–अकबरी में भाग–2 पृष्ठ–184

V.B.S. Purvanchal University
Vivekanand Central Library
Estd. 1999
Jaunpur U.P.

15318

17. इरफान हबीब एण्ड एटलस आफ दि मुगल एम्पायर पृष्ठ – 31

18. इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी जेम्स रनल के बंगाल एटलस से प्राप्त होता है। रनल जेम्स ए बंगाल एटलस लन्दन 1781 ई0 सीट नं0 10 (अवध एण्ड इलाहाबाद दि पार्ट आफ आगरा एण्ड देहली।

19. हजरत मुफ्ती गुलाम कवायक–ए–जिला गोरखपुर 1810 ई0 एम0 एस0 अलीगढ़ सुभान उल्लाह कलेक्शन 954/12 फोलियो 12 ए–बी

20. बुचनान फ्रांसीस डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टस 1807–11 ई0 एडिटेड एब्रिज्ड बाई फस्ट गुमटी मार्टिन दि हिस्ट्री एण्टीक्टिीज टोपोग्राफी एण्ड स्टैटिस्टिक्स आफ इस्टर्न इण्डिया भाग–3 दि सर्वे आफ गोरखपुर इज–इन–मार्टिन्स एब्रिजमेन्ट भाग–2 पृष्ठ 512

21. वही पृष्ठ 513

22. हिन्दी विश्व कोश, खण्ड–3 (काशी नगरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी) पृष्ठ 190–91

23. चौ0 अवधपुरी रघुकुल अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ वेद विदिततेहि दशरथ नाँऊग तुलसीदास, रामचरित मानस बालकाण्ड, पृ0–198

    चौ0 राजाराम अवध राजधानी, तुलसीदास रामचरित मानस बालकाण्ड पृष्ठ–35 हिन्दी विश्वकेश, खण्ड–3 पृष्ठ 190–91.

24. वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड 61–91

25. हिन्दी विश्वकोश खण्ड–3 पृष्ठ 190–91

26. चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा पृष्ठ 176

27. त्रिपाठी आर. एस. हिस्ट्री आफ कमौज, "दि मुस्लिम कांम्बेस्ट बनारस

1959 पृष्ठ 115

28. पाठक विशुद्धानन्द, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास तृतीय संक्रमण लखनऊ 1982 पृष्ठ 127

29. वहीं पृष्ठ 352–54

30. वहीं पृष्ठ 544

31. त्रिपाठी आर. एस. हिस्ट्री आफ कमौज "दि मुस्लिम कांम्बेस्ट बनारस 1959 पृष्ठ 24

32. इलियट एच0 एम0 हिस्ट्री आफ इण्डिया ऐज टो ल्ड बाई हर हिस्टोरियन्स भाग–2 पृ0 3311

33. हबीब, मोहम्मद एवं निजामी के0 ए0 (सम्पादक) दिल्ली सल्तनत भाग–1 पृष्ठ–246

34. वरनी जिआउद्दीन, तारीख–ए–फिरोजशाही (सम्पादक सर–सैय्यद अहमद खाँ) विब्लि योथिका इंण्डिका कलकत्ता 18 पृ0 480–81

35. बरनी जिआउद्दीन तारीख–ए–फीरोजशाही (सम्पादक–सर–सैय्यद अहमद खाँ) विब्लियोयिथका इण्डिका कलकत्ता 18 पृष्ठ 180–81

36. इलियट एच0 एम0 हिस्ट्री ऑफ इण्डिया ऐज टोल्ड वाई हर हिस्टोरियन्स भाग–51 पृष्ठ 57

37. वही पृष्ठ 260

38. मोरलैण्ड डब्ल्यू एच मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था पृष्ठ 107

39. अबुल फजल अकबर नामा (अंग्रेजी अनुवाद एच0 वेबरिज) भाग–3 दिल्ली 1989 पृष्ठ 412

40. अबुल फजल आईन–ए–अकबरी में भाग–2 पृष्ठ–129

41. बाबर, बाबरनामा (अंग्रेजी अनुवाद ए0 एस0 बेबरिज) लंदन 1929 भाग–2 पृष्ठ 521

42. अबुल फजल आईन–ए–अकबरी में भाग–2 पृष्ठ–90

43. प्रोफेसर राधेश्याम "मुस्लिम कोलोनाइजेशन एण्ड सोशल ट्रासफार्मेशन इन अवध भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के तत्वाधान के इतिहास विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा (8 दि० 1978) में प्रस्तुत शोध पत्र पृ० 2-4

44. प्रो० राधेश्याम, "मुस्लिम कोलोनाइजेशन एण्ड सोशल ट्रांसफार्मेशन इन अवध" पृ०–4

45. वही।

46. 'मुस्लिम कोलोनाइजेशन एण्ड सोशल ट्रांसफार्मेशन इन अवध पृ०–5

47. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 11, पृ०–90

48. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 11, पृ०–34

49. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०-;23-

50. प्रो० राधेश्याम, "मुस्लिम कोलोनाइजेशन एण्ड सोशल ट्रांसफार्मेशन इन अवध" पृ०–6

51. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–324

52. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–325

53. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–325

54. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–325

55. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–325

56. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–325–26

57. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–326

58. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–396

59. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–374

60. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–447

61. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–402

62. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–322

63. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–608

64. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–276

65. प्रो० राधेश्याम, "मुस्लिम कोलोनाइजेशन एण्ड सोशल ट्रांसफार्मेशन इन अवध" पृ०–9–10

66. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–11314

67. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–11516

68. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 11, पृ०–83

69. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 11, पृ०–337

70. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 111, पृ०–53

71. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 11, पृ०–123

72. डिस्ट्रिक गज़ेटियर आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध, 1905 (डिस्ट्रिक) वाल्यूम, पृ०–168

73. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०–58586

74. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 11, पृ०—272-73

75. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 11, पृ०—299

76. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 111, पृ०—553

77. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०—71

78. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०—318-19

79. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०—224

80. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०—311

81. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 1, पृ०—379—80,372

82. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 11, पृ०—301—302

83. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 111, पृ०—331—332

84. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 11, पृ०—296

85. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 11, पृ०—296

86. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 11, पृ०—107

87. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 11, पृ०— 352

88. गज़ेटियर आफ प्राविन्स आफ अवध, वाल्यूम 11, पृ०—429

89. प्रो० राधेश्याम, ''मुस्लिम कोलोनाइजेशन एण्ड सोशल ट्रांसफार्मेशन इन अवध'' पृ०—17—18

90. डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सज आफ आगरा एण्ड अवध, (गोरखपुर डिस्ट्रिक्स) वाल्यूम 31, पृ० 171—178

91. मुफ्ती गुलाम हज़रत, कवायफ—ए—जिला—ए—गोरखुपर, इण्डिया आफिस

लन्दन हस्तालिपि संस्था 454 (अंग्रेजी अनुवाद) पृ०—11

92. मुफ्ती गुलाम हज़रत कवायफ-ए—जिला—ए—गोरखपुर (अंग्रेजी अनुवाद) पृ०—11

93. ए कैलेण्डर आफ ओरियन्टल रिकार्ड्स, वाल्यूम 1, एवं 11 सूबा अवध, से सम्बन्धित अभिलेख

94. प्रो० राधेश्याम, "मुस्लिम कोलोनाइजेशन एण्ड सोशल ट्रांसफार्मेशन इन अवध" पृ०—24

95. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, फर्स्ट टू नवाब्स आफ अवध, पृ०— 251—252

96. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, फर्स्ट टू नवाब्स आफ अवध, पृ०—251

97. राजपूत जातियों के विस्तृत विवरण हेतु जमींदार सम्बन्धी अध्याय का अवलोकन करें।

98. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, फर्स्ट टू नवाब्स आफ अवध, पृ०—251

99. वर्नियर, ट्रेवेल्स इन दि मुगल इम्पायर, पृ०—227

द्वितीय अध्याय

हिन्दू-मुस्लिम सामाजिक, जीवन, खान-पान, रीति-रिवाज, त्यौहार-मेला, आमोद-प्रमोद

द्वितीय अध्याय

हिन्दू-मुस्लिम सामाजिक जीवन, खान-पान, रीतिरिवाज, त्यौहार मेला, आमोद-प्रमोद

मानव के सामाजिक मानव में खान–पान रीतिरिवाज, त्यौहार, मेला एवं आमोद–प्रमोद का अत्यधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण स्थान हैं। औरंगजेब कालीन जाति–धर्म से प्रमाणित होने वाले सामाजिक केक्षेत्रों में एकरुपता न थी। आर्थिक एवं सामाजिक विषमता भी उसमें महत्वपूर्ण भेद कायम किये हुए थी। भारत के विभिन्न भागों में कुछ प्राकृतिक कारणों से भी उसमें अन्तर व्याप्त था। प्रस्तुत अध्याय में औरंगजेब कालीन सुबा अवध के हिन्दू–मुस्लिम समुदाय का सामाजिक, प्रचलित खान–पान, रीति–रिवाज, त्यौहार, मेला एवं आमोद–प्रमोद का अध्ययन किया गया है।

हिन्दू–मुस्लिम सामाजिक जीवन–

औरंगजेब कालीन समाज के उच्च्य वर्ग में जागीरदार, जमींदार, सरकारी अधिकारी, धनी व्यापारी एवं गैर सरकारी अमीर लोग आते थे। इनमें हिन्दू तथा मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। इस वर्ग के अधिकार में अधिकांश भूमि तथा

उत्पादन के लगभग सभी स्रोतों पर भी नियन्त्रण था।

अत्यधिक धन सम्पत्ति एवं राजनीतिक अधिकारों से युक्त होने केकारण यह तर्ग अत्यधिक शाक्तिशाली हो गया था। अतएव निम्न वर्ग के लोगों को इनके साथ असमान शर्तों के आधार पर सम्बन्ध रखना पड़ता था।

समाज के निम्न वर्ग के अन्तर्गत कृषक, भूमिहीन खेतिहर, कारीगर एवं मजदूर आते थे। यह वर्ग अत्यधिक निर्धनता एवं दरिद्रता का शिकार था। इनकी दशा अत्यन्त शोचनीय थी। वे जमीदारों तथा सरकारी अधिकारियों के शोषण के शिकार थे तथा विभिन्न प्रकार के कष्टों को भी सहन करते थे।[1] कृषि सम्बन्धी विपदाओं के समय वे अपने जमीदार से सदैव रियायत, त्रिमुक्ति अथवा तकावी नहीं पाते थे। उन्हें पर्याप्त भोजन एवं वस्त्र उपलब्ध नहीं था और वे अपने बच्चों को शिक्षा देने अथवा विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान कराने में असमर्थ रहते थे। यह निर्धन वर्ग अपने भाग्य के सहारे जीवित था।[2]

उच्च तथा निम्न वर्ग के बीच में एक छोटा सा मध्यम वर्ग भी था। यह वर्ग मुख्य रुप से नगरों एवं कस्बों में ही केन्द्रित था। इस वर्ग के अन्तर्गत मदद–ए–माश की भूमि धारण करने वाले लोग, उलेमा, वैध, हकीम, कवि, लेखक, चित्रकार, छोटे–मोटे साहूकार तथा लद्यु उद्योग के स्वामी आदि आते थें इस वर्ग में भी अनेक उपवर्ग थे जिनमें से कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अच्छे थे। इस वर्ग की आर्थिक स्थिति निम्नवर्ग की तुलना में अच्छी थी। यह वर्ग पूरी तरह से शासक, अमीरों एवं जमींदारों के संरक्षण पर निर्भर करता था। इस वर्ग के लोग संस्कृति, शिक्षा एवं कला के पोषक भी थे।

खान–पान :–

मानव समाज में सबसे ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण खान–पान है। किसी भी वर्ग या जाति की उन्नति की प्रक्रिया में वह सबसे पहले रुचि, अपने शिष्टाचार एवं अपनी नवीनता की अभिव्यक्ति खान–पान में करता है।

औरंगजेब काल में सूबा अवध के उच्च वर्ग मुसलमान अमीर व रईस उत्तम भोजन के शौकीन थे। वे शाही बावर्ची खाने में पकाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजनों एवं उनके स्वादों का अनुकरण अपने भोजन में करने का प्रयास करते थे।[3] मुगल रईसों के यहां भी एक बार बीस तस्तरियों में तरह–तरह के व्यंजन परोसे जाते थे और कभी–कभी तो उनकी संख्या पचास तक पहुंच जाती थी।[4] विभिन्न प्रकार की रोटियां विभिन्न तरीकों से पकाये गये मुर्गों, भेड़ बकरियों एवं चिड़ियों का मांस और किस्म–किस्म के फल व कुछ मिठाइयां मुस्लिम अभिजात वर्ग के भोजन का प्रमुख व्यंजन होता था। प्रारम्भ में मुसलमान सादी रोटी खाते थे जिनमें घी का लगाव नहीं होता था।[5] इन रोटियों को चपाती कहा जाता था।[6] लेकिन हिन्दुओं की पूरियां बनते देखकर उन्होंने थी रोटियों में घी का पुट देकर पराठे बनाना शुरु किया।

और फिर उनमें अनेक परतें तथा तहें देना शुरु किया। फिर इसी पराठे में तरक्की देकर बाकिर खोनी[7] का रिवाज शुरु हुआ और मुस्लिम अमीरों के दस्तरखान की विशिष्ट रोटी बाकिखानी हो गयी।[8] इसी तरह मांस को विभिन्न तरीकों से पकाकर उसके कई व्यंजन तैयार किये जाते थे।[9]

लेकिन मुसलमानों का कौमी खाना पुलाव और कोरमा था।[10] विभिन्न

तरह से पुलाव तैयार करने की कला का निरन्तर विकास होता रहा। लखनऊ में विभिन्न के पुलाव पकाने का वर्णनल अब्दुल हलीम "शरर" ने "गुज़िश्ता लखनऊ" में किया है।[11] लखनऊ में दावतों और हिस्सों के लिए आमतोर पर कुछ व्यंजन निश्चित से हो गये थे जिनके संग्रह को "तोरा" कहा जाता था। इस संग्रह में निम्न व्यंजन अनिवार्य रुप से होते थे। 1– पुलाव, 2–मुज़ाफर[12] 3–मुतंजन[13] 4–शोरमाल[14] 5–सफेदा (मीइा चावल जिनमें मुज़ाफर का रंग न दिया गया हो 6– बुरानी[15] के प्याले 7– शीर विरंजन[16] के ख्वाचे 8– कोरमा 9– तली हुई अरबिया गोश्त में 10– कबाब 11– मुरब्बा 12– आचार या चटनी अधिकतर तोरे में इनमें से कुछ चीजें कम या ज्यादा भी कर दी जाती थी।[17] इस प्रकार उच्च वर्ग के मुसलमानों का भोजन विभिन्न तरह के व्यंजनों एवं स्वादों वाला होता था। मुसलमान अपने खाने में धार्मिक प्रतिबन्धों का पालन करते थे। और सूअर का मांस तथा कुछ अन्य मांस या बिना हलाल किये पशुओं के मांस नहीं खाते थे। लेकिन इन प्रतिबन्धों के अतिरिक्त वे कहीं भी और कुछ भी पकवाकर खाने को स्वंतंत्र होते थे। विभिन्न तरह से पकाये गये मांस का सेवन वे सभी अवसरों पर करते थे।[18] हिन्दू और मुसलमान के खान–पान में विशेष भिन्नता थी। हिन्दुओं का खान–पान बहुत संयमित था। साधारणतः चौके में दो बार खाना बनाया जाता था। हिन्दू खाना–खाने के पहले धोती को छोड़कर सारे वस्त्र उतार देते थे कुछ ब्राम्हण स्वयं अपना भोजन पकाते थे। भोजन खाना–पकाकर छिपकर करते थे। गोमांस खाना हिन्दू जाति में वर्जित था।

उच्च वर्ग के हिन्दू भी विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन में मुसलमानों से पीछे नहीं थे। लेकिन उनके अधिकांश व्यंजन निरामिष होते थे। इनमें विभिन्न

तरह से पकाये गये चावल, रोटिया, घी अथवा मक्खन दूध से बनाया जाने वाला व्यंजन, विभिन्न तरह की साग–सब्जियां।[19] सादी रोटी के स्थान पर पूड़ी को अधिक महत्व दिया जाता था।[20] चावल, चीनी, दूध, मसालों (लौंग, इलायची, आदि) एवं सूख मेवे आदि से तेयार की जाने वाली 'खीर' को स्वादिष्ट भोजन का एक महत्वपूर्ण व्यंजन माना जाता था।[21] धनी वर्ग के लोग चावल–दाल (विशेष रुप से मूंग की दाल) मसाले तथा कई तरह की हरी सब्जियों को किलाकर बनाने वाली खिचड़ी[22] को भी बड़े चाव से खाते थे। इसमें पर्याप्त मात्रा में घी या मक्खन भी डाला जाता था। हिन्दूओं के भोजन में भी विभिन्न प्रकार के आचार व चटनी भी होती थी।[23] हिन्दुओं में अधिकांश ब्राम्हण[24] तथा व्यापारी जाति[25] के लोग शाकाहारी होते थे। लेकिन राजपूत मांसाहारी होते थे। वे प्रायः बकरा, भेड़, मुर्गा, कबूतर आदि के मांस को खाते थे लेकिन व अण्डा, मुर्गी, सूअर अथवा अन्य पालतु पशुओं के मांस को नहीं खाते थे।[26] सभी वर्ग के हिन्दू 'गाय' को पवित्र एवं 'माता' के समान मानते थे। अतएव 'गोमांस' खाना पाप माना जाता था।[27] मछली का सेवन हिन्दू व मुस्लिम दोनों करते थे। उच्च वर्ग के हिन्दुओं के भोजन में मिष्ठान का भी महत्वपूर्ण स्थान था। हिन्दू हलवाइयों का स्थान महत्वपूर्ण हलवाइयों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण था। हिन्दुओं के मिष्ठान के प्रति रुचि के कारण अयोध्या के विभिन्न प्रकार एवं खाद वाली मिठाइयां अत्यधिक प्रसिद्ध रहीं।[28] मुसलमानों में भी हलवा बालू शाही, खुर्मे नुक्तियां गुलाब जामुन, दरब हिरत आदि मिठाइयां लोकप्रिय थी।[29] हिन्दु में तरलवा या मोहन भोग, लड्डू व पेड़ आदि प्रमुख से लोकप्रिय था।[30] उच्च एवं समृद्ध वर्ग के हिन्दू–मुसलमान अपने भोजन में फलों को भी सम्मिलित करते थे।[31] गोरखपुर में चिरौंजी, खजूर, फालसा, आप कटहल,

अमरुद, अन्नास आदि सस्ते मूल्य में उपलब्ध थे।[32] चिरौंजी को काबुली मेवे के साथ हलवा और दूसरी मीठे व्यंजनों को बनाने में प्रयोग किया जाता था।[33] इसके अतिरिक्त भोजन के पश्चात् मुंह का स्वाद बदलने के लिए हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही वर्ग के लोग पान खाते थे। जिसमें चूना, कत्था, सुपारी के साथ कस्तूरी लौंग इलायची आदि पड़ा होता था।[34] साधारण हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उत्तम व्यंजनों पर अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए वे साधारण भोजन से ही संतोष करते थे। हिनदुओं का सामान्य भोजन चावल, साग तथा दूसरी सब्जियां थी लेकिन सबसे प्रयि "खिचड़ी" थी। जो साधारण ढंग से तैयार की जाती थी और घी अथवा मक्खन के बिना ही खायी जाती थी।[35] गेहूँ, ज्वार, या बाजरा की सादी चपतियां भी साधारण वर्ग के भोजन का प्रमुख व्यंजन था।[36] यद्यपि अधिकतर हिन्दू शाकाहारी थे, किन्तु मांसाहारी लोग साधारण किस्म के मांस तथा सूखी मछलियों पर संतोष कर लेते थे।[37] साधारण वर्ग का मुसलमान पराठे और कबाब खाना पसंद करता था। उसका सामान्य भोजन गेहूँ की रोटी, पराठे, तथा मुर्गे का गोश्त होता था।[38] उच्च वर्ग के लोग गर्मी के दिनों में खाने के बाद ठण्डा पानी पीने के लिए व्यवस्था करते थे। इसके लिए पानी कोरे घड़ों में भरकर रखा जाता, नाजुक और साफ–सुधरे मिट्टी के प्याले पानी के लिए मौजूद रखते थे। घड़ों और प्यालों पर लाल रंग का कपड़ा चढ़ा दिया जाता और वह भीगा रखा जाता था। ताकि हवा लगने से भींगा कपड़ा खूब ठण्डा हो जाय। इससे गर्म हवा और कपड़े ठंडक अन्दर के पानी को ठंडा करती। प्रायः झझरिया और सुराहिया भी लोग रखते थे। यह बालू की सहायता से बनती थी जिसकी वजह से पानी ठण्डा रहता था। बरसात के दिनों में घड़े को भयंकर कुंओं के

अन्दर लटका दिये जाते थे जहां उनमें खूब ठंडक पैदा हो जाती थी। इसके अलावा जस्ते की नाजुक सुराहियां रहती थी, जिन्हें नादों में शोरा और पानी डालकर फिरायी जाती थी। इससे थोड़ी देर में ही पानी बर्फ के समान ठंडा हो जाता था।[39] साधारण वर्ग के लोग भी इन्हीं युक्तियों का सहारा लेकर ठंडे पानी का सेवन करते थे।[40] हिन्दू तथा मुसलमानों के भोजन एवं पानी के बर्तनों में भी अन्तर होता था। हिन्दुओं की रसोई में पीतल या कांसे का बर्तन का प्रयोग किया जाता था। जबकि मुसलमानों के बर्तन अधिकतर तांबे या मिट्टी के होते थे।[41] हिन्दू लोग रसोई के लिए विशेष स्थान 'चौंका' की स्वच्छता और पवित्रता पर विशेष ध्यान देते थे। भोजन बनाने से पूर्व 'चौंका' का भीतरी हिस्सा एवं बाहर की दिवारों को मिट्टी तथा गोबर से लीप दिया जाता था।[42] 'चौंका' में बिना स्नान किये हुए अथवा पैरों में जूता आदि पहनकर प्रवेश करना निषिद्ध था। उच्च वर्ग के हिन्दू भी अपना भोजन जमीन पर बैठकर थाली अथवा तश्तरी में करते थे।[43] वे प्रायः कपड़े उतारकर और सिर्फ धोती अथवा लंगोट पहनकर दाहिने हाथ से भोजन करते थे। ब्राम्हण जाति के लोग इन सबका अधिक ध्यान रखते थे।[44] साधारण लोग तावें की ताली अथवा पत्तल में जमींन पर बैठकर ही भोजन करते थे।[45] हिनदू लोग पानी पीते समय पात्र को अपने होंठो से नहीं छुने देते थे।[46] लेकिन मुसलमानों के यहां इन सबका पालन नहीं होता था, वे अपनी इच्छानुसार कहीं भी बनाकर खाने को स्वतंत्र थे। उनका दस्तरख्वान फर्श पर बिछा दिया जाता था। पूरा परिवार एक साथ बैठकर सामूहिक रुप से भोजन करता था। बावर्ची अतिथि के सामने एक गोल तश्तरी रख देता था। और उसमें व्यंजन का एक हिस्सा रखकर टक्कर से ढांक देता था। हाथ धोने या किसी कपड़े (नैपकिन)

का इस्तेमाल नहीं किया जाता था।[47] हिन्दू तथा मुसलमान दोनों में ही धर्म एवं परम्परा के अनुसार मादक द्रव्यों का सेवन निषिद्ध था। टेटी के अनुसार सामान्य जनता हिन्दू और मुसलमान धार्मिक कानूनों द्वारा प्रतिबन्धित किसी भी खान–पान को ग्रहण करने की अपेक्षा मर जाना अधिक पसन्द करते थे।[48] उनकी दृष्टि में मद्यपान करना पागल पन था।[49] इसी कारण सभी मुगल सम्राटों द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन के विरुद्ध कठोर नियम बनाये गये थे।[50]

किन्तु मद्यपान का सेवन समाप्त न हो सका। सूबा अवध में भी शराब, अफीम, भांग और तम्बाकू का सेवन हिन्दू तथा मुसलमानों के मध्य प्रचलित रहा हालांकि संख्या अधिक न थी। महुआ, गन्ना तथा चावल आदि से बनाने वाली शराब का प्रचलन सूबा अवध में था।[51] इसके अतिरिक्त ताड़ी का सेवन भी लोगों द्वारा किया जाता था।[52] इसी प्रकार तम्बाकू का सेवन भी निरन्तर लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था।[53] भांग जहां निर्धन लोगों द्वारा प्रयो ग किया जाता था।[54] वही अफीम का सेवन मुसलमान तथा राजपूतों द्वारा भी अधिक किया जाता था।[55]

रीति–रिवाज :–

मुस्लिम रीति–रिवाज :–

मुसलमानों के सभी वर्गों के रीति–रिवाजों में न तो कोई एकरुपता थी औरन ही वे सबके लिए अनिवार्य थे। विभिन्न स्थानों और हर परिवार में उनके धार्मिक विचार एवं सामाजिक स्तर के अनुसार अलग–अलग रीति–रिवाज प्रचलित थे। किन्तु फिर भी प्रत्येक में सन्तान का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण घटना मानी जाती थी। लड़के के जन्म दर असीमित प्रसन्नता होती थी। मुसलमान लोग अपने

नवजात शिशु के कानों में अज़ान देते थे।[56]

उसके पश्चात् बच्चे का नामकरण होता था। मुसलमानों के समान्यतया एक ही नाम होते थे और किसी विशिष्ट स्थान पर एक ही नाम के कई लोग होते थे, तो उसमें भेद करने के लिए उनके पिता के नाम को अथवा किसी अन्य उपाधि को जोड़ दिया जाता था।[57] जन्म के छठवें दिन दावत दी जाती थी और रात भर नाच गान एवं आतिश बाजी का कार्यक्रम चलता था।[58] इस रस्म को छठी कहा जाता था। छठी उस रस्म कानाम है प्रसूतके बाद माँ और बच्चे को पहली बार नहलाया जाता था।[59] इसी प्रकार बीसवें और चालीसवें दिन के नहाने के अवसर पर धूम–धाम होता था।[60] इसके पश्चात् अकीका की रस्म होती थीं अकीका मुसलमानों की खलिस मजहबी रस्म है, जिसका प्रारम्भ बनी इसराईल[61] के समय से आले इब्राहिम[62] में चलास आता है। यहूदी पैदाइस के आठवें दिन बच्चे को मस्जिदें–अक्सा[63] में ले जाकर उसका सिर मुडांत और कुरबानी करते और उनका पेशवा खास तरीकों से उसके लिए बरकत की दुआ किया करता था। यही तरीका मुसलमानों भी रस्में इब्राहिमी और सुन्नते–मुहम्मदी की हैसियत से प्रचलित है। यद्यपि बच्चे के जन्म के आठवें दिन अकीके का बन्धन उठ गया किन्तु प्रायः बच्चे की आयु के पहले ही साल में हो जाया करता है। इसमें बच्चे को नहलाकर नये कपड़े पहनाये जाते हैं। और उसके बाद मित्रों व सम्बन्धियों के समूह में नाई उसका मुड़ता है और जैसे ही वह सिर में उस्तरालगताहै बकरे की कुरबानी दी जाती है। मुंड जाने के बाद सिर में संदल लगाया जाता है। सम्बन्धी अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चे को उपहार देते हैं। कुरबानी का गोश्त गरीबों और सम्बन्धियों में बांट दिया जाता है, और घर में खुशी का जश्न मनाया जाता है।[64]

खीर चटाई और दूध–बढ़ाई के अवसर पर भी खुशी की महफिल आयोजित होती थी। खीर–चटाई के उत्सव से बच्चे को दूध के अलावा और चीजें खाने को देने का प्रारम्भ होता था। प्रायः घरों में खाने का प्रारम्भ खीर से किया जाता था।[65] दूध–बढ़ाई का उत्सव उस मौके पर होता था जब बच्चे का दूध छुड़ाया जाता था। यह उतसव प्रायः बच्चे के दो–ढ़ाई वर्ष के होने पर होता है।[66] बच्चे के आयु चार वर्ष चार महीना और चार दिन होने पर बिसमिल्लाह खानी की रस्म होती थी इस रस्म के साथ ही बच्चे की शिक्षा प्रारम्भ हो जाती थी।[67] सात से बाहर अथवा चौदह वर्ष की रोजा खोलने का भी होता था। जब लड़का या लड़की नौ–दस वर्ष के हो जाते थे तो उसे पहले पहल रोज़ा खुलवाया जाता था। इस अवसर पर सादगी के साथ खुशी मनायी जाती थी[69] खुशी की रस्मों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान शादी या निकाह होता था। विवाह की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। किन्तु मुसलमान भी जल्दी विवाह के पक्ष में थे। विवाह मूलतः पारिवारिक मामला होता था और विवाह करने वाले लड़का–लड़की इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकते थे। विवाह के पूर्व लड़कों को लड़कियों देखने की अनुमति नहीं होती थी।[70] शिया–मुसलमानों में मुता विवाह (अस्थायी विवाह) की प्रथा महत्वपूर्ण थी।[71] जन्म और विवाह जैसी खुशी की रस्मों के साथ गमी की भी मुसलमानों में प्रचलित थे। एक मुसलमान के मरने परउसकी लाश को नहलाकर कफन पहनाया जाता था। इसके बाद नमाज–ए–जनाजा पढ़कर लाश को उसके मित्र तथा सम्बन्धी कन्धों पर पैदल कब्र तक ले जाते थें रास्ते भर लोक तकवीर और दरुद पढ़े जाते थे। मरने वाले के घर में तीन दिनों तक खाना नहीं पकता था।[73] लाश को कफन करने के बाद तीसरे दिन इस दिन कुरान पढ़ी जाती और शर्बत पान

व खाना बांटा जाता था।[75] इसी तरह की रस्म चालीसवें दिन भी होती थी। कुछ लोग छमाही तथा वर्षों की रस्म करते थे। शिया और सुन्नी इन रस्मों को अलग–अलग तरीकों से सम्पादित करते थे।[76]

हिन्दू रीति–रिवाज :–

हिन्दू धर्म में सोलह संस्कारों का प्राविधान है। किन्तु मुगल काल में सूबा अवध में इन संस्कारों में से मुख्य रुप से छः संस्कार सम्पन्न होते थे जो क्रमशः जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरम, उपनयन, विवाह व अन्त्येष्टि थे। इन संस्कारों कापालन अधिकांश हिन्दू करते थे। जन्म संस्कार के सम्बन्ध में अबुल फजल ने लिखा है कि इसमें घृत और मधु मिलकार सोने के छल्ले से शिशु के मुंह में डाला जाता था।[77] तुलसीदास ने रामचरित–मानस में शिशु जन्म के तुरन्त बाद "नन्दी–मुख श्रद्धा" का किया जाना बताया है जिसमें ब्राम्हणों को स्वर्ण, गाय, थाल और गहने दान स्वरुप दिये जाते थे।[78] उल्लास के प्रतीक के रुप में गदुर्बा घास और आय पल्लव के वन्दनवार द्वारा पर सजाये जाते थे। शिशु जन्म के बाद ही जन्म कुण्डली बनाये जाने की प्रथा थी।[79] चालीस दिन के बाद नामकरण संस्कार होता था। बालक के छः मास के हो जाने पर अन्न प्रासन संस्कार किया जाता था जिसमें लड़के का पिता धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात् उसे खीर, मधु, और घी मिलता था।[80] तीन वर्ष की आयु के लगभग मुंडन संस्कार आठ वर्ष की आयु में जनेऊ अथवा उपनयन संस्कार होता था और उसके पश्चात् विद्याध्ययन प्रारम्भ होता था।[81] हिन्दुओं में बाल–विवाह का प्रचलन था। अन्तर्जातीय विवाह का प्रचलन नहीं था। इसी प्रकार विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी।[82] उच्च जातियों में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी।[83] विवाह में लड़के और लड़की के माता–पिता

की समस्त भूमिका होती थी। विवाह धार्मिक कृत्य माना जाता था। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठान सम्पादित होते थे। विवाह समारोह आजकल की तरह ही होता था।[84] हिन्दुओं में मृत्यु संस्कार का अत्यधिक महत्व था। क्योंकि वे इस लोक से परलोक को अधिक मान्यता देते थे। इनके मुख्य अनुष्ठान दाह संस्कार अस्ति संचयन, शान्ति, कर्म, और सपिण्डकर्म थे। मृत्व के अवसर पर तेरह दिनों तक शोक मनाने की परम्परा थी। एक वर्ष के बाद मृतक के परिवार वाले श्राद्ध कर्म करते थे। इन अवसरों पर अत्यधिक व्यय किया जाता था।[85]

सामाजिक शिष्टाचार व व्यवहार :–

सामाजिक शिष्टाचार व व्यवहार के क्षेत्र में मुसलमान तथा हिन्दू दोनों का स्थान उच्च कोटि का था। दोनों ही अपने अतिथियों तथा मित्रों के प्रति अत्यधिक नम्र होते थे एवं सभ्यता का व्यवहार करते थे। मुसलमान अपने यहां अपने वाले का दीवान खाना में स्वागत करते थे।[86] वे एक दूसरे को अस्सलमा अकेलुम तथा आले–कुम–अस्सलाम कहते थे तथा आपस में एक दूसरे के वाले मिलते थे।[87] किन्तु निम्न स्तर का व्यक्ति थोड़ा झुककर अपने दाहिने हाथ को सिर तक उठाकर सलाम करता था।[88] मुसलमान लोग हिन्दुओं से मिलने पर राम–राम भी कह देते थे। वे एक दूसरे का स्वागत करते समय सिर पर टोपी अथवा पगड़ी धारण किये रहते थे। बाहर निकलते समय नंगे सिर पर नंगे पैर होने पर अथवा ठीक से वस्त्र धारण करने को असभ्य माना जाता था।[89] मुसलमान अपनी बात–चीत में सदैव मर्यादा एवं सम्मान का ध्यान रखते थे। वे अपने हाथ अथवा सिर को हिलाकर भाव भंगिया नहीं बनाते थे ओर न ऊँची आवाज में बात करते

थे। जब वे किसी से गोपनीय बातें करते तो वे अपने मुंह पर रुमाल रख लेते थे। ताकि एक दूसरे की सांस अलग रहे।[90] बराबर के लोगों के लिए उनका सम्बोधन गरीब–नवाज होता था। भाई तथा पिता को बाबा कहा जाता था। अपने से बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए "मैं आप की ही नमक रोटी खाता हूँ" या मैं आपका गुलाम हूं, आपकी ही बदौलत जिन्दा हूं जैसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता था। एक मुसलमान के लिए बैठकर हुक्का पीना अथवा पान खाना सर्वाधिक आनन्द का विषय होता था। विदा करते समय एक बीड़ा पान देने का रिवाज था।[91] हिन्दुओं में किसी अतिथि के आगमन पर घर का मालिक उसका स्वागत द्वारा पर जाकर करता थां प्रवेश स्थान पर ही जूते छोड़ दिये जाते थे। आगन्तुकों द्वारा उपहार लाने की तथा विदाई के समय उसे उपहार देने की परम्परा थी।[92] हिन्दुओं को अभिवादन में कई तरीकें थें बराबर के लोगों में राम–राम कहने की प्रथा अत्यधिक लोकप्रिय थी। छात्रों के द्वारा अपने से बड़ों का अभिवादन झुककर उसके पैरों को छूकर किया जाता था। गुरु की अभिवादन दंडवत लेट कर किया जाता था। उच्च पदस्थ व्यक्ति का अभिवादन सिर से ऊपर हाथ जोड़कर किया जाता था।[93] हिन्दुओं के वार्तालाप मुसलमानों की तरह ही शिष्ट होता था। बड़ों से सावधानी पूर्वक बात करते थे। उनकी उपस्थिति में प्रायः आसन ग्रहण नहीं किया करते थे। इस प्रकार दोनों जातियों को लोगों में सामाजिक शिष्टाचार के अलग–अलग रिवाज थे।

त्यौहार एवं मेला :–

मुसलमानों में जहां एवं सामाजिक त्यौहारों की संख्या बहुत कम है। वही हिन्दुओं के त्यौहारों की संख्या बहुत अधिक है। मुगल काल में भी सूबा

अवध में आज की हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा त्यौहार मनाया जाता था। उनके प्रमुख त्यौहारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

मुस्लिम त्यौहार :-

मुसलमानों में जहां धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों की संख्या बहुत कम है। वही हिन्दुओं के त्यौहारों की संख्या बहुत अधिक है। मुगलकाल में भी सूबा अवध में आज की तरह ही हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा त्यौहार मनाया जाता था। उनके प्रमुख त्यौहारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है।

मुस्लिम त्यौहार :-

1- मुहर्रम :-

मुसलमानों के वर्ष का प्रारम्भ मुहर्रम के महीने से होता है। किन्तु कर्बला की दर्दनाक घटना ने इस महीना को सभी मुसलमानों के लिए शोक का महीना बना दिया गया।[94] मुहर्रम का त्यौहार विशेष रुप से शिक्षा सम्प्रदाय के लोग मानते थे व मुहर्रम के प्रथम दस दिनों तक हज़रत इमाम हुसैन ओर उसके साथ कर्बला में शहीद किये गये लोगों की यादगार में ताजिया रखते थे और मातमी मसलिसे करते थे।[95] सुन्नी मुसलमान प्रायः मुहर्रम से अपने को अलग रखते थे। और शिया मुसलमानों के कार्यों को आधार्मिक (विदअत) मानते थे। वे मुहर्रम के प्रथम दस दिनों को पवित्र कार्यों को करने में बिताते थे। मुहर्रम में शिया में सुन्नी मुसलमानों के बीच अत्यधिक तनाव बढ़ जाता था।[96] <u>शब-ए-बारात</u> शबेबरात का लैलल-उल-बारात भी कहा जाता है।[97] मुसलमान इस आठवें महीने शाबान में चौदवे दिन की रात मानते थे। मुसलमानों की सामान्य धारण यह है कि इस रात

को मृतकों को मृतकों की आत्माएं आती हैं। और इसी रात को वे स्वर्ग में प्रवेश करती है। अतएव मुसलमान तेरह शाबाय को अपने मृतकों के नाम पर दही तथा मिठाई आदि की थालियां सजाते थे और उन पर फातिहा पढ़ते थे। धर्म भीरु मुसलमान पूरी रात जागर प्रार्थना किया करते थे। वे आपस में मिठाइयों व उपहार का आदान–प्रदान करते थें इस दिन वे घरों तथा मस्जिदों को दीपक से सजाते थे और आतिशबाजी करते थे।[98]

3– ईद–उल–फितर[91]:–

रमजान पहने के उपवास व्रत (रोज़ा) की लम्बी अवधि समाप्त होने पर दसवें अरबी महीने शब्बाल की प्रथम तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। यह विशद्ध धार्मिक त्यौहार है जिसका प्रारम्भ मुहम्मद साहब ने हिज़री सन् के दुसरी साल में किया जाता था। यह रमजान के तनाव के बाद ईद के चाँद (हिलात–ए–ईद) के निकलने पर वास्तविक राहत और अवाधित आनन्द के प्रतीक के रुप में आनन्द एक मुबारक देने वाला त्यौहार था इस अवसर पर दान दिया जाता था। जो ईद–उल–सदका कहलाता है। मुसलमान इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ईद–उल–फितर की सामूहिक नमाज पढ़ने के पश्चात् घर में बने स्वादिष्ट व्यंजनों का उपयोग करने तथा उसका परस्पर आदान–प्रदान करने व मुबारकबाद देने का कार्यक्रम चलता था। इस अवसर पर नये कपड़े पहने जाते थे।[100]

4 ईद–उल–जुहा[101] :–

ईद उज्जुहा या ईद–ए–कुर्बानी का त्यौहार बारहवें अरबी महीने ज़िल–हिज्जा के दसवें दिन मनाया जाता था। मुस्लिम त्यौहारों में यह सबसे

महत्वपूर्ण था। यह त्यौहार हज़रत इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश पर अपने पुत्र हजरत स्लाम का कुर्बान (बलिदान) करने के लिए तैयार होने वाली घटना की याद के रुप मनाया जाता है। दस जिला हिज्जा की प्रातः स्नान करके एवं कपड़े पहन कर प्रत्येक मुसलमान ईदगाह जाता है। वाद्य· वे सामूहिक नमाज पढ़ते हैं और घर से ईदगाह के पूरे मार्ग में तकबीर पढ़ते हैं। घर लौटने के पश्चात् वे कुर्बानी करते थे।[102] यह परम्परा मुगलकाल में प्रचलित थी।

5 बरावफात :–

यह त्यौहार तीसरे अरबी महीने रबी–उल–अव्वल के बारहवें दिन पैगम्बर मुहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्व की यादगार के रुप में मनाया जाता हैं।[103]

इन त्यौहारों के अतिरिक्त नौरोह चेहल्लुम हर महीने के नये चांद को देखने, सूर्प तथा चन्द्र ग्रहण के अवसर पर कुछ कार्यक्रम होते थे। इनमें नौरोज खुशी का त्यौहार था। चेहललुम हज़रत इमाम हुसैन के चालीसवें की यादगार में शोक के रुप में मनाया जाता था। हरके महीने के चांद के देखने पर महीने की महत्ता के अनुसार खुशी मनायी जाती थी। सूर्य तथा चन्द्र ग्रहण के अवसर पर प्रार्थना तथा व्रत रखा जाता था।[104]

हिन्दू त्यौहार :–

हिन्दू त्यौहार की संख्या अत्यधिक होने के कारण उनका वर्णन करना कठिन सा कार्य है। यहां केवल अत्यधिक लोकप्रिय त्यौहारों का संक्षिप्त विवरण दिया हैं।

(1) बसन्त पंचमी :–

बसन्त पंचमी का त्यौहार बसन्त सका अग्रदूत था और माघ माह (जनवरी–फरवरी) में मनाया जाता था। यह सामान्यतया माघ में शुक्ल–पक्ष पांचवे दिन मनाया जाता था।[105] यह गायन, लोक नृत्य तथा गुलाल बिखेरे जाने के लिए प्रसिद्ध था। इसमें सरस्वती की पूजा का स्थान प्रमुख था। इस दिन कलम–दवात और पुस्तक की पूजा की जाती थी। भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सरस्वती की पूजा की जाती थी।[106] इस अवसर पर सिन्दूर और गुलाल इतनी मात्रा में बिखेरा जाता था कि मलिक मुहम्मद जायसी के शब्दों में "पृथ्वी से लेकर आकाश तक प्रत्येक वस्तु लाल हो जाती थी।"[107]

2– शिवरात्रि :–

शिवरात्रि का पर्व बड़े ही आदर और सम्मन के साथ मनाया जाता था। यह त्यौहार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के 13वीं तिथि को मनाया जाता था।[108] धार्मिक मनोवृत्ति वाले लोग रात्रि जागरण और प्रार्थनायें करके इसे मानते थे। प्रातः काल युवतियों शिव मन्दिरों में फल–फूलों की भेंट ले जाती थीं और वहां से शिवलिंग को चन्दन और अगरु के लेप से अभिषेक करके और सिन्दूर से रंगकर अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करती थी जिसमें प्रिय जीवन–साथी की आकांक्षा भी सम्मिलित थी। इच्छा पूर्ति होने पर देवता को दूसरी भेंट बढ़ाने का वादा करके वे घर लौट जाती थी।[109]

(3) होली :–

हिन्दुओं को पुराने त्यौहार में होली का उत्सव अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं

लोकप्रिय था।[110] होली फाल्गुन मास के अन्तिम तिथि (फरवरी–मार्च) को मनायी जाती थी। इसे सामान्यतया दो–तीन दिनों तक मनाया जाता था। इस अवसर पर सभी जातियां और वर्गों के हिन्दू केसरिया और रंगीन जल से राहियों को भी रंग देते थे। तीसरे दिन शाम को लगभग पूरी जनता एक विशाल अग्नि के चारों ओर एकत्र हो जाती थी और आगामी शाल के लिए शकुन विचरती थी।[111] अग्नि प्रज्वलन हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की पौराणिक कथा की स्मृति में किया जाता था।

(4) रामनवमी :–

यह भगवान राम के जन्म–दिन के रुप में मनाया जाता था। राम नवमी चैत्र मास (मार्च–अप्रैल) शुक्ल पक्ष की नवीं तिथि को मनाया जाता था।[112] इस त्यौहार में लोग व्रत रखते थे और सरयू नदी में स्नान करते थे। अयोध्या भगवान राम की जन्म भूमि होने के कारण राम नवमी का त्यौहार सूबा अवध में विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता था। कुछ लोग इसमें शक्ति की पूजा (नव दुर्गा की पूजा के रुप में) भी नौ दिन तक व्रत रखकर करते थे।

(5) रक्षाबन्धन :–

रक्षा बन्धन का त्यौहार श्रवण मास (जुलाई–अगस्त) की अन्तिम तिथि को मनाया जाता था।[113] यह ब्राम्हणों का अत्यधिक प्रिय त्यौहार इस अवसर पर ब्राम्हण अपने यजमानों के दाहिनी कलाई में राखी बांधते थे और उनसे उपहार प्राप्त करते थे। लेकिन प्रायः इसमें बहनों द्वारा सूत या रेशम के धागे के राखी के रुप में अपने भाईयों की दायी कलाई में बाधा जाता था।[114] राखी बधाने वाले भाई

का अपने बहन की मर्यादा की रक्षा करना परम कर्तव्य हो जाता था।

(6) विजय दशमी अथवा दशहरा :–

दशहरा हिन्दुओं के सभी वर्गों का लोकप्रिय त्यौहार था।[115] यह त्यौहार अश्विन मास (सितम्बर–अक्टूबर) की दसवीं तिथि को दड़ता था। अवध में यह त्यौहार रामचन्द्र द्वारा रावण पर की गयी विजय की स्मृति के रुप में मनाया जाता था और इसमें राम लीला, जिसमें लंका दहन व रावण वध प्रमुख होता था, का आयोजन किया जाता था। इस अवसर पर शेषमत के लोग देवी दुर्गा की पूजा करते थे। किसान और शिल्पी गण और औजार लाते थे और उनकी पूजा करते थे।[116]

(7) दीपावली :–

दीपों का त्यौहार हिन्दुओं का सबसे अधिक खुशनुमा और आनन्दमय त्यौहार होता थां दीपावली कार्तिक मास (अक्टूबर–नवम्बर) में कृष्ण पक्ष की अन्तिम तिथि को मनाया जाता था।[117] इस अवसर पर धर के बाहर–भीतर मन्दिरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों को सैकड़ों दोषों के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता था। चारों–ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता था। इस त्यौहार को मनाने के कई कारण बताये जाते हैं। अवध में मान्यता है कि रामचन्द्रजी के चौदह वर्ष का वनवास व रावण वध करके अयोध्या वापस लौटने पर उनके स्वागत में पूरे नगर को दीपों से इसी दिन सजाया गया था। उसी की स्मृति में प्रतिवर्ष दीपावली मनायी जाती थी। के0 एम0 अशरफ ने दीपावली के सम्बन्ध में लिखा है कि वर्ष में एक बार पुण्यात्मा मृतकों को इसी पृथ्वी के निवासियों से स्नेह सम्बन्ध स्थापित

करने के लिए अपने इहलाकिक घरों और परिचित वातावरण में आने की अनुमति दी जाती थीं स्वभावतः सम्बन्धी गण अपने पूर्वजों की आत्माओं का उत्साह से स्वागत करने में प्रसन्नता का अनुभव करते थे। घरों के भीतर और बाहर तथा मन्दिरों, सार्वजनिक भवनों में सर्वत्र विशाल संख्या में दीप जलाये जाते थे।[118] दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी की पूजा होती थी। बहुत से लोग आतिशबाजी के साथ इस त्यौहार को मानते थे। अपने भाग्य का परीक्षण करने के लिए जुआ भी खेलते थे।[119] यह वैश्यों या साहूकारों और अन्य व्यवसायी वर्गों का अत्यन्त लोकप्रिय त्यौहार था।[120]

इन प्रमुख त्यौहारों के अतिरिक्त गोवर्धन पूजा, कृष्ण–जन्माष्टमी (भादों मास के कृष्ण पक्ष की आठवीं तिथि को मनाया जाता था।) सूर्य तथा चन्द्र ग्रहण के अवसर पर व्रत व पवित्र नदियों में स्नान, तथा अयोध्या की तीर्थ यात्रा आदि भी हिन्दूओं में लोकप्रिय थ।[121]

हिन्दू तथा मुस्लिम मेले :–

अवध हिन्दू तथा मुसलमान दोनों के लिए पवित्र भूमि थी। हिन्दू लोग विभिन्न स्थानों पर मेलों का आयोजन करते थे। इनमें अयोध्या,[122] निमखार,[123] चारमिति,[124] तथा सीतापुर में में मिसरिख का मेला अत्यधिक प्रसिद्ध था। सूरजकुण्ड भी विभिन्न वर्गों के पूजा का प्रसिद्ध स्थान था।[125]

मुसलमान के लिए बहराइच, किछौछा तथा लखनऊ प्रमुख स्थान था। लखनऊ में शेख मीना की कब्र थी जहाँ साल भर लोग आते रहते थे।[126] फैजाबाद जनपद में किछौछा नामक स्थान पर प्रसिद्ध चिश्ती सन्त सय्यद असरफ जहांगीर

सामानीकी मज़ार है। यह हिन्दू तथा मुसलमान दोनों के लिए आकर्षण का केन्द्र था यहां लोग मन्नते थे। और उन्हें विश्वास था कि उनकी इच्छाएं पूरी होगीं। सन्त की मृत्व की तिथि पर सालाना उसे आयोजित किया जाता था। जो मुहर्रम के महीने में होता था और उसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते थे।[127] लेकिन अवध का सबसे बड़ा मेला बहराइच में सय्यद सालार मसूद गाज़ीस का था।[128] सय्यद सालार मसूद गाजी की मजार पर अपना श्रद्धा व्यक्ति करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते थे जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही मजार पर लोग तरह–तरह की मन्नतें मानते थे ओर उसमें विश्वास होता था कि उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। अबुल फजल ने आईन–ए–अकबरी में यहां के मेले का विस्तार से वर्णन किया है।[129] इस प्रकार अवध के मेले हिन्दू मुस्लिम समन्वयवादी भावना के प्रतीक बन गये थे।

इस प्रकार मुगल काल में सूबा अवध के उच्च से समृद्ध के हिन्दू व मुसलमान दोनों ही विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से युक्त भोजन करते थे। उनके भोजन में सम्मिलित व्यंजनों की संख्या अधिक परिस्थितियों एवं भोजन के प्रति रुचि ऊपर निर्भर करती है। मुसलमानों का भोजन जहां अधिकतर मांसाहारी होता था। वहीं राजपूतों के अतिरिक्त अधिकांश हिन्दुओं का भोजन निरामिष होता था। साधारण वर्ण के हिन्दू–मुसलमान उत्तम व्यंजनों पर अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं थें फिर भी वे अपनी हैसियत के अनुसार अपने भोजन के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों व स्वादों से युक्त बनाने का प्रयास करते थे। इनमें भी साधारण वर्ग हिन्दुओं का भोजन राजपूतों को छोड़कर, शाकाहारी तथा मुसलमानों का मांसाहारी होता था।

सभी वर्ग के हिन्दू व मुसलमान भोजन में अपने धार्मिक प्रतिबन्धों का पालन करते थे, लेकिन दोनों का भोजन तैयार करने, उनके बर्तनों तथा खाने की विधियों में अन्तर था। धर्म एवं परम्परा के अनुसार मादक द्रव्यों का सेवन हिन्दू तथा इस्लाम दोनों धर्मों में निषिद्ध होने के बावजूद दोनों धर्मों को मानने वाले विभिन्न तरह के मादक द्रव्यों का सेवन करते थे। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों के आमोद–प्रमोद एवं मनोरंजन के साधन, वाह्य तथा अन्तः ग्रह मनोरंजनों में विभाजित थें वाह्य मनोरंजन के अन्तर्गत शिकार घुड़सवारी, जानवरों व पक्षियों की लड़ाई तीरंदाजी, कुश्ती, कबड्डी चिक्का, जल–क्रीड़ा, बंबरी आदि प्रमुख थे। अन्तमः गृह मनोरंजनों में सतरंज चौपड़, पच्चासी, चौसर तास, गोटियों का खेल जुआ तथा जश्न आदि सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त नृत्य और गायन, नाटक कविता पाठ तथा नट और बाजीगरों की कलाओं मुशायरा व कहानियों द्वारा लोग अपना मनोरंजन करते थे। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों के रीति–रिवाजों में ही नहीं अपितु दोनों धर्मों के अनुयायियों में भी परस्पर एकरुपता न थीं विभिन्न स्थानों ओर हर परिवार के रीति–रिवाजों में अन्तर था फिर भी जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना से सम्बन्धित अनेकों रीति–रिवाज प्रचलित थे। मुसलमानों में बच्चे के जन्म के बाद छठी, बीसवें तथा चालीसवें के नहान एवं उन अवसरों पर खुशियां मनाने, इक़ीक़ा, खीर, खटाई, दूध, बढ़ाई, किसमिल्लाह, खानी, खतना, प्रथम रोजा खोजने के अवसर पर खुशी मनाने का रीति–रिवाज था। इसके अतिरिक्त शादी के अवसर पर विभिन्न प्रकार के रस्मों तथा खुशियां मनाने का रिवाज था। गर्मी का रस्मों नमाज–ए–जनाज़ा पढ़ने, साइम, छमाही तथा वर्षों मनाने का रिवाज था। हिन्दू धर्म में सोलह संस्कारों की व्यवस्था थी, किन्तु उनमें से जातकर्म नामकरण,

चूड़ाकरण, उपनयन, विवाह तथा अन्त्येष्टि संस्कार ही प्रमुख रुप से ही प्रचलित थें। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों का सामाजिक शिष्टाचार व व्यवहार उच्च कोटि का था। दोनों अतिथियों का स्वागत करते थे, वार्तालाप में मान–मर्यादा का ध्यान रखते थे। दोनों में अभिवादन के अलग–अलग तरीके प्रचलित थे। मुसलमानों धार्मिक व सामाजिक त्यौहारों की संख्या त्यौहार की संख्या जहां अत्यधिक सीमित थी वही हिन्दुओं के त्यौहारों की संख्या बहुत अधिक थी। मुस्लिम त्यौहारों में मुहर्रम, शबेबरात, ईद–उल–फितर, ईद–उल–जुहा बरावफात आदि प्रमुख थे जबकि हिन्दू त्यौहारों में बसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, रक्षाबन्धन, दशहरा व दीपावली प्रमुख थे। मुगलकाल में सूबा अवध में हिन्दू तथा मुसलमान दोनों मेले आयोजित करते थे। अयोध्या, निमखार, मिसरिख, सूरजकुण्ड आदि स्थानों में हिन्दुओं का मेला लगता था। जबकि लखनऊ, बहराइच, तथा किछौछा में मुसलमानों के मेले लगते थे। लेकिन ये मेले हिन्दू–मुस्लिम एकता के प्रतीक बन गये थे। मेलों में हिन्दू और मुसलमान सामूहिक रुप से सम्मिलित होते थे।

आमोद–प्रमोद एवं मनोरंजन :–

मुगल कालीन सूबा अवध का सामाजिक जीवन उल्लास एवं आनन्द से युक्त था। सभी वर्ग के लोग विभिन्न प्रकार के खेल–कूद के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। उस काल के आमोद प्रमोद एक मनोरंजन के सैनिक प्रवृत्ति से अत्यधिक प्रभावित थे। डॉ0 असरफ ने उस समय के आमोद–प्रमोद एवं मनोरंजन के साधनों को "रज्म" अर्थात युद्ध और "वज्म" अर्थात् सामाजिक आनन्द दो भागों में विभाजित किया हैं।[130]

वाह्य मनोरंजन :–

घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों में शिकार, घुड़सवारी, जानवरों की लड़ाई तीरंदाजी, मल्लयुद्ध कबड्डी और चिक्का और आते थे। अमीरों एवं जागीरदारों एवं जमीदारों के मनोरंजन का प्रमुख साधन शिकार था।[131] घुड़सवारी और जानवरों की लड़ाई भी उच्च वर्ग के लोगों के मनोरंजन का साधन था हालांकि परिन्दों (पक्षियों) की लड़ाई का शौक हर अमीर–गरीब कर सकता था।[132] अवध के नवाबों के शासनकाल में जानवरों एवं परिन्दों की लड़ाई से मनोरंजन करने का खेल अत्यधिक लोकप्रिय रहा। लेकिन "कबूतर बाजी" का शौक मुगलकाल में भी लोगों को था। लखनऊ में कबूतर बाजी नवाबों के शासन के प्रारम्भिक काल से ही शुरू था।[133] मुर्गों की लड़ाई का शौक भी यहां लोग में था।[134] 'तीरंदाजी' की कला अवध में पासी और भर जाति के लोग पहले से ही खूब अच्छी तरह जानते थे।[135] और उसमें अपना मनोरंजन किया करते थे। मुगल काल में कुश्ती या 'दाल' भी मनोरंजन का प्रमुख साधन था। इस कला को सीखने की अभिरुचि उच्च वर्ग से लेकर साधारण वर्ग तक में थी।[136] गांवों में वाह्य खेलों के अन्तर्गत कबड्डी और चिक्का सार्वधिक लोकप्रिय था और उसमें केवल लड़के ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी हिस्सा लेते थे।[137] मलिक मोहम्मद जायसी ने 'जलमार्ग' का उल्लेख किया है।[138] इससे स्पष्ट होता है कि तैराकी भी उस काल का एक प्रमुख मनोरंजन खेल था। इसी प्रकार से हिन्दू औरतों में लुकने–छिपने का खेल होती थी। जिसे जायसी ने 'चचरी' नामक खेल की संज्ञा दी है।[139] ग्रामीण लड़के झूठी लडाई के खेल तथा वृक्षों पर चढ़ाई आदि से भी अपना मनोरंजन करते थे।[140]

अन्तः गृह खेल एवं मनोरंजन :—

घरों के अन्दर खेले जाने खेलों में सबसे अधिक लोकप्रिय एवं अभिजात वर्ग का खेल 'शतरंज' था। मुगल काल में यह अमीरों एवं साधारण वर्ग के लोगों द्वारा भी खेला जाता था।[141] मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत् में इस खेल का उल्लेख किया हैं।[142] मुगल अमीरों द्वारा इस खेल में विशेष रुचि ली जाती थी। मनूक्की ने उनके सम्बन्ध में लिखा है कि 'शतरंज' के द्वारा वे अपनी–अपनी योजनाओं बनने–बिगड़ने तथा हार–जीत की बातों का फैसला किया करते थे।[143] सूबा अवध में भी शतरंज का खेल लोकप्रिय था। शुजाउद्दौला केसमय मे तो यह अन्तःगृह के खेलों में अत्यधिक महत्वपूर्ण था।[144]

अन्तःगृह के खेलों में चौपड़ा दूसरा लोकप्रिय खेल था। यह एक प्राचीन भारतीय खेल है जिसके खेलने के दो अन्य ढंग 'पच्चासी' और 'चौसर' है।[145] अबुल फजल ने आईन–ए–अकबरी में इस खेल के विस्तृत विवरण को दिया है।[146] चौपड़ का खेल हिन्दुओं, विशेषकर राजपूतों में विशेष रुप से प्रिय था।[147] मलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावत में राजकुमारी पदमावती राजा रतन सेन चौपड़ को खेल खेलते हुए दिखलायी गयी हैं।[148] इससे सूबा अवध में इस खेल का प्रचलन एवं लोकप्रियता विदित होती है। मुगलकाल में 'नर्द–या फारसी चौपड़ का खेल मुसलमानों के लोकप्रिय था।[149]

शाहजहां कालीन सूबा अवध में 'ताश' का खेल (गंजीफा) भी अत्यधिक लोकप्रिय था।[150] मुगल सम्राट शाहजहां ने इस खेल में कुछ संशोधन किये थे।[151] इसके अतिरिक्त गोटियों का खेल, दो गोसटी तीन गोटी, नौ गोटी

और बारह गोटी, शहरी और देहाती दोनों इसमें प्रचलित थे और इनकों कई तरह से खेला जाता था।[152] अंतःगृह के खेलों में दांव लगाकर खेलने में अधिक आनन्द आता था। जुआ की भारतीय परम्परा अत्यन्त प्राचीन और पूज्य थी। जुआ सभी वर्गों में धनी से लेकर निर्धन तक में अत्यधिक लोकप्रिय था स्त्रियां भी जुआ खेलती थी।[154]

अंतःगृह में मनोरंजन के अन्य साधनों में सबसे महत्वपूर्ण 'जश्न' या सामाजिक समारोह था। इसमें दावत, नृत्य संगीत एवं शराब आदि मुख्य रुप से सम्मिलित होता था।[155] विभिन्न खुशी के अवसरों पर इनका आयोजन होता था। उच्च वर्ग में महफिलों का आयोजन सामान्य सी बात हो गयी थी। प्रायः रईसों के यहाँ शाम को बैठकें होती थी। जिनमें अपनी–अपनी रुचि के अनुसार मनोरंजन बाते अथवा खेल होते थे।[156] स्त्रियों का 'जश्न' अलग होता था जो प्रायः विवाह आदि के अवसरों पर होता था।[157]

मनोरंजन के अन्य साधन :–

मनोरंजन के अन्य साधनों में जनसाधारण में लोकप्रिय नृत्य और गायन प्रमुख था। गांवों में होली के त्यौहार के अवसर पर सामूहिक रुप से लोग गीत गाने और नृत्य करने तथा उसका आनन्द लेने की परम्परा थी।[158] सावन के गीत भी लोगों में अत्यधिक लोकप्रिय था और उन्हें भी झूले पर सामूहिक रुप से गाया जाता था।[159] मुगलकाल में नृत्य अत्यधिक लोकप्रिय था। कृष्ण सम्प्रदाय ने इसे अत्यधिक प्रोत्साहित किया था और स्त्री–पुरुष सामूहिक रुप से नृत्य करते थे।[160] उच्च तथा समृद्ध वर्ग की बारातों में मनोरंजन के लिए पुरुष तथा स्त्री गवैये व नर्तक–नर्तकियां भी किराये पर हो जाये जाते थे।[161]

नाट्यकला द्वारा भी लोगों का मनोरंजन होता था। हिन्दू त्यौहार 'दशहरा' के अवसर पर रामलीला या रामायण के किसी प्रसंग का नाटक खेला जाता था। इसी प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण लीला या रास लीला का आयोजन होता था जिसका सामूहिक रुप से लोग आनन्द लेते थे।[162]

भांट चरण, नक्कालों व पेशेवर विदूषक भी समृद्ध वर्ग के लोगों का मनोरंजन करते थे। मुगलों के शासन काल में भांड़ों ने विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी।[163] ये लोग लतीफे, नोंक–झोंक के वाक्यों और नक्काली के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते थे। समृद्ध वर्ग के लोगों यहां भांट या वारण रहते थे जो अपने संरक्षक की प्रशंसा में चाटुकारिता पूर्ण कविताएं करते थे।[164] प्रायः अधिकांश बड़े जमींदारों के यहां भाट या चारण रहते थे।[165] बहुरुपिया अपने विभिन्न रुपों द्वारा साधारण वर्ग का मनोरंजन करता था।[166]

नट और बाजीगर भी समाज में मनोरंजन के एक साधन थे जो अपनी कलाओं द्वारा लोगों का मनोरंजन करते थे। नटों और बाजीगरों के कई प्रकार थे। ये पशुओं के बिना और उनकी सहायता से भी खेल दिखाते थें उच्च वर्ग के लोग अपने अतिथियों के मनोरंजन के लिए नट रखते थे। साधरण और निम्न श्रेणी के नट बाजारों में मेढ़ा नवाकर या अपने बंदरों को कई प्रकार से नचाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। और उससे अपनी जीविका चलाते थे। वे मेलों या अन्य जन समारोहों में रस्सी पर चलकर या कटपुतली की नाच दिखाकर भी लोगों का मनोरंजन करते थे।[167] सपेरा भी अत्यधिक लोकप्रिय था।[168] नट और बाजीगर विभिन्न खेलों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते थे। ग्रामीण जनता के मनोरंजन का प्रमुख साधन मेला भी था।[169]

मुस्लिम समाज के "मुशायरा" और कहानियों द्वारा भी लोगों का मनोरंजन होता था। मुगलकाल का अन्तिम दौर लखनऊ में "मुशायरा" लोकप्रिय हो रहा था।[170] प्रायः बड़े लोूगों के यहां "किस्सागो" भी रहते थे जो कहानियां सुनकर मनोरंजन करते थे।""

सन्दर्भ

1. बर्नियर, ट्रेवेल्स इन द मुगल इम्पायर, पृ0 227
2. इरफान हबीब, दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया पृष्ठ 17,51
3. अबुल फजल ने शाही बावर्चीखाने में पकाने वाले व्यंजनों की सूची दी है। उन्हीं व्यंजनों को उच्च वर्ग के मुसलमान अपने यहां पकवाने का प्रयास करते थे। शाही व्यंजनों हेतु देखिए अबुल फजल, आईन–ए–अकबरी, वाल्यूम 1 (अंग्रेजी अनुवाद ब्लैकमैन) पृष्ठ 61–64
4. पी0 एन0 चोपड़ा सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल गज, पृष्ठ–4
5. अब्दुल हलीम, 'शरर' गुज़िश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ–195
6. अबुल फजल आईन–ए–अकबरी, वाल्यूम 1 (अंग्रेजी अनुवाद ब्लोकमैन) पृष्ठ 64
7. शक्कर, दूध और मैदा मिलाकर बनी रोगनी रोटी,
8. अब्दुल हलीम, 'शरर' गुज़िश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 95
9. अबुल फजल, आईन–ए–अकबरी, वाल्यूम 1 (अंग्रेजी अनुवाद ब्लोकमैन) पृ0 61–64, पी0 एन0 ओझा,सम एंस पेक्ट्स आफ नाथ इण्डियन सोशल लाइफ (1556–1707) पृष्ठ 5–6।
10. अब्दुल हलीम, 'शरर' गुज़िश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 196
11. अब्दुल हलीम, 'शरर' गुज़िश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 196,97.
12. मीठा पुलाव
13. मीठा पुलाव जिसमें खटाई भी डाली जाती थी।
14. 'शीरयाला'. का ईजाद 18वीं शताब्दी में हुआ। मुगलकाल में शीरमाल की जगह पर बाकिरखानी या रोगनी रोटी खायी जाती थी।

15. बैगन का रायता
16. दूध में पके हुए चावल, खीर
17. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 100
18. पी0 एन0 ओझा, सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 6–7
19. पी0 एन0 ओझा, सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 6–7
20. मलिक मोहम्मद जायसी पदमावत, पृष्ठ 90–92
21. पी0 एन0 चोपड़ा, "सोसाइटी" एण्ड कल्चर इन मुगल एज पृष्ठ 39
22. एफ पलेजरेट जहांगीर्स इण्डिया (अंग्रेजी अनुवाद मोरलैण्ड एण्ड गंइल 1925 पृष्ठ 60–61.
23. पी0 एन0 ओझा, सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 6–7
24. एन0 मनूक्की, स्टोरिया–डो–मोगोर, वाल्यूम 111 पृष्ठ 43
25. पी0 एन0 ओझा, सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 6–7
26. एन0 मनूक्की, स्टोरिया–डो–मोगोर, वाल्यूम 111 पृष्ठ 43 वर्नियर ट्रेवल्स इन दि मुगल इम्पायर (16 56–1668) पृष्ठ 438
27. मनूक्की स्टोरिया–डो–मोगोर वाल्यूम 111, पृष्ठ 43–44
28. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 202
29. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 201

30. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 201–202

31. पी0 एन0 ओझा, सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 10

32. मुफ्ती गुलाम हज़रत, "कवायत–ए–जिला–ए गोरखपुर, (इण्डिया आफिस लन्दन हस्तलिपि संख्या, 4540, अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 29

33. मुफ्ती गुलाम हज़रत, "कवायत–ए–जिला–ए गोरखपुर, (इण्डिया आफिस लन्दन हस्तलिपि संख्या, 4540, अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 29

34. पी0 एन0 चोपड़ा "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज" पृष्ठ 38

35. पी0 एन0 ओझा, सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 15

36. पी0 एन0 चोपड़ा, पुरी दास "भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास" खण्ड–2 पृष्ठ 53

37. पी0 एन0 ओझा, सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 16 गोरखपुर में बिना मूल्य दिये ही मछलियाँ मिल जाती थी। मुफ्ती गुलाम हज़रत, "कवायफ–ए–जिला–ए–गोरखपुर (अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 28.

38. पी0 एन0 ओझा, सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 16

39. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 204–205

40. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 204–205

41. पी0 एन0 चोपड़ा "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज" पृष्ठ 42

42. मनूक्की स्टोरिया–डो–मोगोर वाल्यूम 111, पृष्ठ 45
43. मनूक्की स्टोरिया–डो–मोगोर वाल्यूम 111, पृष्ठ 41
44. मनूक्की स्टोरिया–डो–मोगोर वाल्यूम 111, पृष्ठ 45
45. मनूक्की स्टोरिया–डो–मोगोर वाल्यूम 111, पृष्ठ 43
46. पी0 एन0 चोपड़ा "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज" पृष्ठ 44
47. पी0 एन0 चोपड़ा "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज" पृष्ठ 44
48. विलियम फोस्टर "अर्ली ट्रैवेल्स इन इण्डिया" पृष्ठ 317
49. विलियम फोस्टर "अर्ली ट्रैवेल्स इन इण्डिया" पृष्ठ 317 एन0 मनूक्की "स्टोरिया–डो–मोगोर वाल्यूम 4, पृष्ठ 208"
50. अब्दुल कादिर बदायूनी मुन्तखब–उत–तवारीख, वाल्यूम 11, (अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 311, जहांगीर "तुजुक–ए–जहांगीर" ली द्वारा सम्पादित पृष्ठ 7 ट्रेवर्नियर ट्रेवेल्स इन इण्डिया इन इण्डिया, वाल्यूम 11, पृष्ठ 124 खाफी खाँ "मन्तखब–उल–लबाब" (इलियट एण्ड डाउसन) वाल्यूम 1, पृष्ठ 283
51. महुआ गन्ने के रस तथा मांड़ से शराब बनाने की परम्परा आज भी नगरों व ग्रामीण अंचलों में विद्यमान है।
52. पी0 एन0 चोपड़ा "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज" पृष्ठ 48
53. एन0 मनूक्की, स्टोरिया–डो–मोगोर, वाल्यूम 1 पृष्ठ 63 डब्ल्यू0 एच0 मोरलैण्ड, "इण्डिया ऐट दि डेथ आफ अभवर' पृष्ठ 158"
54. भाँग का हिन्दुओं में भगवान का शंकर का प्रसाद माना जाता था।
55. पी0 एन0 चोपड़ा "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज" पृष्ठ 49

56. जाफर शरीफ, "कानून–ए–इस्लाम (जी0 ए0 हर्क लाट्स कृत अंग्रेजी अनुवाद) रीप्रिंट नयी दिल्ली, 1972 पृष्ठ 24
57. जाफर शरीफ, "कानून–ए–इस्लाम (अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 26–29, 33–34
58. मिसेज मीर हसन अली, "आब्जर्वेशन्स आन दि मुसलमान आफ इण्डिया" (सम्पादित डब्लू0 कुक, द्वितीय संस्करण, आक्सफोर्ड 1917) पृष्ठ 212 एन0 मनूक्की "स्टोरिया–डो–मोगोर" वाल्यूम 111, (अंग्रेजी अनुवाद विलियम इरविन) पृष्ठ 150
59. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 272
60. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 273
61. मह्दियों की उपाधि
62. एक पैगम्बर
63. यरुशलम की प्रसिद्ध मस्जिद
64. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 273 "इनसाक्लोपीडिया आफ इस्लाम" वाल्यूम 1 पृष्ठ 239, जाफर शरीफ, कानून–ए–स्लाय (अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 38–40
65. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 274
66. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 274
67. मोहम्मद यासीन, "ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया" पृष्ठ 56
68. मोहम्मद यासीन, "ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया" पृष्ठ 56–57
69. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 276
70. मोहम्मद यासीन, "ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया" पृष्ठ 57

विवाह सम्बन्धी प्रक्रिया व रस्मों के विस्तृत विवरण के लिए देखिए अब्दुल हलीम. "शरर" गुजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 276–87 तथा मुहम्मद यासीन, "ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक, पृष्ठ 57–59. का तुलनात्मक अध्ययन।

71. मोहम्मद यासीन, "ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया" पृष्ठ 50
72. मोहम्मद यासीन, "ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया" पृष्ठ 59
73. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 289,92
74. मृत्यु के तीसरे दिन होने वाला संस्कार
75. अब्दुल हलीम, "शरर" गजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 292
76. मोहम्मद यासीन, "ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया" पृष्ठ 60
77. पी0 एन0 चोपड़ा, पुरी, दास, "भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास", वाल्यूम पृष्ठ 30 के0 एम0 असरफ "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान" (हिन्दी अनुवाद के0 एस0 लाल) पृष्ठ 182.
78. पी0 एन0 चोपड़ा, पुरी, दास, "भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास", वाल्यूम 11 पृष्ठ 30
79. मलिक मुहम्मद जायसी "पदमावत" (अनुवाद) पृष्ठ 26, 118
80. के0 एम0 असरफ, "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान" पृष्ठ 183
81. पी0 एन0 चोपड़ा दासपुरी, "भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास", वाल्यूम 11 पृष्ठ 31.

82. पी0 एन0 चोपड़ा, "भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास" वाल्यूम 11 पृष्ठ 32-33.

83. लाल खंड्क बहादुर मल्ल, विश्वेम वंश वाटिका (हिन्दी) पृष्ठ 64

84. पी0 एन0 चोपड़ा दासपुरी, "भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास," वाल्यूम 11 पृष्ठ 34

85. पी0 एन0 चोपड़ा दासपुरी, "भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास," वाल्यूम 11 पृष्ठ 35–36

86. जान डिलाएट, "दि इम्पायर आफ दि ग्रेट मुगल" (अंग्रेजी अनुवाद जे0 एस0 होथ लैण्ड सम्पादित एस0 एन0 बनर्जी बम्बई 1928) पृष्ठ 91

87. ह्यूजस, "डिक्शनरी आफ इस्लाम," आर्टिकिल सैल्यूवेशन अब्दुल हलीम "शरर" गुजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 260–63

88. अब्दुल हलीम, "शरर" गुजिश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 261

89. मोहम्मद यासीन, "ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया" पृष्ठ 61

90. मोहम्मद यासीन, "ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया" पृष्ठ 61–62

91. मोहम्मद यासीन, "ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया" पृष्ठ 61-62

92. के0 एम0 अशरफ, "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान" पृष्ट 278

93. पी0 एन0 चोपड़ा दासपुरी, "भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास" वाल्यूम 11 पृष्ठ 39–40

94. कर्बला में, जो ईराक में स्थित है। मुआनिया के पुत्र खलीफा यजीद की सेनाओं ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके बेहतर सम्बन्धियों को हिजरी 61

में मुहर्रम की दसवीं तारीख की शहीद कर दिया था। हज़रत इमाम हुसैन हजरत अली (जिन्हें सुन्नी मुसलमान अपना चौंथा खलीफा मानते हैं) के दूसरे पुत्र तथा मुहम्मद साहब के नवासे (लड़की के पुत्र) थे। "हित्ती, हिस्ट्री आफ दि अखस" (1949) पृष्ठ 190.

95. ताजिये हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ शहीद होने वालों के प्रतिमा मकबरे होते हैं। मातमी मजिलिसों में कर्बला की घटनाओं का दुख के साथ वर्णन किया जाता है। "मजलिस" के पूर्ण विवरण देत देखिए– अब्दुल हलीम, "शरर" गज़िश्ता लखनऊ" (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २९५-९९ अली आब्जर्वेशन आन दि मुसलमान्स" (सम्पादित ब्रुक) पृष्ठ 17, 54

96. मोहम्मद यासीन, "ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया पृष्ठ 50–51

97. मोहम्मद यासीन–ए–सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया, पृष्ठ 51, शबबारात रमजान के महीने में मनाये जाने वाले लैलब–उल–कद्र या शबे कद्र (शक्ति की रात) से भिन्न है। जिसकी वास्तविक तिथि केवल पैगम्बर मुहम्मद साहब और उनके साथियों को मालूम थी। देखिए–जाफर शरीफ–कानून–ए–इस्लाम (सम्पादित क्रुक) पृष्ठ 203

98. के0 एम0 अशरफ "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान" (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 249–501

99. ईद–उल–फितर को ईद–उल–कबीर भी कहा जाता है।

100. पी0 एन0 चोपड़ा, "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज," पृष्ठ 103

101. ईद–उल–फितर को ईद–उस–सगीर भी कहा जाता है।

102. मोहम्मद यासीन, "ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया पृष्ठ 47–48 पी0 एन0 चोपड़ा, "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज," पृष्ठ 105–106

103. विस्तृत विवरण के लिए मोहम्मद यासीन, "ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया पृष्ठ 54

104. पी0 एन0 चोपड़ा, "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज," पृष्ठ 106

105. अबुल फजल अल्लामी–आईन–ए–अकबरी (जैरेट एवं सरकार अंग्रेजी अनुवाद) वाल्यूम 111 पृष्ठ 353.

106. रामचन्द्र शुक्ल मलिक मोहम्मद जायसी–ग्रन्थावली पृष्ठ 10–12

107. मलिक मोहम्मद जायसी–पदमावत् उद्धत के0 एम0 अशरफ लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान, हिन्दी अनुवाद पृष्ठ 246

108. अबुल फजल ने शिवरात्रि पर्व को फाल्गुन माह के चौदहवीं तिथि को बतलाया है। आईन–ए–अकबरी (नैरेट एवं सरकार कृत अंग्रेजी अनुवाद) वाल्यूम 111 पृष्ठ 354, के0 एम0 अशरफ के अनुसार माद्य की 29 वीं तिथि को शिवरात्रि पर्व होता है। लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान पृष्ठ 246 कुछ हिन्दी कैलेण्डर के शब्द कोषों में शिवरात्रि की तिथि माद्य माह के कृष्ण पक्ष के चौदवीं तिथि को पड़ता था।

109. मलिक मुहम्मद जायसी– पदमावत, पृष्ठ 417–27 के एम0 अशरफ ने इस विवरण की वसंत पंचमी के एक विशिष्ट उत्सव का वर्णन माना है। देखिए–लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 247 पाद टिप्पणी संख्या 3, किन्तु यह विवरण शिवरात्रि के अवसर पर युवतियां करती हैं

110. पंडित चन्द्रबली पाण्डेय–तुलसीदास, पृष्ठ 334–35, अबुल रूफजल ने इसे शूद्रों का त्यौहार माना है। देखिए–आईन–ए–अकबरी (जैरेट एवंसरकार कृत (अंग्रेजी में अनुवाद) वाल्यूम 11, पृष्ठ 353–54 के0 एम0 असरफ ने

भी होली का शूद्रों या निम्न वर्गीय हिन्दूओं के लिए आर्थिक महत्वपूर्ण त्यौहार माना है। देखिए–लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दी पीपुल आफ हिन्दुस्तान (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 246 किन्तु यह त्यौहार सभी वर्ग के लोगों के दारा बड़ा उल्लास के साथ मनाया जाता था। अवध में होली के मनाये जाने का भी आईन–ए–अकबरी जैरेट एवं सरकार कृत (अंग्रेजी अनुवाद) वाल्यूम 11 पृष्ठ 183.

111. पी0 एन0 ओझा, सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 80

112. अबुल फजल – आईन–ए–अकबरी (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट व सरकार) वाल्यूम 111, पृष्ठ 351 के0 एम0 अशरफ लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 247–48 पी0 एन0 चोपड़ा, सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज, पृष्ठ 96–97

113. अबुल फजल – आईन–ए–अकबरी (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट व सरकार) वाल्यूम 111, पृष्ठ 350 पी0 एन0 ओझा सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 81

114. पी0 एन0 चोपड़ा दासपुरी, "भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास" वाल्यूम 11 पृष्ठ 65

115. अबुल फजल – आईन–ए–अकबरी (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट व सरकार) वाल्यूम 111, पृष्ठ 351 के0 एम0 अशरफ के अनुसार दशहरा क्षत्रियों और कृषक वर्गों में बहुत लोकप्रिय था देखिए–लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 247

116. पी0 एन0 चोपड़ा, "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज," पृष्ठ 97

के0 एम0 अशरफ लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 247

117. तुलसीदास–कवितावली (सम्पादित लाल भगवान दीन) उत्तर काण्ड पृष्ठ 238 अबुल फ़ज़ल आईन–ए–अकबरी (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट व सरकार) वाल्यूम 111, पृष्ठ 353

118. के0 एम0 अशरफ लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 247

119. पी0 एन0 चोपड़ा "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज," पृष्ठ 98

120. पी0 एन0 ओझा, सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 82 "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज," पृष्ठ 99–100

121. पी0 एन0 चोपड़ा "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज," पृष्ठ 99–100

122. अबुल फजल – आईन–ए–अकबरी (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट व सरकार) वाल्यूम 11, पृष्ठ 182

123. अबुल फजल – आईन–ए–अकबरी (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट व सरकार) वाल्यूम 11, पृष्ठ 183

124. अबुल फजल – आईन–ए–अकबरी (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट व सरकार) वाल्यूम 11, पृष्ठ 184

125. अबुल फजल – आईन–ए–अकबरी (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट व सरकार) वाल्यूम 11, पृष्ठ 184

126. अबुल फजल – आईन–ए–अकबरी (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट व सरकार) वाल्यूम 11, पृष्ठ 184

127. एम0 मुजीब दि इण्डियन मुस्लिम पृष्ठ 171 की बाद टिप्पणी।

128. स्ली मैन इन अवध, पृष्ठ 69, 288

129. आईन–ए–अकबरी (जैरेट व सरकार) वाल्यूम 11, पृष्ठ 182–83.

130. के0 एम0 अशरफ लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान (हिन्दी अनुवाद के0 एस0 लाल 1969) पृष्ठ 229.

131. नागेश्वर प्रसाद सिंह तमी, "नाग कौशलोसरः प्रथम खण्ड, गोरखपुर के श्री नेत राजा बसन्त सिंह से सम्बन्धित विवरण" पी0 एन0 चोपड़ा, "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज" पृष्ठ 68 मछली के शिकार हेतु देखिए पृष्ठ 71–72

132– अब्दुल हलीम, "शरर" "गुज़िश्ता लखनऊ" (हिन्दी अनुवाद) पृ0 132
विलियम फास्टर, "अर्ली ट्रेवेल्स इन इण्डिया" पृष्ठ 312

133. अब्दुल हलीम, "शरर" "गुज़िश्ता लखनऊ" (हिन्दी अनुवाद) पृ0 141 एन0 मनूक्की स्टोरिया–डी–भगोर, वाल्यूम 1, पृष्ठ 65 वाल्यूम 11, पृष्ठ 467

134. पी0 एन0 ओझा, सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 70

135. अब्दुल हलील, "शरर" वही पृष्ठ 121

136. अब्दुल हलील, "शरर" वही पृष्ठ 121

137. ए0 एल0 श्रीवास्तव शुजाउद्दौला, वाल्यूम 11 पृष्ठ 327

138. मलिक मुहम्मद जायसी, 'पदमावत' चतुर्थ सर्ग दोहा संस्था, 63 (चिरगांव झांसी 11 संकरण 2018) पृष्ठ 73.

139. मलिक मुहम्मद जायसी, 'पदमावत' 'अखरावट' (संकलित जायसी ग्रन्थ

सम्पादित राचनद्र शुक्ल पांचवा संस्करण, 2008), पृष्ठ–319

140. पी0 एन0 चोपड़ा पूरी दास, "भारत का सामाजिक सांस्कृतिक ओर आर्थिक इतिहास, द्वितीय खण्ड पृष्ठ – 62

141. "पी0 एन0 चोपड़ा, "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज," पृष्ठ 58

142. मलिक मुहम्मद जायसी "पदमावत" (कलकत्ता संस्करण 1896) पृष्ठ 257

143. एन मनूक्की, "स्टोरिया–डी–मेणोद "वाल्यूम 11 पृष्ठ 460

144. ए0 एल0 श्रीवास्तव, "शुजाउद्दौला वाल्यूम 11 पृष्ठ 328

145. पी0 एन0 चोपड़ा पूरी दास, "भारत का सामाजिक सांस्कृतिक ओर आर्थिक इतिहास, द्वितीय खण्ड पृष्ठ – 61

146. अबुल फजल, आईन–ए–अकबरी, वाल्यूम 1, (अंग्रेजी अनुवाद–ब्लोक मैन) पृष्ठ 315

147. के0 एम0 अशरफ, "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान" (हिन्दी अनुवाद के0 एस0 लाल) पृष्ठ 243

148. मलिक मुहम्मद जायसी, "पदमावत " (द्वितीय संस्करण 1896) पृष्ठ 365

149. के0 एम0 अशरफ, "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान" (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 244, पी0 एन0 चोपड़ा, "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज" पृष्ठ 61

150. ए0 एल0 श्रीवास्तव शुजाउद्दौला वाल्यूम 11 पृष्ठ 328

151. अबुल फजल, आईन–ए–अकबरी, वाल्यूम 1, (अंग्रेजी अनुवाद–ब्लोक मैन) पृष्ठ 319

152. पी0 एन0 चोपड़ा, वी0 एन0 पुरी, एम0 एन0 दास, "भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास" द्वितीय खण्ड पृष्ठ 61

153. के0 एम0 अशरफ, "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान" (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 244, पी0 एन0 ओझा सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 60

154. तुलसी दासी जी, पार्वती मंगल संकलित सद्गुरु शरण अवस्थी तुलसी के चार दल "खण्ड 2 पृष्ठ 152 लाल भगवान दीन द्वारा सम्पादित" कवितावली पृष्ठ 13

155. पी0 एन0 ओझा सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 61–62

156. लखनऊ में अमीरों के यहां बैठकों की परम्परा विद्यमान थी विवरण हेतु देखिए अब्दुल हलीम, "शरर" गुज़िश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 258–59

157. अब्दुल हलीम, "शरर" "गुज़िश्ता लखनऊ" (हिन्दी अनुवाद) पृ0 2 71-72

158. के0 एम0 अशरफ, "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान" (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 254, पी0 एन0 चोपड़ा "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज" पृष्ठ 77 अब्दुल हलीम "शरर" "गुज़िश्ता लखनऊ" (हिन्दी अनुवाद) पृ0 160–61

159. के0 एम0 अशरफ, "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान" (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 254, पी0 एन0 ओझा सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 85–86.

160. के0 एम0 अशरफ, "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान"

(हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 254

161. तुलसी दास जी, "कवितावली" (सम्पादित लाल भगवानदीन इलाहाबाद) चतुर्थ संस्करण उत्तरकाण्ड, पृष्ठ 112 अब्दुल हलीम "शरर" "गुज़िश्ता लखनऊ" (हिन्दी अनुवाद) पृ0 282 मोहम्मद यासीन ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया पृष्ठ 59.

162. अबुल हलीम, "शरर" गुज़िश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 82

163. अबुल हलीम, "शरर" गुज़िश्ता लखनऊ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 163

164. तुलसी दास जी, "रामचरित मानस"(गीता प्रेस पृष्ठ संस्करण पृश्ठ 294

165. मलिक मुहम्मद जायसी, "पदमावत्" पृष्ठ 59

166. अबुल फजल – आईन–ए–अकबरी (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट व सरकार) वाल्यूम 111, पृष्ठ 272

167. तुलसी दास जी, "रामचरित मानस"(गीता प्रेस षष्टम् संस्करण बालकाण्ड) पृष्ठ 279 पी0 एन0 ओझा सम ऐसपेक्ट्रस आफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1556–1707) पृष्ठ 87–88

168. के0 एम0 अशरफ, "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान" (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 255

169. के0 एम0 अशरफ "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान" (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 255

170. अब्दुल हलील, "शरर" वही पूर्वोदित पृष्ठ 74

171. अब्दुल हलील, "शरर" पूर्वोदित पृष्ठ 92–93

तृतीय अध्याय

हिन्दू-मुस्लिम शिक्षा, शिक्षा-केन्द्र, शिक्षा-पद्धति, नारियों की दशा

तृतीय अध्याय

हिन्दू-मुस्लिम शिक्षा केन्द्र, शिक्षा पद्धति, नारियों की दशा

शिक्षा :–

मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसी कारण प्रायः सभी धर्मों के शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इस्लाम धर्म के अनुसार तो शिक्षा, जीवन के लिए परमावश्यक है। और ज्ञानी व्यक्ति को ही ईश्वर का सच्चा उपासक एवं पूजक माना जाता है। पैगम्बर साहेब ने स्वयं ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अपने अनुयायियों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया।[1] इस कारण स्थाय के आगमन के फलस्वरुप देश में शिक्षा की महत्ता को बल मिला हैं। मुस्लिम शासकों में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष रुप से ध्यान दिया हैं। सल्तनत काल में शिक्षा की देख–रेख का दायित्व "रौद्र" को सौंपा गया, जिसे "शेख" उल–इस्लाम" भी कहा जाता था। मुगल शासक भी शिक्षा के महान संरक्षक थे।[2] उनके उदारवादी दृष्टिकोण के फलस्वरुप हिन्दू शिक्षा का भी अत्यधिक प्रसार हुआ।

मुस्लिम शिक्षा :—

मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा के क्षेत्र में सूबा अवध का महत्वपूर्ण स्थान था।[3] उत्तरी भारत में सूबा अवध शिक्षा एवं साहित्य के महत्वपूर्ण केन्द्र में से एक था। यह "पूरब" के नाम से प्रसिद्ध भू–भागों का एक हिस्सा था, जिसके सम्बन्ध में सम्राट शाहजहां की टिप्पणी थी कि "पूरब, हमारे राज्य के शीराज के सदृश्य है।"[4] मुगल काल में सूबा अवध मदरसों एवं कालेजों से जटिल उच्च शिक्षा का केन्द्र था। जहां ख्याति प्राप्त विद्यार्थी आते थे। ये मदरसे एवं उच्च शिक्षा के केन्द्र केवल लखनऊ[5] फैजाबाद, दरियाबाद, खैराबाद, गोरखपुर व बहराइच आदि जैसे बड़े एवं प्रमुख नगरों में ही स्थित नहीं थे। अपितु देवा, रुदौली, सिहाली, सलोन, बिलग्राम, अमेठी, काकोरी, गोपामऊ और जायस[6] जैसे छोटे कस्बों में भी स्थापित एवं विकसित हुए। इनके माध्यम से उच्च कोटि के उलमाओं ने अपनी विद्वता के द्वारा सूबा अवध के अन्तवर्ती भू–भागों में ही नहीं अपितु देश के अन्य भागों में एवं विदेशों में ज्ञान की किरणें बिटोरने का कार्य किया। गुलाम अली आजाद बिलग्रामीण के इस कथन में सत्यता है। कि सूबा अवध के सम्पूर्ण भू–भाग एवं सूबा इलाहाबाद के विस्तृत भू–भाग की एक प्रमुख विशेषतया यह थी कि इसके पात्र से दश मील की प्रत्येक दूरी पर कुलीनों एवं विद्वानों की बस्तियां आबाद थी जिन्हें बादशाहों एवं अमीरों से नकद भत्ते व मदद–ए–मास भूमि प्राप्त थी।[7] इन्हीं लोगों का प्रमुख दायित्व गरिजयों, मदरसों, खानकाहों, आदि का निर्माण करना होता था जिसमें मौलाना मन्दुरा सलाम, मुल्ला अली कुली, काजी मुबारक, मौलाना फज़ल हक़ और सिंघली के मुल्ला निज़ामुद्दीन जैसे प्रसिद्ध विद्वानों एवं शिक्षकों ने ज्ञान का दीप जला रखा थां इन लोगों ने ज्ञान की खोज में एक से

दूसरे नगर में भटकने वाले विद्यार्थियों को दिशा निर्देश एवं ज्ञान प्रदान किया।

मुस्लिम शिक्षा पद्धति :–

मुस्लिम शिक्षा पद्धति सूबा अवध में भी देश के अन्य भागों के सामान थी। मुस्लिमों की प्राथमिक शिक्ष मकतब में होती थी।[8] ए "मकतब" सामान्यतः मस्जिदों से संलग्न होते थे किन्तु कभी–कभी निजी मकानों में भी होते थे। धनी वर्ग के लोग अपना बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अलग से अध्यापकों की नियुक्ति करते थे। किन्तु जनसाधारण वर्ग के बच्चे "मकतब" में ही शिक्षा पाते थे इसके अतिरिक्त खानकाह और दरगाह में भी प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती थी।

मुस्लिम लड़कों की प्रारम्भिक शिक्षा पांच वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व ही प्रारम्भ हो जाती थी। जब बच्चा चार वर्ष चार माह चार दिन का होता था तो सामान्यतया "खतना" के बाद ही "बिसमिल्लाह" या मकतब समारोह सम्पन्न किया जाता था।[10] "मकतब" में बच्चे के प्रवेश के लिए शुभ घड़ी निश्चित करने हेतु ज्योतिषी (मजूमी) से सदैव सलाह ली जाती थी।[11] मकतबों में शिक्षण की पद्धति अत्यधिक सरल थी। प्रारम्भ में बच्चे को "कलमा" याद करवाया जाता था। लिखना एवं साधारण गणित सिखाया जाता था। मुगल सम्राट अकबर ने मकतबों में शिक्षण की वैज्ञानिक पद्धति लगाकी। अबुल फजल ने आईन–ए–अकबरी में इस वैज्ञानिक पद्धति का वर्णन करते हुए लिखा है कि "साधारणतया" प्रत्येक देश में ओर विशेषकर हिन्दुस्तान में लड़के कई वर्षों तक स्कूलों में रख जाते हैं। और वहां के वे स्वर और व्यंजन सीखते हैं। विद्यार्थियों के जीवन का बहुत बड़ा भाग और व्यंजन सीखते हैं। विद्यार्थियों के जीवन का बहुत बड़ा भाग अनेक पुस्तकों को

पढ़ने में नष्ट हो जाता है। महाराज की आशा है कि विद्यार्थियों की पहले वर्णमाला के अक्षरों का लिखना सिखाया जाय और इस बात की चेष्टा की जाय कि उनकी विभिन्न आकृतियों से परिचित हो जाय। लड़के आरम्भी में प्रत्येक अक्षर की केवल आकृति से परिचित हो जाय। लड़के आरम्भ में प्रत्येक अक्षर की केवल आकृति तथा नाम याद करें और दोनों में सब अक्षरों को समाप्त करके संयुक्ताक्षरों को पढ़ना और लिखना सीखे। एक सप्ताह तक इनका अभ्यास किया जा सकता है। तत्पश्चात् विद्यार्थी कुछ गद्य तथा पद्य कंठाग्र करना चाहिए फिर उसे ईश्वर गुणगान में लिखे हुए कुछ पद्य अथवा नीति के वाक्यों को मुखस्थ करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाय कि विद्यार्थी प्रत्येक वस्तु की स्वयं समझना सीखे परन्तु शिक्षक उसकी थोड़ी सहायता कर सकता हैं तत्पश्चात कुछ समय तक वह कोई पद अथवा उसके अर्थात को लिखने का अभ्यास करें। शिघ्र ही वह शीघ्रता से लिखने शिक्षक पर पांच वस्तुओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्षरों का ज्ञान, शब्दों के अर्थ, पद्य का अर्धांश (मिश्र) पद्य (शेर) और पूर्व पाठ यदि वह अध्ययन प्रणाली ग्रहण की जाय तो बालक एक मास में अथवा एक दिन में भी उतना सीख लेगा जितना अन्य बालक वर्षों में सीखते हें पीर लोग चकित हो जायेंगे।[12]

मुगल काल में उच्च शिक्षा "मदरसों" में दी जाती थी जहां विद्यार्थी "मकतब" को शिक्षा पूरी करने के बाद जाते थे। उच्च शिक्षा को दो वर्गों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत धार्मिक शिक्षा थी। जिसमें "कुरान" "हदीस" इस्लामी कानून तथा सूफी वाद के सिद्धान्तों का अध्ययन सम्मिलित था। धार्मिक शिक्षा पर विशेष रुप से बल दिया जाता था। ताकि नव मुस्लिम को धर्मोपदेश दिया जा सके।[13] धार्मिक शिक्षा के अध्ययन की भाषा अरबी

थी उच्च शिक्षा के दूसरे वर्ग के अन्तर्गत धर्म निरपेक्ष शिक्षा थी। जिसमें अरबी भाषा के व्याकरण, गद्य, साहित्य तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र कानून, गणित, ज्योतिष, भूगोल, औषधि विज्ञान, कृषि एवं इतिहास आदि का अध्ययन सम्मिलित था।[14] धर्म निरपेक्ष शिक्षा के अध्यापन की भाषा फारसी थी।[15]

मुगल सम्राट अकबर और औरंगजेब ने उच्च शिक्षा में सुधार करने का प्रयास किया एवं उसके पाठयक्रम का व्यावहारिक जीवन की आवश्यकता के अनुकूल एवं अधिक लाभदायी बनाने का प्रयास किया।[16] अबुल फजल ने आईन–ए–अकबरी में अकबर बादशाह के इस प्रयास का विवरण देते हुए उसके आदेश का उल्लख किया है। अनुसार "महाराज की आज्ञा है कि प्रत्येक विद्यार्थी नीतिशास्त्र, अंकगणित अंकों का चिन्हों द्वारा चित्रण (सियाक), कृषि मेन्सूरेशन (अकलैदिस), ज्यामिति, ज्योतिष मुख सामुद्रिक, गृह विज्ञान शासन–प्रणाली चिकित्सा शास्त्र तर्कशास्त्र बिबली (तवोई), रियाजी इलाही, विज्ञान[17] तथा इतिहास का शनैः शनैः ज्ञान प्राप्त करें।[18] बदायूनी के अनुसार मुस्लिम संस्थाओं में अध्ययन के पाठ्यक्रम में सामान्यतया व्याकरण, अलंकार शास्त्र तर्कशास्त्र एवं दर्शन धर्मशास्त्र तत्व मीमांसा साहित्य तथा विधिशास्त्र सम्मिलित था।[19] इसके अतिरिक्त ज्योतिष, गणित एवं औषधि विज्ञान भी सम्मिलित थे।[20] औरंगजेब के समकालीन सिहाली के मुल्ला निजामुद्दीन ने मुगल काल में प्रचलित अरबी के पाठ्यक्रम के विस्तृत विवरण को दिया हैं। उसने दर्स–ए–निजामी के नाम से एक पाठ्यक्रम तैयार किया जो पहले से प्रचलित पाठ्यक्रम तैयार किया जो पहले से प्रचलित पाठ्यक्रम से मिलता–जुलता था। इस पाठ्यक्रम को पूरे देश में अपना लिया। इसमें ग्यारह विषय सम्मिलित थे। और प्रत्येक विषय के लिए अलग–अलग

पुस्तकें निश्चित कर दी गयी थी जो इस प्रकार से है।[21]

1. सर्फ (व्याकरण में कारकों में रुप चलाया और संधि–क्रिया) : मंशाइब सर्पे मीर पंजगण जुब्दा, फुसूल–अकबरी, शाफिया।
2. नहब (व्याकरण और पद्य–विन्यास) : नहब मीर, शरहे मआत्ता, अमील हिदायातून नह, काफिया, शहरे जामी।
3. मंतिक (तर्क शास्त्र) : सुष्टा, कुब्य, ईसागोजी, तहजीब शरह तहजीब कुत्बे मा मीर, सुल्लामुल उलूम।
4. हिकमत (दर्शनशास्त्र) : माथेबाजी, सद्रा शक्से बजागा।
5. रियासी (अभ्यास गणित) : खुलारात उल–हिसाब, तहरीरे उतिलदरा मकालाथे उला, तशरीहुल अफ्लाक, रिसालाये कौशाजिया, शरहे चगममानी बाबे औवल।
6. बलागत (अलंकार शास्त्र) : मुख्तसर मआनी, मुतव्वल, मआना, कुल्लू तक।
7. पिकाह (तर्कशास्त्र) : शरहे बकाया ओवलीन, हिदाया आखरीन।
8. ऊसूले फिकाह (न्याय शास्त्र के सिद्धान्त) : नुरुल अन्वार, तौदीहे तत्वीह, मुसल्लिमस सुबूत (मबदी–ए–कलमा)।
9. कलाम (अलिपिबद्ध भाष्य सम्बन्धी) : शरहे अकायदे नसफी , शरहे अकायदे जलाली मीर, जाहिद , शरहे, मवाफिक।
10. तफसीर (कुरान का अर्थ निरुपण) : जलालैन, बैजावी।

11. हदीस (हजरत मुहम्मद साहब के कथन) : मिश्कात अल्मास बीह।

मुगल काल (मदरसों) में प्रचलित फारसी पुस्तकों की विस्तृत सूची 1688 में लिखित खुलासत–उ–मकतीब[22] में उपलब्ध हैं। विभिन्न स्त्रोतों के आधार पर मुगलकाल में प्रचलित फारसी पुस्तकों की सूची इसी प्रकार से है।[23] :–

गद्य एवं संयोजन :–

1. रूक्कात–ए–अबुल फजल,
2. चन्द्रभान ब्राम्हण के खबूत (लेटर्स आफ चन्द्रभान ब्राम्हण)
3. मुल्ला मुनीर के खबूत (लेटर्स आफ मुल्ला मुनीर)
4. इंशा–ए–युसूफी
5. इंशा–ए–माधोराम
6. शेख इनायत उल्ला की हस्तलिपि (हैण्ड बुक आफ शेख इनायत उल्ला)
7. इंशा–ए–खलीफा
8. शेख मुहम्मद सर्लिह की बहार–ए–सुखन
9. खयालात–ए–नादिर
10. दस्तूर–उस–सिबयान
11. शैदा व मुल्ला तुगरा के खतूत (धार्मिक पत्र)

12. लालचन्द्र की कहानी

इतिहास :–

1. राजा हुसैन कृत ज़फरनामा–ए–कांगड़ा
2. अबुल फजल कृत अकबर नामा
3. इकबाल नामा–ए–जहांगीरी
4. शर्फुद्दीन अली यज्दी कृत ज़फरनामा
5. तारीख–ए–फिरोजशाही
6. रज्नामा (महाभारत का अनुवाद)

नीतिशास्त्र :–

1. अखलाक–ए–नासिरी
2. अखलाक–ए–जलाली
3. अखलाक–ए–मुहासिनी
4. शर्फुद्दीन मनीरी की कृतियां
5. नुज़हत–उल–अरब
6. मौलाना रब्य की मसनवी
7. सनाएं–हदीक़ा
8. मौलवी मानवी की मसनवी

"मदरसों" में अध्यापन की पद्धति आधुनिक काल के विश्वविद्यालयों के समान थी। यहां अध्यापक केवल व्याख्यान देता था जैसा कि "मदरसा" शब्द में निहित है।[24] उन सभी विद्यार्थियों पर जिन्हें अध्ययन के लिए अलग–अलग विषय एवं पाठ

13. फिरदौसी का शाहनामा

14. शेख नस्र–ए–जहूदी की कृति

पद्य :–

1. फिरदौसी का शाहनामा
2. अमीर खुसरों के पद्य–किरान–उस–सादैन, मतला–उल–अनवार, एजाज–ए–खुसरबी
3. निजामी की कृतियां–सिन्दरनामा, मखनान–उल–असरर, हफ्त–फैकार, शीरीन–खुसरों, लैला–मजनू
4. मुल्ला जामी की कृतियां–युसूफ–जुलैखा, तुहफत–ए–अहरार, नुजहत–उल अबरार
5. हफ़ीज खाकानी के दिवान, अनवरी, शम्स–ए–तबरीज, जाहिर–ए–फरायवी सादी व सालीह
6. बद्र–ए–चाच, उरफी व फैजी के कसीदे

उपन्यास कहानियाँ :–

1. नकशाबी का तुतीनामा
2. हुसैन बैज़ कशीफी का अनवार–ए–सुहाबी
3. शेख अबुल फजल, अयार–ए–दानिश
4. इनायतुल्ला हस ओर सेह नस् जहूरी का बहार–ए–दानिश

प्रदान किये जाते थे। व्यक्तिगत रुप से ध्यान दिया जाता था। इस अवधि में शिक्षण की दूसरी पद्धति स्वंग अध्ययन (स्वध्याय) की थी। अध्यापकों के निर्देशन में छात्र स्पग्र एकान्त में अध्ययन करते थे।[25]

"मदरसों" के अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता था। विद्यार्थियों व अपराध करने पर कठोर शारीरिक दण्ड दिया जाता था।[26] अनुशासन सदाचार और विनम्रता विद्यार्थियों के विशेष गुण समझे जाते थे।[27] इसका उल्लंघन करने पर उन्हें बेंत या कोड़े लगाने का दण्ड दिया जाता था। घूंसों से पिटा जाता था। कभी–कभी अपराधी विद्यार्थी को मुर्गा बनाने की भी सजा दी जाती थी।[28] इसके विपरीत योग्य एवं प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता था। उन्हें "सनद ओर तमगा" सत्र के अन्त में दिया जाता था। मदरसों से पढ़े हुए विद्यार्थियों को राज्य प्रशासन में ऊँचे पदों पर रखा जाता था।[29] राज्य में ये नियुक्तियां परीक्षकों की एक समिति द्वारा की जाती थी, जिन्हें शैक्षणिक जगत में उच्च स्थान प्राप्त थे।[30] ऐसे विद्यार्थियों का जिनका उच्च पदों के लिए चयन हो जाता था। उनके सिर पर "मदरसा" से शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद शैक्षणिक विशेषता की "सनद" दी जाती थी, जिसे "दस्तुरबन्दी कहते थे।"[32]

मदरसों में छात्रावास की भी सुविधा रहती थी। प्रायः इन छात्रावासों का धनी लोग बनवाते थे। इससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी। इन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों का किताब, कागज कलम, खाना कपड़ा एवं शयन करने के लिए दरी दी जाती थी। उनके दैनिक भोजन के साथ फल और मिठाई की भी व्यवस्था रहती थी।[33] इसके अतिरिक्त उन्हें वजीफें के तौर पर प्रति मास एक सोने का सिक्का भी दिया जाता था। वे छात्रावास प्रायः नगरों में स्थित मदरसों में ही होते थे।

औरंगजेब कालीन सूबा अवध में भी परीक्षा की कोई नियमित प्रणाली नही थी। अध्यापक अपने शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार अगली कक्षा में प्रवेश देता था।[34] शैक्षणिक विशिष्टता के प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार अलग–अलग दिया जाता था। जैसे तर्क और दर्शन शास्त्र में पारङ्गत विद्यार्थियों को "फाजिल" धर्मशास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर "आलिम" और साहित्य में ज्ञान प्राप्त करने पर "काबिल" की उपाधियां दी जाती थी।[35]

समकालीन कुछ उच्च कोटि के मुस्लिम शिक्षक :–

मुल्ला कुतुबुद्दीन शहीद सिहालवी[36] :–

मुल्ला कुतुबुद्दीन शहीद सिहालवी रुढ़िवादी एवं तार्किक दोनों विज्ञान के ज्ञाता थे। वह लखनऊ से लगे हुए सिहाली के शोखजादा थे। उनके पूर्वज मौलवी अलाउद्दीन, पैगम्बर मुहम्मद के एक अबु अय्यूब अंसार के वंशजों में से एक थे और सल्तनत काल में दिल्ली के निकट आकर बस गये थे।[37] उनके पुत्र मौलवी निजामुद्दीन सिहाली में आकर बस गये।[38] सिहाली के अंसारियों ने

धार्मिक एवं न्यायिक दरों के साथ ही जमींदारी अधिकार भी प्रापत कर लिया और वे शेखज़ादों की दूसरी शाखा उस्मानी लोगों के साथ सहभागी जमींदार बन गये।[39] अफगानों के शासन काल में मौलवी निजामुद्दीन के प्रपोत्र शेष हफीज ने 2600 बीघा की भूमि अनुदान प्राप्त किया। जिसे 1559 ई0 में अकबर ने भी स्थायी कर दिया।[40] यह परिवार भूमि अनुदान की आमदनी से जीविका चलाते हुए शिक्षा के कार्य में लगा रहा। औरंगजेब के शासनकाल में शेख हफीज के प्रपौत्र मुल्ला कुतुबुद्दीन ने एक शिक्षक के रुप में अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। किन्तु उन्होंने जाकर मिलों से नम्रतापूर्वक इजकार कर दिया।[41] किन्तु उसके बदले में उन्होंने अपने सबसे बड़े लड़के मुल्ला असद को भेज दिया जिसे बुरहानपुर का सद्र नियुक्त किया गया। इससे मुल्ला कुतुबुद्दीन का प्रभाव पढ़ा किन्तु इससे स्थानीय जमींदारों में उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई और कुछ जमींदारी विवादों को लेकर मार्च 1692 ई0 में उन लोगों ने मुल्ला कुतुबुद्दीन के घर पर आक्रमण करके उन्हें मार डाला।[42]

मुल्ला कुतुबुद्दीन के चार पुत्रों को सम्राट औरंगजेब ने लखनऊ में निवास करने के लिए हवेली फिरंगी प्रदान की।[43] जिसके फलस्वरुप सह परिवार फिरंगी महल के परिवार के रुप में प्रसिद्ध हुआ। फिरंगी महल का मदरसा इसी परिवार की देने हैं जो सदाचार की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था।[44] मुल्ला कुतुबुद्दीन के चार पुत्रों में से तीसरे पुत्र मुल्ला निजामुद्दीन का इस कार्य में सबसे बड़ा योगदान था। उसने मदरसों के पाठ्यक्रम को पुर्नगठित करने का कार्य किया उसके द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम "दर्स–ए–निजामी" के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो पूरे

देश में लागू हुआ।[45]

मुल्ला कुतुबुद्दीन शेख मही बुल्ला इलाहाबादी के प्रमुख संत शिष्य काजी गौसी के शिष्य थे। उन्होंने मुंल्ला अब्दुल सलाम रेवा के शिष्य मुल्ला शेख दानियाल के द्वारा शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने आजीवन अध्यापन का कार्य किया। उस समय के बहुत प्रसिद्ध उलमा उनके शिष्य थे। उनके एक प्रमुख एक मौलवी सैय्यद कुतुबुद्दीन शम्सवादी था जो अवध में स्थित अमेठी के रहने वाले थे, किन्तु सरकार कन्नौज के शम्साबाद में बस गये थे।[46] हफीज अमानुल्लाह बनारसी लखनऊ सद्र नियुक्त किये गये थे। जबकि उस समय काजी के पद पर काजी मुहीबुल्ला आसीन थे।[47] लखनऊ के शेख गुलाम नक्शबन्धी सरकार जौनपुर के कस्बा घोसी के रहने वाले थे। वह मीर मोहम्मद के शिष्य थे। तथा सम्राट औरंगजेब व बहादुरशाह के समकालीन थे।

हिन्दू शिक्षा :–

औरंगजेब कालीन सूबा अवध में मुस्लिम शिक्षा के साथ–साथ हिन्दू शिक्षा को भी काफी बल मिला। अकबर और जहांगीर द्वारा प्रबुद्ध नीति अपनाए जाने के कारण हिन्दू शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार बहुत ही सन्तोषजनक था।[48] मुगल काल में हिन्दू–शिक्षा पद्धति में प्राचीन भारत की पद्धति ही लगभग समविष्ट थी। प्राथमिक विद्यालय (पाठशाला) मंदिरों के साथ संलग्न होते थे, जहां प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती थी। गांवों में जब फसल तैयार होती थी। तो उसी के अनुदान से इन विद्यालयों की व्यवस्था होती थी। पाठशाला में कुछ प्राथमिक शिक्षा के साथ ही लिखने–पढ़ने और गणित की भी दी जाती थी। लेकिन वेदों उपनिषदों

की तरह कोई निश्चित धर्म ग्रन्थ नहीं पढ़ाया जाता था। शिक्षा की ऐसी स्थिति होने के कारण हिन्दू बालक एवं बालिकाएं और तरुण बहुत हद तक कठोर धार्मिक नियन्त्रण से युक्त थे। इसलिए स्वाभाविक रुप से हिन्दुओं का जीवन के प्रति दृष्टिकोण मुसलमानों की उपेक्षा अधिक उदार था। विद्यालय तथा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के केन्द्र होते थे। जो अनुदान तथा धर्मदान से चलाए जाते थें ऐसी संस्थाएं वैसे महत्वपूर्ण स्थानों स्थापित किए गये थे जहां सवर्ण हिन्दुओं की अच्छी आबादी थी। और इनमें पंड़ित लोग संस्कृत के माध्यम से व्याकरण था तर्क शास्त्र की शिक्षा देते थे।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्र संस्कृत भाषा और साहित्य वेद पुराण, दर्शन शास्त्र, आयुर्विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, खगोल विद्या आदि का अध्ययन करते थे। मुगल सम्राट अकबर ने हिन्दी भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया था। अकबर ने खगोल विद्या के साथ गणित को अनिवार्य विषय बना दिया था। विशेषकर हिन्दू गणित में बहुत निपुण होते थे। गणित के कठिन प्रश्नों का समाध ाान बड़ी निपुणता के साथ मौखिक रुप से ही कर लेते थे। ब्राम्हण खगोल विद्या में बड़े कुशल थे, वे सूर्य ग्रहण या चन्द्र ग्रहण के सही समय का अनुमान लगा देते थे। वे मौसम विज्ञान के आधार पर तूफान आने और वर्षा होने के समय का पूर्वानुमान कर लेते थे।

विद्यार्थी विद्यार्जन के लिए किसी भी कुशल शिक्षक के पास जाते थे। हिन्दू अपने बच्चे को नियमित शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपनयन संस्कार किया करते थे।[49] सामान्यतः एक हिन्दू बालक को पांच वर्ष की उम्र में पहला पाठ पढ़ाए

जाने की पद्धति प्रचलित थीं यह शुभ कार्य घर में पिता के द्वारा पाठशाला में गुरु के हाथों सम्पन्न होता था। इस कार्य के लिए शुभ तिथि ज्योतिष के आध ाार पर निश्चित किया जाता था। जसे ब्राम्हण सम्पन्न करता था।

हिन्दू शिक्षा मूलतः धर्म निरपेक्ष थी इसका मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण व्यक्तित्व का प्राचीन संस्कृति की रक्षा सामाजिक और धार्मिक कर्त्तव्यों के पालन के लए प्रशिक्षण देना था। प्रत्येक छात्र ब्रम्हचर्य पालन कर सदा जीवन व्यतीत करता था। इसके अतिरिक्त अनुशासन सयंम और स्वावलंबन पर विशेष बल दिया जाता था।

शिक्षा के माध्यम मौखिक था। प्रारम्भिक गणित में गिनती पहाड़ा, गुणा, भाग तथा बाकी अनिवार्य रुप से सभी को सिखाये जाते थे। अभ्यास पुस्तिका जैसी कोई वस्तु नहीं होती थी। छात्र सर्वप्रथम लकड़ी पर लिखकर अभ्यास करते थे। तत्पश्चात् बांस या मरकट की कूची से तालपत्रों पर लिखना बताया जाता था।[50] शिक्षण व्यवस्था में कक्षाएं प्रातः काल से सायं तक चलती थी। शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। ज्ञानदान के फलस्वरुप शिक्षकों की अमीरों, व्यापारियों तथा रईसों द्वारा पर्याप्त सहायता मिलती थी।

शिक्षक का उत्तरदायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं था, बल्कि छात्र का सर्वांगीण सन्तुलित विकास करना भी था। इस ऋण के बदले छात्र गुरु के प्रति श्रद्धावनत् रहते थे। स्नातक के लिए शिक्षा की अवधि साधारणतया दस से बारह वर्षों तक की होती थी। आचार्यत्व प्राप्त करने के लिए अच्छे विद्वानों के सानिध्य में रहकर कुछ वर्ष अध्ययन करना पड़ता था। शैक्षणिक काल में उद्ण्ड छात्रों का

शिक्षक द्वारा ही शारीरिक दण्ड दिये जाते थे। आधुनिक काल की भाँति मुगलकाल में भी यह माना जाता था। कि दण्ड न देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। अधिक शैतानी करने वाले छात्र को कष्ट दायक आसनों द्वारा दण्ड दिया जाता था। औरंगजेब कालीन में अवध में नियमित रुप से कोई वार्षिक परीक्षा नहीं होती थी, विद्यार्थियों को कोई लिखित उपाधि दी जाती थी। उपाधियों में महोपाध्याय, महामहोपाध्याय, पीयूषवर्ष और पक्षधर उल्लेखनीय था।

हिन्दू शिक्षा के मुख्य केन्द्र जिसे हम विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं। उन्हीं स्थानों पर स्थित थे जहां सुप्रसिद्ध विद्वानों का निवास था। इसके लिए हिन्दू लोग तीर्थ तथा अन्य पवित्र स्थानों को पसंद करते थे। क्योंकि वहां तीर्थ यात्रियों से विशेष सहायता प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती थी। ऐसे शिक्षा के केन्द्रों में अपने जीवन यापन की समस्या से निश्चित होकर वहां के शिक्षक विद्याध्ययन और अध्यापन में लीन रहते थे। मुगलकाल में अवध सूबा में हिन्दू शिक्षा का प्रमुख केन्द्र अयोध्या था जहां पर देश के कोने–कोने से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहां इकट्ठा होते थे।[51] इसके अतिरिक्त शिक्षक निजी संस्थाओं के द्वारा भी छात्रों को विशेष रुप से संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा हिन्दू दर्शन की शिक्षा देते थे।[52]

नारी शिक्षा :–

औरंगजेब सूबा अवध में महिलाओं के लिए अलग "मकतबों" और "मदरसों" का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता जिसमें केवल बालिकाओं को ही शिक्षा दी जा रही है। फिर भी इस समय में राजा और सामंत लोग अपने परिवार की महिलाओं को शिक्षा से वंचित नहीं करते थे। राजकीय और सामन्ती परिवार के

अलावा महज श्रेणी के लोग में थी बालिकाओं की शिक्षा का प्रचलन था। प्रायः बालिकाएं निजी घरों में ही शिक्षा ग्रहण करती थी। वृद्धा इन बालिकाओं को कुरान की आयतें, गुलिस्ता, बोस्ता और नैतिकता से सम्बन्धित पुस्तकें पढ़ाया करती थी।

स्त्रियों को विशेष कला और दस्तकारी सिखाने की भी व्यवस्था की जाती थी, इसके अलावा नृत्य गान, सिलाई, बुनाई, दस्तकारी आदि की भी कला का ज्ञान कराया जाता था।

मध्य वर्गीय नारियों की संस्कृत, फारसी, हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान रहता था, जिससे वे धर्म ग्रन्थों के पाठ में समर्थ होती थी। जिससे वे धर्म ग्रन्थों के पाठ में समर्थ होती थी। बालिकाओं का गणित के स्थान पर गृह कार्य सम्बन्धी जानकारी भी आवश्यक रुप में प्रदान की जाती थी।

मुगलकाल में पर्दा प्रथा प्रचलित होने के कारण स्त्रियों के शिक्षा का प्रसार न हो सका इसके बावजूद भी कुछ स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। स्त्री शिक्षा प्रायः परिवार की आर्थिक स्थिति ओर वर्ग के आधार पर ही निर्भर थी गांवों में स्त्रियों खेतों पर काम किया करती थी। इसलिए उनकी शिक्षित होना असम्भव था। इसके साथ ही साथ विधवा स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी ध्यान दिया जाता था। जिससे वे कही अध्यापन करके जीवन यापन कर सके।

इस प्रकार औरंगजेब में सूबा अवध हिन्दू एवं मुस्लिम शिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र था। मुस्लिम शिक्षा का केन्द्र केवल लखनऊ, फैजाबाद, दरियाबाद, खैराबाद, गोरखपुर, व बहराइच जैसे बड़े नगरों में ही नहीं अपितु देवा, रुदौली,

सिंहाली, सलोन, बिलग्राम, अमेठी, काकोरी, गोपामऊ, और जायस जैसे छोटे कस्बों में भी था। हिन्दू शिक्षा का प्रमुख केन्द्र अयोध्या था। हिन्दू तथा मुस्लिम शिक्षा पद्धति देश के अन्य भागों के सामान थी किन्तु इनके पाठ्यक्रमों को मुगलकाल में अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया, जिसका विशेष श्रेव्य सूबा अवध को ही है। लखनऊ में मदरसा फिर देसी महल के शिक्षक मुल्ला निजामुद्दीन ने दर्स–ए–निजामी नामक पाठ्यक्रम तैयार किया जिसे देश के अन्य भागों में भी स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम शिक्षा बिना किसी भेद–भाव के सभी मुसलमानों के लिए उपलब्ध थी, जबकि हिन्दू शिक्षा जाति–प्रथा का शिकार थी और वह केवल उच्च जातियों तक ही सीमित रही। सूबा अवध में शिक्षा की विकसित दशा को देखते हुए यह अनुमान लगाना अनुचित न होगा कि यहां का समाज अधिक शिक्षित एवं सुसभ्य था।

सन्दर्भ-सूची

1. अमीर अली स्पिरिट आफ स्लाम (लन्दन 1955) पृष्ठ 360 एफ0 ई0 कीप, ए हिस्ट्री आफ एजुकेशन इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान (कलकत्ता 1959), पृष्ठ 107, पी0 एल0 रावत, हिस्ट्री आफ इण्डियन एजुकेशन, (आगरा 1956) पृष्ठ 84–85

2. अकबर ने विद्वानों को सरकार की तरफ से वजीफे और जागीर दी। उसने सभी धार्मिक वर्गों के विद्वानों को प्रोत्साहन दिया। अबुल फजल की सलाह पर उसने शिक्षा के विस्तार के लिए पाठ्यक्रम एवं नियमावली बनायी, उसने परम्परागत शिक्षा प्रणाली में सुधार किया और इस सम्बन्ध में राजकीय आदेश निकाले। देखिए – आईन'–ए–अकबरी खण्ड 9–2 (हिन्दी अनुवाद हरिव्रश राय शर्मा) पृष्ठ 204–205 एडर्ड्स एण्ड गैरेट मुगल रुल इन इण्डिया पृष्ठ 226 जहांगीर ने अपने शासनकाल में यह आदेश दिया था कि यदि किसी धनी व्यक्ति या यात्री की मृत्यु हो जाय ओर उसका कोई उत्तराधिकारी न हो तो उसकी सम्पत्ति को राज्य सरकार लेले और उस धन को मदरसों के निर्माण और शिक्षा के विस्तार पर खर्च किया जाय। देखिए एन0 एन0 ला प्रमोशन आफ लर्निंग इन इण्डिया ड्यूरिंग मुहम्मडन रुल पृष्ठ ११ शाहजहाँ और औरंगजेब ने भी अपने शासन काल में शिक्षा के प्रसार की और विशेष ध्यान दिया और उन्होंने विद्वानों एवं छात्रों को संरक्षण एवं आर्थिक सुविधाऐं प्रदान की। उन्होंने नये मदरसों की भी स्थापना करवायी देखिए युसुफ हुसैन, मध्य युगीन भारतीय संस्कृति (एक झलक) पृष्ठ 81, मुगल सम्राटों के अतिरिक्त सूबों में शिक्ष के प्रसार में वहां के धनी व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहां देखिए युसूफ हुसैन मध्य युगीन भारतीय संस्कृति (एक झलक) पृष्ठ

73.

3. अब्दुल हलीमा, "शरर" लखनऊ दि लास्ट फेज आफ ऐन–ओरियन्टल कल्चर पृष्ठ 78
4. गुलाम अली आजाद बिलग्रामीण, "मआसिर–उल–भिराम" वाल्यूम 1, पृष्ठ 222, मकबुल समदानी, "हयात–ए–जलील" (इलाहाबाद) पृष्ठ 38
5. अबुल हस्मात नदबी हिन्दुस्तान में कदीम स्त्यायी दर्सग्राहों, पृष्ठ 36–38
6. ऐन इन्टलेक्चुअल हिस्ट्री आफ इस्लाम इन इण्डिया पृष्ठ 55
7. अब्दुल हस्तानी नदवी हिन्दुस्तान में कदमी इस्लामी दर्सगाहें पृष्ठ 58.
8. पी0 एन0 चोपड़ा, "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज पृष्ठ 134
9. एम0 ए0 जाफर, "एजुकेशन इन मुस्लिम इण्डिया" पृष्ठ 32
10. ए0 रशीद, सोसाइटी एज कल्चर इन मेडिवल इण्डिया पृष्ठ 150
11. पी0 एन0 चोपड़ा, बी0 एन0 पुरी, एम0 एन0 दास, भारत का सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक इतिहास", भाग–2 पृष्ठ 147
12. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी" ग्रन्थ 1–2 (हिन्दी अनुवाद हरिवंशराय शर्मा) पृष्ठ 204
13. पी0 एल0 रावत, हिस्ट्री आफ इण्डियन एजुकेशन पृष्ठ 94
14. एफ0 ई0 कीथ, ए हिस्ट्री आफ एजुकेशन इन इण्डिया पृष्ठ 119 पी0 एल0 रावत, हिस्ट्री आफ इण्डियन एजुकेशन पृष्ठ 94
15. अब्दुल हस्तनात नदवी हिन्दुस्तान में कदीम इस्लामी दसगाहें पृष्ठ 36 एम0 एच0 जिलानी, हिन्दुस्तान में मुसलमानों का निजाम–ए–तालीम– तरबियात," पृष्ठ 311

युसूफ हुसैन, "मध्य युगीन भारतीय संस्कृति" (एक झलक) हिन्दी पृष्ठ 35

16. युसूफ हुसैन, "मध्य युगीन भारतीय संस्कृति" (एक झलक) हिन्दी पृष्ठ 78

17. विज्ञान ये तीन भेद या प्रकार है तवई विज्ञान से तात्पर्य भौतिक विज्ञान है। रियाजी विज्ञान में परिणाम का अध्ययन होता है। जैसे गणित, ज्योतिष, संगीत, यन्त्रशास्त्र, इलाही विज्ञान से धर्म शास्त्र ओर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के साधनों का अध्ययन होता है।

18. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी," ग्रन्थ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 204–5

19. अब्दुल कादिर बदायूंनी, "मुन्तखब–उत–तवारीख," वाल्यूम 111 अंग्रेजी अनुवाद टी0 डब्ल्यू हेम पृष्ठ 216, 232

20. पी0 एन0 चोपड़ा, "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज," पृष्ठ 154

21. युसूफ हुसैन, मध्य युगीन भारतीय संस्कृति (एक झलक) पृष्ठ 84 आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, "अकबर दी ग्रेट" वाल्यूम 111 पृष्ठ 180

22. खुदा बक्श पुस्तकालय में सुरक्षित हस्तलिपि

23. पी0 एन0 चोपड़ा, "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज," एपेण्डिक्स ए पृष्ठ 172–73

24. "मदरसा" शब्द "दर्स" से बना है। जिसका तात्पर्य व्याख्यान, अथवा उपदेश है।

25. पी0 एल0 रावत, "हिस्ट्री आफ इण्डियन एजुकेशन," पृष्ठ 99

26. एस0 एम0 जाफरन, "सम कल्चर ऐसपेक्ट्रस आफ मुस्लिम रुल इन इण्डिया" पृष्ठ 81

27. एस0 एम0 जाफर, "सम कल्चर ऐस पेक्ट्रम ऑफ मुस्लिम रुलस इन

इण्डिया" पृष्ठ 80

28. एस0 एम0 जाफर, "एजुकेशन इन मुस्लिम इण्डिया" पृष्ठ 26

29. पी0 एल0 रावत, "हिस्ट्री आफस इण्डियन एजुकेशन" पृष्ठ 100

30. एस0 एम0 जाफर, "एजुकेशन इन मुस्लिम इण्डिया" पृष्ठ 4

31. एस0 एम0 जाफर, "एजुकेशन इन मुस्लिम इण्डिया" पृष्ठ 4

32. ए0 रशीद, "सोसाइटी एण्ड कल्चरस इन मेडिवल इण्डिया" पृष्ठ 153

33. पी0 एल0 रावत, "हिस्ट्री आफस इण्डियन एजुकेशन" पृष्ठ 104

34. ए0 रशीद, "सोसाइटी एण्ड कल्चरस इन मेडिवल इण्डिया" पृष्ठ 162
    युसूफ हुसैन ग्लिम्पसेस आफ मेडिवल इण्डियन कल्चर पृष्ठ 92

35. युसूफ हुसैन ग्लिम्पसेस आफ मेडिवल इण्डियन कल्चर पृष्ठ 92

36. अल्ताफुर्रहयान सिहालवी, "उलमा–फिरंगी महल" पृष्ठ 10

37. इनायतुल्लाह, "तजकिश–उलमा–ए–फिरंगी महल" (लखनऊ 1934) पृष्ठ 5–6

    मीर गुलाम अली आजाद दिलग्रापी, "मआसिर–उल–किराम" वाल्यूम 1 (आगरा 1910) पृष्ठ 209, बली उल्लास, "तारीख–ए–फर्रुखाबाद" अलीगढ़ हस्लिपि) पृ0 119 ए0

38. इनायतुल्लाह, "तजकिरा उलमा–ए–फिरंगी महल" पृष्ठ 5–6
    रहयान अली तजकिरा उलमा–ए–हिन्दी, पृष्ठ 167–69

39. मीर गुलाम अली आजाद बिलग्रामीण, "मआसिर–उल–किराम" वाल्यूम 1, पृष्ठ 209

40. फिरंगी महल अभिलेख संख्या 1 अब्दुल हुई "उमदत–उल–वसायल"

(अलीगढ़ हस्तलिपि) पृष्ठ 25

41. मुहम्मद असलम, "फहरात–उल–नाजीरिन" (अलीगढ़ हस्तलिपि) पृष्ठ 199वीं0 शिवली, "पकलात–ए–शिवली" वाल्यूम 111 पृष्ठ 107

42. मुफ्ती मुहम्मद दरजा अन्सारी, "वानी–ए–दस–निजामी" (लखनऊ– 1973), पृष्ठ 21–26

मीर गुलाम अली आजाद बिलग्रामी, "मआसिर–उल–किराय" वाल्यूम 1 पृष्ठ 209, शिवली, "मकलात–ए–शिवली" वाल्यूम 111 (आजमगढ़) पृष्ठ 108–9

43. फिरंगी महल अभिलेख संख्या 185

44. एफ0 ई0 कीथ, "हिस्ट्री आफ एजुकेशन इन इण्डिया" पृष्ठ 149

45. युसूफ हुसैन, "मध्यकालीन भारतीय संस्कृति" (एक झलक) पृष्ठ 84

46. मीर गुलाम अली आजाद बिलग्रामी "मआसिर–उल–किराय" वाल्यूम–उल–किराम, वाल्यूम 1 पृष्ठ 210

47. मीर गुलाम अली आजाद बिलग्रामी, "मआसिर–उल–किराम" वाल्यूम 1 पृष्ठ 211

48. अकबर ने अपने शासन काल में हिन्दू बालकों की अलग शिक्षा के लिए स्कूल खोल एस0 एम0 जाफर एजुकेशन इन मुस्लिम इण्डिया पृष्ठ 2 अकबर ने संस्कृत के अध्ययन में विद्यार्थियों को व्याकरण हिन्दू शिक्षा के (योगशस्त्र) का अध्ययन अनिवार्य करके हिन्दू शिक्षा पाठ्यक्रम को समीचीन बनाने का प्रयास देखिए अबुल फजल "आईन–ए–अकबरी" खण्ड 1–2 (हिन्दी अनुवाद) पृ० २०५.

49. पी0 एन0 चोपड़ा, "सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज" पृष्ठ 133

50. पी0 एन0 चोपड़ा, बी0 एन0 पुरी, एम0 एन0 दास "भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास" खण्ड–2 पृष्ठ 143

51. बर्नियर, "ट्रेवल्स इन दि मुगल इम्पायर" पृष्ठ 341 ए0 एल0 श्रीवास्तव मेडिवल इण्डियन कल्चर, पृष्ठ 110

52. के0 एल0 श्रीवास्तव, "एजुकेशनल डेवलपमेन्ट इन यू0 पी0 अण्डर दि मुगल्स" (गोरखपुर विश्वविद्यालय में इण्डियन काउंसिल आफ हिस्टारिकल रिसर्च द्वारा अयोजित सेमिनार में प्रस्तुत शोध) निबन्ध 8 से 10 दिसम्बर 1978) पृष्ठ 11.

चतुर्थ अध्याय

जमींदार, जमींदार का वर्गीकरण तथा उनके कार्य, जमींदार का कृषको के साथ सम्बन्ध

चतुर्थ अध्याय

जमींदार :- जमींदार का वर्गीकरण तथा उनके कार्य, जमींदार कृषकों के साथ सम्बन्ध

जमींदार समाज के विशिष्ट वर्ग का सदस्य था अतएव इसका सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान था। प्रस्तुत अध्याय में मुगलकाल में जमींदार शब्द का तात्पर्य, सूबा अवध के जमींदारों की श्रेणियों में उनके अधिकार एवं कर्त्तव्य, कृषि सम्बन्धी उत्पादन के अतिरिक्त भाग में जमींदारों का हिस्सा तथा प्रमुख जमींदार जातियों की स्थिति के विषय में विशद् वर्णन किया गया है।

"जमींदार" शब्द से तात्पर्य :–

व्यावहारिक रुप से जमींदार का तात्पर्य "भू–स्वामी" से है। जमींदार शब्द फारसी भाषा का एक संयुक्त पद हैं। जिसका मूल अर्थ भी "भू–धारक" है किन्तु आधुनिक विद्वानों ने मुगलकाल में जमींदार शब्द का तात्पर्य "भू–धारक" से नहीं माना है। प्रोफेसर इरफान हबीब ने जमींदार शब्द को "जमींन और दार" में विभाजित करके "दार" प्रत्यय "धारक" का सूचक नहीं है।

दार प्रत्यय का प्रयोग अन्य पदों में "नियंन्त्रक" के रुप में दे जा

सकता है। उदाहरणार्थ "फौजादार" (सैनिक अधिकारी सैनिक अथवा पुलिस चौकीदार का नियंत्रक "जमींदार" (सेना की एक छोटी सी टुकड़ी) का नियंत्रक "सूबादार" (सूबा का गवर्नर) इत्यादि। 14वीं शताब्दी में जमींदार शब्द का प्रयोग किसी भू–भाग के मुजिखा के लिए किया जाता थां जमींदार शब्द का आशय देश से भी लिया जाता था। यह परम्परा मुगलकाल में भी चलती रही किन्तु अकबर के शासनकाल और उसके बाद के समय में इस शब्द का प्रयोग सरकारी रुप में ऐसे व्यक्ति के लिए होने लगा जिसका किसान के उत्पादन में से वंशानुगत रुप से सीधे हिस्सा लेने का दावा होता था।[1] 17वीं शताब्दी में जमींदार शब्द के स्थान पर अवध में "सतरही" तथा "विस्वी" शब्द का प्रयोग होने लगा था।[2] 18वीं शताब्दी में मुगल सम्राट मुहम्मद शाह के शासनकाल के अन्तिम वर्षों में उसके एक दरबारी आनन्दराम मुखलिस ने भी "जमींदार" शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जमींदार शब्द मूलतः उस व्यक्ति का परिचायक था, जिसके पास भूमि होती थी, किन्तु अब उसका आशय उस व्यक्ति से है जो किसी गांव या नगर कें भूमि का स्वामी हों और कृषि कार्य करता हो।[3] इस प्रकार राम मुखिलस ने एक साधारण भू–धारक एवं उस व्यक्ति जिसका अधिकार अन्य लोगों द्वारा अधिकृत भूमि पर अर्थात् किसी गांव अथवा नगर की आबादी पर था के मध्य भेद किया है। और जमींदार शब्द का प्रयोग दूसरे प्रकार के अधिकार युक्ति व्यक्ति के लिए किया।[4] नोमान अहमद सिद्दीकी के अनुसार "जमींदार" शब्द अस्पष्ट साथा ओर इसका प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था। जिन्हें विविध शर्तों पर भूमि का स्वामित्व प्राप्त होता था। जमींदार एक वर्ग के रुप में "आसामी" या "रैयत" कहे जाने वाले खेतिहर किसानों से भिन्न तथा श्रेष्ठ स्तर के होते थे।[5] प्रोफेसर

नूरुल हसन के अनुसार "वास्तव में जमींदार शब्द का चलन मुगल काल में हुआ था। इसका प्रयोग शक्तिशाली स्वतंत्र और स्वायतत सरदारों से लेकर गांव स्तर के छोटे–मोटे मध्यस्थों तक विभिनन प्रकार के वंशानुगत हितों के अधिकारियों को निर्दिष्ट करने के लिए होता था।[6] प्रोफेसर नुरुल हसन की उक्त परिभाषा जमींदार शब्द के वास्तविक" आशय को व्यक्त करती है।

जमींदारों की श्रेणियों :–

जमींदार वर्ग में शक्तिशाली स्वतन्त्र और स्वायत्व सरदारों से लेकर ग्राम सतर के विभिनन प्रकार के आनुवंशिक हितों के अधिकारियों के सम्मिलित होने के कारण स्तरण (स्टेटिफिकेशन) के निश्चित चिन्ह विद्यमान थे। इस कारण जमींदारों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखित "क्वायफ" ए–जिला–ए–गोरखपुर को लेकर मुफ्ती गुलाम हजरत ने गोरखपुर के जमींदारों को तीन श्रेणियों स्वतन्त्र जमींदार ताल्लुकेदार अथवा राजा और विर्तिया जमींदार के अर्न्तगत विभाजित किया है।[7] उन्होंने विर्तिया जमींदारों को 6: श्रेणियों में विभाजित किया है। जो इस प्रकार से हैं।[8]

1. वे जो प्रारम्भ से ही बिना ताल्लुकेदार के माध्यम के सीधे राजस्व का भुगतान (सरकार को) करते थे।
2. जिन्हें संकल्प में (राजस्व मुक्त, धार्मिक अनुदान) भू–धारण किया।
3. वे जिन्होंने विर्त का क्रय किया और कभी सीधे तथा कभी ताल्लुकेदार के माध्यम से राजस्व का भुगतान करते थे।

4. वे जिनके "विर्तपत्रों" में राजस्व के भुगतान के स्वरुप का विवरण नहीं था, परन्तु उन्होंने कभी भी सीधे राजस्व का नहीं किया।

5. जिन्होंने विर्त को क्रय और "विर्तपत्र" की शर्तों के अनुसार ताल्लुकेदार के माध्मय से राजस्व का भुगतान किया।

6. जिन्होंने सेवाओं के प्रतिरुप में विर्त प्राप्त किया अथवा जिनके "विर्त" सेवाओं पर आधारित थे।

लेखक ने विर्तिया जमींदारों का उक्त विभाजन उनके द्वारा राजस्व भुगतान के प्रकृति एवं स्वरुप के आधार पर किया है। प्रोफेसर इरफान हबीब का मत है कि विर्तिया जमींदार केवल वे ही थे, जो राजस्व का भुगतान सीधे न करके ताल्लुकेदार के माध्यम से करते थे। उनके अनुसार सरकार का सीधे राजस्व देने वाले विर्तियां की स्थिति स्वतन्त्र जमींदार को हो जाती थी।[9] किन्तु डॉ0 एस0 एन0 आर0 रिज़वी ने अपने शोध प्रबन्ध[10] में प्रोफेसर इरफान हबीब के उक्त विचार के सम्बन्ध में लिखा है कि "उनका यह विचार वैधानिकता की दृष्टि से तो उचित है किन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित परम्परा के अनुसार समर्थित नहीं है। विर्तिदाताओं द्वारा विर्तपत्रों में राजस्व के भुगतान का स्वरुप दाता और धारक के पारस्परिक सम्बन्धों पर आधारित होता था।[11] मोमान अहमद सिद्दीकी ने राजस्व के भुगतान के आधार पर "पेशकशी" यसा उपहार देने वाले जमींदार तथा माल वाजिब (भू–राजस्व) देने वाले जमींदार नामक दो श्रेणियों में जमींदारों को विभाजित किया है।[12] प्रोफेसर नूरुल हसन में जमींदारों को उनके जमींदारी अधिकारों के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है जो इस प्रकार से है।

(1) स्वायत्व सरदार (2) मध्यस्थ जमींदार और (3) प्राथमिक जमींदार[13] प्रस्तुत मुगल कालीन जमींदारों को पूर्णतया वैज्ञानिक आधार पर विभाजित करना सम्भव नहीं है। इसी कारण प्रोफेसर नूरुल हसन में जमींदारों को उक्त श्रेणियों में विभाजित करने के पश्चात् लिखा है कि "ये श्रेणियां किसी भी प्रकार से अनन्य नहीं थी। स्वायतव सरदारों द्वारा नियन्त्रित क्षेत्र में ही अधीनस्थ अर्धस्वायत्त सरदार ही नहीं बल्कि मध्यस्थ और साथ ही प्राथमिक जमींदार भी होते थे। मध्यस्थ जमींदारों का अधिकार क्षेत्र एकाधिक प्राथमिक जमींदारों तक विस्तृत था फिर भी उनमें से अधिकांश अपने स्तर पर प्राथमिक जमींदार भी थे। एक सरदार अपने अधिकार क्षेत्र में "प्रभुसत्ता" या "राज्य सत्ता" का उपभोग करने के साथ–साथ कुछ भूमि पर प्राथमिक अधिकारों और अन्य पर मध्यस्थ अधिकारों का प्रयोग भी करता था।[14] इस प्रकार स्पष्ट है कि मुगल कालीन जमींदारों का किसी निश्चित आधार पर श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर भी सूबा अवध के जमींदारों के स्वायत्व सरदार, मध्यस्थ जमींदार तथा प्राथमिक जमींदार नामक तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

सूबा अवध में जमींदारों के अधिकार तथा अनुलाभ एवं उनके हिस्से की मात्रा :–

यद्यपि जमींदारों के अधिकारों एवं स्वत्वों का स्वरुप स्थायी एवं अनुवांशिक होता था। किन्तु एक ही भू–भाग या क्षेत्र में जमींदारी सम्बन्धी अधिकार पाये जाते थे।[15] इसका मुख्य कारण जमींदारों अधिकारों की उत्पत्ति का आधार है। इस अधिकारों का सम्बन्ध अतीत के विजयों या उपनिवेश निर्माण से था जबकि बाद में कुछ अधिकार क्रय द्वारा भी अर्जित थे। बहुधा विविध प्रकार के

जमींदारी अधिकारी शासन की ओर से ही प्रदान किये गये थें परनतु इनमें विविधता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण जमींदारी अधिकारों का शक्ति पर आधारित होना था। अतः जमींदार वर्ग, जिसमें स्वतंत्र और स्वायत्व सरदार से लेकर ग्राम स्तर तक के छोटे जमींदार भी सम्मिलित थे और जिनकी शक्ति अर्थात् सैन्य बल में अत्यधिक अन्तर होता था, के अधिकारों एवं अनुलाभों में विविधता का होना स्वाभाविक था। परन्तु इन विविध अधिकारों एवं अनुलाभों का एक मात्र उद्देश्य केवल किसानों से एकत्रित अतिरिक्त उत्पादन के अधिक से अधिक भाग को प्राप्त करना था।

जमींदार के जमींदार–सम्बन्धी अधिकारों का उद्देश्य उसके धारक को कुछ लाभ देना था। चूंकि उसका सम्बन्ध मुख्य रुप से भूमि से था। एवम् उसके धारक को भूमि की उपज के एक भाग का प्राप्त करने का अधिकार था। यह भाग रसूम–ए–जमींदारी व हकूक–ए–जमींदारी के नाम से जाना जाता था।[16]

जमींदार अपनी जमींदारी में राजस्व पर अधिकार रखता था। यह अधिकार या तो किसानों पर अलग दर से लगाए गये राजस्व द्वारा पूरा होता था, जिसमें शासन से निर्धारित राजस्व के भुगतान करने बाद भी जमींदार के पास उसका भाग बच जाता था। अथवा उसके इस अधिकार की मान्यता उसे कुछ राजस्व मुक्त भूमि अथवा जमींदारी से एकत्रित राजस्व में से कुछ नगदी भत्ता लेकर स्वीकार की जाती थी। इन अन्तिम दो विधियां को सूबा अवध में "मालिकाना" तथा दो बिस्वी कहा जाता था।[17] इस प्रकार मालिकाना जमींदार का हक (अधिकार) था। परन्तु यह हक तभी दिया जाता था। जब जमींदार की जमींदारी राज्य के अधिकारियों द्वारा "सीर" अथवा "खाम" (जब्त) कर ली जाती

थी। उस स्थिति में जमींदार को मालिक होने के नाते गर्त सैकड़ा बीघा की दर कुछ भूमि अथवा प्रति सैकड़ा मन की दर से कुछ अनाज दिया जाता था। मालिकाना की दर सामान्यतया दस प्रतिशत अथवा दो– "बिस्वी" होती थी।[18] परन्तु जब जमींदार सरकारी राजस्व हेतु स्वयं उत्तरदायी होता था। तो उसे मालिकाना के स्थान पर "नानकार" मिलता था।[19] "नानकार" के सम्बन्ध में कहा गया है कि "यह एक प्रकार के जीविका भत्ते के रुप में भूमि होती थी, जो कृषि हेतु प्रदान की जाती थी।[20] नोमान अहमद सिद्दीकी के अनुसार "वास्तव" में यह राजस्व की समस्त संकलित राशि पर एक प्रकार का बट्टा (कमीशन) था, जो नगदी या भूमि के रुप में दिया जा सकता था।[21]

राजस्वी सम्बन्धी प्रमुख अधिकार के अतिरिक्त जमींदार किसानों से बहुत से बहुत से अन्य अनुलाभों का भी प्राप्त करने का अधिकार रखता था।[22] सूबा अवध में विभिन्न नामों से अलग–अलग भू–भागों में इन अनुलाभों को प्राप्त किया जाता था। इन अनुलाभों में खाना शुमारी (गृहकर) जन्म तथा विवाह पर लगने वाला कर एवं अन्य बहुत से उबकर थे[23] इन सब के अतिरिक्त जमींदार अपनी जमींदारी में रियाया (प्रजा) से बेगार लेने का भी अधिकार रखता था।[24] इस प्रकार के अनेकों अनुलाभों से युक्त जमींदार की आर्थिक स्थिति रैयत अथवा कृषिकों की तुलना में अधिक सुदृढ़ होती थी। परन्तु इन अनुलाभों से जमींदार को प्राप्त होने वाली आमदनी की यात्रा को, आंकड़ों के अभाव में निर्धारित करना पूर्णतया असम्भव है। प्रोफेसर इरफान हबीब ने औरंगजेब के शासनकाल के सूबा अवध में स्थित सरकार बहराइच के परगना हिसामपुर में तथा चौरासी के चार गांवों के विक्रय पत्र एवं उनके वार्षिक राजस्व के आंकड़ों के विवरण के आधार पर यह

निष्कर्ष निकला है कि किसान के अतिरिक्त उत्पादन में जमींदार का हिस्सा सरकार द्वारा की गयी भू–राजस्व की मांग की तुलना में गैड़ था।[25] किन्तु प्रोफेसर इरफान हबीब का यह मत सूबा अवध के सरकार गोरखपुर में जमींदारों के हिस्से के सम्बन्ध में स्वीकार करने योग्य ही नहीं हैं। क्योंकि वह सरकारी भू–राजस्व की मांग जब्त पद्धति पर आधारित नहीं थी।[26] जिसमें जमींदार का हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक होने की सम्भावना थी।

इन अनुलाभों के अतिरिक्त जमींदार का स्वामित्व वंशानुगत होता था। जमींदार की मृत्व के पश्चात् उसके न्यायपूर्ण उत्तराधिकरियों में इसका विभाजन हो जाता था।[27] यह विभाजन पृथक–पृथक जातियों एवं परिवारों की परम्परानुसार होता था।[28] किन्तु जमींदारियों का सदैव विभाजन ही नहीं था अपितु कभी–कभी इसका उपभोग संयुक्त रुप से भी किया जाता था। संयुक्त परिवारों की जमींदारियों में अनुलाभों का उपभोग करते प्रत्येक भागीदार अपने हिस्से के अनुपात में करता था।[29] जमींदार अधिकार अनुवांशिक होने के कारण इसके धारक को उस हस्तान्तरित करने बन्धक रखने अथवा बेचने का भी अधिकार था।[30] सरकार गोरखपुर विर्तिया जमींदारों की उत्पत्ति इसी हस्तान्तरण सम्बन्धी अधिकार के परिणाम स्वरुप हुई। सूबा अवध में जमींदारियों के हस्तान्तनरण एवं क्रय–विक्रय के अनेक उदाहरण मिलते हैं।[31] परन्तु हस्तान्तरण एवं विक्रय सम्बन्धी अधिकार का उपभोग विर्तिया जमींदार अपने विर्तदाता की अनुमति लेकर ही कर सकता था।[32]

परन्तु स्वायत्व सरदारों के श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले जमींदारों के अधिकार एवं अनुलाभ उपरोक्त वर्णित अधिकारों एवं अनुलाभों से कहीं अधिक थे। मुगलकाल में स्वायत्व सरदारों को सामान्यतया एक निश्चित वार्षिक पेशकश या

सैनिक सहायता अथवा दोनों ही देना पड़ता था। और उसके प्रति रुप में मुगल सरकार उन्हें अपनी जमींदारी की आन्तरिक व्यवस्था अपनी इच्छानुसार करने की स्वतंत्रा प्रदान करती थी। वे अपनी जमींदारी में अपनी इच्छानुसार राहदारी तथा स्वरुप केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार नहीं होता था।[33]

जमींदार के कार्य एवं कर्त्तव्य :–

जमींदार जो अनेक अधिकारों एवं अनुलाभों का उपभोग करता था। को कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी सम्पादित करने पड़ते थें। शासन की ओर से उस पर कृषि की उन्नति करने आबादी को बढ़ाने एवं अपनी जमींदारी के राजस्व का नियमित रुप से भुगतान करने का दायित्व सौंपा जाता था।[34] इस प्रकार जमींदार को सामान्यतया दो प्रमुख कार्य सम्पादित करने पड़ते थे। प्रथम उसे अपनी जमींदारी की समस्त कृषि योग्य भूमि पर रवी के कार्य को सुनिश्चित करना था।

इसके लिए उसे किसानों, काश्तकारों तथा आसमियों से सहायता लेना अनिवार्य था। अतः अबादी को बढ़ाने का कार्य कृषि की उन्नति के साथ जुड़ा हुआ था। दूसरे उसे अपनी जमींदारी के राजस्व का नियमित रुप से भुगतान करना था। ये दोनों एक दूसरे से नितान्त थे। जमींदार निर्धारित भू–राजस्व के संग्रह हेतु वचनबद्ध न होने पर सभी अपने स्वामित्व के अधिकार एवं अनुलाभ का अधिकार होता था।[35] परन्तु वह अपने प्रथम कर्त्तव्य से विमुख नहीं हो सकता था। वह अपने इस कर्त्तव्य के निर्वाह हेतु कृषकों की भूमि छोड़ने से रोकने और समस्त कृषि योग्य भूमि में खेती करने के लिए बल प्रयोग भी कर सकता था।[36] परन्तु उसके साथ ही जमींदार को अपने ग्रामीण कृषकों के हितों का भी ध्यान रख ना

पड़ता था। क्योंकि उसका ग्रामवासियों का प्रतिदिन के जीवन में कई प्रकार से सीधा सम्पर्क रहता था। इसके अतिरिक्त एक समृद्धशाली ग्राम का अर्ध जमींदार को अधिक धन एवं सुख प्राप्त होना तथा आसमियों की सद्भावना पूर्ण सेवाएं प्राप्त होना था। जमींदार का सद्व्यवहार ही उसकी जमींदारी की आबादी को बढ़ाने का प्रमुख आधार होता था। जिसके माध्यम से वह अपनी जमींदार के ग्रामों को समृद्धशाली बनाता था। यदि जमींदारों के दुर्व्यवहार के कारण गांव वीरान हो जाते तो उसका प्रभाव केवल जमींदार की आयु पर ही नहीं बल्कि सरकार राजस्व पर भी पड़ना स्वाभाविक था। इसी कारण सरकार की ओर से जमींदार के निरन्तर अधिक से अधिक भूमि पर खेती करने एवं रैयत की सद्भावना प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता था। जमींदार का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भू–राजस्व का उचित निर्धारण करवाना तथा उसे एकत्रित करके राजकोष में जमा करना होता था। यह कार्य भी निश्चित रुप व्यवहार कुशलता एवं साधन सम्पन्नता पर आधारित था क्योंकि इस कार्य राज्य किसान तथा स्वयं जमींदार का लाभ भी एक साथ सम्मिलित था।[37]

प्रमुख जमींदार जातियों की स्थिति :–

सूबा अवध की जमींदार जातियों का अध्ययन अबुल फजल की आईन–ए–अकबरी में दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रारम्भ किया जाना सम्भव है। अबुल फजल ने प्रत्येक परगना के प्रमुख जमींदार जाति एवं उसकी जमा का आंकड़ा दिया है। कहीं–कहीं एक से अधिक जातियों का उल्लेख एक परगने में किया गया है। इस स्थिति में एक जाति द्वारा देय राजस्व (जमा) का निर्धारण उनकी परगना में दी गयी क्रमानुसार स्थिति के अनुसार परगने की जमा को

विभाजित करके किया गया हैं।

आईन--ए--अकबरी में प्रदत्त आंकड़ों द्वारा वह ज्ञात होता है कि सूबे की कुल जमा का 75 प्रतिशत से भी अधिक भाग विभिन्न राजपूत जातियों द्वारा देय था। इनमें प्रमुख जातियों की स्थिति इस प्रकार से थी।

गैस – 18.50 प्रतिशत

बच्छल – 5.22 प्रतिशत

गहलौत – 5.11 प्रतिशत

बछगौती – 4.73 प्रतिशत

विसेन – 4.1 प्रतिशत

अन्य – 3.42 प्रतिशत

अविभाजित जातियां – 25.64 प्रतिशत

ब्राम्हण – 6.42 प्रतिशत

मुस्लिम – 10.86 प्रतिशत

शेष छोटी–छोटी एवं अज्ञात जातियों द्वारा देय था 115. 97

तालिका 112 'अ' एवं 112 'ब' में सूबा अवध की प्रत्येक सरकार में विभिन्न जातियां द्वारा देय राजस्व (जमा) तथा उनका प्रतिशत दर्शाया गया है जो आईन–ए–अकबरी में प्रदत्त आकड़ों के आधार पर है।

अबुल फजल ने सूबा अवध के 22 परगनों में बैस–राजपूतों को जमींदार अंकित किया है। सरकार अवध में वे तीन परगनों के सहभागी जमींदार थे। और सरकार की कुल जमाम के 6 प्रतिशत पर नियंत्रण रखते थे। सरकार बहराइच, सरकार खैराबाद और सरकार गोरखपुर में से प्रत्येक में वे एक परगना के जमींदार थे। किनतु सरकार लखनऊ में वे 15 परगनों के अकेल जमींदार तथा 6 पगरनों में सहभागी जमींदार थे। वे सूबा अवध की कुल जामा के 18.22 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण रखते थे उनकी जमींदारी के समस्त महल एक नजदीकी खण्ड के रूप में थे। इसलिए 17वीं शताब्दी में इस भू–खण्ड का नाम बैसवारा पड़ गया था। शाहजहां के शासन काल में बैस जमींदारों का विद्रोही गतिविधियों के कारण बैसवारा का विशेष फौजदारी क्षेत्र बनाया गया।[38] औरंगजेब के शासन काल के प्रथम वर्ष में इन लोगों ने बचगोती जमींदार बहादुर के विद्रोह में उसकी सहायता प्रदान की।[39] लगभग 1700 ई0 के आस–पास परगना शाहपुर, के चौहानों की भी मुगल शासन के विरुद्ध उन लोगों ने सहायक की, जिसके कारण बैसवारा के फौजदार दन्दराज खां को कुछ कठिनाई के साथ विद्रोह को कुचलने में सहायता मिली।[40] मुगल काल के अन्त में सूबा अवध में वैसे–राजपूतों की जमींदारी की वास्तविक स्थिति से सम्बन्धित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। किन्तु 1860 ई0 बैसवरा क्षेत्र के बन्दोबस्त से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस समय 22 परगनों पर बैस–राजपूतों का नियंत्रण था जो बैसवारा निजामत से बहुत थोड़ा ही अधिक

तालिका

जमींदार जाति	सरकार अवध		सरकार खैराबाद		सरकार लखनऊ		सरकार बहराइच		सरकार गोरखपुर	
राजपूत	राजस्व	प्रतिशत	राजस्व	प्रतिशत	राजस्व	प्रतिशत	राजस्व	प्रतिशत	राजस्व	प्रतिशत
बैस	36,35,70	8.87	4,57,332	1.04	2,29,96,750	28.49	13,15,051	5.45	6,76,792	5.67
गौड़	—	—	36,93,053	8.29	—	—	—	—	—	—
बछगोती	7,72,176	18.85	—	—	2,10,423	2.60	—	—	—	—
सूर्यवंशी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.94
बिसेन	—	—	20,82,593	4.74	—	—	15,82,345	6.36	51,61,321	43.27
सोमवंशी	13,60,753	3.2	30,55,339	6.69	—	—	—	—	15,60,294	13.08
बहलौत	14,15,701	3.45	—	—	91,13,997	11.28	—	—	—	—
जनवार	—	—	4,15,587	0.09	—	—	12,11,893	5.01	—	—
बच्छल	14,15,701	3.45	39,77,894	9.07	53,11,950	6.57	—	—	—	—
रैकवार	—	—	—	—	—	—	47,40,221	19.65	—	—
चन्देल	—	—	—	—	43,56,254	5.39	—	—	—	—
चौहान	41,41,078	10.11	20,91,983	4.77	25,05,047	3.10	—	—	—	—
राजवार	79,24,908	19.34	—	—	—	—	—	—	—	—
तोमर	—	—	—	—	—	—	9,66,539	4.00	—	—
अविभाजित	96,98,537	23.53	1,03,09,841	23.51	1,67,72,057	20.77	1,05,64,180	43.79	20,12,533	16.87
जातियां										
योग राजपूत	3,03,63,924	90.8	2,60,83,622	58.2	6,12,66,478	78.2	2,03,80,179	84.26	94,10,940	87.83

तालिका
(अन्य जातियाँ)

जमींदार जाति	सरकार	अवध	सरकार	खैराबाद	सरकार	लखनऊ	सरकार	बहराइच	सरकार	गोरखपुर
राजपूत	राजस्व	प्रतिशत	राजस्व	प्रतिशत	राजस्व	प्रतिशत	राजस्व	प्रतिशत	राजस्व	प्रतिशत
ब्राह्मण	15,57,763	3.80	76,33,331	17.4	38,27,339	4.73	—	—	—	—
सैय्यद	—	—	—	—	45,74,428	5.66	—	—	—	—
अफगान	—	—	—	—	4,46,240	1.40	—	—	13,97,367	11.7
अन्सारी	15,71,712	3.83	—	—	52,39,457	6.48	—	—	—	—
कुनबी	10,04,183	2.45	—	—	—	—	—	—	—	—
अहमीन	—	—	39,67,684	9.04	—	—	—	—	—	—
अहीर	—	—	35,66,055	8.13	—	—	—	—	—	—
मिश्रित जाति	3,08,788	0.75	12,21,733	2.78	—	—	21,40,858	8.87	—	—
अन्य	—	—	4,57,332	1.04	—	—	16,19,480	6.71	51,100	0.42
योग अन्य जाति	44,22,446	10.83	1,68,46,135	38.39	1,40,87,464	18.27	37,60,338	15.58	14,48,467	12.12

था।[41] 1860 ई0 के बन्दोबस्त में दिये गये विवरण से यह विदित होता है कि परगना डलमऊ तथा बिजनौर वैसे राजपूतों की जमींदारी बाद में स्थापित हुई क्योंकि अबुल–फजल के अनुसार इन परगनों में क्रमशः तुर्कोमान तथा चौहान राजपूतों की जमींदारी थी।[42] किन्तु 1857 की क्रान्ति के पश्चात् कुछ बैस जमींदारों का भू–भाग जब्त कर लिया था। अतएव यह निष्कर्ष निकाला उचित है। वैस जाति के राजपूतों की जमींदारी मुगलकाल में लगभग यथावत रही।

आईन–ए–अकबरी में सरकार अवध के 6 परगनों में केवल एवं परगने में संयुक्त रुप से बचगोती राजपूतों को जमींदार दर्शाया गया है। और सरकार की कुल जमा के 18.85 प्रतिशत पर उनका नियन्त्रण था। सरकार लखनऊ में वे केवल एक परगने की जमींदारी में साझीदार थे और कुल जमा का 2.6 प्रतिशत पर उनका नियन्त्रण था। उनके एक परगना की जमींदारी को छोड़कर शेष परगनों की जमींदारी का भू–भाग सूबा अवध के दक्षिणी पूर्वी भाग को निर्मित करता था। 1070 हिजरी (1660 ई0) में बचगोली जमींदारों ने बहादुर नामक जमींदार के नेतृत्व में मुगल शासन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विद्रोह किया इस कारण उनके विरुद्ध बहादुर खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गयी।[43] जिसने विद्रोह को कुचलकर इस क्षेत्र में (बैसवारा) में शान्ति स्थापित की[44] इस जाति के सम्बन्ध में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। किन्तु डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में प्रदत्त विवरणों से यह ज्ञात होता है कि उन परगनों की जमींदारी पर उनका अधिकार पूरे मुगलकाल में यथावत बना रहा जिनका उल्लेख आईन–ए–अकबरी में किया गया है।[45]

चौहान राजपूतों की जमींदारी सरकार खैराबाद सरकार लखनऊ में से

प्रत्येक के एक–एक परगने में थी। सरकार अवध के दो परगनों में वे अन्य जातियों के साथ संयुक्त रुप से जमींदार थे। इस प्रकार से सूबा अवध की कुल जमा के 4.33 प्रतिशत पर उनका नियंत्रण था। ये लोग अत्यधिक शक्तिशाली हो गये थे औरंगजेब के शासनकाल के अन्तिम दिनों में सरकार के लिए समस्या बन गये थे। बैसवारा के नायब फौजदार शेर अन्दाज खाँ द्वारा सूचित किया गया कि "चौहान जमींदार ने भी जाति 8–9 हजार व्यक्तियों को एकत्रित करके विद्रोह कर दिया है। और राजस्व देने से इनकार कर दिया है।" अतएव उनके विरुद्ध शाही सेनाये भेजी गयी। शाही सेना ने विद्रोहियों के 12 मजबूत गाड़ियों पर अधिकार करके उनके 1500 आदमियों को बन्दी बना लियां इसके पश्चात् फौजदार ने सय्यद मुजफ्फर नामक व्यक्ति को उस भू–भाग की जमींदारी प्रदान करने की संस्तुति की जिसने अपने समस्त साधनों से हर प्रकार से शाही सेना की सहायता की।[46]

मुगल काल में चौहान राजपूतों की जमींदारी की स्थिति का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में प्रदत्त विवरण के आधार पर अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि यद्यपि उनके जमींदारी क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन तो हुए किन्तु उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची और उनकी स्थिति लगभग वैसी ही बनी रही।[47]

सरकार गोरखपुर में सबसे प्रबल जमींदार जाति विसेन राजपूतों की थी। इस सरकार के दक्षिणी–पूर्वी भू–भाग के 9 परगनों में उनकी जमींदारी थी और कुल जमा के 43.27 प्रतिशत पर उनका नियन्त्रण था। सरकार बहराइच और सरकार लखनऊ में से प्रत्येक एक–एक परगने में उनकी अकेले जमींदारी थी। जबकि सरकार खैराबाद के दो परगनों को वे सहभागी जमींदार थे।

सूबा अवध की कुल जमा में विसेन राजपूतों का 4.13 प्रतिशत भाग था। मुगल काल में विसेन राजपूतों की जमींदारी में अत्यधिक परिवर्तन आया और उनकी स्थिति निरन्तर गिरती गयी, स्थानीय जमींदारों के संघर्ष के परिणामस्वरुप उनकी जमींदारी का अधिकांश भाग अन्य जातियसों के हाथों में चला गया। इनमें से श्रीनेत राजपूतों की जमींदारियों, तथा पड़रौना की जमींदारी का उत्कर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। सरकार गोरखपुर में विसेनों की जमींदारी का अधिकतम का अधिकतम भाग मझौली के राज्य के हाथों में रहा। किन्तु सरकार बहराइच, खैराबाद व लखनऊ में उनकी जमींदारी लगभग समाप्त हो गयी। इस प्रकार कुल मिलाकर मुगलकाल में विसेन राजपूतों की जमींदारी की अवनति हुई।[48]

रैकवार तथा जनवार राजपूतों की अधिकतम जमींदारी सरकार बहराइच में थी जहां वे 6 परगनों में जमींदार थे और कुल राजस्व के 24.67 प्रतिशत पर नियन्त्रण रखते थे। जनवार राजपूतों की जमींदारी सरकार खैराबाद के एक परगने में थी सूबा की कुल जमा में उनका भाग 7.10 प्रतिशत था। डिस्ट्रिट गजेटियर्स में उपलब्ध विवरण से विदित होता है कि रैकवार राजपूतों की स्थिति हमें जहां कमी आयी हैं। वही जनवार राजपूतों की स्थिति में तुलनात्मक रुप से वृद्धि हुई हैं।[49]

आईन–ए–अकबरी के अनुसार सूरज वंशी और सोमवंशी राजपूतों की अधिक़तम जमींदारी का भू–भाग सरकार गोरखपुर को था। सरकार की कुल जमा का 22.03 प्रतिशत भाग पर उनका नियंत्रण था। सोमवंशी राजपूतों की जमींदार सरकार अवध और खैराबाद में से प्रत्येक के एक–एक परगनें में थी। सूर्यवंशी तथा सोमवंशी राजपूत संयुक्त रुप से सूबे की कुल जमा के 3.49

प्रतिशत पर नियंत्रण रखते थे। किन्तु सरकार गोरखपुर में उनकी स्थिति बाद में खराब होती गयी। 19वीं शताब्दी में इन लोगों द्वारा अन्य भू–भागों में बड़ी ताल्लूकेदारियों स्थापित किये जाने के प्रमाण मिलते हैं।[50]

अबुल फजल द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार गहलौत राजपूत, बच्छल राजपूतों की साथ संयुक्त रुप से परगना के संडीला और पच्छिमराठ के जमींदार थे। किन्तु वे सरकार लखनऊ में पृथक रुप से एक परगना के जमींदार थे। वे सरकार लखनऊ में पृथक रुप से एक परगना के जमींदार भी थे। सूबा की कुल जमा के 5.22 प्रतिशत भाग पर उनका नियंत्रण था। इसी प्रकार से बच्छल राजपूतों की खैराबाद में पृथक रुप से चार परगनों की जमींदारी थीं और वे सूबा की जमा के 5.11 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण रखते थे। किन्तु इन लोगों की स्थिति यथावत न रह सकी और परवर्ती भाग में उसमें कमी आयी। परगना संडिला में मुस्लिम जमींदारों द्वारा बड़ी ताल्लुकेदारी–रियासते स्थापित किये जाने के प्रमाण मिलते हैं। किन्तु अन्य परगनों में स्थिति जमींदारियों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है।

आईन–ए–अकबरी में चन्देल राजपूतों की जमींदारी सरकार लखनऊ के परगना मढ़–अमेठी में सहभागी जमींदार के रुप में दी गयी है। उनका सूबा की कुल जमा के 1.11 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण बतलाया गया है। किन्तु मुगल काल में उनकी स्थिति यथावत बनी रही।[51] तोमर और गौड़ राजपूतों की जमींदारियों सहभागी जमींदार के रुप में आईन–ए–अकबरी में सरकार बहराइच में से प्रत्येक अलग–अलग एक परगना में दी गयी है। और सूबा की कुल जमा का 2.33 प्रतिशत भाग उनके नियंत्रण में दिया गया हैं। इनके सम्बन्ध में विशेष जानकारी

नहीं मिलती है।

सूबा अवध में आर्य प्रमाणित राजपूत जातियों ने सर्वाधिक भू–भगों पर अपनी जमींदारी स्थापित कर रखी थी। सरकार अवध की कुल जमा का 23.43 प्रतिशत, और सरकार लखनऊ की जमा का 25.64 प्रतिशत भाग उनके नियंत्रण में था।

मुगल काल में अविभाजित राजपूतों की स्थिति लगभग यथावत रही क्योंकि 1850 ई0 में लाल जी ने मीरात–उल–औजा में हिन्दुओं में राजपूतों की संख्या एवं जमींदारी व ताल्लुकेदारी को सर्वाधिक बतलाया है। और उन्हें मुस्लिम के बाद सबसे बड़ी जमींदारी जाति के रुप में बतलाया गया हैं।[52]

इन सबसे अतिरिक्त अन्य बहुत सी जातियों को आईन–ए–अकबरी में जमींदारी के रुप में उल्लेख किया गया है। जिनकी सूबा की जमा के बहुत ही छोटे से भाग पर नियंत्रण था। इनमें चन्देलों का 1.5 प्रतिशत पर अहमिनों का 9.97 प्रतिशत पर अहीरों 1.77 प्रतिशत, कुनवी का 0.49 प्रतिशत पर नियंत्रण था।

ब्राम्हणों की स्थिति आईन–ए–अकबरी के अनुसार अवध के दो परगनों में सहगामी जमींदारों की थी और वे सरकार के कुल राजस्व के 3.80 प्रतिशत पर नियंत्रण रखते थे। सरकार खैराबाद में उनकी चार परगनों में जमींदारी थी और सरकार की कुल जमा का 17.7 प्रति शत भाग उनके नियंत्रण में था। सरकार लखनऊ में वे आठ परगनों के जमींदार थे। और 4.71 प्रतिशत राजस्व पर अधिकार रखते थे। ब्राम्हण जाति के जमींदारों की स्थिति उत्तरोत्तर सुदृढ़ होती गयी। कवायफ–ए–जिला–ए–गोरखपुर के लेखक मुफ्ती गुलाम हज़रत ने लिखा

है कि (सरकार गोरखपुर में) अधिकांश ग्राम राजपूतों एवं ब्राम्हणों की जमींदारी में थे जबकि मुस्लिम तथा अन्य जातियों का केवल एक चौथाई भाग पर ही अधिकार था।[53] इसी प्रकार 19वीं शताबदी के अभिलेखों से यह विदित होता है कि सरकार इस आधार पर यह कहा बहराइच व लखनऊ में भी उनकी जमींदारियों स्थापित हुई।[54] इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूबा अवध में ब्राम्हण जाति की जमींदार वर्ग में महत्वपूर्ण स्थान होता जा रहा था।

1595 ई0 में सूबा अवध में मुस्लिम जमींदारों का कल राजस्व के 10.89 प्रतिशत पर नियंत्रण था। सरकार गोरखपुर में परगना उतरौला में अफगान जाति जमींदार थीं सरकार लखनऊ के परगना सिद्धौर में वे सहभागी जमींदार थें अन्सारी जाति के लोग सरकार अवध के परगना इब्राहिम बादस व सतरिख में तथा सरकार लखनऊ के परगना अमेठी में जमींदार थे। सरकार के परगना बिलग्राम और उनमें सय्यद जाति की जमींदारी थी। जबकि शेखजादा लोग उनके साथ परगना फतेहपुर और हवेली लखनऊ में सहभागी जमींदार थे। सरकार अवध के परगना उनहोना व सातनपुर में चौहान और बदगोती राजपूतों द्वारा धर्म परिवर्तन करके बन नव मुस्लिम की जमींदारी थीं मुगलकाल में जमींदार के रुप में मुस्लिम जाति की स्थिति में बड़ा ही अधिक परिवर्तन आया। मुगल शासन द्वारा समय–समय पर विद्रोह राजपूतों जमींदारों के मध्य में मुस्लिम जमींदारियों स्थापित की गयीं उदाहरणार्थ औरंगजेब के शासन काल के लिए बैसधारा के नायब फौजदार शर अन्दाज खाँ की संस्तुति पर बैसवारा के परगना शाहपुर व हाथ्वा में मुस्लिम जमींदारी स्थापित की गयी।[55]

शाहजहाँ काल में सूबा अवध में अफगानों की जमींदारी में निरन्तर वृद्धि

के प्रमाण मिलते हैं। सरकार गोरखपुर के परगना उतरौला में तो उनकी जमींदारी यथावत बनी रहीं। शाहजहां के शासन काल में सरकार बहराइच में अफगानों की नानपरा रियासत स्थापित हुई थी।[56] इसी प्रकार औरंगजेब के शासन काल में हरदोई में बासितनगर की रियासत स्थापित हुई जिसे सम्राट ने दिलेर खाँ के पुत्र दिखदार खां को जागीर के रुप में प्रदान की थी।[57] लेकिन शेख जादास मुसलमानों की 1722 ई0 में परगना लखनऊ हवेली में स्थित अपनी जमींदारी की क्षति उठानी पड़ी।[58] किन्तु उनकी अन्य जमींदारियों यथावत बनी रही तथा कुछ भू–भागों में जमींदारियों विस्तृत हुई। इसी प्रकार अंसारी एवं सय्यद मुसलमानों की जमींदारी भी लगभग यथावत बनी रही तथा उनमें कुछ वृद्धि भी हुई।[59] मदद–ए–माश अनुदानों के द्वारा विभिन्न मुस्लिम जातियों की अपनी जमींदारी विभिन्न भू–भागों में स्थापित करने को मिली।[60] इस प्रकार मुगल काल में सूबा अवध में जमीदार के रुप में मुस्लिम जातियों की स्थिति अपेक्षाकृत सुदृढ़ ही हुई तथा अन्य जातियों की स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हुआ।

सन्दर्भ-सूची

1. इरफान हबीब, "एग्टेरियन रिलेशन्स एण्ड लैण्ड रेवन्यू नार्थ इण्डिया दि कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया" वाल्यूम 1 1200–1750, (सम्पादक–तपनराय चौधरीत इर फान हबीब) पृष्ठ 244
2. पृष्ठ संख्या 244
3. आनन्द राम मुखलिस "मीरात–उल–इस्तिलनह" पृष्ठ 122
4. इरफान हबीब, "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 140
5. नोमान अहमद सिद्दीकी, मुगलकालीन भू–राजस्व प्रशासन 1700–1750 पृष्ठ 35
6. एस. नूरुल हसन, "मुगलों के अधीन जमींदार" "मध्यकालीत भारत" वाल्यूम–1, 1981, पृष्ठ 40 प्रो0 नुरुल हसन का मत है कि "जमींदारी किसी विशेष भू–भाग का स्वामी भी हो सकता था।" एस नुरुल हसन "थाट्स एग्रोरियन रिलेशन मुगल इण्डिया" पृष्ठ 19
7. मुफ्ती गुलाम हजरत, "कतायफ–ए–जिला–ए–एग्रोरियन, (इण्डिया आफिस लन्दन हस्तलिपि संख्या 4540 अंग्रेजी अनुवाद पृष्ठ 27 तारीख–ए–मुज्जयाबाद मारफत गोरखपुर में भी गोरखपुर के जमींदारों की उन श्रेणियों में वर्णित है। देखिए अहमद लारी" "मुख्तसर – तारीख –ए–गोरखपुर" (उर्दू अनुवाद पृष्ठ 69–70)
8. पृष्ठ संख्या 69–70
9. इरफान हबीब पृ० 147
10. सैय्यद नज मुल रजा रिजवी, "ए स्टडी आफ जमींदार्स आफ इस्टर्न उत्तर

प्रदेश इन दि एटींथ सेन्चुरी", (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1983

11. सैय्यद नज मुल रजा रिजवी, "ए स्टडी आफ जमींदार्स आफ इस्टर्न उत्तर प्रदेश इन दि एटींथ सेन्चुरी" (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, 1983 इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद पृष्ठ 149 गोरखपुर के सत्तासी राजा रुद्र सिंह द्वारा प्रदत्त वितर्यत की सत प्रतिलिपियां डॉ0 एस0 एन0 आर0 रिजवी के उक्त मत को मुगल काल के लिए भी उचित सिद्ध करती है। देखिए वही परिशिष्ट–गोरखपुर के सत्तासी राजाओं द्वारा प्रदत्त विर्तपत्रों की सत्य प्रतिलिपियां, पृष्ठ 364–65, गोरखपुर के विर्तिया जमींदारों से सम्बन्धी विस्तृत विवरण हेतु देखिए एस0 एन. आर0 रिजवी, "दि विर्तिया जमींदार्स आफ इस्टर्न उत्तर प्रदेश यू0पी0 हिस्टारिकल रिव्यू नं01 अगस्त 1982 (सम्पादक प्रो0 राधेश्याम) पृष्ठ 56–62"

12. नोमान अहम सिद्दीकी, "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासक 1700–1750, पृष्ठ 37, 42"

13. एस0 नूरुल हसन, "मुगलों के अधीन जमींदार" मध्यकालीन भारत अंक एक 1981 पृष्ठ 40

14. एस0 नुरुल हसन, "मुगलों के अधीन जमींदार" मध्यकालीन भारत अंक एक 1981 पृष्ठ 40

15. नोमान अहम सिद्दीकी, "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासक 1750, पृष्ठ 35

16. इरफान, "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया", पृष्ठ 144, जब "मानकार" राजस्व मुक्ति भूमि के स्थान पर नगद अनाज अथवा धन के

रुप में दिया जाता था तो उसे "रसूम–ए–जमींदारी" कहते थे। "नानकार" या "मालिकाना" के अतिरिक्त जमींदार के अन्द अनुलाभों को "हकूक–ए –जमींदारी कहा जाता था। देखिए वी0 आर0 ग्रोपर, प्रेसिडेन्सियल एड्रेस प्रोसिडिम्स आफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस", कालीकट, पृष्ठ 150–51 नानकार तथा मालिकाना की आगे व्याख्या की गयी है।

17. इरफान हबीब, "दि एग्रोरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 149–50
18. इरफान हबीब, "दि एग्रोरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 146–47 मुफ्ती गुलाम हजरत कवायफ–ए–जिला–ए–गोरखपुर (अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 27
19. इरफान हबीब "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 146
20. नोमान अहम सिद्दीकी, "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासक 1700–1750, पृष्ठ 47
21. नोमान अहम सिद्दीकी, "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासक 1700–1750, पृष्ठ 47
22. एस0 नुरुल हसन, "मुगलों के अधीन जमींदार" मध्यकालीन भारत अंक एक पृष्ठ 47
23. इरफान हबीब, "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 150, डॉ0 एस0 एन0 आर0 रिजवीं ने सरकार गोरखपुर के सत्तासी एवं वासी के राजाओं द्वारा 18वीं शताबदी में "राजाओं के नाम से वसूल किये जाने वाले उपकरों उल्लेख किया है इस आधार पर मुगलकाल में सरकार गोरखपुर के जमींदारों द्वारा वसूल किये जाने वाले उपकरों का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए सैय्यद नज़मुल रजा रिजावी" (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध,

1983 इलाहाबाद), पृष्ठ 37–39

24. इरफान हबीब, "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 150

25. इरफान हबीब, "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 151–54 इरफान हबीब का मत है कि जमींदारों की आय का भाग भू–राजस्व की मांग की तुलना में बहुत कम था किन्तु यह 10प्रतिशत से कम नहीं था। देखिए तपन राय चौधरी व इरफान हबीब (सम्पादक) "दि कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया" वाल्यूम 1, 1200–1750, पृष्ठ 245

26. मुफ्ती गुलाम हजरत कवायफ–ए–जिला–ए–गोरखपुर (अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 26

27. इरफान हबीब, "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 154–56 नोमान अहम सिद्दीकी "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासक 1700–1750, पृष्ठ 48

28. वर्तमान जनपद बस्ती के नगर राज के गौतम राजपूत राजा के यहां राज तो ज्येष्ठ पुत्र को मिलता था, किन्तु छोटे लड़कों को 60 मौजे की जमींदारी की प्रथा थी। एच0 आर0 नेविल, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर बस्ती (1907) पृष्ठ 95

29. इरफान हबीब, "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 157

30. इरफान हबीब, "एसपेक्ट्रेस आफ एग्रेरियन रिलेशन्सन एण्ड इकोनोमी इन ए रीजन आफ उत्तर प्रदेश" इण्डियन इकोनोमिक एण्ड सोशल हिस्ट्री रिव्यू वाल्यूम 4, नं0 3 (1967) पृष्ठ 205–32 "दि एग्ररियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 157–59

31. मुहम्मद अब्दुल फारुकी, शजेर–जादाब (उर्दू) पृष्ठ 71–75

32. सैय्यद नजमुल रजा रिजवी, "दि विर्तिया जमींदार्स आफ इस्टर्न उत्तर प्रदेश यू0पी0 हिस्टारिकल रिव्यू, अगस्त 982 पृष्ठ 57"

33. इरफान हबीब, "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 184–85

34. पड़रौना के जमींदार को प्रदतत सनद, फरगान एवं परगनों में कृषि की उन्नति करने, आबादी को बढ़ाने तथा नियमित रुप से राजस्व के भुगतान का निर्देश दिया गया है। मोहम्मद अब्दुल गफूर फारुकी, शजरे–शादाब, पृष्ठ 40, 63–65, 68–69

35. नोमान अहम सिद्दीकी, "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासक 1700–1750, पृष्ठ 46–47

36. एस0 नूरुल हसन, "मुगलों के अधीन जमींदार" मध्यकालीन भारत अंक एक 1981 पृष्ठ 47 यद्यपि दोनों लेखकों ने क्रमशः प्राथमिक जमींदार तथा भू–राजस्व देने वाले जमींदारों की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले जमींदारों का उक्त कार्य बतलाया है। परन्तु यह सभी श्रेणी के जमींदार करते थे क्योंकि समस्त जमींदार अपनी जमींदार के कुछ भू–भाग के प्राथमिक जमींदार होते थे। एस0 नूरुल हसन, "मुगलों के अधीन जमींदार" मध्यकालीन भारत अंक एक पृष्ठ 40

37. नोमान अहम सिद्दीकी, "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासक 1700–1750, पृष्ठ 49

38. अब्दुल हमीद लाहैरी, "बादशाहनामा" (बिब्लेथिला इण्डिका 1) पृष्ठ 243, 278 जहीरुद्दीन मलिक– "प्राब्लम्स आफ फौजदारी जूरिस डिक्सन इन बैसवारा" "प्रोसिडिंग आफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस", 1973 चण्डीगढ़

39. मुहम्मद काजिम, "आलम गीरनामा" (बिब्लोथिका इण्डिका कलकत्ता, 1873) वाल्यूम 1, पृष्ठ 450

40. भू पतराय "इंशा–ए–रोश्नन" कलाम (मौलाना आजाद पुस्तकालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ हस्तलिपि), पृ0 3ए

41. सी0 ए0 इलिएट, "क्रानिकिल्स आफ उन्नाव, (इलाहाबाद 1862) पृष्ठ 67–68

42. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी" (डब्लू0 एच0 ब्लोकमैन द्वारा सम्पादित फारसी ग्रन्थ बिब्लोथिका इण्डिका सीरिज) वाल्यूम 1 पृष्ठ 71–84

भूपतराज, "इशा–ए–रोशन कलाम" में बिजनौर महाल का बैस– जमींदारों के नियंत्रण में बतलाया है। देखिए पृ0 7: एच0 आर0 नेबिल ने परगना डलमऊ पर बैस राजपूतों का अधिकार बतलाया है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध वाल्यूम 39, 4 व 46

43. अब्दुल हमीद लाहौरी, "बादशाहनामा" वाल्यूम 1, पृष्ठ 243 278

44. मुहम्मद काजिम, "आलमगीरनामा" वाल्यूम 1 पृष्ठ 450

45. एच0 आर0 नेविल, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध वाल्यूम 39, 4 व 46

46. भूपत राम, "इंशा–ए–रोशन कलम" पृ0 3

47. एच0 आर0 नेविल, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध वाल्यूम 42 पृष्ठ 85–87 वाल्यूम 48 पृष्ठ 37

48. सैय्यद नजमुल रजा रिजवी, "ए स्टडी आफ जमींदार्स आफ इस्टर्न उत्तर प्रदेश इन दि एटीथ सेन्चुरी" (अप्रकाशित शोध–प्रबन्ध 198 इलाहाबाद)

पृष्ठ 115–123, 126–27, 129–32 एच0 आर0 नेविल, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध वाल्यूम 31 ; 32

49. एच0 आर0 नेविल, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध वाल्यूम 44 पृष्ठ 81–85 वाल्यूम 45 पृष्ठ 81–83

50. डब्लू कुक, "दि ट्राइब्स एण्ड कास्ट्रम आफ दि नार्थ बेस्टर्न प्राविन्सेज आफ इण्डिया" 1896, वाल्यूम 4, सूरजवंशी से सम्बन्धित विवरण, एच0 आर0 नेविल, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध वाल्यूम 41 पृष्ठ 245–49

51. एच0 आर0 नेविल, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध वाल्यूम 46 पृष्ठ 95–96

52. लालजी मीरात–उल–औजा, पृ0 74 बी0 76 ए

53. मुफ्ती गुलाम हजरत कवायफ–ए–जिला–ए–गोरखपुर (अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 11

54. एच0 आर0 नेविल, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध वाल्यूम 31 पृष्ठ 108 वाल्यूम 32 पृष्ठ 87–88, वाल्यूम 44 पृष्ठ 102, दरोगा हाजी अब्बा अली "ऐन इलस्ट्रेटेड हिस्टारिकल एलबम आफ राजाज एण्ड ताल्लुकेदार्स आफ अवध" इलाहाबाद 1880 पृष्ठ 4, 22

55. भूपत राज, "इंशा–ए–रोशनकालप" पृ0 ए0 7 बी

56. एच0 आर0 नेविल, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध वाल्यूम 45 पृष्ठ 75–76

57. एच0 आर0 नेविल, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज

आफ आगरा एण्ड अवध वाल्यूम 41 पृष्ठ 88–89 दरोगा हाजी अब्बास अली "ऐन7 इलस्ट्रेटड हिस्टारिकल एलबम आफ राजाजय एण्ड ताल्लुकेदार्स आफ अवध" पृष्ठ 25

58. कमालुद्दीन हैदर, सबानिहात–ए–सलाक्तीन–ए–अवध (लखनऊ) पृष्ठ 7–8

59. एच0 आर0 नेविल, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध वाल्यूम 38 पृष्ठ 247–48 वाल्यूम 41 पृष्ठ 81, 86, 87, 90–92 178–83 वाल्यूम 43, पृष्ठ 97–102 वाल्यूम 45 पृष्ठ 85

60. सैय्यद जहीर हुसैन जाफरी "टू मदद–ए–माश फरमान्स आफ औरंगजेब फ्राम अवध" प्रोसिडिंग आफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस" 1979 (वाल्टेयर) पृष्ठ 302–313 एच0 आर0 नेविल, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स आफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध वाल्यूम 31 पृष्ठ 119–20 वाल्यूम 39 पृष्ठ 39, 101–03 डब्लू0 एच0 स्लीमैन "ए जर्नी थ्रू दि किंगडम आफ अवध" (लन्दन 1858) वाल्यूम 1 पृष्ठ 234–35

पंचम् अध्याय

सूबे की कृषि व्यवस्था, कृषि योग्य भूमि कृषि पद्धति, फसलों के प्रकार तथा उत्पादन

पंचम् अध्याय

सूबे की कृषि व्यवस्था कृषि योग्य भूमि, कृषि पद्धति फसलों के प्रकार तथा उत्पादन

प्राचीनकाल से ही अवध उर्वरता, उत्पादकता एवं प्रचुरता वाला भू–भाग रहा है। यहां की भूमि अपने उपजाऊपन एवं उच्चकोटि की खेती के लिए प्रसिद्ध रही है। इसका मुख्य कारण घाघरा, गोमती, सई, राप्ती, गंडक तथा गंगा आदि प्रमुख नदियों द्वारा बाढ़ में अपने साथ लायी गयी मिट्टी तथा सिंचाई के लिए प्रचुर मात्रा में जल–स्रोतों को प्रदान करना था। इस भू–भाग में बने की अधिकता के कारण यहां के उद्योग–धन्धों के लिए आवश्यक कच्चे माल की अधिक मात्रा में सरलता से उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त यहां फलों के बागों की भी कमी न थी। इन सबके साथ ही यहां की जलवायु भी रहने के लिए अनुकूल थी। अतएव यह भू–भाग मुगल साम्राज्य का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग बन गया था। इन अध्याय में मुगल कालीन सूबा अवध की कृषि से सम्बन्धित विभिनन पक्षों का अध्ययन किया गया हैं।

कृषि का विस्तार क्षेत्र :–

औरंगजेब कालीन सूबा अवध का उर्वरता एवं उत्पादकता के आधार पर सामान्य विभाजन करने पर यह ज्ञात होता है कि सरकार लखनऊ तथा उससे जुड़े हुए कुछ भू–भाग प्राकृतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण एवं उत्तम थे जबकि "घाघरा नदी के उत्तर में बहुत क़म जमीन में खेती होती थी। और घाघरा तथा गंगा के बीच इलाहाबद और फैजबाद को मिलने वाली सीमा रेखा के पूर्ण पांचवें हिस्से से भी कम भूमि में कृषि होती थी।[1]

सूबा अवध की विभिनन सरकारों की भूमि से सम्बन्धित अलग–अलग स्रोतों में उपलब्ध विवरण से इस भू–भाग की उत्पादकता पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है।

कवायफ–ए–जिला–ए–गोरखपुर के लेखक मुफ्ती गुलाम हज़रत ने सरकार गोरखपुर में खेती योग्य दो प्रकार की भूमि थी। प्रथम बांगर भूमि थी, जो नम व कहियावर होती थी और चावल की खेती के लिए उपयोगी थी। दूसरी समतल भूमि थी। जो सभी तरह के खाने योग्य अनाजों, विशेष रुप से गेहूं और गन्ने की पैदावार के लिए बढ़िया मानी जाती थी। पहले प्रकार की भूमि "कछार" के नाम से जानी जाती थी। यह भली प्रकार से जल से सिंचित रहती थी। और ज्वार, बाजरा, मसूर तथा मटर आदि रवी की फसलों के लिए प्रसिद्ध थी।

सरकार गोरखपुर में पड़रौना क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य स्थानों में गन्ने की खेती अल्प मात्रा में होती थी। कुछ परगनों में जंगली हाथियों की भरमार थी और उनके द्वारा क्षति पहुचाने के भय से बड़े पैमाने पर काले गन्ने की खेती नही

की जा सकती इस भू–भाग में भूमि की उर्वरता के कारण गन्ने की फसल बोने के बाद दो वार पैदा की जाती थी। यहां पैदा होने वाला गन्ना मीठा एवं सरदार होता था। और उससे विभिन्न प्रकार की मिठाइयां तैयार की जाती थी।[2]

परगना अमोढ़ा (सरकार अवध में स्थित रिहलापार नगर) बस्ती ओर महुली में गेहूं, जौ, चना, बाजरा, अरहर, उड़द, मोथ कोदो आदि बड़ी मात्रा पैदा किया जाता था। परगना सिलहट में स्थित तप्पा शाहजहांपुर और परगना हवेली गोरखपुर के कुछ तथ्यों व परगना गहर एवं मझौली में सभी प्रकार की रवी और खरीफ फसलों को पैदा करने योग्य भूमि व जलवायु थी। किन्तु परगनों जैसे बासपुर, रसूलपुर, गौस तथा पहाड़ी भू–भाग वाले परगने (सम्भवतः तिलपुर व विनायकपुर परगने से आशय है) एवं गोरखपुर के दूसरे तप्ते प्रत्येक मोसम में विभिन्न प्रकार की फसलों को पैदा करने के लिए प्रसिद्ध थे। परगना बांसी के कुछ तप्ते जैसे–बखिरा, सरकोरी बरहो, कसगही आदि तथा तराई के कुछ परगने दरत कोल आदि के लिए प्रसिद्ध थें जो अवध तथा लखनऊ में बासी (चावल) के नाम से बेचे जाते थे।[3]

घुरियापार तथा अनमोला (परगने) में कृषि योग्य भूमि का बहुत बड़ा भाग रीव के फसल के लिए उपलब्ध था। इन परगनों की जनता का मुख्य भोजन रवी की पैदावार में मूल रुप से सम्मिलित था और लोग जीवन यापन के लिए अपनी फसलों परपूरी तरह से निर्भर रहते थे। खरीफ की फसल पैदा करने के लिए उन परगनों में पानी का अभाव रहता था। इसी कारण यहां सदैव दोनों फसलों में खाने के अनाज की कमी बनी रहती थी। इसी कमी के कारण अनमोला, बासी, सिलहट, बस्ती मगहर व गोरखपुर (परगनों आदि) के कुछ तथ्यों में कम

आबादी थी।[4]

सूबा अवध की अन्य सरकारों की तुलना में सरकार गोरखपुर में कृषि योग्य भूमि कम थी।[5] बापजीत व्याप्त के अनुसार गोरखपुर के उत्तर में घना जंगल था। टेवनिर्यर ने गोरखपुर के उत्तर में जंगल का उल्लेख करते हुए लिखा है कि "पूरा भू–भाग वनों से आच्छादित था जिसमें असंख्य जंगली हाथियां थी।[7] औरंगजेब के शासन काल के 47वें वर्ष तक गोरखपुर पूरी तरह से बीराना था,[8] मुफ्ती गुलाम हजरत ने लिखा है कि "शहर गोरखपुर दो तरफ से जंगलों से घिरा था, और परगना अनोला, बांसी, सिलहट बस्ती, मगहर व गोरखपुर में किसानों की कमी अथवा जंगली हाथियों के उत्पात के कारण बहुत अधिक वीराना था।"[9] तराई जंगलों के अतिरिक्त स्लीमैन नें भी लिखा है कि "तराई जंगलों के अतिरिकत इसमें जंगलों के चौबीस अन्द प्रभाग (टुकड़े) भी है। एक मोटे तौर पर किये गये आंकलन के अनुसार इसमें अवध की अच्छी जलवायु वाला लगभग 886 वर्गमील क्षेत्र घिरा हुआ है।"[10] 1884ई0 में "आन दिज्योग्रोफी आफ इण्डिया इन दि रेन आफ अकबर" नामक लिखे गये अपने लेख में बीम्स ने लिखा था कि "यहाँ तक कि वर्तमान समय में थी इस भू–भाग का एक बड़ा हिस्सा घने जंगलों में घिरा हुआ हैं। और 16वीं शताब्दी में यह निश्चित रुप से अधिक विस्तृत रहा होगा।"[11] अकबर के शासन काल में दूसरे भू–भागों के कृषि योग्य क्षेत्र एवं राजस्व की तुलना में सरकार लखनऊ उत्पादन के क्षेत्र में बहुत आगे था।[12]

अबुल रूफजल ने सूबा अवध की कृषि के सम्बन्ध में लिखा है कि "खेती समृद्धि की अवस्था में है, विशेष रुप से सुखदास, मधकर एवं झनवान नामक विभिन्न किस्मों के चावल की जिनकी सफेदी, कोमलता, सुगन्ध एवं सुस्वाद की

तुलना करना बड़ा ही कठिन हैं।[13] उसने अन्यत्र लिखा है कि बहराइच का सुखदास चावल सर्वोत्तम किस्म का होता था। जिसे मीर बकावल और दीवान–ए–ब्यूतात, वर्ष में प्रत्येक तिमाही पर शाही बावर्ची खाना के लिए का प्रबन्ध करते थे।

मुगलकाल में सूबा अवध में कृषि के विकास का अध्ययन करने पर यह विदित होता हे कि सूबे की सभी सरकारों में क्रमशः कृषि का विकास हुआ और पहले की तुलना में अधिक भूमि पर खेती होने लगी थी। किन्तु सभी सरकारों में समान रुप से प्रगति नहीं हुई। आईन–ए–अकबरी और बहार गुलशन में प्रदत्त आंकड़ों से यह विदित होता है कि सरकार बहराइच व अवध तुलनात्मक रुप से प्रगति बड़ी धीमी रही। चहार गुलशन ये सरकार गोरखपुर के खेती योग्य भूमि का कोई आंकड़ा न होने के कारण उसके सम्बन्ध में प्रमाणित तौर पर कुछ करना सम्भव नहीं है। किन्तु यह अनुमान लगाना लगत नहीं होगा कि सरकार गोरखपुर में भी कृषि का विकास हुआ यद्यपि उसकी गति तीव्र न रही होगी। आईन–ए–अकबरी और चहार कुलशन के आंकड़ों के आधार पर सूबा अवध एवं उसकी विभिन्न प्रकार में खेती की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

सूबा अवध में खेती की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि

नाम	कृषि योग्य भूमि (बीघा में)	वृद्धि (बीघा तक में)

1594 ई0 आईन–ए–1720 ई0 चहार–अकबरी के आधार पर

गुलशन के आधार पर

सूबा अवध	1,01,71,180	1,90,22,90,8	38,51,728
सरकार अवध	27,96,207	43,83,869	15,87,662
सरकार बहराइच	18,23,435,	27,52,376	9,28,941
सरकार खैराबाद	19,87,700	65,46,453	45,58,753
सरकार लखनऊ	33,07,426	53,70,900	20,63,474
सरकार गोरखपुर	2,44,283	आंकड़ा अनुपलब्ध[15]	

कृषि प्रणाली :–

औरंगजेब कालीन सूबा अवध के विभिन्न भू–भागों में प्रचलित कृषि प्रणाली के सम्बन्ध में ऐतिहासिक स्त्रोंतों एवं स्थानीय साहित्य में बहुत ही कम उल्लेख मिलता है। पूरे सूबे में लगभग–एक तरह के कृषि सम्बन्धी औजार एवं बैलों द्वारा चालित हल का प्रयोग किया जाता था।[16] कृषक खाद का प्रयोग करने एवं फसलों को हेर–फेर कर बोने के लाभों से परिचित थे और व्यवहार में अपना रखा था। सामान्यतया कृषक वर्ष में दो से तीन फसल तक पैदा करते थे, किन्तु यह भूमि की उर्वरता, स्थानीय पद्धति तथा सिंचाई के साधनों तथा अन्य प्राकृतिक

कारणों आदि पर पूरी तरह से निर्भर होता था शाहजहां कृषक भी आज की तरह ही सिंचाई के लिए मानसून तथा कृत्रिम साधनों पर आश्रित रहते थे। अधिक अथवा कम वर्षा होने पर दोनों ही दशा में, कृषक कठिनाई में पड़ जाता था।[17] साधारण कुंए, नहर, तालाब अथवा कुण्ड जैसे सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर ही समस्त किसान निर्भर करते थे। सूबा अवध के दक्षिणी भाग में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती थी।[18] नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। किन्तु मुगल काल में सूबा अवध में किसी नहर के खुदने का उल्लेख नहीं मिलता हैं। किसान अधिकांशतः साधनों पर निर्भर करता था। और सूखा पर नदियों अथवा वर्षा से एकत्र पानी से खेतों को सींचता था।

सूबा अवध की प्रमुख फसलें :-

शाहजहां कालीन सूबा अवध में पचास फसलें पैदा की जाती थी जिनमें 21 रवी की फसलें थी और 29 खरीफ की फसल थी। इनमें से प्रमुख फसलों का विवरण इस प्रकार से है।

रवी की फसलें

1- फारसी तरबूज :-

प्रति बीघा राजस्व की अधिकतम मांग 230 दाम-4 जीतल दस्तूर[20] इब्राहिमबाद में और न्यूनतम मांग 110 दाम 20 जीतल दस्तूर बहराइच थी।

2- पोस्ता :-

प्रति बीघा राजस्व की अधिकतम मांग दस्तूर किशनी में 156 दाम-13

जीतल थी और न्यूनतम मांग इब्राहिमबाद दस्तूर में 115 दाम 20 जीतल था।

3– प्याज :–

प्रति बीघा पर अधिकतम मांग दस्तूर इब्राहिमबाद में 80 दाम 18 जीतल तथा न्यूनतम मांग दस्तूर अवध में 78 दाम था।

4– मेंथी :–

प्रति बीघापर अधिकतम मांग दस्तूर फिरोजाबाद में 78 दाम 20 जीतल तथा न्यूनतम मांग दस्तूर इब्राहिमबाद में 54 दाम 20 जीतल था।

5– भारतीय तरबूज :–

प्रति बीघापर अधिकतम मांग दस्तूर किशनी में 17 दाम 22 जीतल तथा न्यूनतम मांग दस्तूर अवध में 4 दाम 13 जीतल की थी।

6– कुल चावल :–

प्रति बीघा पर अधिकतम मांग दस्तूर इब्राहिमबाद व दस्तूर किशनी में 46 दाम 24 जीतल की थी जबकि न्यूनतम मांग दस्तूर फिरोजाबाद में 44 दाम 18 जीतल की थी।

7– अजवाइन :–

प्रति बीघा पर अधिकतम मांग दस्तूर इब्राहिमाबाद में 97 दाम जीतल की और न्यूनतम मांग दस्तूर किशनी में 79 दाम 10 जीतल की थी।

8–गेहूं :–

प्रति बीघा पर अधिकतम मांग दस्तूर इब्राहिमाबाद में 62 दाम 15 जीतल और न्यूनतम मांग दस्तूर अवध में दस्तूर बहराइच में 54 दाम 20 जीतल था।

9– जौ :–

अधिकतम मांग प्रति बीघा पर दस्तूर इब्राहिमबाद में 45 दाम 21 जीतल और न्यूनतम मांग दस्तूर बहराइच व दस्तूर खरौंसा में 38 दाम था।

10– कुसुम :–

प्रति मांग दस्तूर किशनी में 83 दाम 21 जीतल और न्यूनतम मांग दस्तूर फिरोजाबाद में 69 दाम 8 जीतल था।

11– पोथर्वस (एक तरह का पौधा) :–

प्रति बीघा पर अधिकतम मांग दस्तूर इब्राहिमाबाद में 76 दाम 2 जीतल तथा न्यूनतम मांग दस्तूर फिरोजाबाद में 54 दाम 20 जीत था।

12– अलसी :–

प्रति बीघा पर अधिकतम दर दस्तूर इब्राहिमाबाद में 35 दाम 20 जीतल और न्यूनतम दर दस्तूर बहराइच व दस्तूर खरोसा में 27 दाम 24 जीतल थी।

13– सरसों :–

अधिकतम दर प्रति बीघा दस्तूर इब्राहिमाबाद में 38 दाम तथा न्यूनतम

दर दस्तूर फिरोजाबाद में 24 दाम 15 जीतल की थी।

14— अज़ीन :—

प्रति बीघा पर अधिकतम मांग दस्तूर इब्राहिमाबाद में 24 दाम 15 जीतल की और मांग दस्तूर फिरोजाबाद में 7 दाम 22 जीतल की थी।

15— गाजर :—

प्रति बीघा पर अधिकतम दर दस्तूर इब्राहिमाबाद व दस्तूर में किशनी में 36 दाम 21 जीतल और न्यूनतम दर दस्तूर बहराइच में 28 दाम 7 जीतल की थी।

17— भारतीयउरद, मोठ :—

प्रति बीघा पर अधिकतम दर दस्तूर इब्राहिमाबाद व दस्तूर किशनी में 39 दाम 3 जीतल तथा न्यूनतम उर दस्तूर फिरोजाबाद में 32 दाम 11 जीतल की थी।

18— अदस :—

प्रति बीघा पर अधिकतम दर दस्तूर इब्राहिमाबाद में 35 दाम 20 जीतल और न्यूनतम दर दस्तूर फिरोजाबाद में 21 दाम 6 जीतल की थी।

खरीफ की फसलें

1— गन्ना (पोडा) :—

प्रति बीघा पर मांग अधिकतम दर 240 दाम 9 जीतल दस्तूर अवध,

दस्तूर बहराइच, दस्तूर खरोसा, भरवारा और दस्तूर गोरखपुर में थी जबकि न्यूनतम दर 203 दाम 15 जीतल दस्तूर फिरोजाबाद में थी।

2— सामान्य गन्ना :—

मांग की अधिकतम दर 190 दाम 15 जीतल दस्तूर अवध और दस्तूर भरवारा में थी जबकि न्यूनतम दर दस्तूर इब्राहिमबाद, बहराइच, खरोसा और गोरखपुर में 123 दाम था।

3— चावल (गहरे रंग का) :—

मांग की अधिकतम दर दस्तूर में 74 दाम 20 जीतल और न्यूनतम दर दस्तूर बहराइच में 62 दाम 5 जीतल का था।

4— सामान्य चावल :—

प्रति बीघा दर अधिकतम मांग की दर दस्तूर इब्राहिमबाद और ऊनम में 46 दाम 24 जीतल की थी जबकि न्यूनतम दर दस्तूर बहराइच खरोसा और गोरखपुर में 40 दाम 6 जीतल की थी।

5— माश (उर्द) :—

मांग की अधिकतम दर दस्तूर किशनी में 40 दाम 6 जीतल की थी और न्यूनतम मांग की दर दस्तूर बहराइच, खरोसा और गोरखपुर में 31 दाम 8 जीतल था।

6— कपास :—

अधिकतम दर दस्तूर इब्राहिमबाद, पाली और उनमें 93 दाम 23 जीतल और न्यूनतम दर दस्तूर अवध में भरवास में 83 दाम 21 जीतल था।

7— मोंथ :—

प्रति बीघा पर मांग की अधिकतम दर दस्तूर इब्राहिमाबाद में 41 दाम 20 जीतल और न्यूनतम दर दस्तूर पाली और ऊनम में 20 दाम 23 जीतल की थी।

8— जुवारी :—

प्रति बीघा मांग अधिकतम दर दस्तूर इब्राहिमाबाद, बहराइच, खरोसा और गोरखपुर में 38 दाम था जबकि न्यूनतम पाली, ऊनम में 32 दाम 15 जीतल की थीं

9— लहडरा :—

मांग की अधिकतम दर, दस्तूर इब्राहिमाबाद, पाली और उनम में 25 दाम 18 जीतल और न्यूनतम मांग की दर दस्तूर बहराइच, खरोसा और गोरखपुर में 23 दाम 18 जीतल थी।

10—गोदरम :—

प्रति बीघा पर मांग की अधिकतम दर, दस्तूर ऊनम में 41 दाम 8 जीतल और न्यूनतम दर, दस्तूर फिरोजाबाद, और खैराबाद में 25 दाम 18 जीतल थी।

11– मंडवा :–

मांग की अधिकतम दर, दस्तूर गोरखपुर में 55 दाम 18 जीतल तथा न्यूनतम मांग, दस्तूर ऊनम में 23 दाम 2 जीतल थी।

12– तिल :–

मांग की अधिकतम दर, दस्तूर खैराबाद में 45 दाम 21 जीतल तथा न्यूनतम मांग, दस्तूर इब्राहिमाबाद में 31 दाम 8 जीतल थी।

13– सांवा :–

मांग की अधिकतम दर, दस्तूर इब्राहिमाबाद में 19 दाम तथा न्यूनतम दर, दस्तूर किशनी, बहराइच, फिरोजाबाद, खरोसा, खैराबाद, गोरखपुर व लखनऊ में 12 दाम 8 जीतल थी।

14– मूंग :–

मांग की अधिकतम दर, दस्तूर में 48 दाम जीतल और न्यूनतम दर, दस्तूर बहराइच में 41 दाम 2 जीतल की थी।

15– पान :–

मांग की अधिकतम दर, दस्तूर इब्राहिमाबाद में 260 दाम 3 जीतल और न्यूनतम दर, दस्तूर, बहराइच, फिरोजाबाद व खरोंसा में 223 दाम 15 जीतल थी।

16– सिंघाड़ा :–

मांग की अधिकतम दर, दस्तूर, अवध, इब्राहिमाबाद, किशनी, बहराइच, फिरोजाबाद व खरोसा में 115 दाम 8 जीतल की थी।

रवी एवं खरीफ की उपरोक्त फसलों की मांग की अधिकतम दर एवं न्यूनतम दर आईन–ए–अकबरी में प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर दिया गया है।[21]

उत्पादन क्षमता के आधार पर भू–भागों का वर्गीकरण

रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलों के आधार पर विभिन्न दस्तूरों में उनकी मात्रा एवं खेती के प्रतिमान तथा कृषि सम्बन्धी गतिविधियों का नीचे अध्ययन किया गया है। तालिका में सबसे छोटा अंक सबसे कम उपजाऊ भू–भाग को तथा उच्चतम अंक संर्वाधिक उपजाऊ भू–भाग का सूचित करता हैं।

रवी की फसलों का भू–भाग (उत्पादकता के आधार पर)

एक विशेष फसल के उत्पादन से सम्बन्धित भू–भाग का आरोहण क्रम इस प्रकार से है–

कुर–चावलः–

(1) फिरोजाबाद (2) बहराइच (3) खरोंसा (4) इब्राहिमाबाद (5) किशनी

गेहूँ :–

(1) अवध (2) बहराइच (3) खरोंसा (4) फिरोजाबाद (5) किशनी (6) इब्राहिमाबाद।

जुबार :–

(1) फिरोजाबाद (2) खरोंसा (3) बहराइच (4) अवध (5) किशनी (6) इब्राहिमाबाद

मेंथी :–

(1) इब्राहिमाबाद (2) अवध (3) किशनी (4) बहराइच (5) फिरोजाबाद

पोथर्वस (एक तरह का पौधा) :–

(1) फिरोजाबाद (2) बहराइच (3) खरोंसा (4) किशनी (5) अवध (6) इब्राहिमाबाद

अजवाइन :–

(1) किशनी (2) खरोंसा (3) बहराइच (4) फिरोजाबाद (5) इब्राहिमाबाद

कुसुम :–

(1) फिरोजाबाद (2) अवध (3) बहराइच (4) खरोंसा (5) किशनी (5) इब्राहिमाबाद

फारसी तरबूजा :–

(1) बहराइच (2) अवध (3) फिरोजाबाद (4) खरोंसा (5) किशनी (5) इब्राहिमाबाद

खरीफ की फसलों का भू–भाग (उत्पादकता के आधार पर)

ज्वारी :–

(1) पाली (1) ऊनम (2) फिरोजाबाद (2) खैराबाद (3) लखनऊ (4) भरवारा (5) किशनी (6) अवध (7) इब्राहिमाबाद (7) बहराइच (7) खरोंसा (7) गोरखपुर।

सिंघाड़ा :–

(1) अवध (1) इब्राहिमाबाद (1) किशनी (1) बहराइच (1) फिरोजाबाद (1) खरोंसा

तिल :–

(1) इब्राहिमाबाद (2) लखनऊ (3) भरवारा (4) उनम (4) पाली (4) अवध (5) किशनी (6) बहराइच (6) खरोंसा (6) गोरखपुर (7) खैराबाद।

सामान्य चावल :–

(1) बहराइच (1) खरोंसा (1) ागोरखपुर (2) फिरोजाबाद (2) खैराबाद (3) किशनी (4) अवध (5) भरवारा (6) लखनऊ (7) इब्राहिमाबाद (7) पाली (7) ऊनम।

मूंग :–

(1) बहराइच (2) खरोंसा (2) पाली (2) ऊनम (3) गोरखपुर (4) अवध (4) फिरोजाबाद (4) खैराबाद (4) भरवारा (4) लखनऊ (5) इब्राहिमाबाद (6) किशनी।

चावल (गहरे रंग का) :—

(1) बहराइच (2) खरोसा (2) गोरखपुर (3) फिरोजाबाद (4) खैराबाद (4) अवध (5) भरवारा (6) इब्राहिमाबाद (6) किशनी (7) ऊनम (8) पाली

पान :—

(1) बहराइच (1) फिरोजाबाद (1) खरोंसा (2) अवध (3) किशनी (4) इब्राहिमाबाद

गन्ना (सामान्य) :—

(1) इब्राहिमाबाद (1) बहराइच (1) खरोंसा (1) गोरखपुर (2) किशनी (3) लखनऊ (3) ऊनम (5) पाली (6) फिरोजाबाद (6) खैराबाद (7) अवध (7) भरवारा।

गन्ना (पौंडा) :—

(1) फिरोजाबाद (2) खैराबाद (3) इब्राहिमाबाद (4) किशनी (5) पाली (5) लखनऊ (6) ऊनम (7) अवध (7) बहराइच (7) खरोंसा (7) भरवारा (7) गोरखपुर।

प्रत्येक दस्तूर की फसलवार क्षमता का अध्ययन करने के लिए रवी तथा खरीफ की दस प्रमुख फसलों का चयन किया जाता हैं। आईन–ए–अकबरी में प्रदत्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि रबी की फसल (14.9) की तुलना में खरीफ की फसल (14.7) का अच्छा उत्पादन होता था। निम्न तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि दस्तूर अवध और खरोंसा (1.9) रवी की फसल की पैदावार के लिए सर्वाधिक कम उपजाऊ भू–भाग था। खरीफ की फसलों के लिए दस्तूर अवध और इब्राहिमाबाद (41) सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र तथा जबकि दस्तूर बहराइच और गोरखपुर (29) सर्वाधिक कम उपजाऊ वाला भू–भाग था।

सूबा अवध की कृषि उत्पादन क्षमता का औसत

रवी एवं खरीफ की फसल के अनुसार

रबी की फसल[22]			खरीफ की फसल		
क्रं0सं0	दस्तूर का नाम	उर्वरता अलग–अलग का स्थिति	क्रं0स0	दस्तूर का नाम	उर्वरता का अलग अलग–अलग स्थिति
1	अवध	1.9	1	बहराइच	2.9
2	खरोंसा	1.9	2	फिरोजाबाद	2.9
3	फिरोजाबाद	2.0	3	गोरखपुर	3.0
4	बहराइच	2.1	4	खैराबाद	3.1
5	किशनी	3.4	5	खरौंसा	3.1
6	इब्राहिमाबाद	3.6	6	भरवारा	3.6
			7	लखनऊ	3.6
			8	पाली	3.7
			9	ऊनम	3.7
			10	किशनी	3.9
			11	इब्राहिमाबाद	4.1
			12	अवध	4.1
योग	14.9		योग–		41.7

मुगल शासकों ने कृषि की उन्नति के लिए भी प्रयत्न किया।[23] मुगल सम्राट अकबर के सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण के कारण कृषकों को विशेष रुप से प्रोत्साहन मिला। अबुल फजल के अनुसार "विश्व के स्वामी के सही दिशा में चिन्तन करने के कारण चीजें सस्ती हो गयी और इस कारण से सरकारी मांग को कृषकों पर तनिक भी दबाव नहीं पड़ा। महामहिम (सम्राट अकबर) ने रवी की फसलों पर सूबा इलाहाबाद, अवध और दिल्ली में 5½ भाग तथा हवेली इलाहाबाद में 1/5 भाग कम कर दिया। खरीफ की फसल के लिए उन्होंने सूबा इलाहाबाद और अवध में 1/6 भाग कम कर दिया[24] अबुल फजल ने आग लिखा है कि "खेती के विस्तार तथा प्रशासन के कुशलता के कारण (वस्तुओं के) मूल्य बहुत कम हो गय और बहुत से किसान सरकारी राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ हो गये। सूबा अवध इलाहाबाद आगरा, अवध, दिल्ली तथा सरकार सहारनपुर व बदायूँ में 1/8 भाग तथा सरकार सरहिन्द व हिसार में 1/10 भाग माफ कर दिया। इससे खलासा में 7 करोड़ 97 लाख, 81 हजार 8 सौ दाम आया।[25]

इस प्रकार मुगल कालीन सूबा अवध के कृषि क्षेत्रों का निरन्तर विस्तार हुआ सूबा में सरकार लखनऊ अन्य सरकारों की तुलना के क्षेत्र में अधिक विकसित थी इस सूबे की कृषि प्रणाली में कोई नवीनता नहीं थी। अपितु यहां भी परम्परा गत पद्धति पर कृषि होती रही। रबी की और खरीफ की फसलों को मिलाकर यहां लगभग 50 फसलें पैदा होती थी। किन्तु विभिन्न फसलों का उत्पादन पूरे सूबे में समान रुप से नहीं होता था। रवी की फसलों की पैदावार उच्च कोटि की थी। रबी की फसल की पैदावार के लिए दस्तूर अवध, फिरोजाबाद,

और खरोंसा कम उर्वर था। खरीफ की फसल के लिए दस्तूर अवध सर्वाधिक उर्वर क्षेत्र था जबकि दस्तूर बहराइच व गोरखपुर सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र था। मुगल सम्राटों की किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के कारण इस सूबे की कृषि का निरन्तर विकास होता रहा।

सन्दर्भ-सूची

1. डब्लू0 एच0 मोरलैण्ड "अकबर की मृत्यु के समय का भारत" (प्रथम हिन्दी रुपान्तरण, सुधाकिरण सिंहा) पृष्ठ 15: "आईन–ए–अकबरी" में अबुल फजल द्वारा, "सूबा अवध की खेती के सम्बन्ध में दिये गये तथ्यों के आधार पर मोरलैण्ड महोदय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहें हैं किन्तु उनका मत है कि सूबे जिन हिस्सों में खेतीबहुत पहले आरम्भ हो चुकी होगी उनकी औसत पैदावार शायद आज से भी कम रही होगी।" देखिए पृष्ठ 16–17

मुफ्ती गुलाम हजर, 1. इरफान हबीब "एग्टेरियन रिलेशन्स एण्ड लैण्ड रेवन्यू नार्थ इण्डिया दि कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया" वाल्यूम 1 1200–1750, (सम्पादक–तपनराय चौधरीत इर फान हबीब) पृष्ठ 244 पृष्ठ संख्या 244

आनन्द राम मुखलिस, "मीरात–उल–इस्तिलनह" पृष्ठ 122

इरफान हबीब, "दि एग्रोरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 140

नोमान अहमद सिद्दीकी, मुगलकालीन भू–राजस्व प्रशासन 1700–1750 पृष्ठ 35

एस. नूरुल हसन, "मुगलों के अधीन जमींदार" "मध्यकालीत भारत" वाल्यूम–1, 1981, पृष्ठ 40 प्रो0 नुरुल हसन का मत है कि "जमींदारी किसी विशेष भू–भाग का स्वामी भी हो सकता था।" एस नुरुल हसन "थाट्स एग्रोरियन रिलेशन मुगल इण्डिया," पृष्ठ 19

2. मुफ्ती गुलाम हजरत, "कवायफ–ए–जिला–ए–गोरखपुर" (इण्डिया आफिस लन्दन हस्तलिपि संख्या 45, 40 अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 23–29

"तारीख–ए–मुअज्जमाबाद मारुफ व गोरखपुर" (उर्दू अनुवाद डा0 अहमर लारी), मुख्तसर–तारीख–गोरखपुर, पृष्ठ 66

3. मुफ्ती गुलाम हजरत, "कवायफ–ए–जिला–ए–गोरखपुर (अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 24 "तारीख–ए–मुअज्जमाबाद मारुफ व गोरखपुर" (उर्दू अनुवाद डा0 अहमर लारी), मुख्तसर–तारीख–गोरखपुर, पृष्ठ 66"

4. मुफ्ती गुलाम हजरत, "कवायफ–ए–जिला–ए–गोरखपुर (अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 24 "तारीख–ए–मुअज्जमाबाद मारुफ व गोरखपुर" (उर्दू अनुवाद डा0 अहमर लारी), मुख्तसर–तारीख–गोरखपुर, पृष्ठ 67

5. सूबा अवध को अकबर ने बारह दस्तूरों (अवध इब्राहिमाबाद, किशनी, बहराइच, फिरोजाबाद, खरोंसा, खैराबाद, पाली, भरवारा, गोरखपुर, लखनऊ व ऊनम) में विभाजित कर रखा था। आईन–ए–अकबरी में प्रदत्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सभी दस्तूरों की उत्पादकता एक समान थी अपितु वे एक दूसरे से अलग थे।

6. वायजीद–व्यात (हिन्दी अनुवाद, पो0 राधेश्याम), पृष्ठ 272–73

7. "ट्रैवनिर्यर ट्रैवेल्स" इन इण्डिया, वाल्यूम 11, पृष्ठ 262

8. अखबारात, 47/320, उद्धत इरफान हबीब, "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 12 याद टिप्पणी संख्या 33.

9. मुफ्ती गुलाम हजरत, "कवायफ–ए–जिला–ए–गोरखपुर (अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 1, 25 "तारीख–ए–मुअज्जमाबाद मारुफ व गोरखपुर" (उर्दू अनुवाद डा0 अहमर लारी), मुख्तसर–तारीख–गोरखपुर, पृष्ठ 47, 67

10. स्लीमैन "ए जर्नी थ्रू दि किंगडम आफ अवध" पृ0 217.

11. स्लीमैन "कान्ट्रीब्यूसन टू दि पोलिटिकल ज्योग्राफी आफ दि सूबाज आफ अवध, बिहार बंगाल एण्ड उड़ीसा इन दि एज आफ अकबर" (सम्पादक

वी0 पी0 अम्बस्टप) पृष्ठ 8, उद्धत, सैय्यद नज़मुल रज़ा रिज़वी "सरकार गोरखपुर अण्डर दि मुगल्स" अवध विश्वविद्यालय शोध पत्रिका कला संकाय" वाल्यूम 1 संख्या एक, 1982 पृष्ठ 2 13

12. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी" वाल्यूम 11 (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट) सूबा की अवध सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन पृष्ठ 184–88

13. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी" वाल्यूम 11 (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट) पृष्ठ 181

14. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी" वाल्यूम 1 (अंग्रेजी अनुवाद ब्लोक मैन) पृष्ठ 60, आईन संख्या 23

15. सर जदुनाथ सरकार ने चहार गुलशन का अनुवाद करते समय रकमी आंकड़ों में अनेकों त्रुटियां की है। उन्होंने सरकार लखनऊ के आंकडों को गलती से सरकार गोरखपुर का लिख दिया है। (बहराइच 27, 52, 378 खैराबाद, 65, 50, 46, 458, लखनऊ 53, 84, 601 (इण्डिया आफ औरंगजेब) 1901, पृष्ठ (48)137–38

16. टेरी ने पैदल चलाने वाले हल का उल्लेख किया हैं जिसका इंग्लैण्ड में प्रयोग किया जाता था। "अर्ली ट्रैवेल्स इन इण्डिया" पृष्ठ 298

17. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1651–54), पृष्ठ 9–10 इरफान हबीब "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया", पृष्ठ 106

18. डब्लू0 एच0 मोरलैण्ड, "अकबर की मृत्यु के समय का भारत" पृष्ठ 97

19. गोरखपुर में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती थी। मुफ्ती गुलाम हजरत, "कवायफ–ए–जिला–ए–गोरखपुर" (अंग्रेजी अनुवाद), पृष्ठ 25

20. कुछ परगनों के एक समूह अथवा कभी–कभी केवल एक परगने के लिए

एक फसल की दर निर्धारित की जाती थी। वह स्थिर दर "दस्तूर" था। मोरलैण्ड एवं युसूफ, अकबर्स लैण्ड रेवेन्यू सिस्टम ऐज डिक्राइब्ड इन दि "आईन–ए–अकबरी" पृष्ठ 36, अबुल फजल का कथन है कि "अकबर के शासन काल के प्रारम्भिक वर्षों सही साम्राज्य के प्रत्येक भाग से प्रति वर्ष मूल्यों के विवरण की सूचना देने की परम्परा थी। शाही दरबार द्वारा परीक्षण करने के पश्चात उनकी स्वीकृत दी जाती थी और खर्चों (दर) को स्वीकृत मूल्यों के अनुसार नकद दरों में परिवर्तित किया जाता था। जिन्हें "दस्तूर–उल–अमल" अथवा "दस्तूर" कहा जाता था। अबुल फजल "आईन–ए–अकबरी" वाल्यूम 1 (अंग्रेजी) पृष्ठ 303 347 इरफान हबीब, "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 202 बीम्स का कथन है कि "दस्तूर आधुनिक जिलों के समान दिखते" देखिए, पृष्ठ 231 (एच0 एस0 जैरेट, "आईन–ए–अकबरी" वाल्यूम 11) पृष्ठ 95 सूबा अवध बारह दस्तकारों में विभाजित था। सरकार अवध तीन दस्तूरों में विभाजित था। इसके 21 महलों में से दो खैराबाद में सम्मिलित थे। इन दो महलों को छोड़कर शेष प्रथम दस्तूर में थे। इब्राहिमाबाद अकेले दूसरा तथा किशनी तीसरा दस्तूर था। सरकार बहराइच में भी तीन दस्तूर थे। खरोसा अकेले एक दस्तूर, सुल्तानपुर व फिरोजाबाद दूसरा दस्तूर शेष अन्य महल तीसरे दस्तूर में थे। सरकार खैराबाद भी तीन दस्तूरों में विभाजित था। प्रथम दस्तूर खैराबाद भी तीन दस्तूर में विभाजित था प्रथम दस्तूर खैराबाद के 12 परगनों का था। दूसरे दस्तूर में पाली के 8 महल थे और भरवार। तथा पिला तीसरा दस्तूर निर्मित करते थे। सरकार गोरखपुर में एक दस्तूर में था। सरकार लखनऊ में दो दस्तूर थे। एक दस्तूर में ऊनम, विलगांव, बांगरमऊ, हरदोई सीतापुर, फतेहपुर चौरासी कछन्दो मलावा थे जबकि

शेष 47 मघल दूसरे दस्तूर में थे। " अबुल फजल, आईन–ए–अकबरी" वाल्यूम 11 (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट) पृष्ठ 100–101

21. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी" वाल्यूम 11 (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट) पृष्ठ 101–102

22. गोरखपुर खैराबाद, पाली, ऊनम, भरवारा तथा लखनऊ अर्थात छः दस्तूरों की रबी की फसल का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

23. वीरान भूमि में खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निम्नतम दर पर उनका राजस्व निर्धारित किया गया था। यह प्रतिवर्ष क्रमशः बढ़कर पांचवे वर्ष में प्रचलित दर के बराबर हो जाती थी। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती थी। देखिए, इरफान हबीब, 'दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया' पृष्ठ 249–56, 212 तथा बाबूद की टिप्पणी।

24. अबुल फजल, "अकबरनामा" वाल्यूम 111 पृष्ठ 699

25. अबुल फजल, "अकबरनामा" वाल्यूम 111 पृष्ठ 875

षष्ठ अध्याय

उद्योग-व्यापार एवं वाणिज्य, वस्त्रधातु, कागज, चीनी, नील आयात तथा निर्यात

षष्ठ अध्याय

उद्योग व्यपार एवं वाणिज्य, वस्त्रधात, कागज, चीनी, नील, आयात तथा निर्यात

औरंगजेब कालीन भारत में उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में सूबा अवध का महत्वपूर्ण स्थान था। इस भू–भाग में बढ़िया किस्म के वस्त्र निर्मित करनों की विशिष्ट कला, दस्तकारी, कलईदार वर्तन बनाने तथा नील के उत्पादन की दीर्घ कालीन परम्परा विद्यमान थी। मुगल प्रशासन के अन्तर्गत सूबा अवध स्थापित शान्ति एवं स्थायित्व ने इस भू–भाग की कृषि, उद्योग व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसके फलस्वरुप अवध में निर्मित वस्तुओं का विदेशों में निर्यात करने हेतु यूरोपीय व्यापारी इस भू–भाग में अपने उद्योग संस्थान एवं कल–कारखानें स्थापित करने के लिए आकृष्ट हुए फैक्ट्री अभिलेखों में सूबा अवध ा का अन्य सूबों तथा विदेशों से होने वाले व्यापार की प्रकृति मात्रा एवं विस्तार का पर्याप्त विवरण मिलता है। किन्तु समकालीन ऐतिहासिक स्त्रोंतों एवं विदेशों यात्रियों के विवरण में इस भू–भाग के उद्योग–धन्धों एवं व्यापार के विकास का पर्याप्त उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मूल कारण सूबा अवध का साम्राज्य के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण सामरिक मार्गो से अलग स्थित होना था। इस कमी के कारण कुछ आधुनिक विद्वानों ने भी मुगलकालीन वाणिज्य इतिहास में सूबा अवध को महत्वपूर्ण नहीं माना है।[1] अतएव सूबा अवध के उद्योग–धन्धों, व्यापार एवं

वाणिज्य के अध्ययन की आवश्यकता बनी हुई है। इस अध्याय में सूबा अवध के उद्योग–धन्धों व्यापार एवं वाणिज्य का अध्ययन किया गया है।

सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मुगल काल में "उद्योग" शब्द का यह भाव नहीं था जो आजकल है। उस समय उद्योगों की प्रकृति एवं पद्धति पूर्णतया भिन्न थी, अतएव आधुनिक उद्योगों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी।

मुगल काल में उद्योग–धन्धे विशिष्ट जातियों द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होते थे। अतएव वे जातीय संगठन से जुड़े हुए थे। उस समय व्यवसाय वंशानुगत थे और जाति निर्धारण व्यवसाय के आधार पर होता था। जातियां विभिन्न प्रकार की दस्तकारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। और प्रत्येक दस्तकारी उस समय एक उद्योग माना जाता था। विशिष्ट दस्तकारी पीढ़ी दर पीढ़ी पिता द्वारा पुत्र तथा परिवार के अन्य सदस्यों को प्रदान की जाती थी।[2] परिवार का मुखिया संग उद्योग का स्वामी, पूंजीपति एवं वितरक होता था।

उद्योग की प्रकृति एवं महत्व के आधार पर शिल्पियों को संख्या निर्भर करती थी। सूबा अवध के उद्योग–धन्धों की प्रकृति एवं स्वरुप इसी प्रकार का था। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योगों तथा यहां के वाणिज्य एवं व्यापार का विवरण इस प्रकार से है।

वस्त्र उद्योग :–

भारतीय उद्योगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग था। इसके अन्तर्गत सूती, ऊनी तथा रेशमी तीनों प्रकार के हैं। सम्मिलित थे। इसमें सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्राचीन थी।[3] सूती वस्त्रों को तैयार करने की कला का निरन्तर विकास होता रहा, और मुगल–काल के प्रारम्भ होने के समय तक यह अत्यधिक

विकसित चुका था। मुगल काल में भी इस कला का पर्याप्त विकास हुआ।[4] परिणाम स्वरुप सूती वस्त्र उद्योग इतना विकसित एवं बड़ा हो गया था कि कोई भी ऐसा नगर, परगना, कस्बा अथवा गाँव नहीं था जहां पर उद्योग स्थापित न हो।[5] मुगलकाल में सूबा अवध सूती वस्त्र निर्मित होते थे और विशिष्ट नामों से जाने जाते थे।[6]

क्र0सं0	किस्म	उदगम स्थान उत्पादन केन्द्र	अन्य विवरण	स्त्रोत सन्दर्भ सूची
1—	खासा	लखनऊ	निर्यात हेतु	दि इंग्लिश फैक्ट्री इन इण्डिया (1651—54) पृष्ठ 52
2—	छींट	जसजादपुर	————	हदीकत—उल—अका —लीम, पृ0 126,ए0—अन्य भागों में पीटर मंडी
	"	" "	निर्यात	वाल्यूम 11, पृ0 61 ए
	"	सीतापुर	—————	थेबोनाट, 57,उद्धत इरफान हबीब, एवं एहलश आफ दि मुगल इम्पायर, पृ0 33 सीट नं0 9 ए0
3—	गज्जी	" "	खैराबाद	18 से 18 3/4 X 3/4 दि इंग्लिश, सफेद वरंगीन (1642—45) प0 299, हदीकत प0 154

4–	दरियावादी	दरियावादी	–––––	दि इंग्लिश फैक्ट्री इन इण्डिया (1637–41)पृ0 192
5–	अकबरी	लखनऊ व जलालपुर	–––––	दि इंग्लिश फैक्ट्री इन इण्डिया (1651–54) पृष्ठ 52
6–	खैराबादी	खैराबादी	–––––	दि इंग्लिश फैक्ट्री इन इण्डिया (1646–50)पृष्ठ254
7–	महिरकुल	नवगांव	निर्यात	दि इंग्लिश फैक्ट्री इन इण्डिया (1651–54) पृष्ठ 9
8–	तंजेब	लखनऊ	–––––	होय, टेड, पृष्ठ 123
9–	सफेद कपड़ा	खैराबाद	–––––	पीटर मंडी,वाल्यूम 11,पृ0140
10–	दुपट्टा	सुल्तानपुर	–––––	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1681–21) पृ0 193

17वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही लखनऊ सूती वस्त्रों का एक प्रमुख औद्योगिक एंव व्यापारिक केन्द्र बन गया था।[7] विलियम फिंच ने "लीनेन"[8] का बड़े पैमाने पर व्यापार होने का उल्लेख किया है।[9] अंग्रेजी व्यापारी के "मिहिरकुल" वस्तों[10] में विशेष रुचि रखते थे।[11] इसी कारण मिहिर कुल वस्त्रों की कीमत में वृद्धि का भी उदाहरण मिलता है। वर्नेल के अनुसार अनाज एवं कपास के मंहगा होने एवं घनाभाव के कारण नवगांव के "मिहिरकुल वस्त्रों" की कीमत 20 रुपये से 22

रुपया, फिर बढ़कर 30 रुपया प्रति कोड़ी था।[13] लखनऊ में निर्मित होने वाले विशिष्ट किस्म के वस्त्रों में "अकबरी" कपड़ा[14] छपे हुए एवं "दरियावादी" कपड़े विशेष रुप से उल्लेखनीय थे। अंग्रेजी कम्पनी प्रायः लखनऊ से भूर कपड़ों को खरीद करके बड़ौदा ले जाती थी। और वहां साफ करके अधिक मूल्य पर बेंचती थी तथा पर्याप्त लाभ अर्जित करती थी।[15] लखनऊ क्षेत्र से सादे सूती वस्त्रों को खरीद कर अंग्रेजी कम्पनी उसे कैम्बरुन तथा इंग्लैण्ड में निर्यात करती थी।[16] बर्नियर के अनुसार डच लोगों में भी लखनऊ में अपनी एक कोठी निर्मित की थी, और अपने प्रतिनिधियों को प्रत्येक मौसम में लखनऊ के सूती वस्त्रों को खरीदने के लिए भेजते थे।[17]

सूती वस्त्रों उद्योग का दूसरा प्रमुख केन्द्र दरियावाद था।[18] यहां निर्मित वस्त्र विशेष रुप से "मिहिरकुल" को सर्वोत्तम किस्म का माना जाता था। 1640 ई0 में मुख्य रुप से "दरियावादी" माल की पूर्ति के लिए लखनऊ में एक औद्योगिक सस्थान खोला गया था। 1641 ई0 में बड़ौदा के चौड़े वफ्ता (मोटे किस्म का कपड़ा) की अपेक्षा "मिहिरकुल" को कम्पनी ने वरीयता दी और "दरियावादी" माल कम करने पर ही गुजराती वस्त्र द्वारा उनकी पूर्ति की गयी।[19] अंग्रेजी व्यापारी खैराबाद[20] की तुलना में भी दरियावादी बस्तों को अधिक वरियता देते थे। क्योंकि वह तुलनात्मक रुप से अधिक चौड़ा होता था।[21] पीटर मंडी के अनुसार :— "दरियावादी" और खैराबादी वस्त्र सूरत में पटना वस्त्र के रुप में पहचाना जाता था।[22] दरियावादी कपड़ों का विदेशों में निर्यात केवल आगरा से ही नहीं, अपितु पटना और लाहौर आदि अन्य व्यापारी केन्द्रों से होता था।[23] यूरोप में दरियावादी कपड़े अत्यधिक लोकप्रिय थे।[24] "दरियावादी" कपड़ों का निर्यात—इंग्लैण्ड[25], गुयाना[26], कैम्बसन[27], हालैण्ड[28], तथा बसरा आदि को किया जाता था। 1644 ई0

में अंग्रेजी व्यापारियों ने यहां से लग–भग 0,000 टुकड़ों कपड़ों का क्रय किया था। जिसका लग–भग आधा भाग इंग्लैण्ड तथा पक्का तथा बसरा भेजा था।

सूबा अवध में अच्छे किस्में के सफेद सूती वस्त्रों का एक अन्य प्रमुख केन्द्र खैराबाद था।[30] डच व्यापारी तो खैराबादी वस्त्रों की खरीद के लिए नहीं बस गये थे। 1645 ई0 में अंग्रेजी कम्पनी ने खैराबाद में निर्मित "गजी" या "वफ्ता" नामक उत्तम किस्म के वस्त्र का क्रय किया था। उस समय इस वस्त्र का मूल्य 25, रुपया प्रति कौड़ी (20 टुकड़े) था। लेकिन वस्त्र के एक टुकड़े का आकार बड़ा होने के कारण उसका मूल्य लग–भग 30 रुपया प्रति कोड़ी पड़ता था। आगरा में उपलब्ध खैराबादी वस्त्रों को इंग्लैण्ड निर्यात करने के लिए खरीदा जाता था।[31]

अवध भी सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र था। पलजेरत के अनुसार "अवध में 16 गज (32 इंच का गज) के टुकड़े में मांता कपड़ा तैयार होता था।"[32] अवध तथा उसके बाहर की व्यापारिक गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि अवध में वृहत पैमाने पर कपड़ा तैयार होता था। मुगल तथा अवध व विहार के निवासी (पटना में) मधुमक्खियों के समान एकत्रित थे। और मेन्डिल, गिरडिल, लचीज तथा दुपट्टा का क्रय करते थे।[33] इन सब कपड़ों को क्रय करके लाहौर और पुनः वहां से फारस ले जाया जाता था।[34]

इस प्रकार सूबा अवध में लखनऊ, दरियावाद, खैराबाद व अवध सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र था। इसके अतिरिक्त सूती वस्त्र के उत्पादन केन्द्र के रुप में जलालपुर[35] का भी महत्वपूर्ण स्थान था।

जहां से डच व्यापारी अत्यधिक मात्रा में वस्त्र खरीदते थे।[36] अंग्रेज ने भी जलालपुर में निर्मित सूती वस्त्रों के क्रय के लिए अपना एक औद्योगिक संस्थान स्थापित किया था।[37] सूबा अवध में अकबर[38] सुल्तानपुर, सीतापुर व नवगांव[39] सूती वस्त्र उत्पादन के अन्य प्रमुख केन्द्र थे।[40]

सूती वस्त्रों का उपयोग केवल निर्धन एवं मध्यम वर्ग के लोग ही नहीं करते थे, अपितु छोटे मनसबदार भी जो अपने सैनिकों के वेतन सहित एक हजार रुपया वेतन के रुप में प्राप्त करते थे, सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे।[41] सूती कपड़ों का प्रयोग केवल कपड़े के पहनने के कपड़े के रुप में ही नहीं किया जाता था, बल्कि अन्य कार्यों में भी होता था। विस्तार, चादर, खोल, तकिया, मच्छरदानी, सजावट कनात व तम्बू निवाड़, विदेशों में निर्यात अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाने वाली वस्तुओं की पैकिंग (बण्डल में बाँधने) के लिए तथा प्रकाश करने के लिए बत्ती आदि। अन्य बहुत से कार्यों में सूती वस्त्रों का उपयोग होता था।[42]

इस प्रकार सूती वस्त्रों की देश तथा विदेश में अत्यधिक खपत थी। समाज का अधिकतम भाग आर्थिक दृष्टि से सस्ते कपड़ों का उपयोग करने में ही सभा था। अतएव सस्ते किस्म के सूती कपड़ों की मांग निरन्तर करती जा रही थी। व्यापारियों की रुचि भी सस्ते कपड़ों के व्यापार में अधिक थी। इसी कारण सूबा अवध में निर्मित होने व्यापारी जो थोक विक्रेता होता था। कपड़े की विक्रय निर्धारित करता था। यहां पुनः गुमाश्त अथवा विचौलिया व्यापारी की और से विक्रय के लिए कार्य करता था। विदेशी व्यापारी अपने सामन्त व्यापार विनियम

के लिए इन्हीं विचौलियों पर निर्भर करता था।[44]

सूती माल के स्थानीय विक्रेता को बजाज कहा जाता था। वे अपने माल की आपूर्ति के लिए बड़े व्यापारियों पर प्रायः निर्भर करते थे। कभी–कभी वे सीधे बुनकरों अथवा बड़ी पण्डियों से भी जहां सरकारी मुहर लगती थी। माल क्रय करते थे। इन दोनों परिस्थितियों में वे थोड़ी बचत कर लेते थे। प्रत्येक नकद क्रय–विक्रय की रसीद बजाज देता था। यह पद्धति दैनिक हिसाब को नियमित रुप से रखने की परम्परा को स्पष्ट करते हैं।[45]

बजाज की तृतीय श्रेणी छोटे विक्रेताओं अथवा फेरी वालों थी जो केवल कस्बों में ही नहीं अपितु गांवों में भी व्यापार करते थे। उनका व्यापार उधार पर भी चलता था। वे कपड़ों की उधार कीमत को नगर तथा अनाज के रुप में भी लेते थे।[46]

सूबा अवध में सूती वस्त्रों की उत्पादन की कुल मात्रा प्रति वर्ष कितनी थी, और उनमें कितनी बढ़ोत्तरी अथवा कमी हुई, इस पर आंकड़ों के अभाव में कोई प्रकाश डालना सम्भव नहीं है। सूबा अवध के अन्दर देश के अन्य भागों में यहां के निर्मित वस्त्रों की प्रति वर्ष कितनी खपत होती थी। यह स्पष्ट नहीं है। विदेशों में निर्यात होने वाले सूबा अवध के सूती वस्त्रों की मात्रा का भी पता नहीं चलता। डच नेपाल के व्यापारियों द्वारा आयात किये जाने वाली सूती वस्त्रों की मात्रा का भी विवरण नहीं मिलता है। किन्तु अंग्रेज व्यापारियों द्वारा स्थापित औद्योगिक संस्थाना में उपलब्ध विवरण के आधार पर उनकी व्यापारिक गतिविधियों पर कुछ प्रकाश पड़ता है। वाले "खैराबादी" "दरियावादी" और "मिहिरकुल"

नामक सूती वस्त्रों की मांग यूरोपीय व्यापारियों में बढ़ गयी थी।

सूती वस्त्रों के व्यापार के स्वरुप एवं संगठन के सम्बन्ध में थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध होती थी। बुनकर या तो अपनी निजी व्यय पर अथवा कुछ व्यापारियों के व्यय पर माल तैयार करता था। वह अपना निजी माल न तैयार करने की स्थिति में व्यापारी से उसके आदेश पर तैयार होने वाली कपड़े की किस्म एवं आकार के आधार पर अग्रित धनराशि ले लेता था। इसमें माल देने की स्थिति भी निश्चित होती थी। और माल दे देन के पश्चात् बुनकर अनुबन्ध से मुक्त हो जाता था। और अपने अगला कार्य क्रम को निर्धारित करने को स्वतंत्र हो जाता था। व्यापारियों का सीधे बुनकरों से व्यापार सम्बन्धी अनुबन्ध करना जरुरी रहीं होता था, उनके द्वारा विशेष सबसे माल के सम्बन्ध में प्रदत्त निर्देशों के साथ एक अथवा दो एजेंट नियुक्त किये जा सकते थे। अग्रिम धनराशि भी एजेंटों के मध्य से देने का कार्य करते थे। किन्तु एजेंटों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधि ाकार प्राप्त नहीं होता था। ये एजेंट विभिन्न श्रेणी के होते थे। लेकिन वे सभी बुनकर तथा व्यापारी के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। गुमाश्ता अथवा एजेन्टों के प्रतिनिधि विचौलिया था दलाल कहलाते थे। और उनसे निम्न श्रेणी के पैकर कहलाते थे। ये गुमाश्ते तथा दलाल प्रत्येक नगर एवं कस्बे में रहते थे। तैयार किये गये कपड़े एक साथ बाजार में इकट्ठा किये जाते थे। जहां पर उन सरकारी ठप्पा लगाया जाता था। यही, पर सरकार द्वारा कपड़े के विनियम पर कर लगाया जाता था। तथा वस्त्र–विक्रेता को एक मुचत्य का भरना पड़ता था। जिसके द्वारा वे अपने समस्त व्यापार सम्बन्धी कारबार की कोतवाल को सूचना देने के लिए वचनबद्ध होते थे। इस प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र विक्रेता पर नियंत्रण रखा

जाता था। इसके पश्चात् सूबा अवध के सूती वस्त्रों के व्यापार में अंग्रेजों की सदैव महत्वपूर्ण स्थान रहा।[47]

यद्यपि उनकी लखनऊ स्थित फैक्ट्री 1653 ई0 में अस्थायी रुप से बन्द करनी पड़ी थी। किन्तु एजेन्टों के माध्यम से उनकी व्यापारिक गतिविधियों निरन्तर जारी रही। उन्होंने एजेन्टोंके माध्यम से दरियावाद, खैराबाद, लखनऊ, अकबरपुर तथा नवगांव से सूती वस्त्रों का क्रय किया और उसे आगरा के मार्ग से बड़ौदा, अहमदाबाद तथा सूत ले जाकर वहां से बैठक, मक्का, बसरा एवं यूरोप के विभिन्न भागों में निर्यात किया।[48] 1660 ई0 में लखनऊ में अंग्रेजी की फैक्ट्री पुनः स्थापित हुई और व्यापक रुप से उनका व्यापार चालू हो गया।[49]

निम्न तालिका 1634 ई0 से 1667 ई0 तक अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा अवध से बाहर तथा विदेशों में निर्यात किये जाने सूती वस्त्रों की मात्रा को दर्शाती है–

सूती वस्त्र निर्यात तालिका

दिनांक	राशि	उद्गम स्थान	गन्तव्य स्थान	स्त्रोत सन्दर्भ सूची
10—10—1634	10,000रु माल से प्राप्त	दरियावाद	सूरत	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1634—36) पृ0—146
11—11—1639	20,000 टुकड़े	दरियावाद	कैम्बरुन, मक्का	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (167—41) पृ0—192
1639	20,000	दरियावाद	हालैण्ड	इण्डिया फ्राम अकबर टू और गजेब, पृष्ठ 13,133
29—12—1640	99 गट्ठर	दरियावाद	इंग्लैण्ड	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1637—11) पृ0—233
28—01—1640	6,000 टुकड़े	दरियावाद	इंग्लैण्ड	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1637—41) पृ0—232
29—11—1641	20,000 टुकड़े	दरियावाद	इंग्लैण्ड	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1642—45) पृ0—312
27—01—1644	100 गट्ठर	दरियावाद	इंग्लैण्ड	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1642—45) पृ0—137

28—11—1644	30,000 टुकड़े	दरियावाद	आधाइंग्लैण्ड आधा मक्का बसराके लिए	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1642—45) पृ0—202
7—12—1648	261 गट्ठर		अहमदाबाद	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1646—50) पृ0—225
6—12—1648	20,000 टुकड़े	दरियावाद	इंग्लैण्ड	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1646—50) पृ0—138
25—01—1650	15 गट्ठर	लखनऊ	इंग्लैण्ड	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1646—54) पृ0—294
28—01—1650	150 गट्ठर	लखनऊ	अहमदाबाद	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1651—54) पृ0—52
08—04—1651	169 गट्ठर	लखनऊ	बसरा	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1651—54) पृ0—52
1656	3,000 टुकड़े	दरियावाद	सूरत	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1655—60) पृ0—70

1658	10,000 टुकड़े	दरियावाद	सूरत से इंग्लैण्डमोरलैण्ड	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया पृ0— 131
28—02—1662	20,000 टुकड़े	दरियावाद	मक्का	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1661—64) पृ0—188
15—02—1667	60,000 टुकड़े	दरियावाद	सूरत	दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया (1665—67) पृ0—263

इस प्रकार सूबा अवध में सूती वस्त्र–उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान था। जो पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से उन्नति कर रहा था। और सूती वस्त्रों का सूबे से बाहर तथा विदेशों में निर्यात हो रहा था।

समाज का अधिकतम भाग जहां सूती वस्त्रों का उपयोग करता था वही अमीरों का एक छोटा सा वस्त्र रेशम, श्रेष्ठ मसलिन, श्रेष्ठ किमख्वाब तथा साटन द्वारा निर्मित वस्त्रों का उपयोग करता था। जाड़े में अमीर वर्ग "फर" और "ऊनी" वस्त्रों को पहनावा था। चूंकि रेशमी धागे का अधिकांश औश आयात किया जाता था। और देश में रेशम, शहतूत खाने वाले कीड़ों द्वारा अल्प मात्रा में पाया जाता था। अतएव रेशमी वस्त्र उद्योग सूबा अवध में नहीं के बराबर था। जहां तक ऊनी वस्त्रों का सम्बन्ध है। अबुल फजल ने "आईन" में अपने बाहर सूबों के विवरण में अवध में आयात होने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया हैं।[50] तिब्बत अथवा अन्य किसी स्थान से ऊन के आयात का उल्लेख नहीं किया गया है, यद्यपि अवध में उत्तर की ओर से ऊनी वस्तुएं पहुचंती थी। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि मोट किस्म के ऊन की सीमित आपूर्ति थी और ऊनी वस्तुएं काफी महंगी थी।[51] समाज का उच्चतम वर्ग विदेशी ऊनी "शाल" का भी उपयोग करता था।[52] इस प्रकार कच्चे माल के अभाव के कारण ऊनी वस्त्र के व्यवसाय ने कोई विशेष प्रगति नहीं की, किन्तु वर्नियर के वर्णन से ज्ञात होता है कि कारीगर कुशल और चतुर होते थे। वे किसी भी विदेशी डिजाइन से मिलता–जुलता सामान तैयार करने में उत्पन्न दक्ष थे।[53] ऊनी कपड़ा के अतिरिक्त वे गलीचे भी बनाते थे किन्तु ये गलीचे फारस की तुलना में घटिया किस्म के होते थे।[54] इस कारण इसका सामान बाहर

से ही आता था। इस प्रकार रेशमी तथा ऊनी वस्त्र उद्योग का सूबा अवध के व्यापारिक दृष्टि से कोई महत्व न था।

धातु–उद्योग :–

वस्त्र उद्योग के पश्चात् दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग विभिन्न धातुओं से वस्तुओं का निर्माण का था। यह उद्योग प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध था। भारतीय शिल्पी विभिन्न धातुओं का प्रयोग करने में पूरी तरह से सिद्धान्त थे। अबूल फजल निश्चित पूर्वक कहता है कि भारतीय धातु शिल्पी पूर्णतः समझते हैं। कि विभिन्न धातुओं तथा लोहा, पीतल, चांदी, जस्ता, (कांसा) मिश्र धातुओं (अस्त्र धातु) और अभ्रक (कोल पत्थर) का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए।[55] मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में लोहे से निर्मित सामानों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। कृषि सम्बन्धी यन्त्र पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से लोह के बने होते थे। लोहार, बढ़ई, राजगीर, मूर्तिकार, दर्जी, हलवाई, चीनी, निर्माता, तेली, रंगरेज, धोबी, कसाई, माली, नाई, मोची आदि के काम करने के यंत्र लोहे के बने होते थे। यंत्र लोहें के बने होते थे। भवनों का निर्मार्ण में लौह की कील कुण्डी, खूंटी, सलाखें सींखना पेंच जाली आदि की आवश्यकता पड़ती थी। प्रत्येक परिवार के रसोई घर में लोहे के सामनों की भरमार होती थी। युद्ध सम्बन्धी अस्त्र–शस्त्रों का निर्माण भी प्रायः लोहे से ही होता था। इस कारण प्रत्येक ग्राम से लेकर बड़े नगरों तक लोहे का उद्योग फैला हुआ था। बड़े नगरों में अधिक संख्या में लोहार रहते थे। उनके बड़े नगरों में रहने का प्रमुख कारण था। कि काम करने के लिए आसानी से प्राप्त हो जाता था। तथा अपनी मजबूती

से ठीक प्रकार से पाते थे। यद्यपि सूबा अवध में लोहे का आयात होता था। किन्तु लोहें के सामानों के निर्माण का उद्योग अत्यधिक विकसित था। लखनऊ अपने ध ानुष निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था।[56]

सोना, कांसा, तथा चांदी के आभूषणों तथा बर्तनों का उद्योग एवं व्यापार सूबा अवध में अत्यधिक विकसित था। समृद्ध वर्ग में तो आभूषणों का प्रचलन था ही मध्य एवं साधारण वर्ग भी अपनी हैसियत के अनुसार आभूंषण धारण करता था। आभूषण का प्रयोग स्त्री–पुरुष तथा बच्चे सभी द्वारा होता था। सूबा अवध में सोना भी पाया जाता था। अबुल फजल के अनुसार "अयोध्या के आस–पास के भूमि से मिट्‌टी हटाकर सोना प्राप्त किया जाता था।"[57] सुजान राय भी सूबा अवध में सोने की खान का उल्लेख करता था।[58] अतएव यहां स्वर्णाभूषणों का निर्मित होना स्वाभाविक था। अयोध्या में सोने के आभूषण निर्मित होते थे।[59] अयोध्या के सर्राफों का कारावर अत्यधिक उन्नत दशा में था। 1670 ई० में पद्य के द्वारा मोरंग में शाहशुजा के आभूषणों का क्रय किया गया था।[60] बहराइच से उत्तर के पहाड़ों में आभूषणों के निर्यात का उल्लेख अबुल फजल ने किया है।[61] मुगल सम्राट अकबर के समय में धातु–कार्य ने अत्यधिक उत्कृष्टता प्राप्त कर ली थी। अबुल फजल ने अलंकार बनाने वाले स्वर्णाकारों की प्रशंसा करते हुए कहता है कि कभी–कभी उन्हें अलंकार में प्रयुक्त धातु के मूल्य का दस गुना पारिश्रामिक दिया जाता था।[62] सोने के आभूषणों के अतिरिक्त सोने–चांदी के बर्तन एवं विभिन्न नमूनों के झाड़–फानूस बनाने का काम भी स्वर्णकार करता था। इसी प्रकार वह मीनाकारी जड़ाऊ, बेलबूटे, क़सी दाकारी, सजावट एवं अन्य नाजुक कामों को भी करता था।[63]

तांबे तथा पीतल की वस्तुओं के निर्माण का उद्योग भी अत्यधिक विकसित था। मुस्लिम घरों में प्रयोग होने वाली घरेलू वस्तुओं सामान्यतः तांबे की ही बनी होती थी, हिन्दुओं के घरों में पीतल अथवा मिश्रित धातुओं के वर्तन प्रयोग में लाये जाते थे। निर्धन लोग आभूषणें बनाने के लिए भी तांबे का प्रयोग करते थे। तांबे का प्रयोग बन्दूक तथा तोपों के लिए भी होता था।[64] सूबा अवध में लखनऊ अपने तांबे के लिए बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था।[65] तांबे का प्रयोग सिक्कों के ढलाई में भी होता था। बहराइच में डोकेन तथा गोरखपुर में तांबे के सिक्के ढ़ाले जाते थे।[66]

सूबा अवध में स्थित गोरखपुर शीशे के उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र था।[67] शीशे का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से ही होता था। मुगल काल में शीशे से निर्मित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे मीनाकारी की गयी। बोतल, हुक्के, के प्याले, तश्तरियां, तश्तरीए, ढ़क्कन, पीकदान, गुलदस्ते, दर्पण तथा ऐनक आदि का भी प्रयोग में आती थी।

कागज–उद्योग :–

मुगल काल में कागज–उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ। यद्यपि इस काल में शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित होने के कारण कागज की खपत अधिक नहीं थी। कागज का उपयोग विदेशी मिशनरियों, कार्यालयों, स्कूलों तथा व्यापारियों द्वारा किया जाता था। किन्तु मुगलों द्वारा इसका सर्वाधिक उपयोग होता था। उनका अधिकांश कार्य पत्र–व्यवहार द्वारा होता था। इसलिए उसे "कागजी–राज" कहा जाता था।[68] उत्तम किस्म के कागज का प्रायः उपयोग

शाही फरमानों के लिए होता था। टिकाउं तथा मध्यम प्रकार के कागज का प्रयोग बुद्धिजीवियों, समाचार–पत्रों, सौदागरों तथा दलालो द्वारा लेखा के निमित्त तथा जिल्द सजी आदि में मोटे तथा मजबूत किस्म के कागज का प्रयोग होता था। इस प्रकार कागज की खपत क्रमशः बढ़ने के कारण कागज बनाने के उपयोग का विकास क्रमशः होता गया। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन काल में सूबा अवध ा में भी कागज का उत्पादन होता था।[69] पीटर मंडी के अनुसार "शाहजादपुर में भी कागज का बनाया जाता था।"[70]

चीनी–उद्योग :–

सूबा अवध में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होने के कारण चीनी उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान था। लखनऊ तथा पि ्हानी चीनी उत्पादन के दो महत्वपूर्ण केन्द्र थे। जिसमें पिहानी की चीनी उत्तम किस्म की मानी जाती थी।[71] इसके अतिरिक्त सरकार लखनऊ के परगना मनावा में स्थित दरियापुर में चीनी बनायी जाती थी।[72] सरकार गोरखपुर में भी थोड़ी मात्रा में चीनी तैयार दी जाती थी।[73] सूबा अवध से चीनी का निर्यात किया जाता था। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा लखनऊ चीनी को वरीयता दी जाती थी। क्योंकि यह दक्षिण की चीनी से मोटी होती थी। और मालाबार में तैयार की जाने वाली चीनी की मात्रा अंग्रेजी कम्पनी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपर्याप्त थी।[74] चीनी का प्रयोग सम्पूर्ण देश में मिठाई तथा मीठे खाद्य पदार्थ बनाने के लिए होता था। सूबा अवध में लखनऊ की बनी हुई मिठाई सम्पूर्ण क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध थी।[75] चीनी के बारीक टुकड़ों को एकत्रित करके शोरा (सल्फर) भी बनाया जाता था। जिसमें निर्यात इंग्लैण्ड को

किया जाता था।[76]

चमड़ा–उद्योग :–

भारत में चमड़े का उद्योग अत्यधिक प्राचीन था। इस उद्योग के उद्योग के कारीगरों की अलग एक जाति बन गयी थी जिन्हें चार (चर्मकार) कहा जाता था। मृत जानवरों के चमड़े से चमार (चर्मकार) तलवार की म्यान, जूते–चप्पल आदि बनाते थे। कमर में बांधने वाली पेटी भी वे बनाते थे। सूबा अवध में सामान्यतः प्रत्येक अच्छे किसान के पास चमड़े की एक "मयूक" उपलब्ध थी जो कृषि कार्य में सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती थी।[77] चमड़े का उद्योग अधिकतर लखनऊ में ही होता था। सूबा अवध में चमड़े का उद्योग बहुत उन्नत दशा में तो नहीं था किन्तु फिर भी थोड़ी मात्रा में चमड़े से निर्मित वस्तुएं तैयार की जाती थी। कुछ मात्रा में चमड़े की वस्तुएं सूबा अवध में बाहर से भी महंगाई जाती थी।[78]

नील–उद्योग :–

नील का उपयोग कपड़ों की रंगाई धागों की सफेदी बढ़ाने तथा रंगों के लिए किया जाता था। सूबा अवध में नील का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था।[79] सरकार लखनऊ अपने नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नील की मांग अंग्रेजी प्रतिनिधियों में अधिक थी। 1645 ई0 में अंग्रेजी कम्पनी ने लखनऊ से नील खरीदने में अपना 80,000 रुपया लगा था।[80] इस धनराशि में कम्पनी ने नील की 150 गोंठे खरीदी थी। इन्हें 200 ऊटों पर लादकर अहमदाबाद ले जाया गया था। और प्रत्येक ऊँच की ढुलाई का खर्च 151 रुपया 10 आया दिया गया था।[81]

1651 ई0 में बयाना में नील की खेती प्राकृतिक विपदाओं के

कारण क्षतिग्रस्त हो गयी थी। जिसके फलस्वरुप लखनऊ में नील की मांग बढ़ गयी और 161 गांठ नील बसरा के लिए निर्यात किया गया।[82] लखनऊ के अतिरिक्त सूबा अवध की सरकार खैराबाद में भी नील का उत्पादन होता था। जो विदेशों में निर्यात किया जाता था।[83] इससे स्पष्ट है कि सूबा अवध में नील का उद्योग एवं व्यापार औरंगजेब कालीन में अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया था।

आयात–निर्यात :–

व्यापारिक याता–यात का स्वरुप :–

सूबा अवध में नदियों तथा भू–भागों द्वारा व्यापार होता था। औरंगजेब काल में व्यापारिक मार्गों की संख्या कम थी। भारत की भू–सीमाओं से बाहर उत्तर की ओर जाने वाले कुछ व्यापारी मार्ग सूबा अवध से होकर जाते थे। अबुल फजल ने उत्तर के पर्वतों की ओर से सूबा अवध में होने वाले व्यापार का उल्लेख किया है।

तिब्बत के सात भारत के व्यापार इसी सूबे के व्यापारिक भागों में द्वारा होता था।[84] ट्रेवर्नियर ने व्यापारिक मार्ग के सम्बन्ध में लिखा है कि पटना से भूटान के साथ होने वाले व्यापार का मार्ग गोरखपुर से होकर जाता था।[85]

आगरा से व्यापारी लखनऊ होकर जौनपुर जाते थे।[86] ट्रेवर्नियर लखनऊ से सूरत जाने वाले दो व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। इनमें से एक सीधा मार्ग था जो लखनऊ से ग्वालियर व ब्रम्हपुर होकर सूरत जाता था। और दूसरा बहुत घुमकर जाने वाला मार्ग था। जो अहमदाबाद से होकर सूरत जाता था।[87] गोरखपुर से नेपाल जाने वाला मार्ग बगही से पचनरा नई कोट होकर

भैरव घाट को जाता था। नावेनवां से कक्ष्य से विचलौल से ढूढी बाढी महेशपुर होते हुए खैरहता की तरफ जाने वाला दूसरा मार्ग और भगवानपुर से सोनाली तथा बिढ़ौलिया बाजार से त्रिवेणी घाटे को जाने वाली तीसरा मार्ग था।[88] जंगली इलाका होने के कारण इन मार्गों से व्यापार करना प्रायः सुरक्षित नहीं होता था।

भू–मार्गों से होने वाले व्यापार के यातायात का प्रमुख साधन भारवाही पशु थे क्योंकि सड़के प्रायः गाड़ियों के चलने योग्य नहीं थी। इस काल में चोरी, राहजनी चरम पर था। इसलिए व्यापारी काफिला बनाकर यात्रा करते थे।

जलमार्गी द्वारा भी वस्तुऐं एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जाती थी सूबा अवध में गोमती तथा घाघरा दो प्रमुख नदियों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में व्यापार होता था। बड़ी–बड़ी नावों द्वारा पर्याप्त मात्रा में वस्तुऐं एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से पहुच जाती थी। औरंगजेब काल में नदियों द्वारा नावों के माध्य से किया जाने वाला व्यापार एक सामान्य बात थी और वह स्थल मार्ग द्वारा होने वाले व्यापार से सस्ता एवं सुविधाजनक होता था।

औरंगजेब कालीन सूबा अवध में लकड़ी से बनने वाली वस्तुओं का उद्योग पर्याप्त मात्रा में में विकसित था। खेती में प्रयुक्त होने वाले उपकरण–हल, बैलगाड़ी, जुआ, सराता, (भूमि को समतल बनाने वाला लकड़ी का पट्टा), खुरपी, फावड़ा, हंसियां आदि में मूठ (बेट) आदि लकड़ी के ही बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त चारपाई, संन्दूक, तख्त, नाव, तथा इमारतों वाले वस्तुऐं थे। और दरवाजे, खिड़की, आदि भी लकड़ी की बनी होती थी।[89] सूबा अवध में अधिक मात्रा में

लकड़ी सरकार गोरखपुर के जंगलों से सरलता पूर्वक एवं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध ा थी। इन लकड़ियों में शीशम, सागौन महत्वपूर्ण था। और उनसे निर्मित वस्तुओं की अधिक खपत थी।

सूबा अवध में सरकार गोरखपुर का अधिकांश भाग बनों से आच्छादित था।[90] इन बनों में जंगली पशुओं की अधिकता थी। अतएव कस्तूरी के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था।1695 ई0 में मोहनलाल नामक गोरखपुर के एक कानूनगों के 54 तोला कस्तुरी केन्द्रीय व सरकार के पास भेजी थी। गोरखपुर के व्यापारिक वस्तुओं की सूची में कस्तुरी का स्थान सर्वोपरि था। और उसकी आपूर्ति था। अली बेगइ की जाती थी इसके अतिरिक्त गोरखपुर से ही घी का निर्यात किया जाता था।[91] क्योंकि यहां वनों की अधिकतता के कारण पशुपालन का कार्य बड़े पैमाने पर होता था।

सूबा अवध में नमक का भी व्यापार होता था खुलासत–उत्–तारीख के लेखक सुजान राय के अनुसार अयोध्या में नमक की खान थी।[92] किन्तु यहां नमक का उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं होता था।[93]

इसके अतिरिक्त कृषि से पैदा होने वाली सामग्रियों में अफीम, रुई गया, खरबुजा, तरबुजा आदि का मुख्य रुप से व्यापार होता था। इस सूबे से फलों का भी अच्छे पैमाने पर निर्यात होता था। किन्तु इन सबका व्यापार प्रान्तीय था। यहां उत्पन्न होने वाली वस्तुऐं सुगमता से एक से दूसरे राज्य में पहुंच जाती थी।

सूबा अवध की व्यापारिक गतिविधियों का कुछ वितरण समकालीन स्रोतों एवं विदेश–यात्रियों के वितरण में उपलब्ध है। अबुल फजल ने उत्तर के

पर्वतों की ओर से होने वाले व्यापार का उल्लेख किया है। उत्तर की ओर से होने वाले व्यापार का प्रमुख केन्द्र बहराइच था यहां लोग अपनी पीठों पर अथवा खच्चरों व बकरी पर सामान लादकर लाते थे। इनमें सोना, तांबा, शीशा, स्तर चर की पूंछ, शहद, कक (संतरा तथा नीबू के रसों को मिश्रित करके एवं उसे उबालकर बनाया गया अम्ल) अनार, अदरख, पहाड़ी, पीपल, सुहागा, आमाहल्दी, मोम, ऊनी सामान, लकड़ी के सामान, ताजा शिरक्का आदि। पक्षियों तथा अन्य वस्तुएँ भी होती थी। इन वस्तुओं के प्रतिरुप में वे सफेद तरंगी कपड़े, नमक, आभूषण शीशा, सोडा तथा निहि की बनी हुई वस्तुऐं ले जाते थे।[94] विलियम फियने सूबा अवध के व्यापार के सम्बन्ध में लिखा है कि "यहां का व्यापार अत्यधिक उरूत्तम है ओर भारतीय बारह सिंगों की अंहिक्त है। जिसमें यहां के लोग वकलर्स (छोटी टाल) और विभिन्न प्रकार के प्याले बनाते है।"[95]

सूबा अवध के बनों में हाथियों की भी अधिकता थी। अतएव हाथी दांत की जहां अन्य वस्तुएं थी यहां तैयार की जाती थी जिससे कंगन, तलवार की मूंठ शतरंज की गुहों आदि। प्रमुख भी इन वस्तुओं का भी अन्य सूबों में भी निर्यात होता था।

सीमा शुल्क :–

मुगल सरकार अर्न्तप्रान्तीय एवं विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क की वसूल करती थी। सूबा अवध और भूटान के मध्य होने वाला व्यापार का मार्ग गोरखपुर होकर जाता था। पटना की व्यापारी गोरखपुर होकर भूटान जाते थे। और उन्हें काजी अथवा शाही–अधिकारी को 25 प्रतिशत सीमा शुल्क देना पड़ता

था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि औरंगजेब काल में सूबा अवध का उद्योग व्यापार एवं वाणिज्य विकसित दशा में था। किन्तु यह भी कहना गलत न होगा कि कच्चों मालों की अधिकता एवं सस्ते दरों पर श्रमिकों की उपलब्ध ता के बावजूद इस सूबे के स्थानीय व्यापारी विदेशी–व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस दशा में व्यापारिक संस्थानों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। अंग्रेजी कम्पनी ने इस सूबे की व्यापारिक वस्तुओं में से कुछ पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। इस सूबे के सूती वस्त्रों का व्यापार अरब सागर, दक्षिण–पूर्वी एशिया एवंयूरोप के देशों में पैमाने का कार्य बड़े पैमाने पर अंग्रेजी कम्पनी ने ही किया। यहां के व्यापार से मुगल सरकार को भी अत्यधिक लाभ हुआ और शाही राजकोष में "शहदारी" सैर तथा सीमा शुल्क के रुप में वसूल किया गया धन जमा हुआ। प्रान्तीय सरकार ने स्थानीय अधिकारियों के शोषण एवं उत्पीड़न से शिल्पियों एवं व्यापारियों को बचाने के लिए अनेकों कदम उठाये जिसके फलस्वरुप यहां के उद्योग एवं व्यापार क्रमशः विकास होता गया।

सन्दर्भ - सूची

1. जी0 डी0 पन्त ने अपनी आधुनिक रचना, "दि कामर्शियल पालिसी आफ दि मुगल्स" (बम्बई, 1930) में अवध राज्य के वाणिज्य इतिहास को महत्व नहीं किया है। उनका कथन है कि "सूबा अवध तनिक भी महत्वपूर्ण नहीं था।" देखिए, पृष्ठ ९१

2. "बाबर नामा" पृष्ठ 520

3. एच0 के0 नकवी, "अर्बन सेन्टर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज इन अपर इण्डिया" पृष्ठ 144, 45

4. कपड़ा निर्मित करने की कला के क्रमिक विकास के विस्तृत विवरण हेतु देखिए एच0 के0 नकब, "अर्वन सेन्टर्स अण्ड इण्डस्ट्रीज इन अपर इण्डिया" पृष्ठ 146—75

5. एच0 के0 नकवी, "अर्बन सेन्टर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज इन अपर इण्डिया" पृष्ठ 136

6. डी0 लट, "दि इम्पायर आफ दि ग्रेट मोगल" (अनु0 होम लैण्ड) बम्बई 1928, पृष्ठ 64

7. सन द्वारा निर्मित वस्त्र

8. विलियम फिंच, "अर्ली ट्रेवेल्स इन इण्डिया" (दिल्ली) पृष्ठ 175, 176

9. मिहिर कुल को पर कूल वस्त्र भी कहा जाता है, जो अच्छे किस्म का वस्त्र होता है।

10. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1637—41) पृष्ठ 278

11. एक कोड़ी में 20 टुकड़े होते थे।
12. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1642–45) पृष्ठ 200
13. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1642–45) पृष्ठ 201
14. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1646–50) पृष्ठ 276
15. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1651–54) पृष्ठ 56
16. वनियर "ट्रैवेल्स इन दि मुगल इम्पायर" (दिल्ली, 1972) पृ0 292
17. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1637–41) पृष्ठ 93 (1651–54) पृष्ठ 122, इरफान हबीब, "ऐन एटलस आफ दि आफ मुगल इम्पायर" पृष्ठ 3, वर्नियर "ट्रैवेल्स इन दि मुगल इम्पायर" (दिल्ली, 1972) पृ0 292 दरियाबाद, लखनऊ फैजाबाद मार्ग के मध्य में स्थित है।
18. डब्ल्यू0 एच0 मोरलैण्ड, "फ्रांस अकबर टू औरंगजेब" (दिल्ली 1972) पृष्ठ 128
19. खैराबाद लखनऊ से उत्तर दिशा में थोड़ी दूर पर स्थित था।
20. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (167–41) पृष्ठ 57
21. "ट्रैवेल्स आफ पीटर मंडी इन यूरोप एण्ड एशिया" (हकालियत सोसाइटी) वाल्यूम 7 पृष्ठ 156
22. पीटर मंडी "ट्रैवेल्स आफ पीटर मंडी इन यूरोप एण्ड एशिया" वाल्यूम 7, पृष्ठ 156
23. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया", (1646–50) पृष्ठ 299

24. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (167–41) पृष्ठ 232

25. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1634–36) पृष्ठ 57

26. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1646–50) पृष्ठ 296

27. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1651–54) पृष्ठ 177

28. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1642–45) पृष्ठ 204

29. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1634–36) पृष्ठ 146 "पीटर मंडी" वाल्यूम 11 पृष्ठ 140 इरफान हबीब "ऐन एटलस आफ दि मुगल इम्पायर", पृष्ठ 33

30. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1642–45) पृष्ठ 254, 300

31. पलरेस्ट जहांगीर्स इण्डिया, (अनु0 मोरलैण्ड एण्ड गेईल, कैम्ब्रिज 1925) पृष्ठ 7, एच0 के0 नकवी0 "अर्वन सेन्टर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज इन अपर इण्डिया" पृष्ठ 139

32. पेन्डिल सोने और रेशमी धागों से बुना हुआ एक तूरानी कपड़ा था, "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1618–21) पृष्ठ 73, लेचीज एक प्रकार का वस्त्र था, "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1618–21) पृष्ठ 197

33. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1618–21) पृष्ठ 195

34. फैजाबाद के निकट पूर्व में स्थित है।

35. वर्नियर ट्रैवेलस इन दि मुगल इम्पायर पृष्ठ 292

36. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1651–54) पृष्ठ 87

37. "सियक नामा" 218 उद्धत इरफान हबीब "ऐन एटलश आफ दि मुगल इम्पायर", पृष्ठ 33

38. नवगांव हरदोई जिले में है, जो कि कन्नौज से लखनऊ मार्ग पर स्थित है।

39. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1618–21) पृष्ठ 195 (1651–54) पृष्ठ 9, 10 इरफान हबीब, "ऐन एटलश आफ दि मुगल इम्पायर", पृष्ठ 33

40. एच0 के0 नकवी, "अर्वन सेन्टर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज इन अपर इण्डिया" पृष्ठ 197–200

41. एच0 के0 नकवी, "अर्वन सेन्टर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज इन अपर इण्डिया" पृष्ठ 191–95

42. एच0 के0 नकवी, "अर्वन सेन्टर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज इन अपर इण्डिया" पृष्ठ 187

43. एच0 के0 नकवी, "अवर्न सेन्टस्र एण्ड इण्डस्ट्रीज इन अपर इण्डिया" पृष्ठ 208–11, ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1648 ई0 में झाझर जाति के पीरु सरदार रंग नामक व्यक्ति को दरियावासद वस्त्र के 20,000 टुकड़े तथा मिहिरकुल की 10,000 गाठें सूरतें में आपूर्ति करने का ठिका दिया था। उसे अग्रिम धनराशि के रुप में दस हजार रुपया दिया गया था। तथा माल के पूर्ति के पश्चात् 15,000 रुपये और देने का वचन दिया गया था। इसके कमीशन साढ़े दस प्रतिशत निर्धारित किया गया था। तथा उसे समस्त मार्ग व्यय को भी देने का वचन दिया गया था। "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1661–64) पृष्ठ 89.

44. एच0 के0 नकवी, "अर्वन सेन्टर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज इन अपर इण्डिया" पृष्ठ 211

45. एच0 के0 नकवी, "अर्वन सेन्टर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज इन अपर इण्डिया" पृष्ठ 211–12

46. अंग्रेज व्यापारियों को सूबा अवध में मुगल प्रशासन की ओर से कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गयी थी। शाहजहां के शासन काल में अंग्रेज ने राहदारी कर में मुक्ति की प्रार्थना की। लखनऊ के फौजदार हकीकत खां सने भी अंग्रेजों के पक्ष की पैरवी की जिसके फलस्वरुप 1650 ई0 अंग्रेजी कम्पनी राहदारी कर से मुक्त कर दी गयी। लखनऊ के नये फौजदार द्वारा भी अंग्रेजी, कम्पनी की पूरी सहायता की गई, जिससे उसकी व्यापारिक गतिविधियों को उत्साह जनक बल मिला। औरंगजेब के शासन काल में भी अंग्रेजों की व्यापारियों की प्रतिद्वन्द्विता का सामना करना पड़ा तथा लखनऊ से अमरवाहोकर सूरत जाने वाली सुविधा जनक व्यापारिक मार्ग को डाकूओं की लूट–पाट के कारण छोड़ देना पड़ा। "वर्नियर ट्रेवेल्स इन दि मुग्ल इम्पायर" पृष्ठ 292

47. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1642–45) पृष्ठ 6, 137, 304

48. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1655–60) पृष्ठ 303, (165–67) पृष्ठ 5

49. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी" (अनु0 जैरेट), वाल्यूम 11 पृ0 183

50. एस0 एस0 कुलश्रेष्ठ, "दि डेवलपमेन्ट आफ ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज अण्डर दिम मुगल्स" (1526–1707) (इलाहाबाद 1964) पृ0 96

51. डब्ल्यू एच0 मोरलैण्ड, "फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब" पृष्ठ 59

52. वर्नियर ट्रैवेलस इन दि मुगल इम्पायर पृष्ठ 69, 103 वाल्यूम 11

53. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी" (अनु0 जैरेट), वाल्यूम 11 पृ0 127

54. के0 एम0 अशरफ, "लाइफ एण्ड कण्डीसंस आफ दि पीपुल्स ऑफ हिन्दुस्तान" (हिन्दी अनुवाद के0 एस0 लाल 1969) पृष्ठ 133–34

55. हफ्त हक्लीम, वाल्यूम 11, पृष्ठ 499 उद्धत इरफान हबीब "ऐन एटलस आफ दि मुगल इम्पायर" पृष्ठ 33

56. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी" (अनु0 जैरेट 1949) वाल्यूम 11 पृष्ठ 182, डी0 पन्त ने भी इसका उल्लेख किया है। देखिए "दि कामर्शियल मालिसी आफ दि मुगल्स," पृष्ठ 91, इरफान हबीब "ऐन एटलस आफ दि मुगल इम्पायर," पृष्ठ 32

57. सुजान राय खत्री, "खुलासात–उत्–तवारीख़" पृष्ठ 22, 26, 30 उद्धत आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, "अकबर दि ग्रेट मुगल्स" वाल्यूम 11, पृष्ठ 230

58. जी0 डी0 पन्त, "दि कामर्शियल पालिसी आफ दि मुगल्स" पृ0 81

59. "अखबारात–ए–दरबार–मुअल्ला"1/9 वाल्यूम 11

60. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी" (अनु0 जैरेट) वाल्यूम 11 पृष्ठ 183

61. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी" तृतीय (अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 344

62. के0 एम0 असरफ, "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल आफ हिन्दुस्तान" पृष्ठ 134–35

63. पी0 एन0 चोपड़ा वी0 एन0 पुरी, एम0 एन0 दास, "भारत का सामाजिक, सांस्कृति और आर्थिक इतिहास" वाल्यूम 11 (प्रथम–संस्करण मैंकमिलन) पृष्ठ 97–98

64. एच0 के0 नकवी, अवर्न सेन्टर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज इन अपर इण्डिया पृष्ठ 235

65. अबुल फजल "आईन–ए–अकबरी" (अनु0 जैरेट) वाल्यूम 11 पृष्ठ 183 सर जदुनाथ सरकार, "इण्डिया ऑफ औरंगजेब (1901) पृष्ठ 148

66. अबुल फजल "आईन–ए–अकबरी" (अनु0 जैरेट) वाल्यूम 11 पृष्ठ 183 अबुल फजल "आईन–ए–अकबरी" (अनु0 जैरेट) वाल्यूम 11 पृष्ठ 98

67. एस0 एस0 कुल श्रेष्ठ, "दि डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज अण्डर दि मुगल्स" पृष्ठ 193

68. "खुलासत–उत–तवारीख" पृष्ठ 43 खुलासत–उल–हिन्द पृष्ठ एस0 एस0 कुल श्रेष्ठ दि डेवलपमेन्ट आफ ट्रेड एण्ड एण्डस्ट्री अण्डर दि मुगल्स" पृष्ठ 110

69. पीटर मंडी वाल्यूम 11, पृष्ठ 98 उद्धत, इरफान हबीब "ऐन एटलस आफ दि मुगल इम्पायर" पृष्ठ 33

70. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1651–54) पृष्ठ 122, पिहानी, हरदोई जिले की शाहाबाद तहसील में स्थित एक कस्बा है। जो हरदोई नगर के उत्तर में स्थित है। देखिए– "इम्पीरियल गजेटियर" वाल्यूम 20, पृष्ठ 136

71. मुशी गोपाल राय. "दर्र–उल–उलूम" (बोडेलिन लायब्रेरी आक्सफोर्ड हस्तलिपि वाकर, 104) अलीगढ़ी मुस्लिम विश्व विद्यालय इतिहास विभाग में सुरक्षित

रोट्रोग्राफ संख्या 185, 616

72. मुफ्ती गुलाम हजरत "कवायफ–ए–तारीख–ए–गोरखपुर" पृ0 12 वीं0

73. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1651–54) पृष्ठ 36

74. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव "अवध के प्रथम दो नवाब" (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 276

75. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1651–54) पृष्ठ 56

76. के0 एम0 असरफ "लाइफ एण्ड कण्डीशंस आफ दि पीपुल्स आफ हिन्दुस्तान" (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ 139

77. अवध बिहारी पाण्डे, उत्तर मध्य कालीन भारत, पृष्ठ 486

78. अबुल फजल "आईन–ए–अकबरी" पृष्ठ 76, 117

79. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1642–45) पृष्ठ 304

80. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1651–54) पृष्ठ 52

81. "दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया" (1651–54) पृष्ठ 56

82. पीटर मंडी पूर्वोधृत, वाल्यूम 11 पृष्ठ 156

83. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव अकबर दि मुगल्स पृष्ठ 236

84. "ट्रैवर्नियर ट्रैवेल्स इन इण्डिया" वाल्यूम 11 पृष्ठ 205, इरफान हबीब "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 12

85. अखबारात–ए–दरबार–ए–मुअल्ला पृ0 39/26

86. ट्रेवेर्नियर ट्रेवेलस इन इण्डिया, वाल्यूम 11, पृष्ठ 2

87. सुजान राय, खुलासत–उत–तवारीख पृष्ठ 26 उद्धत, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव "अकबर दि ग्रेट मुगल्स" वाल्यूम 11 पृष्ठ 232

88. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव "अकबर दि ग्रेट मुगल्स" वाल्यूम 11 पृष्ठ 232

89. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी" (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट) वाल्यूम 11, पृष्ठ 183 हदीकत–उल–कालीम, पृष्ठ 152–53, 662, 679.

90. "निगार नामा–ए–मुंशी–मलिक जादा," पृष्ठ 135 बी

91. अबुल फजल, "आईन–ए–अकबरी" (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट) वाल्यूम 11, पृष्ठ 183

92. डब्ल्यू0 एच0 मोरलैण्ड, "अकबर की मृत्व के समय भारत" पृष्ठ 180

93. "ट्रैवर्नियर, ट्रैवेल्स इन इण्डिया" (लन्दन 1889), वाल्यूम 11, पृष्ठ 262.

94. विलियम विच, "अर्ली ट्रैवेल्स इन इण्डिया" पृष्ठ 175 आगरा से लखनऊ होकर जौनपुर जाने वाले व्यापारिक मार्ग में स्थित अकबरपुर से इलाहाबाद होकर आगरा लौटा जा सकता था। एस0 एस0 कुल श्रेष्ठ दि डेवलपमेन्ट आफ ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री अण्डर दि मुगल्स" पृष्ठ 137

95. वर्नियर के अनुसार, "लखनऊ से होकर सूरत को जाने वाली सड़क डाकुओं के लूटपाट के कारण असुरक्षित हो गयी थी। जिसके कारण अंग्रेज व्यापारियों ने उक्त मार्ग छोड़कर लखनऊ से अहमदाबाद होते हुए सूरत जाने वाले मार्ग को अपना लिया था।" वर्नियर ट्रैवेल्स इन दि मुगल इम्पायर" पृष्ठ 292

सप्तम् अध्याय

भू-राजस्व व्यवस्था, आय, भू-राजस्व से होने वाली आय आदि

सप्तम् अध्याय

भू-राजस्व व्यवस्था आय भू-राजस्व से होने वाली आय आदि

कृषक–समुदाय तथा राजस्व निर्धारण एवं संग्रह में लगे कुछ लोगों को भूमि पर कुछ अधिकार प्राप्त थे। इन अधिकारों के कारण भूमि की उपज मुं से उन्हें विविध अंश प्राप्त होते थे। किसान, जमींदार, कानूनगों, चौधरी तथा पटवारी सभी गांव में जोती जाने वाली भूमि के उपज में हिस्से के दावेदार और प्राप्तकर्ता थे। किन्तु भूमि की पैदावार में बादशाह का स्वत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, जिसे वह अपने प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त कर लेता था। वस्तुतः बादशाह का अधिकार भूमि की पैदावार तक ही सीमित नहीं था अपितु वह सभी प्रकार की सम्पत्ति और आय या उत्पादन के साधनों पर एक लगाने के विशेषाधिकार का उपयोग करता था। अबुल फजल ने बादशाह के कर लगाने सम्बन्धी विशेषाधिकार के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए करों का "प्रभुसत्ता के पारिश्रमिक" के रुप में लिया जाना बताता है। बादशाह उसे प्रजा को सुरक्षा एवं

न्याय प्रदान करने के प्रतिरुप में वसूल करता था। करों की आवश्यकता के सम्बन्ध में उसका कथन है कि बादशाह के पास, अपने कार्य में सहायता देने वाले अर्थात् सैनिकों के भरण–पोषण हेतु साधन अवश्य होने चाहिए।[1] बादशाह द्वारा लगाये जाने वाले करों का वर्गीकरण मोटे तौर पर "माल"[2] "जिहात"[3] तथा "सैर–पिहात"[4] अथवा "सैर–उल–जिहात" नामक तीन वर्गों में किया गया था। ये कर जोती जाने वाली भूमि, चारागाह नदी और तालाबों के उत्पादन, कारीगरों द्वारा निर्मित, सामग्री, वस्तुओं के क्रय–विक्रय पर तथा प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए चुंगियों के रुप में लगाये जाते थे। इन शीर्षकों के अनुसार अलग–अलग कर निर्धारण होता था। इस प्रकार कुल निर्धारित कर–राशि जमा या भू–राजस्व की मांग कहा जाता था। दूसरे शब्दों में "माल" "जिहात" तथा "सैरे–जिहात" के नाम वसूल किये जाने वाले करों का सम्मिलित रुप "भू–राजस्व" या "जमा" होता था। इस अध्याय में सूबा की अवध "भू–राजस्व प्रणाली" उसकी "मांग की मात्रा" तथा भू–राजस्व के भुगतान की पद्धति का अध्ययन किया गया है।

मुगल काल में राजस्व–निर्धारण की विभिन्न पद्धतियों प्रचलित थी। समकालीन अभिलेखों में "नश्क"[5] "जब्ती"[6] "कनकूत"[7] तथा "भावली"[8] आदि कर–निर्धारण करने वाली पद्धतियों का उल्लेख मिलता है।[9] सूबा अवध में भू–राजस्व–निर्धारण की सबसे प्रमुख एवं विस्तृत क्षेत्र में प्रचलित पद्धति "जब्त" थी।[10]

यद्यपि इस सूबे में राजस्व–संग्रह की सबसे प्रमुख पद्धति "जब्त" थी। किन्तु कुछ भू–भागों में अन्य पद्धतियों प्रचलन के भी प्रमाणित मिलते हैं। "जब्त" पद्धति की एक अनिवार्य विशेषता भूमि की पैमाइश होती है। किन्तु

कवायद–ए–जिला–ए–गोरखपुर के लेखक मुफ्ती गुलाम हजरत के अनुसार "मुगल काल ममें सरकार गोरखपुर का पूरा भू–भाग काभी भी "पैमाइश" के अन्तर्गत नहीं आया। इसकी पैमाइश बहुत बाद में 1212 फसली (1804 ई0) हुई।" राजस्व निर्धारण के सम्बन्ध में उन्होंने आगे लिखा है कि "यहां राजस्व–निर्धारण" की कोई एक सामान्य पद्धति नहीं थी। यह भूमि की उर्वरता तथा उस भू–भाग की अन्य परिस्थितियो पर निर्भर करती थी। इस सरकार में "रैय्यत" सरकारी करों का भुगतान एक मुश्त रकम में करते थे, जिसे "मुक्ताई" पद्धति अभिवा "निश्चित–राजस्व" पद्धति कहते थे।[11] चहार गुलशन में सूबा अवध के पैमाइश एवं बिना पैमाइश वाले महालों की एक सूची दी गयी है। जिसके अनुसार सरकार लखनऊ के 57 महालों में से तीन महालों की पैमाइश नहीं हुई थी, जबकि सरकार गोरखुपर को एक बिना वर्गीकृतम वाले "खाना" (स्तम्भ) के अन्तर्गत रखा गया है। इसक तात्पर्य यह है कि सरकार गोरखपुर में भूमि की पैमाइश पद्धति क्रियान्वित नहीं की गयी थी। सरकार बहराइच के आठ महालों में से चार महाल बगैर पैमाइश वाले थे सरकार खैराबाद में केवल एक महाल की पैमाइश नहीं हुई थी। जबकि सरकार अवध के सभी महालों की पैमाइश हो गयी थी।[12] इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है। कि सूबा अवध के सम्पूर्ण क्षेत्र में पैमाइश नहीं हुई थी। और भू–राजस्व की पद्धति सर्वत्र एक समान न होकर एक महाल से दूसरे महाल में भिन्न–भिन्न थी। सूबा अवध की सरकार बहराइच में भी "जब्त" पद्धति के स्थान पर अन्य पद्धतियों के प्रचलन का विवरण मिलता है। नोमान अहमद सिद्दीकी ने लिखा है कि–"दस्तूर–उल–अमल–ए–मेंहदी अली खां के विवरण के उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक भाग में अवध के बहराइच सरकार के कर–निर्धारण की "नगदी" और

कनकूत" प्रथाएं प्रचलित थी।[13]

इस प्रकार मुगल सूबा अवध में जहां भू–राजस्व के निर्धारण एवं संग्रह की प्रमुख पद्धति "जब्त" थी, जो अधिकांश भू–भागों में प्रचलित थी। वही सरकार गोरखपुर का सम्पूर्ण भू–भाग "मुक्ताई" पद्धति के अन्तर्गत तथा सरकार बहराइच के कुछ भू–भागों में "नगदी" एवं "कनकूत" की प्रथाएं थी।

भू–राजस्व के भाग की मात्रा :–

भू–राजस्व की मांग उस कुल कर–संग्रह को कहा जाता था, जो तीन विभिन्न शीर्षकों–"माल" "जिहात" ओर "सैर–जिहात" में विभक्त होता था। यहां इस तथ्य का परीक्षण करने का प्रयास किया गया है। कि वास्तव में भू–राजस्व की मांग के रुप में इस सूबें में पैदावार का कितना भाग लिया जाता था। तथा "माल" "जिहात" और "सैर–जिहात" नामक तीन शीर्षकों में से प्रत्येक अन्तर्गत कितना लिया जाता था। इस सम्बन्ध में अबुल फजल का कथन है कि शेर खान द्वारा लिया जाने वाला राजस्व जो आज सभी प्रान्तों में निर्धारण की निम्नतम दर है, सामान्य रुप से स्वीकार कर लिया गया है। और कृषकों तथा सैनिकों की सुविधा के लिए उसे "नगद धन" के रुप में लिया जाता था।[14] वास्तव में अबुल फजल ने सुरक्षा प्रदान करने आदि के प्रतिरुप में कृषकों द्वारा बादशाह को देय धन की मात्रा की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। किन्तु वह अकबर के समय में पैदावार या "माल" पर मूल रुप से निर्धारित कर–राशि का उल्लेख करता है। अबुल फजल के अनुसार "अकबर ने शेरशाह के (शासन में प्रचलित दर को स्वीकार करके भूमि की वास्तविक उपज का एक तिहाई भाग "राज्य की मांग" निध

ारित की।"[15] "जब्त" पद्धति के अन्तर्गत शेरशाह द्वारा अनाज के रुप में राजस्व की दर "रास" की (फसल की उपज का) एक तिहाई निर्धारित करना माना जाता है।[16] किन्तु अकबर ने शासन काल में जब नगदी–दर का प्रचलन हुआ तो भू–राजस्व को मांग एक तिहाई से।[17] से अधिक हो गयी। शीरीन मूसबी ने अपने एक लेख "सुखूरगाल स्टैटिस्टिक्स इन दि आईन–ए–अकबरी–ऐनएनलसिरा" में यह सिद्ध किया है। दस्तूर–उल–अमल के वास्तव में लागू होने पर प्रमुख अनाज वाली फसलों की उपज का लगभग आधा भाग, राज्य की मांग हो जाती थी।[18] प्रोफेसर इरफान हबीब ने सरकार बहराइच के परगना हिसामपुर में स्थित चार गांवों के 1672–88 ई0 की अवध के अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात इनमें प्रदत आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि "जब्त" पद्धति के प्रचलन वाले भू–भागों में "राज्य की मांग पैदावार एक तिहाई से अधिक होती थी।"[19]

"माल" के अतिरिक्त पैदावार का कुछ भाग "जिहात" तथा "सर–जिहात" के रुप में भी वसूल किया जाता था।[20] इसका प्रमाण "आईन–ए–अकबरी" में ही उपलब्ध है।[21] किन्तु "माल" के अतिरिक्त "जिहात" तथा "सैर–जिहात" शीर्षकों के अन्तर्गत पैदावार से लिए जाने वालो भाग का पता नहीं चलता है। "जब्त" पद्धति के अतिरिक्त राजस्व निर्धारण की अन्य पद्धतियों के अन्तर्गत तो भू–राजस्व की मांग का निर्धारण तीनों शीर्षकों के अन्तर्गत अलग–अलग होने का प्रमाण ही उपलब्ध नहीं है।

नोमना अहमद सिद्दीकी ने मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन काल में "जब्त" पद्धति के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में "जिहात" तथा "सैर–जिहात" शीर्षकों के अन्तर्गत लिए जाने वाले करों की मात्रा का प्रतिशत

"सियफनामा में लिखे गणेापुर ग्राम के कर निर्धारण सम्बन्धी विवरण के आधार पर ज्ञात किया है। उन्होंने उपलब्ध विवरण के परीक्षण से यह निष्कर्ष निकाला है कि "जिहात" करों की गणना "माल" के रुप में प्रदर्शित धनराशि के पांच प्रतिशत की दर से होती थी। और "सैर–जिहात" करों की दर "माल–ओ–जिहात" के रुप में अकिंत सम्पूर्ण राशि के 15 प्रतिशत की दर से होती थी।[22] इसका तात्पर्य यह हुआ कि "माल के अतिरिक्त वसूली 20 प्रतिशत से अधिक और 21 प्रतिशत से कुछ कम होता था।[23] इस प्रकार "मांग" जो पैदावार का एक तिहाई होता था। पर 20 प्रतिशत की वृद्धि का आशय यह हुआ कि भू–राजस्व की मांग या पैदावार में राज्य का कुल हिस्सा 2/5 भाग अथवा 40 प्रतिशत होता था।[24] पैदावार के विभाजन तथा "कनकूत" की प्रथाओं में राज्य का हिस्सा समान रुप से निश्चित था। जो पैदावार का आधा भाग होता था।[25]

मुगल कालीन सूबा अवध में भू–राजस्व की मांग का निर्धारण "जब्त" पद्धति के अन्तर्गत आने वाले भू–भागों में लगभग 40 प्रतिशत तथा "कनकूत" पद्धति वाले भू–भागों में 50 प्रतिशत किया जाना तो उचित है किन्तु सरकार गोरखपुर के भू–भागों में राजस्व की मांग का निर्धारण करना अत्यधिक कठिन है। क्योंकि मुफ्ती गुलाम हजरत के अनुसार वहां राजस्व की मांग की कोई एक समान पद्धति न थी। इस सरकार के अधिकांश मौजे वीरान थे। प्रथम बन्दोबस्त में गांव का सरकार राजस्व 5 रुप्ये से 20 रुपये तक मांगा गया था।[26] अतएव सूबा अवध में भू–राजस्व की मात्रा विभिन्न भू–भागों में अलग–अलग थी। "आईन–ए–अकबरी" के आंकड़ों से यह प्रकट होता है कि सरकार अवध प्रति बीघा राजस्व की मांग 2 दाम से लेकर 52 दाम तक विभिन्न परगनों में अलग–अलग

थी। राजस्व की सर्वाधिक कम मांग परगना सरवापाली में (2 दाम प्रति बीद्या) तथा सर्वाधिक मांग परगना अवध में (52 दाम प्रति बीद्या), थी। सरकार बहराइच में प्रति बीद्या राजस्व की दर 3 दाम से लेकर 46 दाम तक अलग–अलग परगनों में थी। इसमें सर्वाधिक कम दर परगना सुल्तानपुर में (3 दाम प्रति बीद्या) तथा सबसेअधिक परगना खरोसा में (46 दाम प्रति बीद्या) थी। सरकार खैराबाद में राजस्व की दर प्रति बीद्या 3 दाम से लेकर 77 दाम तक थी, जिसमें परगना हरगांव में सबसे कम दाम, तथा परगना खनखातमऊ में सबसे अधिक राजस्व की मांग थी। सरकार लखनऊ में राजस्व की मांग 3 दाम से लेकर 67 दाम तक थी, जिसमें सबसे कम दर 3 दाम प्रति बीद्या परगना इसौली में तथा सबसे अधिक दर 67 दाम प्रति बीद्या परगना सईपुर में थी। सरकार गोरखपुर से सम्बन्धित आंकड़ों अत्यधिक विश्वसनीय से लगते हैं। क्योंकि यह सर्वाधिक पिछड़ा भू–भाग था किन्तु आंकड़ों के अनुसार अन्य सरकारों की तुलना में यहां राजस्व की मांग प्रति बीद्या सबसे अधिक थी। इन आंकड़ों से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जहां "जब्त" पद्धति का प्रचलन नहीं था। वहां राजस्व की मांग अधिक होती थी। इससे उस भू–भाग के कृषकों की दशा निश्चित रुप से दयनीय एवं कष्टदायी रही होगी। सैय्यद नजमुल रजा रिजवी ने अपने लेख "सरकार गोरखपुर अण्डर दि मुगल्स" में सरकार गोरखपुर के कुछ परगनों में प्रति बीद्या राजस्व की औसत दर के सबसे अधिक होने के कारणों पर विचार करते हुए एक सम्भावित कारण यह बतलाया है कि सरकार के दो परगनों का कोई उल्लेख न होने के कारण यह सम्भव है कि उन परगनों की जगह अन्य परगनों में से कुछ में सम्मिलित कर दी गयी हो। उन्होंने आगे अन्य कारणों को बतलाते हुए भी और अधिक खोज की

आवश्यकता पर बल दिया।[27] सरकार गोरखपुर में राजस्व की मांग प्रति बीघा 27 दाम से लेकर 245 दाम तक थी जिसमें सबसे कम दर परगना रिहलापाड़ा में 27 दाम, तथा सबसे अधिक परगना महुली में 245 दाम प्रति बीघा था। तालिका "ब" में "आईन–ए–अकबरी" के आंकड़ों के आधार पर सूबा अवध के सभी परगनों में प्रति बीघा राजस्व की मांग का औसत दर दर्शाया गया है।

मुगल काल में सूबा अवध की जमादामी :–

"आईन–ए–अकबरी" के आंकड़ों की तुलना "कागजात–ए–मुतफरिफा" के आंकड़ों से करने पर यह प्रकट होता है कि सूबा अवध के अधिकांश परगनों की जमादामी में बड़ी तेजी से बढ़ोत्तरी हुई। सरकार लखनऊ के परगना मोहन में सर्वाधिक वृद्धि हुई जबकि परगना बांगरमऊ, रनबरपुर, सिद्धौर, लखनऊ तथा मोरांव के राजस्व के सम्राट अकबर के शासन काल के राजस्व सम्बन्धी आंकड़ों से तुलना करने पर कमी हुई थी। सरकार खैराबाद में सर्वाधिक वृद्धि परगना बटोर अंजना में हुई थी। जबकि परगना गोपाऊ में जमींदारी में थोड़ी सी कमी होने की सूचना मिलती है। सरकार बहराइच में परगना बहराइच के राजस्व में तेजी से वृद्धि जानकारी मिलती है। सरकार बहराइच में परगना बहराइच के राजस्व में तेजी से वृद्धि की जानकारी मिलती है। सरकार लखनऊ में राजस्व की सर्वाधिक वृद्धि परगना दरियाबाद में हुई थी। सरकार गोरखपुर में परगना रिहल में सर्वाधिक जमादामी की गयी है।

सम्राट अकबर के शासन काल में सूबा अवध की जमादामी 20, 17, 58, 172 दाम थी।[28] किन्तु सम्राट जहांगीर के शासन काल में यह बढ़कर 22,

98, 65, 114 दाम हो गया।[29] शाहजहाँ के शासन काल में सूबे की जमादामी 25, 82, 10,000 हो गयी थी।[30] जो सम्राट औरंगजेब के शासन काल में और बढ़ गयी। उसके शासन काल में यह बढ़कर 32, 13, 17, 119 दाम हो गया।[31] तालिका "अ" में विभिन्न वर्षों में सूबा अवध की ज़मादामी को दर्शाया गया है।

राजस्व भुगतान की पद्धति :–

सूबा अवध में सम्राट अकबर के शासन काल में "नगदी–भुगतान" की प्रथा भली प्रकार से स्थापित हो चुकी थी।[32] किन्तु फिर भी "आमिलों" को सम्राट की ओर से यह आदेश भी दिया गया था कि यदि किसान नगद कर देना नहीं चाहें तो अनाज अथवा वस्तु के रुप में भी उनसे राजस्व स्वीकार कर लिया जाये। किन्तु किसानों को भू–राजस्व की प्रत्येक बकाया किस्त का नगदी भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए।[33] प्रायः किसानों को नगद भुगतान ही करना पड़ता था, जहांगीर और शाहजहाँ के पूरे शासन काल में यही प्रथा प्रचलित रही। सम्राट औरंगजेब के शासन काल में भी नगद भुगतान करने की ही परम्पर रही। "जब्त" "पद्धति" के अतिरिक्त अन्य पद्धतियों के अन्तर्गत भी राजस्व का भुगतान "नगद" रुप में करने पर ही बल दिया जाता था।[34] नगद भुगतान होता रहा। नगद भुगतान की प्रथा के प्रचलन के बावजूद वस्तु के यप में भी किसनों द्वारा राजस्व का भुगतान होता रघु। भू–राजस्व की मांग का भुगतान वर्ष भर में चार या छ' किश्तों में करने की भी परम्परा थी। प्रत्येक किश्त में देय धनराशि का उल्लेख पट्टा तथा कबूलियत में रहता था।[35]

इस प्रकार मुगल कालीन सूबा अवध में भू–राजस्व के निर्धारण एवं संग्रह की प्रमुख पद्धति "जब्त" थी जो सरकार अवध, सरकार, लखनऊ तथा सरकार खैराबाद में पूर्ण रुप से प्रचलित थी। किन्तु सरकार गोरखपुर का सम्पूर्ण भू–भाग "मुक्ताई" पद्धति के अन्तर्गत था। और सरकार बहराइच के कुछ भू–भागों में "नगदी" एवं "कनकूत" की प्रथाए प्रचलित थी। जिन क्षेत्र में "जब्त" पद्धति प्रचलित थी वहां से उपज का लगभग–40 प्रतिशत भू–राजस्व की मांग के रुप में तथा अन्य पद्धतियों के अन्तर्गत आने वाले भू–भागों में उपज का आधा भाग सरकार द्वारा वसूल किये जाने का प्रमाण मिलता है। किन्तु सरकार गोरखपुर में प्रचलित मुक्ताई पद्धति के अन्तर्गत भू–राजस्व की मांग का निर्धारण करना बड़ा कठिन हैं सूबे के विभिनन परगनों में अलग–अलग दरों का पाया जाना इस तथ्य को प्रकट करती है। कि पूरे सूबे में भू–राजस्व की दर एक समान नहीं थी। भू–राजस्व के भुगतान की पद्धति का जहां तक प्रश्न है पूरे मुगलकाल में सूबा अवध में नगद भुगतान की परम्परा प्रचलित थी, यद्यपि अपवाद के रुप में नगद भुगतान के स्थान पर वस्तु के रुप में भुगतान करने की भी पुरानी परम्परा प्रचलित रही।

तालिका – अ

1595 से 1720 ई0 तक की अवधि में सूबा अवध की ज़मादायी

सन्दर्भ ग्रन्थ	वर्ष	ज़मादायी रुपयों में	आईन के 100 आधार के अनुपात में
आईन–ए–अकबरी भाग 3 पृष्ठ, 79	1595–96	5043954	100
इकबाल नामा–ए–जहांगीरी पृ0 463	1605	5746625	114
फरहंग–एकरदानी पृ0 20 ए0	1633–38	6455450	128
मुन्तखब–उल–लुबाब भाग 1, पृष्ठ 672	1646	7500000	149
शाहजहाँ नामा (शा0 कू–बू) भाग–2, पृष्ठ 558	1646	7500000	149
बादशाहनामा (लाहौरी) भाग 2, पृ0 209	1647	7500000	149
वर्नियर, भाग–2 पृष्ठ 450	1638–56	6830000	135
सूजन राय भण्डारी पृष्ठ 44	1638–56	6613500	131
मनूक्की, भाग 2 पृष्ठ, 413–15	1638–56	7200000	142
जगजीवन दास पृष्ठ–52	1700	8032927	159
तारीख–ए–हिन्दी पृष्ठ–150	1700	6510100	129
बहार गुलशन (69वी) पृष्ठ–137	1720	8310015	164
मयमुझा–ए–फरामिन	1720	680000	135
इरफान हबीब पृष्ठ–387	———	2582100	———

अवध सूबा के सरकार की ज़मादायी (दाम में) का आंकड़ा

स्रोत	अवध	गोरखपुर	लखनऊ	बहराइच	खैराबाद
अबुल फजल आईन–ए–अकबरी भाग–2 पृ0 79,82,89,90	40956347	11926790	80716140	241205525	43655381
दस्तूर–उल–अमल–ए शाहजहानी पृ0 36	5201600	2424125	108556025	24416306	70033000
दस्तूर–उल–अमल –ए आलमगीरी एक 119 ए0	58731415	43116237	13522883	37475944	8900044
चहार गुलशन पृ0 137	57293615	111913684	55200005	251971173	81795850
कागजात–ए–मत–फरीका पृष्ठ–96	63041833	439186223	15724807	39879179	9109725
दस्तूर–उल–अमल मंशी ठाकुर लाल पृ0 30	52031300	24341250	10855625	24416000	70233700

सन्दर्भ-सूची

1. अबुल फजल अल्लामी, "आईन–ए–अकबरी" वाल्यूम 1, पृष्ठ 290–91

2. "माल" का तात्पर्य जोती जाने वाली भूमि पर फसल की दर से अथवा नगदी–दर से लगाया जाने वाला कर था।

3. "जिहात" वे कर थे जिन्हें माल के निर्धारण में हुए व्यय को पूरा करने के लिए वसूल किया जाता था।

4. "सैर–जिहात" का तात्पर्य, "माल–ओ–जिहात" के अतिरिक्त लगने वाले अनेक विविध प्रकार के करों से था।

5. पहले के अभिलेखों पर आधारित कर निर्धारण की एक पद्धति नोमान अहमद सिद्दीकी, "मुगलकालीन–भू–राजस्व प्रशासन" 1700–1750, पृष्ठ 77, संदर्भ संख्या 11, "नसक" पद्धति के विस्तृत विवरण हेतु देखिए इरफान हबीब "दि एग्ररियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 215, 19

6. मुगल की भू–राजस्व निर्धारण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति थी। इसमें भूमि की पैमाइस होना अनिवार्य था। प्रत्येक बोर्ड गयी फसल के भू–भाग की पैमाइश करने के पश्चात् सरकार द्वारा निर्धारित फसल–दर जो नकद रुप में होती थी, के अनुसार भू–राजस्व निर्धारित किया जाता था। फसल की दर अत्यधिक वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित की गयी थी। विस्तृत विवरण हेतु देखिए, इरफान हबीब "दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 200–215 "दि कैम्ब्रिज इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया" वाल्यूम 1, 1200–1750 सम्पादित तपन राय चौधरी एण्ड इरफान हबीब, पृष्ठ 236–37

7. कर निर्धारण की एक पद्धति जो भूमि की माप और पैदावार के परिकलन पर निर्भर करती थी। इसका हिसाब प्रति बीद्ये की पैदावार के परिकलन पर निर्भर करती थी। नोमान अहमद सिद्दीकी "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासन" 1700–1750 पृष्ठ 77, इरफान हबीब "दि एग्ररियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 199–200

8. इसे "गल्ला–बख्शी" तथा "बटाई भी कहा जाता था। यह कर निर्धारण पद्धति थी, जिसमें फसल का वास्तविक विभाजन होता था। नोमान अहमद सिद्दीकी, "मुगलकालीन भू–राजस्व" 1700–165, पृष्ठ 77, संदर्भ संख्या 13, इरफान हबीब, "दि एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 197–98

9. अबुल फजल अल्लामी "आईन–ए–अकबरी" वाल्यूम 1, पृष्ठ 199, इसके अतिरिक्त महान मुगलों के शासनकाल में प्रचलित कर निर्धारण की पद्धतियों में "हस्ताओं–बुद्ध" एक प्रसिद्ध प्रणाली थी। इस पद्धति में खड़ी फसलों का निरिक्षण ओर फिर इस निरिक्षण के आधार पर सम्भावित पैदावार का अनुमान सम्मिलित था। नोमान अहमद सिद्दीक "मुकलकालीन भू–राजस्व प्रशासन" 1700–1750 पृष्ठ 66–68, इरफान हबीब "दि एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 198

10. श्री रामशर्मा ने लिखा है "अवध पूर्णतया जब्त–पद्धति के अन्तर्गत था।" देखिए–एसेसमेंट एण्ड कलेक्शन ऑफ दि लैण्ड रेवेन्यू अण्डर अकबर" "दि इण्डियन हिस्ट्री क्वार्टरली" वाल्यूम 14 1938, पृष्ठ 716, डब्ल्यू0 एच0 मोरलैण्ड तथा युसूफ अली ने लिखा है कि "अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मालवा के प्रदेश पूर्व निष्कर्ष का समर्थन करते हैं कि सूबे जब्त पद्धति

के अन्तर्गत थे क्योंकि "दस्तूर" इसका (पद्धति) मूल अंग होता हैं जो किसी अन्य वैकल्पिक पद्धति में नही दिखता है, लेख संख्या 64, पृष्ठ 6, डब्ल्यू0 एच0 मोरलैण्ड "मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था" पृष्ठ 159 इन लोगों ने आगे स्वीकार किया है कि पूरे सूबे में "जब्त" पद्धति प्रचलित थी किन्तु गोरखपुर में कुछ परगने जमींदारों के माध्यम से राजस्व का भुगतान करते थे। शोध लेख संख्या 64, पृष्ठ 60, नोमान अहमद सिद्दकी ने लिखा है कि "इस प्रकार इस अनुमान का औचित्य सिद्ध हो जाता है। कि अवध में जब्त का अधिक प्रचलन था।" मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासन, 1700–1750, पृष्ठ 74, प्रोफेसर इरफान हबीब ने लिखा है कि "उन्नीस–साला दरों से स्पष्ट है कि अकबर के शासन के प्रारम्भिक वर्षों में हिन्दुस्तान के अधिकतम सूबों (आगरा, इलाहाबाद, अवध, दिल्ली, लाहौर और मालवा) में "जब्त प्रचलित रही" "दि एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 220, प्रोफेसर इरफान हबीब ने "दि कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया" वाल्यूम 1: 1200–1700 लिखा है कि "अकबर के समय में "जब्त" पद्धति व्यवहार रुप में सिन्ध नदी से लेकर घाघरा तक के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रचलित थी। देखिए, पृष्ठ 237

11. इरफान हबीब, "दि एग्रेरियन सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 233, याद टिप्पणी संख्या, 19 235–36.

12. चहार गुलशन प0 81 ए, सर जदुनाथ सरकार "दि इण्डिया ऑफ औरंगजेब" में चहार गुलशन के प0, 70 ए के अनुवाद में सरकार बहराइच के 12 महालों में से चार महालों, सरकार गोरखपुर (वास्तव में सरकार लखनऊ) के 57 महालों में से एक तथा सरकार खैराबाद के 24 महालों में से एक

के भू – भाग के आंकड़ों को नहीं पाते हैं। देखिए पृष्ठ 137–38.

13. नोमान अहमद सिद्दीकी, "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासन" 1700–1750 पृष्ठ 81 संदर्भ संख्या 60

14. अबुल फजल अल्लामी, "आईन–ए–अकबरी" वाल्यूम 1 पृष्ठ 207

15. अबुल फजल अल्लामी, "आईन–ए–अकबरी" वाल्यूम 207 शेरशाह, पृष्ठ 273–74

16. इरफान हबीब "एग्रेरियन रिलेशन्स एण्ड लैण्ड रेवेन्यू" "दि कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया" वाल्यूम 1, सी 1200 सी 1750 (सम्पादित तपन राय चौधरी एण्ड इरफान हबीब) पृष्ठ 238

17. पोरलैण्ड का कथन है कि– अकबर के समय पैदावार की एक तिहाई परिनिष्ठ भू–राजस्व की मांग थी। देखिए "एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इण्डिया" पृष्ठ 135 (हिन्दी अनुवाद, "मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था" पृष्ठ 111) डा0 परमात्मा सरन का अनुमान है। कि "शेरशाह के समय का एक तिहाई राजस्व बिना परिवर्तन के चलता रहा।" "दि प्राविन्सिपल गवर्नमेंट अण्डर दि मुगल" पृष्ठ 297

18. झीरिन मूसबी, "सुयूरग़ाल स्टैस्टिक्स इन दि आईन–ए–अकबरी–एन एनलसिस" इण्डियन हिस्ट्री रिव्यू 11 (2) 1976 पृष्ठ चार

19. इरफान हबीब ऐसपेक्ट्स ऑफ एग्रेरियन रिलेशन्स एण्ड इकोनोमी इन ए रीज़न ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग दि सिक्स्टीय सेन्चुरी" "दि इण्डियन इकोनोमिक एण्ड सोशल हिस्ट्री रिव्यू 111 (3) 1967 पृष्ठ 208"

20. नोमान अहमद सिद्दीकी, "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासन" 1700–1750, पृष्ठ 60, इरफान हबीब, "एग्रेरियन रिलेशन्स एण्ड लैण्ड रेवेन्यू" "दि कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया," वाल्यूम 1, सी 1200–1750 पृष्ठ 238

21. अबुल फजल अल्लामी, "आईन–ए–अकबरी" वाल्यूम 11, पृष्ठ 205 अकबर का फरमान, तिथि 983 ए0 एच0 इस फरमान का प्रतिलख अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के शोध पुस्तकालय में उपलब्ध है।

22. नोमान अहमद सिद्दीकी, "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासन" 1700–1750, पृष्ठ 61–62

23. इरफान हबीब के अनुसार "जिहात" "सैर–जिहात" आदि के रुप में भू–राजस्व का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं लिया जाता था। देखिए "दि कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया" वाल्यूम 1, 1200–1750 सम्पादित, तपन राय चौधरी एण्ड इरफान हबीब पृष्ठ 238

24. नोमान अहमद सिद्दीकी, "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासन" 1700–1750, पृष्ठ 62

25. नोमान अहमद सिद्दीकी, "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासन" 1700–1750, पृष्ठ 62

26. मुफ्ती गुलाम हजरत, "कवायफ–ए–जिमा–ए–गोरखपुर" (अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ 25, तारीख–ए–मुअज्जमाबाद–मारुफ व गोरखपुर मुं भी इस प्रकार का विवरण दिया गया है। देखिए, "मुख्तसर तारीख–ए–गोरखपुर" में उर्दू अनुवाद संकलित पृष्ठ 67

27. सैय्यद नजमुल रज़ा रिज़वी, "सरकार गोरखपुर अण्डर दि मुगल्स" "अवध विश्व विद्यालय शोध पत्रिका" कला संकाय वाल्यूम 1, नम्बर 1, 1982, पृष्ठ 217

28. अबुल फजल अल्लामी, "आईन–ए–अकबरी" वाल्यूम 11, (अंग्रेजी अनुवाद जैरेट) पृष्ठ 184

29. मुतमइद खां, "इकबालनामा–ए–जहांगीरी, वाल्यूम 11, प0 46

30. "दस्तूर–उल–अमल–ए–नवसिंदगी" प0 145

31. "ज़बाबित–ए–आलमगीरी" पृ0 4

32. इरफान हबीब, "दि एग्रेरियन सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 236–37

33. अबुल फजल अल्लामी "अकबरनामा" वाल्यूम 11, पृष्ठ 382–83, डब्ल्यू0 एच0 मोरलैण्ड, "मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था" पृष्ठ 111

34. इरफान हबीब, "दि एग्रेरियन सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया" पृष्ठ 236 नोमान अहमद सिद्दीकी, "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासन" 1700–1750, पृष्ठ 76

35. नोमान अहमद सिद्दीकी, "मुगल कालीन भू–राजस्व प्रशासन" 1700–1750, पृष्ठ 77

उपसंहार

उपसंहार

अवध का क्षेत्र भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत के प्रसिद्ध एवं प्रतापी क्षेत्रियों (सूर्यवंशी) की राजधानी अयोध्या रही है कोशल के सूर्य वंशी राजकुल के प्रथम शासक मनु के पुत्र इक्षाकु थे अयोध्या को उन्होंने अपनी राजधानी बनाय है और वहाँ से अपने राज्य का विस्तार किया। मान्धाता इस वंश के प्रथम चक्रवर्ती थे। कालान्तर में अवध के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में राजा हरिश्चन्द्र दिलीप (द्वितीय) रघु, दशरथ और राम प्रसिद्ध हुए। रामायण में दशरथ के शासक की भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी है। राम के बाद, अवध के इतिहास का चक्रवर्ती युग समाप्त हो गया। एक तो उन्होंने पैतृक राज्य एवं नवविजित प्रदेशों को अपने–अपने उत्तराधिकारियों में बांट दिया और दूसरी ओर अनेक वंशज राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त कमजोर साबित हुए। महाभारत कालीन कोशल राजा वृहदल महाभारत की लड़ाई में कौरवों की और से लड़ता हुआ अभिमन्यु द्वारा मारा गया।

महाजनपद युग में अवध का विशेष महत्व रहा गौतम बुद्ध ने छः वर्ष तक अयोध्या में निवास किया तथा धर्मो प्रदेश करके उनके मनुष्यों को अनुयायी बनाया था। मौर्यो गुप्तों हर्ष प्रतिहारों, गहड़वालों, परमारों के शासनकाल में अवध साम्राज्य का अंग रहा। 1226 ई0 में अवध को दिल्ली सल्तनतका एक प्रान्त बनाया गया है और इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को अवध का राज्यपाल नियुक्त किया गया तथा अवध प्रान्त की राजधानी अयोध्या बनी और उसकी किला बन्दी करायी गयी।

दिल्ली के सुल्तानों ने अवध के जामरिक महल को पहुंचाया उन्होंने समझा कि अवध के सहारे वे भारत के पूर्वी भागों पर खासकर लखनौती और बंगाल पर नियंतरण रख सकते है। सुल्तानों को धन की भी जरुरत थी और इस माल गुजारी से प्राप्त किया जा सकता था। खेती आय का प्रमुख स्थान था। चूंकि अवध में खेती समृद्ध थी इसलिए प्रशासनिक केन्द्र के रुप में उसका विकास स्वाभाविक था। लखनौती में तुगरिराम खाँ की विद्रोह का दमन करने के लिए सुल्तान बलबल ने अवध की जनता को सेना में साम्राज्यवर्ती का आदेश दिया और लगभग दो लाख सैनिक पायक, तीर चलाने वाले दास–नौकर, चाकर, व्यापारी तथा दुकानदार सेना की सूची तालिका संकेत किये गये सुल्तान बलबन के उत्तराधिकारों अवध के हिन्दू सरदारों की व्यापक निष्ठा भी प्राप्त थी। क्योंकि राजा और रावत के पास संख्या में पैदल सेना तथा धनुषधारी थे।

तुगलकों के शासनकाल भी अवध का विशेष महत्व था। मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जिस समय सल्तनत में अकाल पड़ा उस समय अवध का राज्यपाल आइनुमुल्क था। जो प्रतिदिन पचास हजार मन गेहूँ चावल

तथा अन्य अनाज और मवेशियों के लिए चारा स्वर्ण द्वारा भेजा करता था। आइनुमुल्क तथा उसके भाइयों ने नकद वस्तुओं कपड़ों और अनाज के रुप में सत्तर या अस्सी लाख टंके भेजे।

14वीं सदी के अन्तिम वर्षों में अवध जौनपुर के शर्की साम्राज्य का अंग बन गया जो 100 वर्षों तक शर्की प्रशासकों के अधीन रहा इसे बहलोल लोदी के शासन काल से लेकर सिकन्दर लोदी के शासन काल में बिल्कुल बरबाद कर दिया गया जिसके अवध की राजनीतिक तथा सामाजिक दशा में बदलाव आना शुरु हो गया। 1526 ई0 के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार के बाद अवध शीघ्र ही बाबर के अधिकार में आ गया हुमायूँ द्वारा दिल्ली की पुनः विजय के बाद भी अवध और जौनपुर अफगान सरदारों के अधिकार में बने रहे।

1580 ई0 तक अकबर के साम्राज्य के उत्तर के कश्मीर तथा हिमालयी राज्यों में अतिरिक्त सारा उत्तर भारत पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम में सिंहासन के भू–भागों को छोड़कर शामिल हो चुका था। अकबर ने अपने शासनकाल में पूरे मुगल साम्राज्य को 12 भागों में विभाजित किया और इन विभाजित प्रभागों को "सूबा" (प्रान्त) नाम दिया औरंगजेब ने उत्तर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त रखने के लिए इस क्षेत्र को कई सरकारों में विभाजित कर उनमें परगनों की सम्बद्ध कर यहा की प्रशासनिक व्यवस्था को एक केन्द्रीय रुप प्रदान किया उसने औरंगजेब कालीन सरकार के नाम को कसम रखा औरंगजेब के शासन काल में अवध के 21 परगनें, लखनऊ में 55 परगनें, गोरखपुर में 24 परगने, खैराबाद में 22 परगनें, बहराइच में 11 परगने सम्मिलित थे।

औरंगजेब कालीन समाज के उच्च वर्ग में जगीरदार, जमींदार, सरकारी अधिकरी, धनी–व्यापारी एवं गैर सरकारी अमीर लोग आते थे। इनमें हिन्दू तथा मुसलमान दोनों सम्मिलित थे इस वर्ग के अधिकार में अधिकांश भूमि तथा उत्पादन के लगभग सभी स्रोतों पर नियन्त्रण था। अत्यधिक धन सम्पत्ति राजनीतिक अधि िकारों से युक्त होने के कारण यह वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। अतेव निम्न वर्ग के लोगों को इनके साथ उस मान सर्तों के आधार पर सम्बन्ध रखना पड़ता था।

समाज के निम्न वर्ग के अन्तर्गत कृषक भूमिहीन खेतिहर, कारीगर एव मजदूर आते थे। यह वर्ग अत्यधिक निर्धनता एवं दरिद्रता का शिकार था। इसकी दशा अत्यन्त शोचनीय थी ये जमींदारों तथा सरकारी अधिकारी के शोषण के शिकार थे तथा विभिन्न प्रकार के कष्टों को भी सहन करते थे। कृषि सम्बन्धी विपदाओं के समय वे अपने जमींदार से सदैव रियायत विमुक्ति अथवा तकाबी नहीं पाते थे। उन्हें पर्याप्त भोजन एवं वस्त्र उपलब्ध नहीं था। और वे अपने बच्चों को शिक्षा देने अथवा विभिन्न व्यक्तियों का ज्ञान कराने में असमर्थ रहते थे। यह निर्धन वर्ग अपने भाग्य के सहारे जीवित था।

मानव समाज में सबसे ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण खान–पान है। औरंगजेब काल में सूबा अवध के उच्च वर्ग के मुसलमान अमीर व रईस के उत्तम भोजन के शौकिन थे। और विभिन्न प्रकार की रोटियां विभिन्न तरीकें से पकाये गये मुर्गों तथा बकरियां एवं चिड़ियों का मांस और किस्म–किस्म के फल व कुछ मिठाईयाँ मुस्लिम अभिजात वर्ग के भोजन का प्रमुख व्यंजन होता था। प्रारम्भ में मुसलमान सादी रोटियां खाते थे। जिनमें घी को लगाव नहीं होता था। इन रोटियों

की चपाती कहा जाता था। लेकिन हिन्दुओं को पुरियां बनाते देखकर उन्होंने भी रोटियां में घी का पुत देकर पराठे बनाना शुरु किया और फिर उनमें अनेक पराठे तथा उन्हें देना शुरु किया फिर इसी पराठे में तरक्की देकर बाकिरखानी का विवरण शुरु हुआ और मुस्लिम अमीरों के दस्तर ख्वाने की विशिष्ट रोटी वाकिर खानी हो गयी।

हिन्दू और मुसलमानो के खान–पान में विशेष भिन्नता थी। हिन्दूओं का खान–पान बहुत संयमित था। साधारण चौके में दो बार खाना बनाया जाता था हिन्दू खाना खाने के पहले धोती को छोड़कर सारे वस्त्र उतार देते थे। कुछ ब्राह्मण स्वयं अपना भोजन पकाते थे। खाना पकाना छिपकर करते थे। गोमांस खाना हिन्दू जाति में वर्जित था।

उच्च वर्ग के हिन्दू भी विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन में मुसलमानों से पीछे नहीं थे। लेकिन उनके अधिकांश व्यंजन निरामिष होते थे। इनमें विभिन्न तरह से पकाये गये चावल रोटियां घी अथवा मक्खन दूध से बनाये जाने वाले व्यंजन विभिन्न तरह की साग–सब्जियां एवं फल आदि सम्मिलित थे। सादी रोटी के स्थान पर पूड़ी को अधिक महत्व दिया जाता था। चावल, चीनी, दूध, मसाले (लवंग, इलाची आदि) एवं सूखे मेवे आदि से तैयार की जाने वाली खीर को स्वादिष्ट भोजन का एक महत्वपूर्ण व्यंजन माना जाता था। धनी वर्ग के लोग चावल–दाल (विशेष रुप से मूंग की दाल) मसाले तथा कई तरह की हरी सब्जियों को मिलाकर बनने वाली "खिचड़ी" को भी बड़े चाव से खाते थे। इसमें प्राप्त मात्रा में घी मक्खन भी डाला जाता था। हिन्दुओं के भोजन में भी विभिन्न प्रकार के आचार व चटनी भी होती थी।

हिन्दू समुदाय के अधिकांश लोग शाकाहारी होते थे। परन्तु राजपूत जाति के लोग मांसाहारी का प्रयोग करते थे। समाज में मिष्ठान का महत्वपूर्ण स्थान था। हिन्दू तथा मुसलमान समुदाओं में धर्म एवं परम्परा के अनुसार मायक द्रव्यों का सेवन निषेद था। सूबा अवध में शराब अफीम एवं भाग का सेवन लोग चोरी छिपे तौर पर कर लेते थे। लेकिन समाज में ऐसी लोगों की संख्या बहुत कम थी।

हिन्दू और मुस्लिम समाज में रीति–रिवाज में काफी अन्तर था मुस्लिम समाज में नवजात शिशु के छठवें दिन दावत दी जाती थी शिशु के पैदाइस से बीसवें व चालीसवें दिन नहान के अवसर पर धूम–धाम से होता था। इसके पश्चात् अकीका के रस्म प्रदान की जाती थी। इस रस्त के अन्तरगत बच्चों को नहलाकर नये कपड़े पहनाये जाते हैं। और उसके मित्रों और सम्बन्धियों के समूह बच्चे का सर बाल मुढ़ाया जाता है। इस मौके पर कुर्बानी किये जाने वाले गोस्त गरीबों और सम्बन्धियों में बांट दिया जाता है। इस अवसर पर घर में खुशी का जस्न मनाया जाता है। बच्चे की आयु "चार साल चार महीना चार दिन होने पर बिसमिल्ला खानी" की रस्म होती थी इस रस्म के अन्तर्गत बच्चे की शिक्षा प्रारम्भ की जाती थी। सात से बारहवें का चौदहवें वर्ष के मध्य लड़के "खतना" का रस्म होता था।

इस रस्त के अन्तर्गत लड़के के लिंग के अंग भाग का थोड़ा सा चमड़ा काटकर निकाल दिया जाता है। जिससे लिंग में किसी प्रकार की गंदगी न रह सके विवाह के अवसर पर "निकाह" की रस्म अदा होती थी। इसमें शादी के लिए सबसे पहले धर्म गुरु लड़की की सहमती लेते हैं। इसके बाद लड़के की सहमती प्राप्त कर "विवाह की रस्म पूरा की जाती है शिया मुसमानों में" "मुताह वियाह"

(अस्फी विवाह) की प्रथा को विद्वमान थी इस्लाम में "तलाक" का भी प्रविधान है। किन्तु "तलाक" की फिर भी घटना कम होते थे। जीवन सफल पूरा करने के बाद व्यक्ति की मृत्व हो जाने पर "नमाज–ए–जनाजा" पढ़कर मृतक के शव को उसके मित्र तथा सगे सम्बन्धित कब्रिस्तान में ले जाकर वहां दफन करते थे। रास्ते भर इस शव यात्रा में सम्मिलित लोग "तकवीर" और दरुल पढ़ते जाते हैं। दफन के दिन से चालीसवें दिन तक मृतक के आत्मा के शान्ति के लिए मृतक के घर में कुरान का पाठ कराये जाते हैं। 40 वें दिन मृतक के आत्मा के लिए ब्रह्म भोज का आयोजन होता है। जिसे "चालीसवाँ" कहा जाता है।

हिन्दू धर्म में 16 संस्कार उस समय मुख्य रुप से प्रचलित थे। उनमें मुख्य रुप से जाति, कर्म, नाम कर्म, चूड़करण, उपनयन विवाह, व अतेष्ट संस्कार मुख्य थे। हिन्दू समाज में संस्कार का पालन श्रद्धा एवं विश्वास से किया जाता था। हिन्दू समाज में जन्म कुण्डली बनाये जाने की प्रथा प्रचलित थी। बालक के छः माह के हो जाने पर अन्य संस्कार किया जाता था। तीन वर्ष की आयु में मुण्डन संस्कार 8 वर्ष की आयु में जनेऊ अथवा उपनपन संस्कार होता था। इसके पश्चात् विद्या प्रारम्भ होती थी। आज कल की भांति इस समय भी विवाह प्रचलित थी। मृत्व के समय दाह संस्कार, अस्ति संचयन तथा शान्ति कर्म और सपिण्डी कर्म, समन्नवय किये जाते थे। मृत्व के तेरहवें दिन बाद उसकी आत्मा शान्ति के ब्रह्म भोज किए जाते थें जिसे (तेरही) कहा जाता था। हिन्दू और मुसलमान दोनों समुदायों में त्यौहार एवं मेला की व्यवस्था प्रचलित थी। मुस्लिम त्यौहारों में मुहर्रम "शव–ए–वरात्" इसके क्षेत्र "ईद–उल–जुहा" "बरावफात" तथा हिन्दू त्यौहारों में बसन्त पंचमी, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, रक्षाबन्धन, विजय दशमी, अथवा दशहरा

तथा दीपावली के प्रमुख रुप से उल्लेखनीय है। उस समय समाज में आमोद–प्रमोद के भी व्यवस्था थी। घुड़सवारी, जानवरों की लड़ाई वीर व मल युद्ध, कबड्डी, लोक गीत, नाच, नौटंकी, आदि के माध्य से लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। गाँव में होली के त्यौहार के अवसर सामूहिक रुप से और लोक गीत का गायन और नृत्य का आयोजन होता है। तथा सावन के अवसर पर सामूहिक झूला झूले जाते थे। और कजरी गीत भी गाये जाते थे। नाट्य कला भी उस समय मनोरंजन का साधन था। भाट–चरण, नक्काले व पेशार निमुसक इन मनोरंजन के केन्द्र बिन्दू हुआ करते थे।

औरंगजेब कालीन समाज में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। उत्तर भारत में सूबा अवध शिक्षा और साहित्य महत्वपूर्ण केन्द्रों में एक था। या मदरसे या उच्च शिक्षा के कई केन्द्र थे। मुस्लिम शिक्षा पद्धति में प्रारम्भिक शिक्षा मकतबों में प्रदान की जाती थी। मकतब सामन्तः मजिस्द से संलग्न होती थी। उच्च शिक्षा के लिए मदरसों की व्यवस्था थी। धर्म मान शिक्षा में कुरान अधिकांश इस्लामिक कानून तथा सूफीवाद का अध्ययन किया जाता था। इसके साथ ही साथ धर्म निरपेक्ष शिक्षा भी प्राविधान था। जिसमें अरबी भाषा के व्याकरण, गद्द, साहित्यिक तर्क भाषा कानून, गणित, ज्योतिष, भूगोल कृषि आदि का अध्ययन सम्मिलित था।

औरंगजेब कालीन सूबा में मुस्लिम शिक्षा के साथ–साथ हिन्दू शिक्षा को भी काफी बल मिला अकबर जहांगीर द्वारा प्रबुद्ध नीति अपनाए जाने के कारण हिन्दू शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार बहुत ही संतोष जनक ही रहा। प्राथमिक शिक्षा के (पाठशाला) मन्दिरों के साथ संलग्न होते थे इन पाठशालाओं में बच्चों लेखन और पढ़न के साथ–साथ गणित के अध्ययन कराया जाता था। उच्च शिक्षा

संस्थाओं हिन्दू समुदाय के छात्र भाषा और साहित्य वेद, पुराण दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र खगोल, विद्या आदि का अध्ययन करते थे। हिन्दू छात्र गणित में प्रवीण हुआ करते हैं, हिन्दू शिक्षा मूलः धर्म निरपेक्ष इसका मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण प्राचीन सांस्कृतिक की रक्षा सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन किया जाता था।

औरंगजेब के शासनकाल में पूर्व की भांति समाज में जमींदार प्रथा प्रचलित थी व्यवहारिक रुप से जमींदार का तात्पर्य "भू–स्वामी" जमींदार शब्द, फारसी शब्द एक भाषा का एक संयुक्त पद है "भूधारक है।" जमींदार वर्ग में शक्लिशाली स्वतन्त्र और स्वायत सरदारों से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक हितों के अधिकारिं से सम्मिलित होने के कारण स्तरण (स्टैटिफिकेशन) के निश्चित चिन्ह विद्यमान थे। जमींदार अपनी जमींदारी में राजस्व का अधिकार रखता था। जमींदार अनेका–नेक धिकार एवं अनुलाभों का उपयोग करता था, शासन की ओर कृषि उन्नति करने, आबादी को बढ़ाने अपनी जमींदारी के राजस्व का नियमित रुप से भुगतान करने का दायित्व सौंपा जाता था। जमींदार का महत्वपूर्ण कार्य राजस्व के एकत्रित कर राजकोष में जमा करवाना होता था।

अबूल फजल ने "सूबा अवध के वाइस परगने में वैश्य, राजपूतों, को जमींदार, अंकित किया जो सरकार अवध में वे तीन परगनों के सहभागी जमींदार थे और सरकार की कुल जमा के 6 प्रतिशत पर नियन्त्रण रखते थे। आईन–ए–अकबरी में सरकार अवध 6 परगनों में केवल एक परगने में संयुक्त रुप से बच गोती राजपूतों की जमींदारी दरसाया गया है। सरकार की कुल (जमा) के 18.85 प्रतिशत पर उनका नियत्रंण था सूबा अवध की कुल जमा में राजपूतों की

सहभागिता 4.13 प्रतिशत थी। गोरखपुर में पिसेनों की जमींदारी का अधिकतम भाग मझौली के राजा के हाथों में रहा। बहराइच, खैराबाद, में उनकी जमींदारी समाप्त हो गयी थी। रैग वार तथा जनावर राजपूतों की अधिकम जमींदार सरकार बहराइच में भी सूबा के कुल जमा में उनका 7.10 प्रतिशत था। आईन–ए–अकबरी के अनुसार "सूरज वंशी और सोमवंशी, राजपूतों के अधिकतम जमींदारी सरकार गोरखपुर में था। गहलौत राजपूत बच्छल, राजपूतों के साथ संयुक्त रुप से परगना संडिला और पश्चिम भरोस के जमींदार थें वे सरकार लखनऊ में भी पृथक रुप से परगना के जमींदार थे सूबा के कुल जमा 5.22 प्रतिशत भाग पर उनका नियंत्रण था। इन सबके अतिरिक्त अन्य बहुत से जातियों का आईन–ए–अकबरी उल्लेख मिलता है। इनमें चन्देलों के 1.5 प्रतिशत अहमिनों का 1.97 प्रतिशत अहीरों का 1.77 प्रतिशत, कुनबी का 0.49 प्रतिशत पर नियंत्रण था। ब्राह्मण की स्थिति सरकार अवध के दो परगनों में सहभागी जमींदारों को भी उनके सरकार के कुल राजस्व के 3.8 प्रतिशत पर नियन्त्रण था मुस्लिम तथा अन्य जातियों का केवक एक चौथाई भाग पर अधिकार था।"

1595 ई0 में सूबा अवध में मुस्लिम जमींदारों का 10.86 प्रतिशत पर नियंत्रण था उतरौला अफगान जाति के जमींदारी भी अन्सारी जाति के लोग–सरकार अवध के परगने इब्राहिमाबाद व सतरिख तथा सरकार लखनऊ के परगना के जमींदार थे। सरकार लखनऊ के परगना विलग्राम और ऊनम सय्यद जाति की जमींदारी थी। शेखजादा समुदाय के लोग परगना फतेपुर और हवेली लखनऊ सहभागी जमींदार थे। इस प्रकार मुगल काल में सूबा अवध में जमींदारों के रुप में मुस्लिम जाति के स्थिति अपेक्षाकृति अपूर्ण हुई तथा अन्य जातियों में परिवर्तन

हुआ।

औरंगजेब कालीन सूबा अवध का उर्वरता एवं उत्पादन के अधार पर एक महत्वपूर्ण स्थान है सूबा अवध में रवी की फसलों में फारसी, तरबूज, पोस्ता, प्याज, मेथी, भारतीय, तरबूज, चावल, अजवाइन, गेहूँ, जौ, कुसुम पोथर्वस, अलसी, सरसों, मटर, अजीन, गाजर भारतीय उरद (मोठ), अदस, खरीफ की फसलों में गन्ना, चावल मांस (उर्द) कपास, मोथ, जुवारी, लहडरा, गोदरभ, मंडला, तिल सांबा, मूंग, पान, सिंघाड़ा, आदि कृषि के मध्य उत्पादित होते थे। इनके सूबे के राजस्व में एक महत्वपूर्ण स्थान था। भू–उर्वरता होने के कारण फसल की कास्ट अच्छी होती थी। इस कारण से सूबा अवध के कृषि क्षेत्र में नियन्त्रण रखना होता था। सरकार लखनऊ तथा अन्य सरकारों की तुलना में अवध कृषि क्षेत्र में अधिक विकसित थां रवी और खरीफ के फसलों को मिलकार यहां लगभग 50 फसलों पैदा होती थी। यहां की फसलें उच्च कोटा की थी मुगल सम्राज्यों की किसानों के प्रति सहानुभूति पूर्व दृष्टि कोण के कारण इस सूबे में कृषि का निरन्तर विश्वास होता रहा।

औरंगजेब कालीन भारत में उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में भी सूबा अवध ा का महत्वपूर्ण स्थान रहा इस भू–भाग में उच्च कोटि के वस्त्र निर्मित करने की विशिष्ट कला, दस्तकारी, कलईदार बर्तन बनाने तथा नील के उत्पादन की दीर्घ कालीन परम्परा विद्यमानप थी। यूरोपीय व्यापारी इस भू–भाग में अपने औद्योगिक संस्थान एवं कल कारखाने स्थापित करने के लिए आकर्षित हुए मुगल काल में सूबा अवध सूती उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र था यहां विभिन्न प्रकार के सूती

निर्मित होते थे। और विशिष्ट नाम से जाने जाते थे। वस्तु उद्योग के वाद दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग विभिन्न धातुओं से वस्त्र का निर्माण था। इस उद्योग के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धित यन्त्र पूर्ण रुप से अथवा आशिक रुप से तथा लोहे के बने होते थे। लोहार, बड़ई, राजगीर, मूर्तिकार, दर्जी, हलवाई, तेली, धोबी, कसाई, माली, नाई, मोची, आदि के काम करने के यन्त्र लोहे के बने होते हैं। भवनों के निर्माण में लोहे के किल, कुण्डी, खुटी, सलाखे, चिकना, पेंच जाली, आदि की आवश्यकता पड़ती थी प्रत्येक परिवार में लोहे की सामाग्री खासकर होती थी। सूबा अवध में सोना भी पाया जाता था। अबुल फजल के अनुसार "अयोध्या के आस–पास की भूमि से मिट्टी काटकर सोना प्राप्त किया जाता है।"

सुजान राय भी सूबा अवध की सोने की खान भी उल्लेख करता है। "औरंगजेब के शासन में अयोध्या के सर्राफ को कार्य अत्यधिक उन्नत प्रदेश में था। मुगल सम्राट के औरंगजेब के शासन काल में सूबा अवध में कागज का उत्पादन होता था।" पीटर मण्डी के अनुसार "शाहजहाँपुर में भी कागज बनाया जाता था।" कागजों का उत्पादन विदेशी मिशनरियों, कार्यालयों, स्कूलों तथा व्यापारियों द्वारा किया जाता है।

सूबा अवध में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होने के कारण चीनी उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान था। सूबा अवध में चमड़े का उद्योग बहुत उन्नत दशा में नहीं था। किन्तु थोड़ी मात्रा में चमड़े से निर्मित वस्तुओं से तैयार की जाती है। और कुछ मात्रा में चमड़े बाहर से मंगाई जाती है। सूबा अवध में नदियां तथा भू–भाग मार्गों द्वारा व्यापार होता था। औरंगजेब के शासन काल में व्यापारी मार्ग की संख्या कम थी। भारत के भू–सीमाओं के उत्तर की ओर जाने वाली व्यापारी अवध

ा से होकर जाते थे। अबुल फजल ने उत्तर के पर्वतों के ओर से सूबा अवध के होने वाले व्यापार का उल्लेख किया है। तीब्त के साथ भारत का व्यापार इतनी सूबे के व्यापारी मार्ग के द्वारा होता था। चोरी रहजवी और लूट–पाट के डर से व्यापारी लोग काफिला बनाकर यात्रा करते थे जल मार्गों द्वारा भी वस्तुओं का आयात एवं निर्यात एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता था। सूबा अवध में गोमती तथा घाघरा दो प्रमुख नदियों के माध्य से नदियों के नावें के माध्यम से किये जाने वाला व्यापार बहुत अधिक प्रचलन में था। जल मार्ग का व्यापार एवं स्थाई मार्ग का व्यापार से अच्छा सुविधाजनक होता था।

भू–राजस्व व्यवस्था में किसान जमींदार कानून गोह, चौधरी, पटवारी, आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बादशाह द्वारा लगाये जाने वाले करों की अदायगी इनके माध्यम से होती है। ये कर ज्योति जाने वाली भूमि चारा घाट तथा नदी तालाबों कारीगरों द्वारा निर्मित सामग्री वस्तुओं के क्रय–विक्रय पर तथा प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए चुंगियों के रुप में लगाये जाते थे। निर्धारित कर राशि को "जमा" या "भू–राजस्व की मांग" कहा जाता था। दूसरे शब्दों में राजस्व कर "माल" "जिहात" तथा "सैर जिहात" के नाम से वसूल किये जाते थे। राजस्व निर्धारण की विभिन्न पद्धतियां प्रचलित थी समकालीन अभिलेखों में "नसक" "जब्त", "कनकूत" तथा भावली आदि कर निर्धारण करने वाले पद्धतियां का उल्लेख मिलता है। सूबा अवध में भू–राजस्व निर्धारण की सबसे प्रमुख एवं विस्तृत क्षेत्र की प्रचलित पद्धति "जब्त" थी। सूबा अवध का सरकार व बहराइच "जब्त" के स्थान पर अन्य पद्धतियों के प्रचलन का विवरण मिलता है। दस्तूर–उल–अमल मेंहदी अली खाँ के विवरण के अनुसार उन्नसवीं सदी में

प्रारम्भिक भाग में अवध के बहराइच सरकार के कर निर्धारण की "नगदी" और "कनकूत" प्रथाएं प्रचलित थी। जब्त पद्धति के प्रचलन भू–भागों में राज की मांग "पैदावार एक तिहाई से अधिक होती थी।"

आईन–ए–अकबरी के आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि सरकार अवध में दो दाम से लेकर बावन दाम तक विभिन्न परगनों में अलग–अलग भी सूबा अवध में कर के नकदी भुगतान की प्रथा प्रचलित थी किन्तु "आमिलों" को साम्राज्य की ओर से यह भी आदेश दिया यदि किसान नकद कर नहीं देना चाहते तो अनाज अथवा वस्तु के रुप में भी राजस्व स्वीकार कर लिया जाय भू–राजस्व कर भुगतान वर्ष भर चार या छः किस्तों में अदा करने की परम्परा भी प्रत्येक किस्तों में विशेष धनराशि के रुप में पट्टा तथा काबूलियत में रखता था। इस प्रकार मुगल कालीन सूबा अवध में भू–राजस्व के निर्धारण एवं संग्रह की प्रमुख पद्धति "जब्त" थी। जो सरकार लखनऊ तथा सरकार–खैराबाद में पूर्ण रुप से प्रचलित थी।

औरंगजेब कालीन सूबा अवध की सामाजिक एवं आर्थिक दशा का अध्ययन एवं विवेचन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क औरंगजेब के शासन काल में सूबा अवध उत्तर भारत का एक प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र था यहां के प्रशासनिक व्यवस्था के साथ–साथ सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत लोगों का जीवन, यापन, खान–पान, रीति–रिवाज, तथा तिज त्यौहार भी उत्कृष्ट स्तर के थे। समाज में अमीर गरीब वर्ग की अपनी अलग पहचान थी जो अपने सामर्थ के अनुसार जीवन यापन करते थे। सूबा अवध आर्थिक रुप से काफी सुद्रिण था यहां के उद्योग व्यापार एवं वाणिज्य विकसित दशा में सूबा अवध में भू–राजस्व से होने

वाली आय मुगल साम्राज्य के आर्थिक विकास का एक अंग था। अतः हम कह सकते हैं कि औरंगजेब कालीन सूबा अवध का भारत के राजनैतिक समाजिक एवं आर्थिक मंच पर एक महत्वपूर्ण योगदान था। सूबा अवध अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुगल साम्राज्य के संचालन की एक अटूट कड़ी के रुप में था और जाना जाता रहेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

फारसी स्रोत –

अल्लामी अबुल फजल – अकबर नामा, 3 खण्ड विब्लोथिका–इण्डिका कलकत्ता "1873–87" अंग्रेजी अनुवाद एच देवरिज प्रथम भारतीय संक्रमण दिल्ली–1972

अल्लामी अबुल फजल – आईन–ए–अकबरी, 3 खण्ड सम्पादित एच. ब्लोकमैन कलकत्ता प्रति, 1877 अंग्रेजी अनुवाद प्रथम खण्ड, एच0 ब्लोकमैन द्वितीय एवं तृतीय खण्ड जैरेट एवं सरकार, हिन्दी अनुवाद प्रथम खण्ड हरिवंश राय शर्मा

अखबारात–ए–दरबार–ए मुअब्बा, भटनागर शोध संस्थान, सीता मऊ (मालवा) नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

अहमद ख्वाजा निजामुद्दीन – तबकात–ए–अकबरी, अंग्रेजी अनुवाद बीड़ी कलकत्ता–1913

अली खस्तम आत्मज मोहम्मदा – तारीख–ए–हिन्दी, अलीगढ़ी हस्तलिपि संख्या 28

अली, रहमान – तजकिरा–उला–ए–फिरंगीमहल लखनऊ–1934

कन्तशालह — शाहजहाँनामा कलकत्ता

काज़िम मोहम्मद — आलम गीरनामा, विब्लोथिका इण्डिका, कलकत्ता, 1873

काज़िम मोहम्मद — कागजात–ए–मुत्तफरिका अलीगढ़ रोटोग्राफ संख्या–57

खाँ, खाफी — मुन्तकखब–उल–लुबाब, 2 खण्ड कलकत्ता –1869

खा मतमइद — इकबादल–नामा–ए–जहांगीरी, कलकत्ता–1865

खाँ, हातिम — आलमगीर नामा, अलीगढ़ रोटोग्राफ संख्या –37

खाँ, शाहनवाज — मआसिर–उल–उमरा, कलकत्ता – 1868 अंग्रेजी अनुवाद

गोपाल, जय — तारीख–ए–अवध टैगोर लाइब्रेरी लखनऊ

जहांगीर — तुजुक–ए–जहांगीरी (अंग्रेजी अनुवाद) रोजर्स एण्ड बेबरिज.

जहांगीर — तारीख–ए–मुअज्जममाबाद मारुफ व गोरखपुर नवल किशोर प्रेस लखनऊ–1872

जहांगीर	–	दस्तूर–उल–अमल–ए–आलमगीरी, ब्रिटिश म्यूजियम, ऐड, 6594
जहांगीर	–	दस्तूर–उल–अमल–ए–नवसिंदगी, ब्रिटिश म्यूजियम
दास, जगजीवन	–	मुन्तखब–उत–तवारीख, अलीगढ़, रोटोग्राफ संख्या–21
फैजबख्श, मोहम्मद	–	तारीख–ए–फराहबख्श, अंग्रेजी अनुवाद, डब्ल्यू0 होम, मेमायर्स, आफ देहली एण्ड फैजाबाद, 2 खण्ड, इलाहाबाद–1888–89
बाबर	–	बाबर नामा, अंग्रेजी अनुवाद मिसेज एच0 बेवरिज
बदायूँनी, अब्दुल कादिर	–	मुन्तखब–उत–तवारीख अंग्रेजी अनुवाद टी डब्ल्यू0 हेग, 3 खण्ड कलकत्ता
बयाज़ीद, व्यात	–	तारीख–ए–हुमायूँ व अकबर सम्पादित हिदायत हुसैन, बिब्लोयिका इण्डिका कलकत्ता हिन्दी अनुवाद प्रोफेसर राधेश्याम–इलाहाबाद।
बिलग्रामी, मुर्तजा हुसैन	–	हदीकत–उल–अकालमी क्षेत्रीय अभिलेख खागार, इलाहाबाद हस्तिलिपि

बिलग्रामी, गुलाम अली आजाद – मआसिर–उल–किराय, आगरा–1910

भण्डारी, सुजान राय – खुलासात–उत–तवारीख आंशिक अंग्रेजी अनुवाद जे0 एन0 सरकार कृत इण्डिका ऑफ औरंगजेब–1801

मुंशी मलिकजादा – निगारनामा, अलीगढ़ रोटोग्राफ संख्या–36

मुखलिश, आनन्दराय – मीरात–उल–इस्तिलाह, अलीगढ़

––––––– मयमुआ–ए–फरामिन, अलीगढ़

राय मुन्शी गोपाल – दुर्र–उल–उलूम अलीगढ़ रोटोग्राफ संख्या –185

राय, भूपत – इंशा–ए–शोशन कलाम, अलीगढ़ रोटोग्राफ संख्या – 20

लालजी – मीरात–उल–औजा, अलीगढ़ हस्तलिपि संख्या–60

लाल मुंन्शी ठाकुर – दस्तूर–उल–अमल, अलीगढ़

लाहौरी अब्दुल हमीद – बादशाहनामा, 2 खण्ड विब्लोथिका इण्डिका, कलकत्ता

बिलमेरिया – रूक्कात–ए–आलमगीरी अनु0 (सं0) सैय्यद नाजिब आशरफ नदवी आजम 1930

खली उल्ला – तारीख–ए–फर्रुखाबाद, अलीगढ़ हस्तलिपि

शरीफ, जाफर – कानून–ए–इस्लाम, जी0 ए0 हर्कलाट्स कृत अंग्रेजी अनुवाद, रिप्रिंट नई दिल्ली 1972

शुजाई, जगत राय – फरहंम–ए–करदानी अलीगढ़ हस्तलिपि संख्या 315/85

सक्सेना, राय चतुर्मन – चहार–गुलशन (क्षेत्रीय अभिलेखागार हस्तलिपि) आंशिक अंग्रेजी अनुवाद जे0 एन0 सरकार कृत इण्डिया ऑफ औरंगजेब, 1901

—————— – खुलासात–उस–सिपक, अलीगढ़ रोटोग्राफ संख्या– 57

हज़रत मुफ्ती गुलाम – कवायफ–ए–जिला–गोरखपुर (इण्डिका–आफिस लन्दन हस्तलिपि संख्या– 4540 संलग्न अंग्रेजी अनुवाद

हर्ड, अब्दुल – उमदत–उल–बसायल अलीगढ़ हस्तलिपि

हैदर, कमालुद्दीन – सवानिहात–ए–सलातीन–ए–अवध, लखनऊ 1879

——————— – हफत इक्लीम

उर्दू–स्रोत :–

अन्सारी, मुफ्ती मुहम्मद रज़ा – बानी–ए–दर्स–ए–निजामी, लखनऊ–1973

जिलानी, मानाजिर, एच0 – हिन्दुस्तान में मुसलमानों का निजाम–ए–तालीम व तरवियत

तकी, मिर्जा मोहम्मद – तारीख–ए–आफताब–ए–अवध 3 खण्ड, हस्तलिपि, टैगोर, लायब्रेरी लखनऊ

नदवी, अब्दुल हस्नात – हिन्दुस्तान में कदीम इस्लामी दर्स गाहें

फारुकी मोहम्मद, अब्दुल, गफूर – शजरै–शादाम 1901

बारी, अब्दुल – असरार–उर–अब्बाल में उलमा–ए–फिरंगी महल, लखनऊ

लारी, अहमर – मुख्तसर–तारीख–ए–गोरखपुर

"शरर" अब्दुल हकीम – गुज़िश्ता–तारीख (हिन्दी अनुवाद पुराना लखनऊ)

समद्यानी, मकबूल – हयात–ए–जलील, इलाहाबाद

सिहालवी, अल्ताफुर्रहमान – उलमा–ए–फिरंगी महल, लखनऊ

हिन्दी स्रोत :–

अग्रवाल सरयू प्रसाद – अकबरी दरबार के हिन्दी कवि लखनऊ 1950

आचार्य, परशुराम चतुर्वेदी – उत्तर भारत की सन्त परम्परा, 1956

उपाध्याय, के0 डी0 – भोजपुरी ग्राम गीत

जायसी, मलिक मुहम्मद – पदमावत, हिन्दी संस्करण कलकत्ता 1896

तुलसीदास – श्रीराम चरित मानस, अष्टम् संस्कर, 2036 एवं 28 वां संस्करण मूल मझला साइज, गीता प्रेस गोरखपुर

तुलसीदास – कवितावली, (लाला भगवानदीन द्वारा सम्पादित) इलाहाबाद

––––– – पार्वती मंगल (संकलित सद्गुरु शरण अवस्थी)

देवदत्त – देवसुधा, सम्पादित मिश्र बन्धु गंगा ग्रन्थामार लखनऊ तृतीय संस्करण सम्वत् 2005

पाण्डेय, चन्द्रबली – तुलसीदास

पाण्डेय, चन्द्रबली – मुगल बादशाहों की हिन्दी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी– 1951

मल्ल, लाल खंड बहादुर – विश्वेन वंश वटिका, बांकीपुर – 1887

–––––– – अवधी साहित्य–इलाहाबाद

मित्तल, प्रभुदयाल – ब्रज का सांस्कृति इतिहास साहित्य संस्थान मथुरा–1966

वर्मा राजकुमार — हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इलाहाबाद—1948

वास्णेय, लक्ष्मी सागर — हिन्दी साहित्य का इतिहास, दसवां संस्करण, लोक भारतीय प्रकाशन इलाहाबाद — 1971

सिंह नागेश्वर प्रसाद — नागकौर्श्र लोलार, प्रथम खण्ड गोरखपुर से सम्बन्धित विवरण

त्रिभुवन — दरबार संस्कृति और हिन्दी मुक्तक, बनारस 1958

शुक्ल रामचन्द्र — हिन्दी साहित्य का इतिहास बनारस, सम्वत्—1886

त्रिपाठी, एल0 के0 — कानपुर के कवि, कानपुर 1953

संस्कृत स्रोत :—

मनुस्मृति — मनुस्मृति (हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला 226) टीकाकार पण्डित हरगोविन्द शास्त्री चौखम्भा संस्कृत सीरिज बनारस—1952

पद सुन्दरी — अकबर शाही श्रृंगार दर्पण गंगा ओरियन्टल सीरिज, सम्पादक अनुज, संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर

विदेशी यात्रियों का विवरण :—

जान फ्रायर एण्ड सरटामस रो – ट्रैवेल्स इन इण्डिया सेंचुरी, लन्दन – 1873

टेरी – अर्ली ट्रैवेल्स इन इण्डिया, 1622,

ट्रैवर्नियर, ज0 वी0 – ट्रैवेल्स इन इण्डिया (1640–1667) अंग्रेजी अनुवाद बी0 बेल, खण्ड–2 लन्दन – 1889

डीलाएट – इम्पायर आफ दि ग्रेट मोगल (1630–1667) अंग्रेजी अनुवाद, जे0 एस0 होम लैण्ड सम्पादित एस0 एन0 बनर्जी बम्बई – 1928

पलजेरट, एफ0 – जहांगीर्स इण्डिया (अंग्रेजी अनुवाद मोरलैण्ड एण्ड गेइल) हकलियत सोसाइटी कैम्ब्रिज 1925

फिच, विलियम – अर्ली ट्रैवेल्स इन इण्डिया (1583–1619) ऑक्सफोर्ड– 1921

वर्नियर एफ0 – ट्रैवेल्स इन दि मुगल इम्पायर (1658–1668) अंग्रेजी अनुवाद, ए0 कांस्टेबिल लन्दन–1891 सम्पादक बी0 ए0 स्मिथ सेकेण्ड रिवाइज्ड एडिसन, आक्सफोर्ड–1934

मनूक्की, एन0 1850 – स्टोरिया–डो–मोगोर 4 खण्ड, अंग्रेजी अनुवाद विलियम इरविन, इण्डियन टैक्स सीरिज गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया लन्दन 1907–08

पीटर मुडी	–	ट्रैवेल्स आफ पीटर मंडी इन यूरोप एण्ड एशिया (1628–1634) खण्ड, 2, सम्पादक आर0 सी0 टेमपल हकलियत सोसाइटी, 1914
स्लीमैन, डब्लू0 एच0	–	एजर्नी थ्रू दि किंगडम ऑफ अवध खण्ड–1, लन्दन, 1858
–––––	–	स्लीमैन इन अवध

आधुनिक ग्रन्थ (अंग्रेजी) :–

अम्बस्ट, बी0पी0	–	बीम्स कान्ट्रीब्यूसन्स, टू दि पोलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ
सम्पादक	–	दि सूबा ऑफ अवध, बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन दि एज ऑफ अकबर, पटना– 1976
अली, एम0 अतहर	–	मुगल नोबिल्टी अण्डर औरंगजेब बम्बई – 1966 हिन्दी अनुवाद–औरंगजेब कालीन अमीर वर्ग के रुप में प्रथम हिन्दी संस्करण, नई दिल्ली–1977
अली, अमीर	–	स्पिरिट ऑफ इस्लाम, लन्दन–1955
अल्तेकर, ए0 एस0	–	दि पोजीशन ऑफ बीमेन इन हिन्दी

सिविलाइजेशन बनारस–1938

अहमद लईक – भारतीय संस्कृति इलाहाबाद,

अजीज, अब्दुल – आर्म्स एण्ड ज्वेलरी ऑफ दि इण्डियन मुगल्स कासिमजान स्ट्रीट देलही– 1971

अब्बस अली, दरोगाहाजी – ऐन इलस्ट्रेड हिस्टारिकल एलबम ऑफ राजाज एण्ड ताल्लुकेदार ऑफ अवध इलाहाबाद – 1880

अली, मिसेज मीर हसन – आब्जर्वशन्स आन दि मुसलमान ऑफ इण्डिया (सम्पादित विलियम कुक द्वितीय संस्करण) ऑक्सफोर्ड – 1977

अन्तोनोवा, को0 अ0 – भारत का इतिहास हिन्दी रुपान्तर कार नरेश बेदी, ददन उपाध्याय, प्रगति प्रकाशन मास्को – 1981

अशरफ, के0 एम0 – लाइफ एण्ड कण्डीशन्स ऑफ दि पीपुल ऑफ हिन्दुस्तान, हिन्दी अनुवाद–हिन्दुस्तान के निवासियों का जीवन उनकी परिस्थितियां रुपान्तर कार–के0 एस0 लाल प्रथम हिन्दी संस्करण दिल्ली– 1969

अहमद, मुहम्मद बशीर – दि एण्डमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन

		मेडिवल इण्डिया
इकराम, शेख	–	मुस्लिम सिविलाइजेशन इन इण्डिया, 1964
इलियट, सी0 ए0	–	मेयायर्स ऑफ दि रेज आफ दि नार्थ–वेस्ट प्राविन्सेज
–––	–	क्रानिकिल्स ऑफ उन्नाव, इलाहाबाद – 1862
इलियट एण्ड डाउन्सन	–	गार्डेन ऑफ इण्डिया, 2 खण्ड (चैप्टर्स आन–अवध) हिस्ट्री एण्ड एफेयर्स, लखनऊ 1973
सहायक, मोहम्मद	–	इन्डियाज कान्ट्रीब्यूशन टू दि स्टडी ऑफ हदीस, लिटरेचर ढ़ाका – 1955
ओझा, पी0 एन0	–	ग्लिम्पसेस ऑफ सोशल लाइफ इन मुगल इण्डिया प्रथम संस्करण दिल्ली– 1979
––––	–	एसपेक्ट्स ऑफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ ड्यूरिंग मुगल एज, (1556–1707) प्रथम संस्करण, पटना 1961
		ऐसपेक्ट्स ऑफ मेडिवल इण्डियन सोसाइटी एण्ड कल्चर, प्रथम संस्करण रांची – 1961
कानूनगो, कालिका रंजन	–	शेरशाह एण्ड हिज टाइम, कलकत्ता–1965

किगसन, विलियम	–	दि प्राइवेट लाइफ ऑफ ऐन इस्टर्न–किंग ऑक्सफोर्ड–1921
कीथः एफ0 ई0	–	इण्डियना एजुकेशन इन एन्सियन्ट एण्ड लेटर टाइम्स – 1938
———–	–	ए हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान कलकत्ता–1959
————	–	हिन्दी लिटरेचर – 1933
कुक विलियम	–	दि ट्राइम्स एण्ड कास्ट्रम ऑफ दि नाथ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, 4 खण्ड कलकत्ता– 1896
कुल श्रेष्ठ एस0 एस0	–	दि डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एण्ड इण्टस्ट्री अण्डर दि मुगल्स (1526–1709) किताब महल इलाहाबाद – 1964
कुरैशी, आई0 एच0	–	दि एडमिनिस्ट्रेसशन ऑफ दि मुगल इम्पायर एन0 बी0 पब्लिकेशन लोहानीपुर पटना–3
खान, ए0 आर0	–	चिप्टेन्स इन दि मुगल इम्पायर ड्यूरिंग दि रेन ऑफ अकबर – इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी राष्ट्रपति निवास, शिमला–1977
गर्य, जी0 एस0	–	कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया–1950

गाडगिल, डी0 आर0	–	दि इन्डस्ट्रियल एवोल्यूशन ऑफ इण्डिया यन रिसेंट टाइम, पंचम संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस दिल्ली – 1974
गुप्ता एन0 एस0	–	इण्डस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इण्डिया, एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी, दिल्ली – 1970
चटर्जी, एस0 के0	–	इण्डो आर्यन एण्ड हिन्दी, कलकत्ता – 1960
चोपड़ा, पी0 एन0	–	सम ऐस्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी एण्ड कल्चर ड्यूरिंग मुगल एज, (1526–1707) शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, द्वितीय संस्करण, आगरा – 1963
चोपड़ा, पी0 एन0	–	भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक
पी0 एन0 पुरी	–	इतिहास, खण्ड प्रथम संस्करण दि मैकलिन
ए0 एन0 दास	–	कम्पनी नई दिल्ली–1976
चौबे, झारखण्डे, श्रीवास्तव	–	मध्य युगीन भारतीय समाज एवं संस्कृति प्रथम
कन्हैयालाल	–	संस्करण, वाराणसी– 1979

जाफर, एस0 एम0	–	एजुकेशन इन मुस्लिम इण्डिया हैदराबाद
जाफर एस0 एम0	–	सम कल्चरल एसपेक्ट्स ऑफ मुस्लिम रुल इन इण्डिया, पेशावर–1939
ताराचन्द्र	–	इन्फल्यूऐन्स ऑफ इस्लाम ऑन इण्डियन कल्चर इलाहाबाद – 1936
–––––	–	सोसाइटी एण्ड टेस्ट इन दि मुगल पीरियड दि पब्लिकेशन डिविजन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फार मेशसन एण्ड ब्रांड कस्टिंग, फरीदाबाद–1941
नकवी, हमीदा खातून	–	अर्वन सेन्टर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज इन अपर इण्डिया एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई – 1963
–––––	–	अर्बनाइजेशन एण्ड अर्वन सेन्टर्स अण्डर दि ग्रेट मुगल्स (1556–1707), शिमला – 1971
नेविल, एच0 आर0	–	गजेटियर ऑफ प्राविन्स ऑफ अवध 3 खण्ड
–––––	–	डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ फैजाबाद, वाल्यूम –1950

————	–	डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ बाराबंकी, वाल्यूम —1922
————	–	डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ लखनऊ, वाल्यूम —1922
————	–	डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ बहराइच, वाल्यूम —1921
नेविल, एच0 आर0	–	डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ खैराबाद, वाल्यूम —1905
————	–	डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ गोरखपुर, वाल्यूम —1903
————	–	डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ बस्ती, वाल्यूम —1907
————	–	डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ रायबरेली, वाल्यूम —1921
————	–	डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ हरदोई, वाल्यूम —1922
————	–	डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध, वाल्यूम —31, 32, 33, 41, 42, 44

पन्त डी0 – दि कामर्शियल पालिसी ऑफ दि मुगल्स, बम्बई – 1930

पाण्डेय, अवध बिहारी – उत्तर मुगल कालीन भारत

प्रसाद ईश्वरी – हुमायूँ हिज लाइफ एण्ड टाइम्स, कलकत्ता –1956

———— – हिस्ट्री ऑफ जहांगीर, इलाहाबाद

———— – ए सार्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रुल इन इण्डिया

———— – हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इण्डिया दि इण्डियन प्रेस इलाहाबाद द्वितीय संस्करण – 1948

फरहर, ए0 – दि मानुमेन्टल इन्टक्वीटीज एण्ड इन्सक्रिप्सन इन नार्थ–वेस्टर्न प्राविन्स एण्ड अवध, इलाहाबाद–1891

फास्टर विलियम – दि इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इण्डिया, 13 खण्ड ऑक्सफोर्ड – 1910

फारुकी, जेड़0 – औरंगजेब एण्ड हिज टाइम्स, बम्बई – 1935

ब्लन्ट – दि कास्ट सिस्ट ऑफ नार्थ इण्डिया, दिल्ली 1969

बनर्जी, एस0 के0 — हुमायूँ बादशाह लखनऊ–1941

बासू0 पी0 — अवध एण्ड दि ईस्ट इण्डिया, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली– 1967

मुखर्जी, आर0 — दि इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 1600–1800 इलाहाबाद, 1967

मिश्रा रेखा — वीमेन इन मुगल इण्डिया, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली– 1967

मुजीव, एम0 — दि इण्डियन मुस्लिम

प्रेनन, लक्ष्मी एन0 — दि पोजीसन ऑफ वीमेन

मोरलैण्ड, डब्ल्यू0 एच0 — एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इण्डिया, दिल्ली– 1968, हिन्दी अनुवाद–मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था, रुपान्तरकार – कमलाकर तिवारी इलाहाबाद – 1976

———— — फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, लन्दन–1923

———— — इण्डिया ऐट दि डेथ ऑफ अकबर, लन्दन 1920 हिन्दी अनुवाद–अकबर की मृत्यु के समय का भारत रुपान्तरकार–सुधार किरण सिन्हा, दिल्ली–1976

———	–	ए कैलेण्डर ऑफ ओरियन्टल रिकार्डस, 2 खण्ड सूबा अवध से सम्बन्धित अभिलेख इलाहाबाद।
———	–	सैमुअल परवाज इण्डिया
———	–	एन इन्टलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन इण्डिया
यासीन, मोहम्मद	–	ए सोशल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक इण्डिया, (1605–1748) लखनऊ, 1958, द्वितीय संस्करण, दिल्ली, 1974
रावत, पी0 यल0	–	हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एजुकेशन
रसीद, ए0	–	सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मेडिवल इण्डिया
रसबुक, विलियम	–	ऐन इम्पायर विल्डर ऑफ दि सिक्सटींथ सेंन्चुरी दिल्ली, 1974
राय चौधरी माखन लाल	–	दि स्टेट एण्ड रिलीजन इन मुगल इण्डिया, कलकत्ता 1951
राय, डी0 एन0	–	दि स्पिरिट ऑफ इण्डियन सिविलाइजेशन, कलकत्ता 1952

सक्सेना, बी0 पी0 — हिस्ट्री ऑफ शाहजहां ऑफ डेलही, इलाहाबाद 1955

————— — मुगल सम्राट शाहजहां प्रथम हिन्दी संस्करण, 1974, जयपुर

सरकार, सर जे0 एन0 — मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन, कलकत्ता, 1952

————— — हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब 5 वाल्यूम, कलकत्ता 1912—25

————— — स्टडीज इन मुगल इण्डिया, कलकत्ता—1919

————— — इण्डिया ऑफ औरंगजेब 1901

सरन, पी0 — दि प्राविन्सपल गवर्नमेन्ट ऑफ दि मुगल, इलाहाबाद, 1972

सिद्दीकी, आई0 एच0 — हिस्ट्री ऑफ शेरशाह, अलीगढ़ 1971

सिद्दीकी, एन0 ए0 — लैण्ड रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन अण्डर दि मुगल 1700—1750, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई 1970 दि अनुवाद—मुगलकालीन भू—राजस्व प्रशासन, प्रथम हिन्दी अनुवाद संस्करण नई दिल्ली 1977

सरीन मुसबी — मुगल इकनामी दिल्ली,

स्मिथ, बी0 ए0	—	अकबर दि ग्रेट मुगल (1542—1605) बाक्स फोर्ड 1917, द्वितीय रिवाइज्ड एडिसन नई दिल्ली—1962 हिन्दी अनुवाद, महान मुगल अकबर दिल्ली 1971
सेनर्ट, एम0	—	कास्ट इन इण्डिया 1930
शर्मा श्री राम	—	ए विब्लयोग्राफी ऑफ मुगल इण्डिया (1526—1707) बम्बई, 1932
शाहू, किशोरी प्रसाद	—	सम एसपेक्ट्रम ऑफ नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, (1000—1526) कलकत्ता, 1973
सान्ता, के0 एस0	—	वेगम्स ऑफ अवध प्रथम संस्करण वाराणसी 1980
हबीब इरफान	—	एटलस आफ मुगल एम्पायर
हबीब इरफान	—	एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया, एरिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1963
हबीब इरफान	—	एटलस आफ मुगल एम्पायर
————	—	इकनामी हिस्ट्री ऑफ इण्डिया
हसन, हब्न	—	दि सेन्ट्रल स्ट्रक्चर ऑफ दि मुगल इम्पायर, ऑक्सफोर्ड, 1936
हुसैन, युसूफ	—	गिलम्पसेस ऑफ मेडिवल इण्डियन कल्चर

		हिन्दी अनुवाद–मध्य युगीन भारतीय संस्कृति, (एक झलक) डा0 उमर, अलीगढ़
हुसैन वाहिद	–	एण्डमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग दि रुल इन इण्डिया, कलकत्ता, 1934
होप, डब्लू0	–	ए मानोग्राफ आन ट्रेड एण्ड मेन्यू फैक्चरर्स इन नार्दन इण्डिया लखनऊ 1880
होदीवाला, एस0 एच0	–	स्टडीजइन इण्डो मुस्लिम हिस्ट्री, बम्बई 1934
त्रिपाठी, राम प्रसाद	–	राइज एण्ड फाल ऑफ दि मुगल इम्पायर, इलाहाबाद 1955
–––––	–	सम ऐसपेक्ट्रस ऑफ दि मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन इलाहाबाद, 1936
श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल	–	अकबर दि ग्रेट मुगल्स खण्ड 3
–––––	–	शुजाउद्दौला, खण्ड 2
–––––	–	फर्स्ट टू नवाब्स ऑफ अवध 1962 हिन्दी अनुवाद अवध के प्रथम दो नबाब, 1973
–––––	–	मध्यकालीन भारतीय संस्कृति
श्रीवास्तव, राधेश्याम	–	औरंगजेब, इलाहाबाद – 2000

लेख एवं पत्रिकाऐं :–

राधेश्याम – "मुस्लिम कोलाइनाइजेशन एण्ड सोशल ट्रान्स फार्मेशन इन अवध" भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में इतिहास विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश का सामाजिक–आर्थिक इतिहास (1526–1947) विषय पर आयोजित सेमिनार (8–10 दिसम्बर 1978)

––– – जर्नल आफ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वंशल पार्ट 1, 1935

बी0 आर0 ग्रोवर – प्रासिडेन्सियल एड्रेस प्रोसिडिंग ऑफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, कालीकट 1976 पृष्ठ 150

इरफान हबीब – एसपेक्ट्रस ऑफ एग्रेरियन रिलेशन्स एण्ड इकोनोमी इन दि रीजन ऑफ उत्तर–प्रदेश ड्यूरिंग दि सिक्टअींथ सेन्चुरी, इण्डियन इकोनोमिक एण्ड सोशल हिस्ट्री रिव्यू वाल्यूम नं0 3, 1967

डॉ0 सैय्यद नज़मुल रज़ा – "दि विर्तिया जमींदार्स ऑफ इस्टर्न उत्तर प्रदेश"

रिज़वी – यू0 पी0 हिस्टारिकल रिव्यू, अंक प्रथम, अगस्त–1982

-----	–	"सरकार गोरखपुर अण्डर दि मुगल्स" अवध विश्वविद्यालय शोध पत्रिका, कला संकाय वाल्यूम 1 सं0 1982
सैय्यद जहीर हुसैन जाफरी	–	टू मदद–माश फरमान्स ऑफ औरंगजेब फ्राम अवध प्रोसिडिंग ऑफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस वाल्टेयर–1979
शारिन मूसवी	–	सुयूरगाल स्टैटिस्टिक्स इन दि आईन–ए–अकबरी, ऐन एनलसिस, इण्डियन हिस्ट्री रिव्यू, 11 (2) 1976

अप्रकाशित शोध प्रबन्ध :–

डॉ0 सैय्यद नज़मल रज़ा	–	"ए स्टडी ऑु जमींदार्स ऑफ इस्टर्न" उत्तर प्रदेश
रिज़वी	–	इन दि एटींथी सेन्चुरी "अप्रकाशित शोधबन्ध प्रबन्ध इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1983"
जारी दरबार	–	"सोशल एण्ड इकोनोमिक कण्डीशन ऑफ नार्दन इण्डिया ड्यूरिंग दि सेकेण्ड हॉफ दि सेविन्टींथ सेन्चुरी" अप्रकाशित शोध प्रबन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1975

ए0 एच0 परेमू	–	"क्रिटिकल स्टडी ऑफ दि एजुकेशनल कण्डीशन नीवेलेण्ट इन इण्डिया फ्राम 1526–1707 ए0 डी0" अप्रकाशित शोध प्रबन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद
निलिया प्रियदर्शिनी	–	"हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश अण्डर दि मुगल (1526–1707) इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1980"
के0 एल0 सक्सेना	–	"पोजिसन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन" इलाहाबाद, विश्वविद्यालय इलाहाबाद

मानचित्र :–

इरफान हबीब	–	एन एटलस ऑफ दि मुगल इम्पायर

V.B.S. Purvanchal University
Vivekanand Central Library
Estd. 1999
Jaunpur U.P.